दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र
विधान सभा
के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम

(नवाँ संस्करण)

RULES OF PROCEDURE
AND
CONDUCT OF BUSINESS IN THE
LEGISLATIVE ASSEMBLY
OF
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(IX Edition)

विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय
दिल्ली–**110054**

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

2019

प्रस्तावना

भारत में संविधान द्वारा विधायिका को उसके कार्य संचालन के लिए प्रदत्त अधिकार एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार है। संविधान में संसद के संदर्भ में अनुच्छेद–118, राज्य विधायिकाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 208 और दिल्ली विधान सभा के संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 33 विधायिकाओं को प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के लिए अपने नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान करता है। विधायिका अपनी कार्यवाही के संचालन की स्वयं मालिक है और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उसे अपने कार्य संचालन का अंतर्निहित अधिकार प्राप्त है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की पहली बैठक 14 दिसम्बर, 1993 को शुरू हुई और उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया के नियम अनुकूलित किये गये जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 में दिये गये हैं। दिल्ली विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम सबसे पहले 03.09.1997 को अंगीकृत किये गये। तत्पश्चात् समय–समय पर जब नियमों में व्यावहारिक संशोधन हुए, नियम संशोधित किए गए।

सभी संशोधनों को समाहित करते हुए दिल्ली विधान सभा के 25वें वर्ष में यह नौवाँ संस्करण लाया जा रहा है। जैसा कि प्रचलन में रहा है यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 1997 की विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों, दिल्ली विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1996, संविधान का (उन्नत्तरहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1991 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम, 1991 को समाहित करते हुए सार संग्रह के रूप में तत्काल संदर्भ के लिए लाया जा रहा है।

श्री सुनील दत्त शर्मा, उप सचिव के पर्यवेक्षण में दिल्ली विधान सभा अनुसंधान केंद्र के अध्येताओं, विशेषकर सुश्री श्रुति शर्मा एवं सुश्री यज्ञश्री ने इस द्विभाषी सार संग्रह में उपलब्ध विविध प्रावधानों का बहुत बारीकी से अवलोकन किया और मैं उनके बहुमूल्य योगदान और सुझावों के लिए आभारी हूँ। हम माननीय अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल जी से मिले सुयोग्य मार्गदर्शन और उत्साहवर्द्धन के लिए हृदय से उनके आभारी हैं।

दिल्ली
नवम्बर, 2019

सी. वेलमुरुगन
सचिव

PREFACE

The power to regulate its own business is one of the most important privileges bestowed on the Legislatures in India by the Constitution. Article 118 in respect of the Parliament, Article 208 in respect of the State Legislature of the Constitution and Section 33 of The Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 in respect of the Delhi Assembly grants the powers to the Legislatures to frame their own Rules of Procedure and Conduct of Business. The Legislature is the master of its own proceedings and it has the inherent right to conduct its business without interference from any outside body.

The first sitting of the First Legislative Assembly of NCT of Delhi commenced on 14 December, 1993 and the Rules of Procedure of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh were adapted as was provided in the Government of NCT of Delhi Act, 1991. The Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of NCT of Delhi was first adopted on 03.09.1997. Thereafter the Rules were periodically revised as and when substantial amendments were made in the Rules.

This Ninth Edition is being brought out in the 25th Year of the Delhi Assembly incorporating all the amendments made till date. As has been the practice, it is being brought out in the form of a compendium containing the *Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, 1997, The Member of Delhi Legislative Assembly (Disqualification on Grounds of Defection) Rules, 1996, The Constitution (Sixty Ninth Amendment) Act, 1991* and *The Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991* for ready reference.

The Research Fellows of the Delhi Assembly Research Centre, notably Ms. Shruti Sharma and Ms. Yagyashree under the supervision of Shri Sunil Dutt Sharma, Deputy Secretary, meticulously went through the various provisions contained in this bi-lingual compendium and I am grateful for their valuable suggestions and contribution. We are deeply obliged to the able guidance and encouragement received from Shri Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker.

DELHI
November, 2019

C. Velmurugan
Secretary

विषय सूची

नियम *पृष्ठ संख्या*

अध्याय–1
संक्षिप्त शीर्षनाम और परिभाषाएं

1. संक्षिप्त शीर्षनाम 1
2. परिभाषाएं 1

अध्याय–2
सदस्यों का आह्वान तथा उनके बैठने की व्यवस्था

3. सभा का आह्वान 5
4. शपथ अथवा प्रतिज्ञान 5
5. सदस्यों की आसन व्यवस्था 5
6. धारा 17 के उपबंधों का उल्लंघन 5
7. सदस्यों के लिए उपस्थिति पंजिका 5

अध्याय–3
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा
सभापति तालिका का नाम निर्देशन

8. अध्यक्ष का निर्वाचन 6
9. उपाध्यक्ष का निर्वाचन 6
10. सभापति तालिका 7
11. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति तालिका की अनुपस्थिति में सभापति का निर्वाचन 8
12. उपाध्यक्ष तथा अन्य पीठासीन सदस्य की शक्तियां 8
13. अध्यक्ष द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन 8

अध्याय–4
विधान सभा की विधिवत् गठित बैठक

14. विधिवत् गठित बैठक 9
15. सत्र का आरम्भ और समापन 9
16. गणपूर्ति 9

CONTENTS

Rule *Page No.*

CHAPTER-I
SHORT TITLE AND DEFINITIONS

1. Short Title 1
2. Definitions 1

CHAPTER-II
SUMMONS TO MEMBERS AND SEATING ARRANGEMENT

3. Summoning of the Assembly 5
4. Oath or affirmation 5
5. Seating arrangement of members 5
6. Contravention of the provisions of section 17 5
7. Attendance register for members 5

CHAPTER-III
ELECTION OF SPEAKER, DEPUTY SPEAKER AND NOMINATION OF PANEL OF CHAIRMEN

8. Election of Speaker 6
9. Election of Deputy Speaker 6
10. Panel of Chairmen 7
11. Election of Chairman in the absence of Speaker, Deputy Speaker and panel of Chairmen 8
12. Powers of Deputy Speaker and other presiding member 8
13. Delegation of powers by Speaker 8

CHAPTER-IV
DULY CONSTITUTED SITTING OF THE ASSEMBLY

14. Duly constituted sitting of the House 9
15. Commencement and conclusion of session 9
16. Quorum 9

नियम		*पृष्ठ संख्या*
17.	सदन का स्थगन और पुनः समवेत करने की प्रक्रिया	10
18.	सत्रावसान का प्रभाव	10

अध्याय–5

उप–राज्यपाल का सभा को अभिभाषण तथा संदेश

19.	सदन में उपराज्यपाल का अभिभाषण और उस पर चर्चा	11
20.	धारा–9 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपराज्यपाल का अभिभाषण	12
21.	सरकार का उत्तर देने का अधिकार	12
22.	भाषणों के लिए समय सीमा	12
23.	धारा–9 की उपधारा (2) के अंतर्गत उपराज्यपाल का संदेश	12

अध्याय–6

कार्य का आयोजन

24.	सदन में लिए जाने वाले कार्य की सूचना	13
25.	कार्य सूची	13
26.	गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए समय का आबंटन	13
27.	सरकारी कार्य का क्रम	14
28.	दिन के अंत में गैर सरकारी सदस्यों का शेष रह गया कार्य	14

अध्याय–7

प्रश्न

29.	प्रश्नों का विषय	15
30.	प्रश्नों का वर्गीकरण	15
31.	प्रश्नों की ग्राह्यता	15
32.	अल्प सूचना प्रश्न	18
33.	तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचना	19
34.	प्रश्नों के लिए समय	19
35.	उत्तरों की प्रतियां सदस्य को उपलब्ध कराना तथा सदन में प्रश्नोत्तर का निपटान	20
36.	प्रश्नों की संख्या की परिसीमा	20

(iv)

Rule		***Page No.***
17.	Adjournment of the House and procedure for reconvening	10
18.	The effect of prorogation	10

CHAPTER-V

LIEUTENANT GOVERNOR'S ADDRESS AND MESSAGE TO ASSEMBLY

19.	Address by the Lieutenant Governor to the House and its discussion in the Assembly	11
20.	Lieutenant Governor's Address under sub-section (1) of section 9	12
21.	Government's right to reply	12
22.	Time limit for speeches	12
23.	Message of the Lieutenant Governor under sub-section (2) of section 9	12

CHAPTER-VI

ARRANGEMENT OF BUSINESS

24.	Information about the business to be taken up in the House	13
25.	List of Business	13
26.	Allotment of time for Private Members' business	13
27.	Arrangement of Government business	14
28.	Private Members' business outstanding at the end of the day	14

CHAPTER-VII

QUESTIONS

29.	Subject matter of questions	15
30.	Classification of questions	15
31.	Admissibility of questions	15
32.	Short notice questions	18
33.	Notice of starred and unstarred questions	19
34.	Time for questions	19
35.	Copies of written answers to be made available to the member and disposal of question-answer in the House	20
36.	Limitation on number of questions	20

नियम		*पृष्ठ संख्या*
37.	प्रश्नों के मौखिक उत्तरों के लिए दिन नियत करना	20
38.	मंत्री की अनुपस्थिति के कारण प्रश्नों का स्थगन	21
39.	प्रश्न पूछने की प्रक्रिया	21
40.	प्रश्नों की सूचना देने का तरीका	21
41.	प्रश्नों के उत्तर देने के ढंग	21
42.	अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न	22
43.	प्रश्नों की वापसी अथवा स्थगन	22
44.	मौखिक उत्तर न दिए जाने वाले प्रश्नों का लिखित उत्तर	22
45.	अनुपूरक प्रश्न	23
46.	अध्यक्ष से प्रश्न	23
47.	गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न	23
48.	अध्यक्ष प्रश्नों की ग्राह्यता का निर्णय करेंगे	23
49.	प्रश्न के वर्ग में परिवर्तन करने की अध्यक्ष की शक्ति	24
50.	किसी दिन के लिए प्रश्नों की सूची	24
51.	प्रश्नों और उत्तरों का सभा की कार्यवाहियों में समावेश	24
52.	प्रश्नों और उत्तरों के पूर्व प्रकाशन पर रोक	24

आधे घंटे की चर्चा

53.	प्रश्नोत्तरों से उत्पन्न होने वाले विषयों पर चर्चा	25

अध्याय–8

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यान दिलाना

54.	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर ध्यान दिलाना	26

अध्याय–9

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों पर अल्पकालिक चर्चा

55.	चर्चा उठाने की सूचना	27
56.	अध्यक्ष ग्राह्यता का निर्णय करेंगे	27
57.	औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा	27
58.	भाषणों के लिए समय सीमा	27

(v)

Rule		***Page No.***
37.	Allotment of days for oral answers to questions	20
38.	Postponement of questions due to absence of Minister	21
39.	Mode of asking questions	21
40.	Mode of giving notice of questions	21
41.	Manner of answering questions	21
42.	Questions of absent members	22
43.	Withdrawal or postponement of questions	22
44.	Written answers to questions not replied orally	22
45.	Supplementary questions	23
46.	Questions to the Speaker	23
47.	Questions to Private Members	23
48.	Speaker to decide admissibility of questions	23
49.	Power of the Speaker to change class of questions	24
50.	List of questions for the day	24
51.	Questions and answers to be entered in proceedings of the Assembly	24
52.	Prohibition on publication of questions and answers in advance	24

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

53.	Discussion on matters arising out of questions and answers	25

CHAPTER-VIII

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

54.	Calling Attention to matters of urgent public importance	26

CHAPTER-IX

SHORT DURATION DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

55.	Notice for raising discussion	27
56.	Speaker to decide admissibility	27
57.	No formal motion	27
58.	Time limit for speeches	27

नियम *पृष्ठ संख्या*

अध्याय–10

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव

59. सूचना देने का तरीका 28
60. प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष की सम्मति की आवश्यकता 28
61. प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रतिबंध 28
62. न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन विषयों पर चर्चा के लिए प्रस्ताव 29
63. कार्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा मांगने की विधि 29
64. प्रस्ताव को लेने का समय 30
65. चर्चा के समय की परिसीमा 30

अध्याय–11

विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमानना के प्रश्न

66. विशेषाधिकार हनन अथवा अवमानना के प्रश्न का उठाया जाना 31
67. सदस्य द्वारा शिकायत 31
68. ग्राह्यता की शर्तें 31
69. विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की रीति 32
70. शिकायत का प्रस्तुत किया जाना 32
71. विशेषाधिकार हनन अथवा अवमानना के प्रश्न पर सदन द्वारा विचार 33
72. सदन के समक्ष शिकायत का निपटान 33
73. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रस्ताव 34
74. मूल प्रस्ताव 34
75. दोषारोपित व्यक्ति के लिए अवसर 34
76. दोषारोपित पक्ष को बुलाना 35
77. दण्ड 35
78. निराधार शिकायत 35
79. सदन के आदेशों का पालन 35
80. वाद–विवाद की संक्षिप्तता 36
81. प्रक्रिया का विनियमन 36
82. विशेषाधिकार अथवा अवमानना के प्रश्न को समिति को सुपुर्द करने की अध्यक्ष की शक्ति 36

(vi)

Rule ***Page No.***

CHAPTER-X

MOTION FOR ADJOURNMENT ON A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

59. Method of giving notice 28
60. Speaker's consent necessary to make motion 28
61. Restrictions on right to make motion 28
62. Motion for discussion on matters before tribunals, commissions, etc. 29
63. Mode of asking for leave to move adjournment motion 29
64. Time for taking up motion 30
65. Limitation of time for discussion 30

CHAPTER-XI

QUESTIONS INVOLVING BREACH OF PRIVILEGE AND CONTEMPT

66. Raising a question of breach of privilege or contempt 31
67. Complaint by member 31
68. Conditions of admissibility 31
69. Mode of raising question of privilege 32
70. Presentation of complaint 32
71. Consideration of question of breach of privilege or contempt by the house 33
72. Disposal of a complaint before the House 33
73. Motion after presentation of the report 34
74. Substantive motion 34
75. Opportunity to person charged 34
76. Summoning the party charged 35
77. Punishment 35
78. Groundless complaint 35
79. Execution of orders of the House 35
80. Brevity of debate 36
81. Regulation of procedure 36
82. Power of Speaker to refer question of privilege or contempt to committee 36

नियम		*पृष्ठ संख्या*
83.	दूसरे विधान मण्डल के सदस्य, अधिकारी अथवा किसी कर्मचारी द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमानना के संबंध में कार्रवाही की प्रक्रिया	36

सदस्यों की गिरफ्तारी, नजरबंदी एवं रिहाई आदि की अध्यक्ष को सूचना

84.	दण्डाधिकारी द्वारा सदस्यों की गिरफ्तारी, नजरबंदी आदि की अध्यक्ष को सूचना	37
85.	सदस्य की रिहाई पर अध्यक्ष को सूचना	37
86.	दण्डाधिकारी से प्राप्त सूचना पर कार्रवाही	37

सदन के परिसर के भीतर गिरफ्तारी एवं विधि संबंधी आदेशिका की प्रक्रिया

87.	सदन के परिसर के भीतर गिरफ्तारी	37
88.	विधि संबंधी आदेशिका की तामीली	37

अध्याय–12

संकल्प

89.	गैर सरकारी सदस्यों द्वारा संकल्प की सूचना	38
90.	सरकार द्वारा संकल्प की सूचना	38
91.	संकल्प का विषय	38
92.	संकल्प का रूप	38
93.	संकल्प की ग्राह्यता की शर्तें	38
94.	न्यायाधिकरण अथवा अन्य वैधानिक प्राधिकारी के समक्ष लंबित विषय पर चर्चा उठाना	39
95.	संकल्पों की ग्राह्यता	39
96.	गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों की अग्रता	39
97.	गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प की प्रतिलिपि सरकार को भेजा जाना	40
98.	संकल्पों का प्रस्तुतीकरण	40
99.	संशोधन	40
100.	संशोधनों की सूचना	40
101.	भाषणों की समय सीमा	40
102.	संकल्प की वापसी	41

Rule		*Page No.*
83.	Procedure on question of breach of privilege or contempt of the House by a member or officer or servant of any other House	36

INTIMATION TO SPEAKER OF ARREST, DETENTION ETC. AND RELEASE OF A MEMBER

84.	Intimation of arrest, detention etc. of a member to Speaker by Magistrate	37
85.	Intimation to Speaker on release of a member	37
86.	Treatment of communication received from Magistrate	37

PROCEDURE REGARDING SERVICE OF A LEGAL PROCESS AND ARREST WITHIN THE PRECINCTS OF THE HOUSE

87.	Arrest within the precincts of the House	37
88.	Service of legal process	37

CHAPTER-XII

RESOLUTIONS

89.	Notice of resolution by Private Members	38
90.	Notice of resolution by Government	38
91.	Subject-matter of resolution	38
92.	Form of resolution	38
93.	Conditions of admissibility of resolutions	38
94.	Raising discussion on matters before tribunals or other statutory authorities	39
95.	Admissibility of resolutions	39
96.	Precedence of Private Members' resolution	39
97.	Sending copy of Private Members' resolution to Government	40
98.	Moving of resolutions	40
99.	Amendments	40
100.	Notice of amendments	40
101.	Duration of speeches	40
102.	Withdrawal of resolution	41

नियम		*पृष्ठ संख्या*
103.	संकल्प जिस पर चर्चा नहीं हुई	41
104.	संकल्प का विभाजन	41
105.	संकल्प की पुनरावृत्ति	41
106.	मंत्री के पास पारित संकल्प की प्रति भेजना	41

अध्याय–13
प्रस्ताव

107.	लोकहित के किसी विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा	42
108.	प्रस्ताव की सूचना	42
109.	प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें	42
110.	अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता का निर्णय करेंगे	43
111.	न्यायाधिकरण, आयोग आदि के समक्ष विषयों पर चर्चा उठाने के लिए प्रस्ताव	43
112.	समय का निर्धारण और प्रस्तावों पर चर्चा	43
113.	भाषणों के लिए समय सीमा	43
114.	बिना सूचना दिए प्रस्ताव	43
115.	प्रस्ताव की पुनरावृत्ति	44
116.	कार्य स्थगित करने के लिए प्रस्ताव	44
117.	समापन	45

अध्याय–14
विधि निर्माण
(क) विधेयकों का पुरःस्थापन तथा प्रकाशन

118.	विधेयकों को पुरःस्थापित करने से पूर्व प्रकाशित करने की अध्यक्ष की शक्ति	46
119.	गैर सरकारी सदस्य द्वारा विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति मांगने के लिए प्रस्ताव की सूचना	46
120.	विधेयक पर राष्ट्रपति या उपराज्यपाल के आदेश की मंत्री द्वारा सूचना	47
121.	सदन में लंबित किसी अन्य विधेयक पर निर्भर विधेयक का पुरःस्थापन	47
122.	समरूप विधेयक की सूचना	47
123.	विधेयकों का वित्तीय ज्ञापन और विधेयकों में धन संबंधी खण्ड	47

(viii)

Rule		***Page No.***
103.	Resolution not discussed	41
104.	Splitting of resolution	41
105.	Repetition of resolution	41
106.	Copy of resolution passed to be sent to Minister	41

CHAPTER-XIII
MOTION

107.	Discussion on a matter of public interest by motion	42
108.	Notice of a motion	42
109.	Condition of admissibility of a motion	42
110.	Speaker to decide admissibility of a motion	43
111.	Motion for raising discussion on matter before tribunals, commission, etc.	43
112.	Allotment of time and discussion of motions	43
113.	Time limit for speeches	43
114.	Motions without notice	43
115.	Repetition of motion	44
116.	Motion for postponement of business	44
117.	Closure	45

CHAPTER-XIV
LEGISLATION
(A) INTRODUCTION AND PUBLICATION OF BILLS

118.	Speaker's power of publication of bills before introduction	46
119.	Notice of motion or leave to introduce a Bill by a Private Member	46
120.	Minister to communicate the order of the President or the Lieutenant Governor on the Bill	47
121.	Introduction of a Bill dependent on another Bill pending before the House	47
122.	Notice of an identical Bill	47
123.	Financial memorandum to Bill and money clauses in Bills	47

नियम		पृष्ठ संख्या
124.	विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन	48
125.	किसी विधेयक की सूचना को अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार करने की शक्ति	48
126.	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों में अग्रेता	48
127.	मंत्री को गैर सरकारी सदस्य के विधेयक की प्रतिलिपि भेजना	49
128.	विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति के लिए प्रस्ताव की सूचना	49
129.	पुरःस्थापन की अनुज्ञा के लिए प्रस्ताव और सदस्यों को विधेयकों की प्रतियां भेजना	49
130.	विधेयक का पुरःस्थापन	50
131.	विधेयक से सम्बन्धित पत्र मांगने की शक्ति	50
132.	विधेयक का प्रकाशन	50
133.	उपराज्यपाल तथा राष्ट्रपति को विधेयकों की प्रतिलिपि भेजना	50
134.	अध्यादेश के बारे में विवरण	50

(ख) पुरःस्थापन के उपरान्त प्रस्ताव

135.	पुरःस्थापन के उपरान्त प्रस्ताव	50
136.	विधेयकों के सिद्धान्तों पर चर्चा	51
137.	प्रवर समिति को गठित करने का प्रस्ताव	52
138.	व्यक्ति जो विधेयकों के संबंध में प्रस्ताव कर सकेंगे	52

(ग) प्रवर समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रक्रिया

139.	प्रवर समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तुत किए जाने वाला प्रस्ताव	52
140.	वाद–विवाद का कार्यक्षेत्र	53
141.	संशोधन की सूचना	53
142.	संशोधनों के स्वीकार होने की शर्तें	54
143.	संशोधन की सूचना के साथ राष्ट्रपति की मंजूरी या उपराज्यपाल की सिफारिश का संलग्न किया जाना	54
144.	मंत्री द्वारा राष्ट्रपति/उपराज्यपाल की किसी विधेयक के संशोधन की मंजूरी/सिफारिश से सचिव को संसूचित करना	55
145.	संशोधन को प्रस्तुत करने की विधि	55
146.	संशोधनों की वापसी	55

(ix)

Rule		Page No.
124.	Explanatory memorandum to Bills delegating legislative power	48
125.	Speaker's power to disallow notice of a Bill	48
126.	Precedence of Private Members' Bills	48
127.	Copy of Private Member's Bill to Minister	49
128.	Notice of motion for leave to introduce a Bill	49
129.	Motion for leave to introduce and copies of Bills to members	49
130.	Introduction of a Bill	50
131.	Power to ask for papers connected with a Bill	50
132.	Publication of Bills	50
133.	Copy of Bills to the Lieutenant Governor and the President	50
134.	Statement regarding Ordinance	50

(B) MOTIONS AFTER INTRODUCTION

135.	Motions after introduction	50
136.	Discussion on principles of Bills	51
137.	Motion to constitute a Select Committee	52
138.	Person by whom motions in respect of Bills may be made	52

(C) PROCEDURE AFTER PRESENTATION OF REPORT OF THE SELECT COMMITTEE

139.	Motion that may be moved after presentation of report of the Select Committee	52
140.	Scope of debate	53
141.	Notice of amendment	53
142.	Conditions of admissibility of amendments	54
143.	Sanction of the President or recommendation of the Lieutenant Governor to be annexed to notice of amendment	54
144.	Minister to communicate sanction/recommendation of President/Lieutenant Governor to an amendment to a Bill to Secretary Lieutenant	55
145.	Moving of amendments	55
146.	Withdrawal of amendments	55

नियम		पृष्ठ संख्या
	(घ) खण्डों आदि में संशोधन तथा विधेयकों पर विचार	
147.	विधेयकों का खण्डवार प्रस्तुतीकरण	55
148.	किसी खण्ड का विलम्बन	56
149.	अनुसूची पर विचार	56
150.	विधेयक का प्रथम खण्ड, प्रस्तावना और शीर्षक	56
	(ङ) विधेयकों को पारित एवं प्रमाणित करना	
151.	विधेयकों का पारण	57
152.	वाद–विवाद का कार्य क्षेत्र	57
153.	स्पष्ट गलतियों की शुद्धि	57
	(च) सामान्य	
154.	विधेयक के वर्ष को अनुमति के वर्ष के अनुरूप करने की अध्यक्ष की शक्ति	57
155.	विधेयक को अनुमति	58
156.	शाब्दिक संशोधनों का विवरण	58
	(छ) उपराज्यपाल द्वारा लौटाए गए विधेयकों पर पुनर्विचार	
157.	उपराज्यपाल का संदेश	58
	अध्याय–15 अधीनस्थ विधान	
158.	नियम, विनियम आदि का सदन पटल पर रखा जाना	59
159.	संशोधनों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन	59
	अध्याय–16 समितियों की प्रक्रिया (क) सामान्य	
160.	सदन की समितियों की नियुक्ति	60
161.	समिति की सदस्यता पर आपत्ति	60
162.	समिति का सभापति	61
163.	गणपूर्ति	62
164.	समितियों की बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाया जाना	62

(x)

Rule		Page No.
	(D) AMENDMENTS OF CLAUSES ETC. AND CONSIDERATION OF BILLS	
147.	Submission of Bills clause by clause	55
148.	Postponement of clause	56
149.	Consideration of Schedule	56
150.	Clause one, Preamble and Title of the Bill	56
	(E) PASSING & AUTHENTICATION OF BILLS	
151.	Passing of a Bill	57
152.	Scope of debate	57
153.	Correction of patent errors	57
	(F) GENERAL	
154.	Power of Speaker to bring the year of the Bill in conformity with the year of Assent	57
155.	Assent of Bill	58
156.	Note of verbal amendments	58
	(G) RECONSIDERATION OF BILLS RETURNED BY THE LIEUTENANT GOVERNOR	
157.	Message of the Lieutenant Governor	58
	CHAPTER-XV SUBORDINATE LEGISLATION	
158.	Laying of regulations, rules etc. on the Table	59
159.	Allotment of time for discussion of amendments	59
	CHAPTER-XVI PROCEDURE FOR COMMITTEES (A) GENERAL	
160.	Appointment of Committees of the House	60
161.	Objection to membership of a Committee	60
162.	Chairman of the Committee	61
163.	Quorum	62
164.	Discharge of members absent from sittings of Committees	62

नियम		*पृष्ठ संख्या*
165.	सदस्य का त्याग–पत्र	62
166.	समिति की पदावधि	62
167.	समिति में मतदान	63
168.	उप–समितियां नियुक्त करने की शक्ति	63
169.	समिति की बैठकें	63
170.	समिति की बैठकें उस समय हो सकेंगी जब सदन का सत्र चल रहा हो	63
171.	बैठक का स्थान	63
172.	साक्ष्य लेने व पत्र, अभिलेख अथवा दस्तावेज मांगने की शक्ति	64
173.	पक्ष या गवाह समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है	64
174.	गवाहों की जांच की प्रक्रिया	65
175.	जब समिति विचार–विमर्श कर रही हो तो अजनबी बाहर चले जाएंगे	65
176.	समिति के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर	66
177.	समिति का विशेष प्रतिवेदन	66
178.	प्रस्तुतीकरण के पूर्व प्रतिवेदन का सरकार को उपलब्ध किया जाना	66
179.	प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	66
180.	सदन में प्रस्तुतीकरण से पूर्व प्रतिवेदन का प्रकाशन या प्रचार	67
181.	प्रक्रिया के संबंध में सुझाव देने की शक्ति	67
182.	प्रक्रिया के विषय में या अन्य विषय में निर्देश देने की अध्यक्ष की शक्ति	67
183.	समिति का असमाप्त कार्य	67
184.	सचिव, समितियों के पदेन सचिव होंगे	68
185.	सामान्य नियमों के प्रावधान समितियों पर लागू	68

(ख) कार्य मंत्रणा समिति

186.	समिति का गठन	68
187.	समिति के कार्य	68
188.	समिति के प्रतिवेदन	69
189.	प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् प्रस्ताव	69
190.	निश्चित समय पर लम्बित विषयों का निपटान	69
191.	समय के आबंटन में परिवर्तन	69

(xi)

Rule		***Page No.***
165.	Resignation of member	62
166.	Term of a Committee	62
167.	Voting in the Committee	63
168.	Power to appoint Sub-Committees	63
169.	Sitting of the Committee	63
170.	Committee may sit whilst the House is sitting	63
171.	Venue of sitting	63
172.	Power to take evidence or call for papers, records or documents	64
173.	Party or a witness can appoint a counsel to appear before Committee	64
174.	Procedure for examining witness	65
175.	Strangers to withdraw when the Committee deliberates	65
176.	Signing of the report of the Committee	66
177.	Special report by the Committee	66
178.	Availability of report before presentation to Government	66
179.	Presentation of report	66
180.	Publication or circulation of report prior to its presentation to the House	67
181.	Power to make suggestions on procedure	67
182.	Power of Speaker to give direction on a point of procedure or otherwise	67
183.	Unfinished work of Committee	67
184.	Secretary to be *ex-officio* Secretary of the Committees	68
185.	Applicability of general rules to Committees	68

(B) BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

186.	Constitution of the Committee	68
187.	Functions of the Committee	68
188.	Report of the Committee	69
189.	Motion after presentation of report	69
190.	Disposal of outstanding matters at the appointed hour	69
191.	Variation in the allocation of time	69

नियम		*पृष्ठ संख्या*
	(ग) लोक लेखा समिति	
192.	समिति का गठन	70
193.	समिति के कार्य	70
	(घ) प्राक्कलन समिति	
194.	समिति का गठन	71
195.	समिति के कार्य	71
	(ङ) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
196.	समिति का गठन	72
197.	समिति के कार्य	72
	(च) सरकारी आश्वासन संबंधी समिति	
198.	समिति का गठन और उसके कार्य	73
	(छ) याचिका समिति	
199.	समिति का गठन	74
200.	याचिका किसको संबोधित की जाए और कैसे समाप्त की जाए	74
201.	याचिकाओं का कार्यक्षेत्र	74
202.	याचिका का सामान्य प्रपत्र	75
203.	याचिकाओं पर विचार	75
204.	आवेदन पत्रों आदि पर विचार	75
205.	याचिका के हस्ताक्षरकर्ताओं का प्रमाणीकरण	77
206.	किसी याचिका के साथ दस्तावेज नहीं लगाए जाएंगे	77
207.	प्रतिहस्ताक्षर	77
208.	प्रस्तुतीकरण की सूचना	77
209.	याचिका का रूप	77
210.	याचिका के प्रस्तुतीकरण के बाद प्रक्रिया	77
	(ज) प्रतिनिहित विधायन समिति	
211.	समिति का गठन	78
212.	समिति के कार्य	78
213.	समिति का प्रतिवेदन	79

(xii)

Rule		*Page No.*
	(C) COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS	
192.	Constitution of the Committee	70
193.	Functions of the Committee	70
	(D) COMMITTEE ON ESTIMATES	
194.	Constitution of the Committee	71
195.	Functions of the Committee	71
	(E) COMMITTEE ON GOVERNMENT UNDERTAKINGS	
196.	Constitution of the Committee	72
197.	Functions of the Committee	72
	(F) COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES	
198.	Constitution and functions of the Committee	73
	(G) COMMITTEE ON PETITIONS	
199.	Constitution of the Committee	74
200.	Petition to whom to be addressed and how to be concluded	74
201.	Scope of petitions	74
202.	General form of petition	75
203.	Consideration on petitions	75
204.	Consideration of representations etc.	75
205.	Authentication of signatories to a petition	77
206.	Document not to be attached to a petition	77
207.	Counter signature	77
208.	Notice of presentation	77
209.	Form of petition	77
210.	Procedure after presentation of a petition	77
	(H) COMMITTEE ON DELEGATED LEGISLATION	
211.	Constitution of the Committee	78
212.	Functions of the Committee	78
213.	Report of the Committee	79

नियम		*पृष्ठ संख्या*
	(झ) नियम समिति	
214.	समिति का गठन	79
215.	समिति के कार्य	79
216.	नियमों में संशोधन की सूचना	79
217.	समिति का सभापति	79
218.	नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया	80
	(ट) विशेषाधिकार समिति	
219.	समिति का गठन	80
220.	विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रश्नों की जांच तथा उसकी प्रक्रिया	80
221.	समिति द्वारा प्रश्न की जांच	81
222.	समिति के सदस्यों की निर्योग्यताएं	81
223.	विशेषाधिकार समिति की बैठकें	81
224.	समिति का प्रतिवेदन	82
	(ठ) प्रश्न एवं संदर्भ समिति	
225.	समिति का गठन	82
226.	समिति के कार्य	82
	(ड) सामान्य प्रयोजन समिति	
227.	गठन एवं कार्य	83
	(ढ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति	
228.	गठन एवं कार्य	83
	(ण) सदन पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
229.	गठन एवं कार्य	84
	(त) पुस्तकालय समिति	
230.	गठन एवं कार्य	85
	(थ) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
231.	गठन एवं कार्य	85

(xiii)

Rule		*Page No.*
	(I) RULES COMMITTEE	
214.	Constitution of the Committee	79
215.	Functions of the Committee	79
216.	Notice of amendments in rules	79
217.	Chairman of the Committee	79
218.	Procedure for the amendment of the rules	80
	(J) COMMITTEE OF PRIVILEGES	
219.	Constitution of the Committee	80
220.	Examination of the question by the Committee of Privileges and its procedure	80
221.	Examination of the question by the Committee	81
222.	Disabilities of members of the Committee	81
223.	Sittings of Committee of Privileges	81
224.	Report of the Committee	82
	(K) QUESTIONS AND REFERENCE COMMITTEE	
225.	Constitution of the Committee	82
226.	Functions of the Committee	82
	(L) GENERAL PURPOSES COMMITTEE	
227.	Constitution and functions of the Committee	83
	(M) COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	
228.	Constitution and functions of the Committee	83
	(N) COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE	
229.	Constitution and functions of the Committee	84
	(O) LIBRARY COMMITTEE	
230.	Constitution and functions of the Committee	85
	(P) COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS	
231.	Constitution and function of the Committee	85

नियम *पृष्ठ संख्या*

(द) महिला एवं बाल कल्याण समिति

232. समिति का गठन 86
233. समिति के कार्य 87

(ध) छात्र एवं युवा कल्याण समिति

233(क) समिति का गठन 88
233(ख) समिति के कार्य 88

(न) पर्यावरण समिति

234. समिति का गठन 89
235. समिति के कार्य 89

(प) आचरण समिति

235(क) समिति का गठन 89
235(ख) समिति के कार्य 90
235(ग) मामलों की जाँच का स्वतः संज्ञान लेना 90
235(घ) प्रतिवेदन 90
235(ड.) आचरण समिति की कार्यविधि 90

(फ) अल्पसंख्यक कल्याण समिति

235(कक) समिति का गठन 90
235(खख) समिति के कार्य 91
235(गग) विभागो से जानकारी 91

(ब) अन्य पिछड़ा वर्ग समिति

235(ककक) समिति का गठन 91
235(खखख) समिति के कार्य 91
235(गगग) जानकारी प्राप्त करने का अधिकार 92

(भ) प्रवर समिति

236. प्रवर समिति का गठन 92
237. प्रवर समिति में प्रक्रिया 92
238. प्रवर समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा संशोधन की सूचना 93
239. समिति की साक्ष्य लेने की शक्ति 93
240. प्रवर समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का मुद्रण तथा प्रकाशन 93
241. समिति के निर्णयों का अभिलेख 93

(xiv)

Rule ***Page No.***

(Q) COMMITTEE ON WOMEN AND CHILD WELFARE

232. Constitution of the Committee 86
233. Functions of the Committee 87

(R) COMMITTEE ON THE WELFARE OF STUDENTS AND YOUTH

233A. Constitution of the Committee 88
233B. Functions of the Committee 88

(S) COMMITTEE ON ENVIRONMENT

234. Constitution of the Committee 89
235. Functions of the Committee 89

(T) COMMITTEE ON ETHICS

235A. Constitution of the Committee 89
235B. Functions of the Committee 90
235C. *Suo motu* examination of matter 90
235D. Report 90
235E. Procedure in the Committee 90

(U) COMMITTEE ON THE WELFARE OF MINORITIES

235AA. Constitution of the Committee 90
235BB. Functions of the Committee 91
235CC. Information from Departments 91

(V) COMMITTEE ON THE WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

235AAA. Constitution of the Committee 91
235BBB. Functions of the Committee 91
235CCC. Power to call for information 92

(W) SELECT COMMITTEE

236. Constitution of the Select Committee 92
237. Procedure in a Select Committee 92
238. Notice of amendments by members other than members of Select Committee 93
239. Power of Committee to take evidence 93
240. Printing and Publication of evidence tendered before a Select Committee 93
241. Record of decisions of the Committee 93

नियम		*पृष्ठ संख्या*
242.	प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन	94
243.	सदस्य द्वारा अभिलिखित असम्मत टिप्पणी	94
244.	प्रतिवेदन का मुद्रण तथा प्रकाशन	95

(म) विभागों से सम्बद्ध स्थायी समिति

244(क).	प्रवर समिति का गठन	95
244(ख).	समितियों के कार्य	95
244(ग).	सामान्य नियमों की उपयुक्तता	96

(य) अनाधिकृत कॉलोनियों के मामलों से सम्बद्ध समिति

244(घ).	प्रवर समिति का गठन	96
244(ड.).	समिति के कार्य	96

अध्याय–17
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प

245.	अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प	97
246.	संकल्प की ग्राह्यता	97
247.	संकल्प लिए जाने के लिए सदन की अनुमति	97
248.	नियत दिन की कार्यसूची में संकल्प का सम्मिलित किया जाना	97
249.	संकल्प पर विचार के समय पीठासीन सदस्य	98
250.	भाषणों के लिए समय सीमा	98

अध्याय–18
मंत्रि–परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

251.	अविश्वास का प्रस्ताव	99
252.	मंत्री का वक्तव्य जिसने पद त्याग किया है	99

अध्याय–19
उप–राज्यपाल और विधान सभा के बीच संवाद

253.	उपराज्यपाल द्वारा विधान सभा को संसूचना	101
254.	विधान सभा द्वारा उपराज्यपाल को संसूचना	101

(xv)

Rule		***Page No.***
242.	Report by Select Committee	94
243.	Minutes of dissent recorded by a member	94
244.	Printing and publication of Report	95

(X) DEPARTMENT RELATED STANDING COMMITTEE

244A.	Constitution of the Committee	95
244B.	Functions of the Committees	95
244C.	Applicability of general rules	96

(Y) COMMITTEE ON THE ISSUES RELATED TO UNAUTHORIZED COLONIES

244D.	Constitution of the Committee	96
244E.	Functions of the Committee	96

CHAPTER-XVII
RESOLUTION FOR REMOVAL OF SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER

245.	Resolution for removal of Speaker and Deputy Speaker	97
246.	Admissibility of resolution	97
247.	Leave of the House to take up resolution	97
248.	Resolution included in the list of business on the appointed day	97
249.	The Presiding Member at the time of consideration of the resolution	98
250.	Time limit for speeches	98

CHAPTER-XVIII
MOTION OF NO CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

251.	Motion of No Confidence	99
252.	Statement by a Minister who has resigned	99

CHAPTER-XIX
COMMUNICATION BETWEEN THE LIEUTENANT GOVERNOR AND THE ASSEMBLY

253.	Communications from the Lieutenant Governor to the Assembly	101
254.	Communications from the Assembly to the Lieutenant Governor	101

नियम *पृष्ठ संख्या*

अध्याय–20

सदन के स्थानों का त्याग और उनकी रिक्तता तथा अनुपस्थित सदस्य

255. सदन के स्थानों का त्याग 102
256. सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति 103
257. उपस्थिति पंजिका 104

अध्याय–21

प्रक्रिया के साधारण नियम

(क) सूचना

258. सूचनाओं का दिया जाना 106

(ख) संशोधन

259. ग्राह्य संशोधन 106
260. संशोधन पर मत 107

(ग) सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

261. सभा में उपस्थिति के समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम 107
262. अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर सदस्य का बोलना 108
263. सदन को संबोधित करने का ढंग 109
264. बोलते समय पालनीय नियम 109
265. किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने के संबंध में प्रक्रिया 110
266. प्रश्न अध्यक्ष के माध्यम से पूछे जाएंगे 110
267. असंगति या पुनरावृत्ति 110
268. वैयक्तिक स्पष्टीकरण 110

(घ) भाषणों का क्रम तथा उत्तर देने का अधिकार

269. भाषणों का क्रम तथा उत्तर देने का अधिकार 110
270. मंत्रियों का वाद–विवाद में हस्तक्षेप करने या वक्तव्य देने का अधिकार 111
271. अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन 111

Rule ***Page No.***

CHAPTER-XX

RESIGNATION AND VACATION OF SEATS IN THE HOUSE AND ABSENTEE MEMBERS

255. Resignation of seats in the House 102
256. Permission to remain absent from sittings of the House 103
257. Attendance register 104

CHAPTER-XXI

GENERAL RULES OF PROCEDURE

(A) NOTICE

258. Giving of notices 106

(B) AMENDMENTS

259. Amendments which may be admissible 106
260. Vote on Amendment 107

(C) RULES TO BE OBSERVED BY MEMBERS

261. Rules to be observed by members while present in the House 107
262. Member to speak when called by the Speaker 108
263. Mode of addressing the House 109
264. Rules to be observed while speaking 109
265. Procedure for making allegation against any person 110
266. Questions to be asked through the Speaker 110
267. Irrelevance or repetition 110
268. Personal explanation 110

(D) ORDER OF SPEECHES & RIGHT OF REPLY

269. Order of speeches and right of reply 110
270. Minister's rights to intervene in the debate or to Make a statement 111
271. Address by Speaker 111

नियम		*पृष्ठ संख्या*
	(ङ) अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया	
272.	अध्यक्ष को मौनपूर्वक सुना जाना	112
	(च) निर्णय	
273.	सदन का निर्णय प्राप्त करने की प्रक्रिया	112
274.	प्रस्ताव तथा प्रश्न का रखा जाना	112
275.	आवाजें संगृहीत होने के बाद किसी भाषण का न होना	112
276.	निर्णय	112
	(छ) किसी सदस्य को बाहर चले जाने की आज्ञा देने की या सदन को स्थगित करने या बैठक को निरस्त करने की अध्यक्ष की शक्ति	
277.	सदन में शांति और व्यवस्था	113
278.	कतिपय परिस्थितियों में सदस्य को निलंबित समझा जाना	114
	(ज) औचित्य या व्यवस्था का प्रश्न	
279.	व्यवस्था का प्रश्न और उन पर निर्णय	115
280.	ऐसा विषय उठाना जो व्यवस्था का प्रश्न न हो	116
	(झ) कार्यवाही का अभिलेख तथा रिपोर्टिंग	
281.	विधान सभा की कार्यवाहियों का अभिलेख	116
282.	विधान सभा की कार्यवाहियों की रिपोर्टिंग	116
283.	सदन की कार्यवाही से शब्दों को निकाला जाना	116
	(ञ) अजनबियों का प्रवेश	
284.	अध्यक्ष द्वारा अजनबियों के प्रवेश का नियमन	117
285.	अजनबियों को हटाने की शक्ति	117
286.	अजनबियों के निष्कासन के लिए कार्य	117
	(ट) एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा निर्वाचन एवं बैलट के लिए नियम बनाने की अध्यक्ष की शक्ति	
287.	अध्यक्ष का एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा निर्वाचन एवं बैलट के लिए नियम बनाना	117

Rule		*Page No.*
	(E) PROCEDURE WHEN SPEAKER RISES	
272.	Speaker to be heard in silence	112
	(F) DECISION	
273.	Procedure for obtaining decision of the House	112
274.	Proposal and putting of question	112
275.	No speech after voice collected	112
276.	Decision	112
	(G) SPEAKER'S POWER TO ORDER WITHDRAWAL OF A MEMBER OR TO ADJOURN THE HOUSE OR SUSPEND A SITTING	
277.	Peace and order in the House	113
278.	Suspension of a member in certain circumstances	114
	(H) POINTS OF ORDER	
279.	Points of order and decisions thereon	115
280.	Raising of a matter which is not a point of order	116
	(I) RECORD AND REPORT OF PROCEEDINGS	
281.	Record of proceedings of the Assembly	116
282.	Report of proceedings of the Assembly	116
283.	Expunction of words from proceedings of the House	116
	(J) ADMISSION OF STRANGERS	
284.	Speaker to regulate admission of strangers	117
285.	Powers to order withdrawal of strangers	117
286.	Steps for expulsion of strangers	117
	(K) POWER OF SPEAKER TO MAKE REGULATIONS FOR ELECTION BY SINGLE TRANSFERABLE VOTE AND FOR BALLOT	
287.	Speaker to make regulation for election by single transferable vote and for ballot	117

नियम *पृष्ठ संख्या*

(ठ) सभा द्वारा निर्वाचन

288. विधान सभा द्वारा निर्वाचन 117

(ड) सदन के पटल पर किसी पत्र या दस्तावेज का रखा जाना

289. सदन पटल पर किसी पत्र या दस्तावेज का रखा जाना 118

(ढ) विविध

290. नियमों का निलम्बन 118
291. व्याख्या एवं कठिनाइयों का निराकरण 118
292. अवशिष्ट शक्तियां 118
293. अध्यक्ष के निर्णय पर आपत्ति नहीं की जाएगी 119
294. किसी सदस्य के मत पर आपत्ति 119

प्रथम अनुसूची

किसी सदस्य की गिरफ्तारी नजरबंदी आदि के बारे में सूचना का प्रपत्र (नियम 84 तथा 85) 120

द्वितीय अनुसूची

सरकारी उपक्रमों की सूची (नियम 197) 122

तृतीय अनुसूची

याचिका का प्रपत्र (नियम 202(3)) 123

चतुर्थ अनुसूची

अविश्वास प्रस्ताव का प्रस्ताव (नियम 251) 124

पाँचवी अनुसूची

दिल्ली विधान सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता 125

छठी अनुसूची

विभागों से सम्बद्ध प्रस्तावित स्थायी समितियाँ 131

(xviii)

Rule ***Page No.***

(L) ELECTION BY THE ASSEMBLY

288. Election by the Assembly 117

(M) LAYING OF A PAPER OR DOCUMENT ON THE TABLE OF THE HOUSE

289. Laying of any paper or documents on the Table of the House 118

(N) MISCELLANEOUS

290. Suspension of rules 118
291. Interpretation and removal of difficulties 118
292. Residuary powers 118
293. Speaker's decision not to be questioned 119
294. Objection to vote of a member 119

FIRST SCHEDULE

Form of Communication regarding arrest, detention etc. of a member (rules 84 and 85) 120

SECOND SCHEDULE

List of Government Undertakings (rule 197) 122

THIRD SCHEDULE

Form of Petition [rule 202 (3)] 123

FOURTH SCHEDULE

Form of No Confidence Motion (rule 251) 124

FIFTH SCHEDULE

Code of conducts for the members of Delhi Legislative Assembly 125

SIXTH SCHEDULE

Department Related Standing Committees 131

नियम *पृष्ठ संख्या*

अनुलग्नक–1

दिल्ली विधान सभा सदस्य (दल–परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1996 134

संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 146

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का अधिनियम संख्यांक–1) 151

अनुसूची

शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप 177

(xix)

Rule ***Page No.***

ANNEXURE-I

THE MEMBERS OF DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY (DISQUALIFICATION ON GROUNDS OF DEFECTION) RULES, 1996 134

THE CONSTITUTION (SIXTY NINTH AMENDMENT) ACT, 1991 146

THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI ACT, 1991 (No. 1 of 1992) 151

SCHEDULE

FORMS OF OATHS OR AFFIRMATIONS 177

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र
विधान सभा
के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम

(नवाँ संस्करण)

RULES OF PROCEDURE
AND
CONDUCT OF BUSINESS IN THE
LEGISLATIVE ASSEMBLY
OF
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(IX Edition)

विधान सभा सचिवालय, पुराना सचिवालय
दिल्ली–110054

LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

2019

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम

अध्याय–1

संक्षिप्त शीर्षनाम और परिभाषाएं

1. संक्षिप्त शीर्षनाम

ये नियम राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम, 1997 कहलायेंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **''अधिनियम''** का तात्पर्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 की क्र. सं. 1) से है;

(ख) **''अनुच्छेद''** का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद से है;

(ग) **''विधान सभा''** का तात्पर्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा से है;

(घ) **''समाचार''** का तात्पर्य विधान सभा समाचार से है, जिसमें–(क) सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख, (ख) सभा के कार्य के बारे में या उससे संबंधित किसी विषय पर या अन्य विषय पर, जो अध्यक्ष की राय में उसमें सम्मिलित किया जा सके, जानकारी, और (ग) समितियों के बारे में जानकारी निहित हो;

(ङ) **''राजधानी''** का तात्पर्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र से है;

(च) **''मुख्य सचेतक''** से तात्पर्य 'राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में मुख्य सचेतक का वेतन एवं भत्ते अधिनियम, 2003 (2003 का दिल्ली अधिनियम सं. 5)' की धारा 2(क) के अंतर्गत, विधान सभा के उस सदस्य से है, जिसे फिलहाल, बहुमत वाले दल द्वारा सरकार बनाने वाले दल का सदन में मुख्य सचेतक घोषित किया गया है और इस रूप में उसे विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो।

RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

CHAPTER-I

SHORT TITLE AND DEFINITIONS

1. Short Title

These rules may be called the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, 1997.

2. Definitions

(1) In these rules, unless the context otherwise requires–

(a) **"Act"** means the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (No.1 of 1992);

(b) **"Article"** means an article of the Constitution;

(c) **"Assembly"** means the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi;

(d) **"Bulletin"** means the Bulletin of the House containing; (a) a brief record of proceedings of the House of each of its sittings, (b) information on any matter relating to or connected with the business of the House or other matter which, in the opinion of the Speaker, may be included therein, and (c) information regarding Committees;

(e) **"Capital"** means the National Capital Territory of Delhi;

(f) **"Chief Whip"** means that member of the Legislative Assembly, who is, for the time being, declared by the majority party to be the Chief Whip in the House, of the party forming the Government and recognized as such by the Speaker of the Legislative Assembly, under section 2(a) of 'The Salary and Allowances of the Chief Whip in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi Act, 2003 (Delhi Act No. 5 of 2003)';

(छ) **''स्पष्ट दिन''** इसमें शनिवार, रविवार एवं अवकाश दिवस शामिल हैं, परन्तु सचिवालय द्वारा सूचना प्राप्ति का दिन शामिल नहीं है;

(ज) **''समिति''** का तात्पर्य किसी विशिष्ट या सामान्य प्रयोजन के लिए सदन द्वारा निर्वाचित या गठित अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित ऐसी समिति से है जो अध्यक्ष के निदेश के अंतर्गत कार्य करे और अपना प्रतिवेदन सदन या अध्यक्ष को प्रस्तुत करे;

(झ) **''संविधान''** का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(ञ) **''उपाध्यक्ष''** का तात्पर्य विधान सभा के उपाध्यक्ष से है;

(ट) **''विभाजन''** का तात्पर्य सदस्यों को सभा कक्षों (लॉबी) में भेजकर या अन्य किसी रीति का अनुसरण करके अभिलिखित मतदान से है;

(ठ) **''वित्त मंत्री''** इसमें कोई भी मंत्री शामिल है;

(ड) **''वित्तीय वर्ष''** का तात्पर्य बारह मास की उस कालावधि से है, जो 1 अप्रैल से आरंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा;

(ढ़) **''राजपत्र''** का तात्पर्य दिल्ली राजपत्र से है;

(ण) **''सरकार''** का तात्पर्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र सरकार से है;

(त) **''सदन''** का तात्पर्य विधान सभा से है;

(थ) **''सदन का नेता''** से तात्पर्य मुख्यमंत्री से है, यदि वह सदन का सदस्य हो या ऐसे मंत्री से है जो सदन का सदस्य हो और मुख्यमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में कार्य करने के लिये नामित किया गया है;

(द) **''नेता प्रतिपक्ष''** से तात्पर्य 'राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम, 2001' की धारा (2) के अंतर्गत, सरकार के प्रतिपक्ष में सर्वाधिक संख्या–बल वाले दल के सदन में नेता से है, जिसे अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो।'

(ध) **''विधान मंडल''** का तात्पर्य विधान सभा से है;

(न) **''उपराज्यपाल''** का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 239क क के साथ पठित अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल से है;

(2)

(g) **"Clear Days"** include Saturdays, Sundays and holidays but do not include the date of receipt of a notice by the Secretariat;

(h) **"Committee"** means any committee elected or constituted by the House or nominated by the Speaker for any specific or general purpose and which functions under the direction of the Speaker and presents its report to the House or to the Speaker;

(i) **"Constitution"** means the Constitution of India;

(j) **"Deputy Speaker"** means the Deputy Speaker of the Assembly;

(k) **"Division"** means the recording of votes by sending the members to the lobbies or by adopting any other method;

(l) **"Finance Minister"** includes any Minister;

(m) **"Financial Year"** means a period of twelve months commencing from 1st April, and ending on 31st March;

(n) **"Gazette"** means the Delhi Gazette;

(o) **"Government"** means the Government of National Capital Territory of Delhi;

(p) **"House"** means the Assembly;

(q) **"Leader of the House"** means the Chief Minister if he is the member of the House or a Minister who is the member of the House and is nominated by the Chief Minister to function as the Leader of the House;

(r) **"Leader of Opposition"** means the leader of the House of the party in opposition to the Government having the greatest numerical strength recognized by the Speaker under section (2) of 'The Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salary and Allowances) Act, 2001;

(s) **"Legislature"** means the Assembly;

(t) **"Lieutenant Governor"** means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 read with article 239 AA of the Constitution;

(प) **''सभा कक्ष''** (लॉबी) से तात्पर्य उस गलियारे से है जो सभा मण्डप से संलग्न है और जो सभा मण्डप के साथ ही समाप्त होता है;

(फ) **''सदस्य''** का तात्पर्य विधान सभा के सदस्य से है और धारा–11 के प्रयोजनों के लिये इसमें मंत्री भी शामिल हैं;

(ब) **''प्रभारी–सदस्य''** का तात्पर्य, जहां उसका संबंध संकल्प अथवा प्रस्ताव से है, उस सदस्य से है, जिसने ऐसा संकल्प अथवा प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो;

(भ) **''विधेयक के प्रभारी सदस्य''** का तात्पर्य सरकारी विधेयक के संबंध में किसी मंत्री से और अन्य विधेयकों के संबंध में उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुरःस्थापित किया हो या उस सदस्य से है, जो किसी ऐसे सदस्य द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिये लिखित रूप से प्राधिकृत किया गया हो;

(म) **''मंत्री''** का तात्पर्य मंत्रि–परिषद् के किसी सदस्य से है;

(य) **''प्रस्ताव''** का तात्पर्य किसी सदस्य द्वारा सभा के विचारार्थ किये गये प्रस्ताव से है और उसमें संकल्प तथा संशोधन भी सम्मिलित है;

(र) **''सदस्य को इंगित करने''** का तात्पर्य किसी सदस्य के विरुद्ध कार्रवाही करने के विचार से उसके आचरण की ओर अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान आकृष्ट किए जाने से है;

(ल) **''सदन के परिसर''** का तात्पर्य विधान भवन, सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधान सभा सचिवालय के नियन्त्रण में कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधान सभा पुस्तकालय, विधान सभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान तथा उसकी ओर जाने वाले मार्गों से है तथा उन स्थानों से भी है जिन्हें अध्यक्ष समय–समय पर निर्दिष्ट करें;

(व) **''राष्ट्रपति''** से तात्पर्य भारत के राष्ट्रपति से है;

(श) **''गैर सरकारी सदस्य''** का तात्पर्य उस सदस्य से है, जो मंत्री न हो;

(ष) **''सत्रावसान''** का तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (2) के अंतर्गत उपराज्यपाल के आदेश द्वारा सत्र के समापन से है;

(स) **''संकल्प''** का तात्पर्य उस प्रस्ताव से है जो सामान्य लोकहित के लिये किसी विषय पर चर्चा करने के लिये किया जाये;

(3)

(u) **"Lobby"** means the covered corridors immediately adjoining the Assembly Hall and co-terminus with it;

(v) **"Member"** means a member of the Assembly and also includes for the purposes of section 11, a Minister;

(w) **"Member-in-charge"** in relation to a resolution or motion means the member who has moved such a resolution or motion;

(x) **"Member-in-charge of the Bill"** means as respects a Government Bill, any minister, and as respects other Bills, the member who has introduced the Bill or a member authorised in writing by such member to act on his behalf;

(y) **"Minister"** means a member of Council of Ministers;

(z) **"Motion"** means a proposal made by a member for consideration of the Assembly and includes an amendment to a resolution or a motion;

(za) **"Naming a Member"** means drawing by the Speaker the attention of the House to the conduct of a member with a view to action being taken against him;

(zb) **"Precincts of the House"** means the Assembly Hall, the lobbies, the galleries, the rooms in the occupation of the Assembly Secretariat, the Speaker's room, the Deputy Speaker's room, the Committee Room, the Assembly Library, the Reading Room, Party rooms, all accommodation in the charge of officers of the Assembly Secretariat and approaches leading thereto, and also such other places as the Speaker may from time to time specify;

(zc) **"President"** means the President of India;

(zd) **"Private Member"** means a member other than a Minister;

(ze) **"Prorogation"** means the termination of a session by an order of the Lieutenant Governor under sub-section (2) of section 6;

(zf) **"Resolution"** means a proposal for the purpose of discussing a matter of general public interest;

(ह) **''सदस्यों की नामावली''** का तात्पर्य उस पंजिका से है जिसमें नये निर्वाचित सदस्य शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात् और सदन में प्रथम बार अपना आसन ग्रहण करने से पहले हस्ताक्षर करते हैं;

(क्ष) **''नियम''** का तात्पर्य विधान सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के किसी नियम से है;

(त्र) **''धारा''** का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(ज्ञ) **''सचिवालय''** का तात्पर्य दिल्ली स्थित विधान सभा सचिवालय और अध्यक्ष के अधिकार के अंतर्गत दिल्ली के बाहर स्थापित किसी शिविर कार्यालय से है;

(कक) **''सचिव''** का तात्पर्य विधान सभा के सचिव से है और इसके अंतर्गत ऐसे अन्य व्यक्ति से भी है, जो सचिव का कार्य करने के लिये अधिकृत हो;

(खख) **''प्रवर समिति''** का तात्पर्य सभा के सदस्यों की उस समिति से है, जिसे कोई विधेयक विधान सभा द्वारा विचारार्थ एवं प्रतिवेदन हेतु सुपुर्द किया जाये;

(गग) **''सत्रा''** का तात्पर्य उस कालावधि से है जो धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपराज्यपाल द्वारा आहूत किए जाने पर सभा के प्रथम उपवेशन से उक्त धारा की उपधारा (2) के अंतर्गत उनके सत्रावसान या विघटन तक हो;

(घघ) **''अध्यक्ष''** का तात्पर्य विधान सभा के अध्यक्ष से है;

(ड़ड़) **''पटल''** का तात्पर्य सदन के पटल से है;

2. संविधान या अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों तथा पदावलियों एवं जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, के अर्थ, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, वही होंगे जो संविधान या अधिनियम में दिये गए हैं।

(4)

(zg) **"Roll of Members"** means a register in which newly elected members sign after making and subscribing the oath or affirmation and before taking their seats for the first time in the House;

(zh) **"Rule"** means a rule of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Assembly;

(zi) **"Section"** means a section of the Act;

(zj) **"Secretariat"** means and includes the Assembly's Secretariat in Delhi and any other Camp Office set up outside Delhi for the time being under the authority of Speaker;

(zk) **"Secretary"** means the Secretary to the Legislative Assembly and includes any other person as is empowered to perform the functions of the Secretary;

(zl) **"Select Committee"** means a Committee of members to which a Bill is referred by the Assembly for consideration and report;

(zm) **"Session"** means the period of time commencing from the first sitting of the Assembly upon the summon of the Lieutenant Governor under sub-section (1) of section 6 until its prorogation or dissolution under sub-section (2) thereof;

(zn) **"Speaker"** means the Speaker of the Assembly; and

(zo) **"Table"** means the Table of the House.

2. Words and expressions used in the Constitution or in the Act and not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning assigned to them in the Constitution or in the Act.

अध्याय–2

सदस्यों का आह्वान तथा उनके बैठने की व्यवस्था

3. सभा का आह्वान

(1) समय–समय पर सभा का आह्वान उपराज्यपाल द्वारा नियत समय और स्थान पर समवेत होने के लिये किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत सदस्यों को आह्वान–पत्र इस प्रकार नियत तिथि से साधारणतः पन्द्रह दिन पूर्व सचिव द्वारा जारी किए जायेंगेः

परन्तु यदि सत्र अल्प सूचना पर या आकस्मिक रूप में बुलाया जाये तो प्रत्येक सदस्य को आह्वान–पत्र अलग से जारी करना आवश्यक न होगा, किन्तु तिथि, समय एवं स्थान का विवरण गजट तथा समाचार–पत्रों में प्रकाशित कर दिया जायेगा और सदस्यों को दूरभाष एवं अन्य इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा सूचित किया जायेगा।

4. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

सदन के प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले धारा–12 के अधीन उपराज्यपाल अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष उस रूप में जो कि अधिनियम की अनुसूची में दर्शाया गया है, शपथ ग्रहण करेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे तथा सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे।

5. सदस्यों की आसन व्यवस्था

सदस्य अध्यक्ष द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार बैठेंगे।

6. धारा–17 के उपबंधों का उल्लंघन

(1) सदस्यों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उस आसन पर नहीं बैठेगा जो सभा मंडप में सदस्यों के लिये निर्धारित है।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसके संबंध में अध्यक्ष यह निश्चित करें कि वह अधिनियम की धारा–17 के उपबंधों के उल्लंघन का दोषी है, इसके लिये नियत दंड का पात्र होगा। इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

7. सदस्यों के लिये उपस्थिति पंजिका

सदस्यों के लिये एक उपस्थिति पंजिका होगी जिसमें अपनी उपस्थिति के प्रत्येक दिन प्रत्येक सदस्य द्वारा सचिव द्वारा तैनात किए गए कर्मचारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जायेंगेः

परन्तु यह नियम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष एवं सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक पर लागू नहीं होगा।

CHAPTER-II

SUMMONS TO MEMBERS AND SEATING ARRANGEMENT

3. Summoning of the Assembly

(1) The Assembly shall be summoned by the Lieutenant Governor from time to time to meet at such time and place as he may appoint.

(2) The summons to members shall ordinarily be issued by the Secretary fifteen days before the date so appointed under sub-rule (1):

Provided that when a session is called at short notice or emergently, summons need not be issued to each member separately, but announcement of the date, time and place shall be published in the Gazette and in the press and members shall be informed telephonically and by other electronic means of communication.

4. Oath or affirmation

Every member of the House, in pursuance of section 12, shall before taking his seat, make and subscribe before the Lieutenant Governor or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Schedule to the Act and sign the Roll of Members.

5. Seating arrangement of members

The members shall sit in such order as the Speaker may determine.

6. Contravention of the provisions of section 17

(1) No person other than a member shall sit on the seat meant exclusively for the members in the Assembly Hall.

(2) Any person violating the provisions of section 17 of the Act; when so determined by the Speaker shall be liable to the penalty provided therefor. The decision of the Speaker in this behalf shall be final.

7. Attendance register for members

There shall be an attendance register for the members which shall be signed by every member on each day of his attendance in the presence of an official deputed by the Secretary for the purpose:

Provided that this rule shall not apply to Speaker, Deputy Speaker, Ministers, Leader of Opposition and Chief Whip of the Ruling Party.

अध्याय–3

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा सभापति तालिका का नाम निर्देशन

8. अध्यक्ष का निर्वाचन

(1) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा, जो कि उपराज्यपाल निश्चित करें और सचिव उस तिथि की सूचना प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे।

(2) इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव को, कि किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जाये, सचिव को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम सूचना में प्रस्तावित किया जाये, यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को सहमत है:

परन्तु कोई सदस्य अपना नाम स्वयं प्रस्तावित नहीं करेगा अथवा न ही अपना नाम प्रस्तावित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा अथवा न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तावित या अनुमोदित करेगा।

(3) कार्य सूची में, जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो, वह जब तक यह नहीं कहता है कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। किसी भी मामले में वह अपना कथन इस बात तक ही सीमित रखेगा कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है या वह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना चाहता है।

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत एवं विधिवत् अनुमोदित हो गए हों, वे एक–एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे जिसमें कि वे प्रस्तुत किये गए हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना ही घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य सभा के अध्यक्ष चुन लिये गये हैं।

9. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

(1) उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि अध्यक्ष निश्चित करेंगे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेंगे।

CHAPTER-III

ELECTION OF SPEAKER, DEPUTY SPEAKER AND NOMINATION OF PANEL OF CHAIRMEN

8. Election of Speaker

(1) The election of Speaker shall be held on such date as the Lieutenant Governor may fix, and the Secretary shall send to every member notice of this date.

(2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Secretary, of a motion that another member be chosen as the Speaker of the House, and the notice shall be seconded by a third member and shall be accompanied by a statement by the member whose name is proposed in the notice that he is willing to serve as Speaker, if elected:

Provided that a member shall not propose his own name, or second a motion proposing his own name, or propose or second more than one motion.

(3) A member in whose name a motion stands on the list of business shall, unless he states that he does not wish to move the motion, move the motion when called upon to do so. In either case he shall confine himself to a mere statement to the effect that he moves the motion or that he does not intend to move the motion.

(4) The motions which have been moved and duly seconded shall be put one by one in the order in which they have been moved, and decided, if necessary, by division. If any motion is carried, the person presiding shall without putting later motions, declare that the member proposed in the motion which has been carried, has been chosen as the Speaker of the House.

9. Election of Deputy Speaker

(1) The election of the Deputy Speaker shall be held on such date as the Speaker may fix, and the Secretary shall send to every member notice of this date.

(2) इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव को, कि किसी अन्य सदस्य को सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये, सचिव को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम सूचना में प्रस्तावित किया जाये, यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने को सहमत है:

परन्तु कोई सदस्य अपना नाम स्वयं प्रस्तावित नहीं करेगा अथवा न ही अपना नाम प्रस्तावित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा अथवा न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तावित या अनुमोदित करेगा।

(3) कार्य सूची में जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो, वह जब तक यह नहीं कहता है कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। किसी भी मामले में वह अपना कथन इस बात तक ही सीमित रखेगा कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है या वह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना चाहता है।

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत् अनुमोदित हो गए हों वे एक–एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे जिसमें कि वे प्रस्तुत किए गए हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा, विनिश्चित किए जायेंगे। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य सभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया है।

10. सभापति तालिका

(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर अध्यक्ष सभा के सदस्यों में से अधिक–से–अधिक पांच सदस्यों को सभापति तालिका में नाम–निर्देशित करेंगे और उनमें से कोई एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कहने पर या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के कहने पर अथवा उपाध्यक्ष के भी अनुपस्थित होने पर सभापति के कहने पर, सभा में पीठासीन हो सकेंगे।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत नाम–निर्देशित सभापति तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि नई सभापति तालिका नाम–निर्देशित न हो जाये।

(2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any member may give notice in writing, addressed to the Secretary, of a motion that another member be chosen as the Deputy Speaker of the House, and the notice shall be seconded by a third member and shall be accompanied by a statement of the member whose name is proposed in the notice that he is willing to serve as Deputy Speaker, if elected:

Provided that a member shall not propose his own name, or second a motion proposing his own name, or propose or second more than one motion.

(3) A member in whose name a motion stands on the list of business shall, unless he states that he does not wish to move the motion, move the motion when called upon to do so. In either case he shall confine himself to a mere statement to the effect that he moves the motion or that he does not intend to move the motion.

(4) The motions which have been moved and duly seconded shall be put one by one in the order in which they have been moved, and decided, if necessary, by division. If any motion is carried, the person presiding shall without putting later motions, declare that the member proposed in the motion which has been carried, has been chosen as the Deputy Speaker of the House.

10. Panel of Chairmen

(1) At the commencement of every financial year, the Speaker shall nominate from amongst the members of the Assembly a panel of not more than five members, and any one of whom may preside over the sitting of the Assembly in the absence of the Speaker and the Deputy Speaker when so requested by the Speaker, or in his absence, by the Deputy Speaker or in the absence of the Deputy Speaker also by the Chairman.

(2) A member of the panel of Chairmen nominated under sub-rule (1) shall hold office until a new panel of Chairmen is nominated.

11. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति तालिका की अनुपस्थिति में सभापति का निर्वाचन

यदि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों और सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिये सभापति तालिका का कोई सदस्य विधिवत प्राधिकृत न हो तो गणपूर्ति होने की दशा में, निम्नलिखित ढंग से उस बैठक के लिये सभापति के निर्वाचित करने की कार्रवाही की जायेगी :

> ''एक सदस्य सचिव को संबोधित करके सदन के समक्ष उस समय उपस्थित किसी दूसरे सदस्य का नाम प्रस्तावित करेंगे और यह प्रस्ताव करेंगे कि उक्त सदस्य उस समय तक पीठासीन हों जब तक अधिनियम अथवा नियमों के अधीन पीठासीन होने के लिये सक्षम व्यक्ति न आ जाये और ऐसे प्रस्ताव का किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थन हो जाने पर सचिव प्रस्ताव या प्रस्तावों को सदन का मत लेने के लिए रखेंगे। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अध्यक्षपीठ पर आसन ग्रहण करेंगे।''

12. उपाध्यक्ष तथा सभापति की शक्तियां

उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य की, जो अधिनियम अथवा इस नियमावली के अंतर्गत सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम हों, जब वे पीठासीन हों, वही शक्तियां होंगी जो कि पीठासीन होने पर अध्यक्ष की होती हैं, और ऐसी अवस्था में इस नियमावली में अध्यक्ष से सम्बद्ध सब निर्देश उस पीठासीन–व्यक्ति के प्रति निर्देश समझे जायेंगे।

13. अध्यक्ष द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्यक्ष किसी भी समय लिखित आज्ञा द्वारा इन नियमों के अधीनस्थ अपनी समस्त शक्तियां या कोई शक्ति उपाध्यक्ष को तथा उनकी अनुपस्थिति में सभापति तालिका के किसी सदस्य को प्रत्यायुक्त कर सकेंगे और इसी प्रकार ऐसी प्रतियुक्ति को निरस्त भी कर सकेंगे।

(8)

11. Election of Chairman in the absence of Speaker, Deputy Speaker and Panel of Chairmen

If the Speaker and the Deputy Speaker are both absent and there is no member of the panel of Chairmen duly authorised to preside over the sitting of the Assembly, then, on quorum being present, action shall be taken to elect a Chairman for the sitting in the following manner:

> "A member, addressing himself to the Secretary shall propose to the House some other member then present and move that the said member do take the Chair of the Speaker till such time as a person competent to preside under the Act or these rules arrives, and on such a motion being seconded by another member, the Secretary shall put the motion or motions to the vote of the House. The member so elected shall occupy the Chair."

12. Powers of the Deputy Speaker and other Presiding Member

The Deputy Speaker or any member competent to preside over a sitting of the Assembly under the Act or these rules shall, when so presiding, have the same powers as the Speaker when so presiding, and all references to the Speaker in these rules shall, in such a case, be deemed to be references to the person so presiding.

13. Delegation of powers by Speaker

The Speaker may, at any time, by order in writing, delegate to the Deputy Speaker and in the absence of the Deputy Speaker to any member of the panel of Chairmen, all or any of his powers under these rules and may likewise revoke any such delegation.

अध्याय–4

विधान सभा की विधिवत् गठित बैठक

14. सभा की विधिवत् गठित बैठक

सदन की बैठक तभी विधिवत् गठित होगी जबकि उसमें अध्यक्ष अथवा कोई अन्य सदस्य पीठासीन हो, जो अधिनियम या इन नियमों के अंतर्गत सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम हो।

15. सत्र का आरम्भ और समापन

(1) सत्र के आरम्भ होने के पश्चात् सभा उन दिनों बैठेगी जिनको अध्यक्ष सभा के कार्य की स्थिति को देखकर तथा सदन के नेता के परामर्श से समय–समय पर निश्चित करें।

(2) अध्यक्ष के अन्यथा निर्देश को छोड़कर सभा की बैठक उस समय आरंभ होगी जैसा अध्यक्ष निर्देश दें और तब तक चलेगी, जब तक उस दिन के लिये निर्धारित कार्य समाप्त न हो जाये:

परन्तु यदि अध्यक्ष उचित समझें या ऐसा करना किन्हीं परिस्थितियोंवश आवश्यक हो जाये तो निर्धारित कार्य समाप्त होने से पूर्व भी बैठक स्थगित की जा सकती है।

(3) जब तक कि सदन अन्यथा निश्चित न करे, शनिवार, रविवार तथा अन्य सार्वजनिक छुट्टियों के दिन कोई बैठक नहीं होगी।

(4) सत्र का आरम्भ राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' से होगा तथा उसका अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन राष्ट्र गान 'जन–गण–मन' से होगा।

16. गणपूर्ति

(1) सभा की बैठक को गठित करने के लिये गणपूर्ति सदन के सब सदस्यों की संख्या का एक–तिहाई भाग होगी।

(2) यदि सदन के समवेत या पुनः समवेत होने के लिए निश्चित समय के 10 मिनट बाद तक लगातार घंटी बजने के बावजूद गणपूर्ति का अभाव रहता है तो सचिव, अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी के आदेशानुसार घोषणा करेंगे कि सदन की बैठक उसी दिन किसी निर्धारित समय तक के लिए या किसी तय की गई सदन की अगली बैठक तक स्थगित की जाती है।

(3) यदि विधान सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने के बाद किसी समय कोई सदस्य,

CHAPTER-IV

DULY CONSTITUTED SITTING OF THE ASSEMBLY

14. Duly constituted sitting of the House

A sitting of the House shall be duly constituted only when it is presided over by the Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House, under the Act or these rules.

15. Commencement and conclusion of session

(1) After the commencement of a session, the Assembly shall sit on such days as the Speaker may, from time to time, having regard to the state of business of the Assembly and in consultation with the Leader of the House, determine.

(2) Subject to the directions of the Speaker, the sitting of the Assembly shall commence at such hour as the Speaker may direct and continue until the business fixed for the day is concluded:

Provided that if the Speaker considers proper or the circumstances make it necessary, to do so, the sitting may be adjourned before the conclusion of the business fixed.

(3) Unless the House otherwise determines, there shall be no sittings on Saturday, Sunday and other public holidays.

(4) The session shall commence with the playing of the National Song 'Vande Matram' and adjourn *sine die* with the playing of the National Anthem 'Jana Gana Mana'.

16. Quorum

(1) The quorum to constitute a sitting of the Assembly shall be one-third of the total number of members of the House.

(2) If at any time fixed for commencement or re-assembly of the sitting of the House there is no quorum even ten minutes after the time fixed for such sitting or re-assembly despite continuous ringing of the bell, the Secretary on being directed by the Speaker or the person presiding shall announce adjournment of the sitting for a specified time on the same day or the next scheduled meeting of the House.

(3) If at any time after commencement of the sitting of the House a

अध्यक्ष अथवा पीठासीन अधिकारी का गणपूर्ति के अभाव की तरफ ध्यान आकर्षित करता है तो सचिव गणपूर्ति के अभाव होने पर, पीठासीन अधिकारी के निर्देशानुसार पाँच मिनट के लिए गणपूर्ति घंटी बजवाएंगे। पाँच मिनट घंटी बजने के बाद सदन में मौजूद सदस्यों की गणना हेतु गणपूर्ति घंटी का बजना बंद कर दिया जायेगा। यदि गणना में गणपूर्ति का फिर भी अभाव रहता है तो अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी गणपूर्ति घंटी को दूसरी बार बजाने के लिए कहेंगे। यदि दूसरी बार लगातार पाँच मिनट घंटी बजने के बावजूद भी गणपूर्ति का अभाव रहता है तो अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी सदन की कार्यवाही को उसी दिन किसी निर्धारित समय के लिए या अगली तय की गई सदन की बैठक तक के लिए स्थगित कर देंगे।

17. सदन का स्थगन और पुनः समवेत करने की प्रक्रिया

(1) सदन का अनिश्चित काल तक के लिये कब स्थगन हो या किसी विशेष दिन अथवा किसी समय या उसी दिन के किसी समय तक के लिये कब स्थगन हो वह समय अध्यक्ष निश्चित करेंगेः

परन्तु अध्यक्ष यदि उचित समझें तो सदन का सत्र जिस दिन या जिस समय तक के लिये स्थगित किया गया हो, उससे पूर्व या जब सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया हो, उसके बाद किसी भी समय सदन का सत्र बुला सकेंगे।

(2) उपनियम (1) के उपबन्ध के अंतर्गत यदि स्थगित किये जाने के पश्चात् सदन पुनः समवेत किया जाता है, तो सचिव प्रत्येक सदस्य को सत्र के अगले भाग की तिथि, समय, स्थान और अवधि की सूचना देंगे।

18. सत्रावसान का प्रभाव

जब सभा सत्रावसित हो जाये तो –

(क) सभी लंबित सूचनाएँ, वक्तव्य और चर्चाएं समाप्त हो जायेंगी और आगामी सत्र के लिये फिर से सूचनाएं दी जायेंगीः

परन्तु जो प्रश्न कार्य–सूची में प्रविष्ट हो चुके हों, किन्तु पिछले सत्र की समाप्ति पर स्थगित किए हों और उत्तर के लिये लंबित हों वे समाप्त नहीं होंगे;

(ख) सत्रावसान के समय जो विधेयक सदन में लंबित है, वह सदन के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होगा;

(ग) किसी समिति के समक्ष लंबित कोई कार्य समाप्त नहीं होगा;

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव, संकल्प अथवा संशोधन जो प्रस्तुत किया जा चुका हो और सदन में लंबित हो, समाप्त नहीं होगा।

member draws the attention of the person presiding that there is no quorum, the Secretary on being directed by the person presiding shall cause the quorum bell to ring for five minutes if there is no quorum. After the expiry of five minutes the quorum bell would be switched off to count the members present and if there is no quorum, the Speaker or the person presiding shall cause the quorum bell to ring for the second time. If after continuous ringing of the bell for the second time for five minutes there is still no quorum, the Speaker or the person presiding shall adjourn the House for a specified time on the same day or till the next meeting of the Legislative Assembly.

17. Adjournment of the House and procedure for reconvening

(1) The Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned *sine die* or to a particular day, or to an hour or part of the same day:

Provided that the Speaker may, if he thinks fit, call a sitting of the House before the date or time to which it has been adjourned or at any time after the House has been adjourned *sine die.*

(2) In case the House, after being adjourned is reconvened under proviso to sub-rule (1), the Secretary shall communicate to each member the date, time, place and duration of the next part of the session.

18. The effect of prorogation

When the Assembly is prorogued –

(a) all pending notices, statements and discussions shall lapse and fresh notices shall be given for the next session:

Provided that questions which have been entered in the list of business, but were postponed and remained pending for answer at the close of the preceding session shall not lapse.

(b) a Bill pending in the House at the time of prorogation shall not lapse by reason of the prorogation of the House;

(c) any business pending before a Committee shall not lapse;

(d) any motion, resolution or amendment which has been moved and is pending in the House shall not lapse.

अध्याय–5

उपराज्यपाल का सभा को अभिभाषण तथा संदेश

19. सदन में उपराज्यपाल का अभिभाषण और उस पर चर्चा

(1) सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में, उपराज्यपाल विधान सभा को सम्बोधित करेंगे तथा विधान सभा को आह्वान के कारण बताएंगेः

परन्तु सदस्यों द्वारा नियत शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने का कार्य तथा अध्यक्ष का निर्वाचन, यदि आवश्यक हो तो, उपराज्यपाल के अभिभाषण के पूर्व किया जा सकेगा।

(2) उपराज्यपाल के अभिभाषण के उपरांत सभा की प्रथम बैठक में सचिव उपराज्यपाल के अभिभाषण की प्रति सदन पटल पर रखेंगे।

(3) अध्यक्ष, सदन–नेता के परामर्श से उपराज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करेंगे जो साधारणतः चार दिन होगाः

परन्तु यह प्रस्ताव किए जाने पर कि अभिभाषण पर चर्चा अध्यक्ष द्वारा नियत किए जाने वाले बाद के किसी दिन तक के लिये स्थगित की जाये, उस अभिभाषण पर चर्चा किसी सरकारी विधेयक या अन्य सरकारी कार्य के पक्ष में विलम्बित की जा सकेगी। अध्यक्ष तुरन्त वह प्रश्न रखेंगे और किसी संशोधन या वाद–विवाद की अनुमति नहीं होगी।

(4) इस प्रकार नियत दिन या दिनों में सदन एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा समर्थित धन्यवाद के प्रस्ताव पर ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा करने के लिये स्वतंत्र होगा।

(5) धन्यवाद प्रस्ताव में ऐसे रूप में संशोधन प्रस्तुत किए जा सकेंगे जिसे अध्यक्ष उचित समझेंः

परन्तु कोई ऐसे संशोधन प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे जो मूल प्रस्ताव के अंत में शब्द जोड़ने के रूप में न हों।

(6) ऐसे प्रस्ताव की चर्चा पर संकल्पों से संबंधित नियम यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

CHAPTER-V

LIEUTENANT GOVERNOR'S ADDRESS AND MESSAGE TO ASSEMBLY

19. Address by the Lieutenant Governor to the House and its discussion in the Assembly

(1) At the commencement of the first session after each general election to the Assembly and at the commencement of the first session of each year, the Lieutenant Governor shall address the House and inform the Assembly about causes of its summon:

Provided that the making of the prescribed oath or affirmation by a member and the election of the Speaker, if necessary, may precede the Lieutenant Governor's Address.

(2) At the first sitting of the Assembly held after the Lieutenant Governor's Address, the Secretary shall lay a copy of such Address on the Table of the House.

(3) The Speaker shall in consultation with the Leader of the House allot time, which shall ordinarily be four days, for discussion on the matters referred to in the Lieutenant Governor's Address:

Provided that the discussion on the Address may be postponed in favour of a Government Bill or other Government business on a motion being made that the discussion on the Address be adjourned to a subsequent day to be appointed by the Speaker. The Speaker shall forthwith put the question, no amendment or debate being allowed.

(4) On the day or days so allotted, the House shall be at liberty to discuss the matters referred to in such Address on a Motion of Thanks moved by a member, and seconded by another member.

(5) Amendments may be moved to such Motion of Thanks in such form as may be considered appropriate by the Speaker:

Provided that no amendments may be moved except by way of addition of words at the end of the original motion.

(6) The rules relating to resolution shall *mutatis mutandis* apply to the discussion on such motion.

(7) प्रस्ताव के संशोधन सहित अथवा संशोधन रहित स्वीकृत होने पर अध्यक्ष द्वारा उपराज्यपाल को संसूचित किया जायेगा।

(8) अध्यक्ष प्रस्ताव पर उपराज्यपाल के संदेश को यदि सत्र चल रहा हो तो सदन में पढ़कर सुनाएंगे।

20. धारा 9 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपराज्यपाल का अभिभाषण

धारा 9 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उपराज्यपाल द्वारा दिये गए अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिये अध्यक्ष समय नियत कर सकेंगे।

21. सरकार का उत्तर देने का अधिकार

सरकार की ओर से मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री को, चाहे उसने चर्चा में पहले भाग लिया हो या नहीं, चर्चा के अंत में सरकार की स्थिति स्पष्ट करने का सामान्य अधिकार होगा और अध्यक्ष पूछ सकेंगे कि भाषण के लिये कितने समय की आवश्यकता होगी जिससे कि वह चर्चा समाप्त होने का समय निश्चित कर सकें।

22. भाषणों के लिये समय सीमा

अध्यक्ष, यदि उचित समझें तो सभा का अभिप्राय जानकर भाषणों के लिये समय–सीमा निर्धारित कर सकेंगे।

23. धारा–9 की उपधारा (2) के अंतर्गत उपराज्यपाल का संदेश

जब अध्यक्ष को सदन के लिये धारा–9 की उपधारा (2) के अंतर्गत उपराज्यपाल से संदेश मिले तो वह सदन को संदेश पढ़कर सुनाएंगे और संदेश में निर्दिष्ट विषयों पर विचार करने के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक निर्देश देंगे। ऐसे निर्देश देने में अध्यक्ष को उस सीमा तक नियमों को निलम्बित या परिवर्तित करने की शक्ति होगी, जिस सीमा तक आवश्यक हो।

(12)

(7) Upon the motion being adopted, with or without amendment, the Speaker shall communicate it to the Lieutenant Governor.

(8) The Speaker shall read to the House if in session, the message of Lieutenant Governor to the motion.

20. Lieutenant Governor's Address under sub-section (1) of section 9

The Speaker may allot time for the discussion of the matters referred to in the Address of the Lieutenant Governor under sub-section (1) of section 9.

21. Government's right to reply

The Chief Minister or any other Minister, whether he has previously taken part in the discussion or not, shall, on behalf of the Government, have a general right of explaining the position of the Government at the end of the discussion and the Speaker may inquire how much time will be required for the speech so that he may fix the hour by which the discussion shall conclude.

22. Time limit for speeches

The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time limit for speeches after taking the sense of the House.

23. Message of the Lieutenant Governor under sub-section (2) of section 9

Where a message from the Lieutenant Governor for the House under sub-section (2) of section 9 is received by the Speaker, he shall read the message to the House and give necessary directions in regard to the procedure that shall be followed for the consideration of matters referred to in the message. In giving these directions, the Speaker shall be empowered to suspend or vary the rules to such extent as may be necessary.

अध्याय–6

कार्य का आयोजन

24. सदन में लिये जाने वाले कार्य की सूचना

सभा के किसी अधिवेशन के प्रारम्भिक सप्ताह में लिये जाने वाले कार्य की सूचना सरकार द्वारा विधान सभा सचिवालय को अधिवेशन प्रारंभ होने के कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी और तदुपरांत प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सदन के नेता अथवा मंत्रिपरिषद् के कोई सदस्य प्रश्नकाल के उपरांत सदन को आगामी सप्ताह में किये जाने वाले कार्य की सूचना देंगे।

25. कार्य सूची

(1) सचिव प्रत्येक दिन की कार्य सूची तैयार करेंगे और उसकी एक प्रतिलिपि प्रत्येक सदस्य के प्रयोग के लिये उपलब्ध की जायेगी।

(2) जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न करें ऐसे किसी कार्य को, जो उस दिन की कार्यसूची में शामिल नहीं है, सदन में निष्पादन के लिए नहीं लिया जाएगा।

(3) जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें, ऐसा कोई भी कार्य जिसकी सूचना देने की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई हो, को कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

26. गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये समय आबंटन

प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा और जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें उसको सरकारी कार्य पर अग्रता प्राप्त होगीः

परन्तु अध्यक्ष ऐसे अलग–अलग प्रकार के कार्यों को निबटाने के लिये अलग–अलग शुक्रवार के दिन नियत कर सकेंगे और कार्य सूची में दर्ज किसी विशेष कार्य के लिये नियत शुक्रवार को, उस प्रकार के कार्य को अग्रता प्राप्त होगीः

परन्तु अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से, यदि निर्धारित सप्ताह में शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होता है तो गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों को निबटाने के लिये कोई अन्य दिन नियत कर सकेंगे।

CHAPTER-VI

ARRANGEMENT OF BUSINESS

24. Information about the business to be taken up in the House

The Government shall inform the Assembly Secretariat about the business to be taken up in the House in the first week of any session at least fifteen days before the commencement of such meeting and thereafter on each last working day of the week, the leader of the House or any member of the Council of Ministers shall inform the House, after the question hour about the business to be taken up in the next week.

25. List of business

(1) A list of business for each day shall be prepared by the Secretary and a copy thereof shall be made available for the use of every member.

(2) Save as otherwise provided in these rules, business not included in the list of business for the day shall not be transacted at any sitting without the leave of the Speaker.

(3) Unless the Speaker otherwise directs, no business requiring notice shall be set down in the list of business for a day before the period of required notice has expired.

26. Allotment of time for Private Members' business

Private Members' business shall be taken up on each Friday and unless the Speaker otherwise directs, it shall have precedence over official business:

Provided that the Speaker may allot different Fridays for the disposal of different classes of such business and on Fridays so allotted for any particular class of business, the business of that class shall have precedence:

Provided further that the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, allot any other day, if Friday in the given week happens to be a holiday for the transaction of Private Members' business.

27. सरकारी कार्य का क्रम

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत दिनों को छोड़कर अन्य दिनों में अध्यक्ष की सम्मति के बिना सरकारी कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं लिया जायेगा। सचिव उस कार्य का वर्गीकरण ऐसे क्रम में करेंगे जैसा कि अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से विनिश्चित करें :

परन्तु अध्यक्ष सदन के नेता के परामर्श से कार्य के क्रम में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकेंगे।

28. दिन के अंत में गैर सरकारी सदस्यों का बाकी कार्य

गैर सरकारी सदस्यों का वह कार्य जो उसके लिये नियत किये गए दिन के लिये रखा गया हो और उस दिन न लिया गया हो, किसी आगामी दिन के लिये तब तक नहीं रखा जायेगा, जब तक कि दूसरी तत्संबंधी सूचना पर उसे उस दिन के संबंध में की गई बैलेटिंग में प्राथमिकता प्राप्त न हो गई हो:

परन्तु जो कार्य उस दिवस के अंत में निर्णय के अधीन हो, वह गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिये नियत आगामी दिन के लिये रखा जायेगा और उसे उस दिन के लिये रखे गये अन्य समस्त कार्यों पर अग्रता मिलेगी।

(14)

27. Arrangement of Government business

On days other than those allotted for the business of Private Members no business other than Government business shall be transacted without the consent of the Speaker. The Secretary shall arrange the business in such order as the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, decide:

Provided that the Speaker may, in consultation with the Leader of the House, alter or amend the order of the business.

28. Private Members' business outstanding at the end of the day

Private Members' business set down for the day allotted therefor and not taken up on that day shall not be set down for any subsequent day unless fresh notice thereof is received and it has gained priority at the ballot held with reference to that day:

Provided that any business which is under decision at the end of that day shall be set down for the next day allotted for that class of business for Private Members and shall have precedence over all other business set down for that day.

अध्याय–7

प्रश्न

29. प्रश्नों का विषय

प्रश्न प्रशासन के ऐसे विषय से सम्बद्ध होना चाहिए जिसके लिये सरकार उत्तरदायी है। उसका प्रयोजन लोक महत्व के विषय में सूचना प्राप्त करना अथवा कार्रवाई का सुझाव देना होगा।

30. प्रश्नों का वर्गीकरण

प्रश्नों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से होगा –

(क) अल्पसूचना प्रश्न;

(ख) तारांकित प्रश्न; तथा

(ग) अतारांकित प्रश्न।

व्याख्या – (i) अल्पसूचना प्रश्न का तात्पर्य ऐसे प्रश्न से है, जो अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय से संबंधित हो। इसका विभेद दो तारांक लगाकर किया जायेगा। दिये गए उत्तर से उत्पन्न अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष की अनुमति से किए जा सकेंगे।

व्याख्या – (ii) तारांकित प्रश्न का तात्पर्य ऐसे प्रश्न से है, जिस पर दिये हुए उत्तर से उत्पन्न अनुपूरक प्रश्न अध्यक्ष की अनुमति से किये जा सकेंगे। एक तारांक लगाकर उसका विभेद किया जायेगा।

व्याख्या – (iii) अतारांकित प्रश्न से तात्पर्य ऐसे प्रश्न से है जिसका लिखित उत्तर संबंधित सदस्य को दिया जाये और जिस पर अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति न हो।

31. प्रश्नों की ग्राह्यता

प्रश्न पूछने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है, अर्थात्–

(i) उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिये सर्वथा आवश्यक न हो।

(ii) यदि उसमें सदस्य द्वारा कोई कथन दिया गया हो तो प्रश्नकर्ता सदस्य उस कथन की सच्चाई के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा।

CHAPTER-VII

QUESTIONS

29. Subject matter of questions

A question must relate to a matter of administration for which the Government is responsible. Its purpose shall be to elicit information or to give suggestion of action on a matter of public importance.

30. Classification of questions

The question shall be classified as follows—

(a) Short notice questions;

(b) Starred questions; and

(c) Unstarred questions.

Explanation—(i) Short notice question means a question relating to a matter of urgent public importance. It shall be distinguished by placing two asterisks. Supplementary questions arising out of the answer given can be put thereon with the permission of the Speaker.

Explanation—(ii) Starred question means a question on which supplementary questions arising out of the answer given can be put with the permission of the Speaker. It shall be distinguished by placing one asterisk.

Explanation—(iii) ***Unstarred*** question means a question to which a written reply may be given to the member concerned and on which no supplementary question is permissible.

31. Admissibility of questions

The right to ask a question shall be governed by the following conditions, namely–

(i) It shall not bring in any name or statement not strictly necessary to make the question intelligible.

(ii) If it contains a statement by the member, the member asking it shall himself be responsible for the accuracy of the statement.

(iii) वह अत्यधिक लम्बा नहीं हो।

(iv) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप विशेषण या मान हानिकारक कथन नहीं होंगे।

(v) वह राय प्रकट करने या विधि संबंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिये नहीं पूछा जायेगा।

(vi) उसमें किसी व्यक्ति के सरकारी अथवा सार्वजनिक पद के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण का उल्लेख नहीं होगा तथा व्यक्तिगत प्रकरणों का उल्लेख भी नहीं होगा, जब तक कि कोई सिद्धांत का विषय अन्तर्निहित न हो।

(vii) उसमें ऐसे प्रश्नों की तत्वतः पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी, जिनके उत्तर उसी सत्र में पहले दिये जा चुके हों या जिनका उत्तर देने से इन्कार कर दिया गया हो।

(viii) उसमें ऐसी सूचना नहीं मांगी जायेगी जो प्राप्य दस्तावेजों अथवा सामान्य निर्देश ग्रंथों में उपलब्ध हो।

(ix) उसमें किसी ऐसे विषय के संबंध में सूचना नहीं मांगी जायेगी जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय में विचाराधीन हो।

(x) उसमें किसी न्यायाधीश या न्यायालय के, जिसका भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार हो, आचरण के विषय में किसी ऐसी बात का उल्लेख नहीं होगा, जो उसके न्यायिक कार्यों से संबद्ध हो।

(xi) उसमें व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं किया जायेगा और न वह दोषारोपण ध्वनित होगा।

(xii) उसमें सीमित महत्व की, अस्पष्ट अथवा निरर्थक विषयों पर या बहुत विस्तृत ब्यौरे की जानकारी नही मांगी जायेगी।

(xiii) उसका स्थानीय निकायों अथवा अन्य अर्द्ध–स्वायत्त निकायों के दैनिक प्रशासन से कोई संबंध नहीं होगा। किन्तु अध्यक्ष ऐसे प्रश्नों को स्वीकृत कर सकेंगे जो उनके और सरकार के संबंध में उत्पन्न होते हों या जो विधि या नियमों के भंग होने से सम्बद्ध हों या सार्वजनिक हित के महत्वपूर्ण विषयों से संबंध रखते हों।

(iii) It shall not be excessively lengthy.

(iv) It shall not contain arguments, inferences, ironical or offensive expressions, imputations, epithets or defamatory statements.

(v) It shall not be asked for an expression of opinion or for the solution of a legal question, or a hypothetical proposition.

(vi) It shall not refer to the character or conduct of any person except in his official or public capacity, nor relate to individual cases, unless a matter of principle is involved.

(vii) It shall not repeat, in the same session in substance, questions already answered or to which an answer has been refused.

(viii) It shall not ask for information which is available in accessible documents or in ordinary works of reference.

(ix) It shall not ask for information on a matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India.

(x) It shall not refer to the conduct of any judge or a court of law having jurisdiction in any part of India, in relation to his or its judicial functions.

(xi) It shall not make or imply a charge of a personal character.

(xii) It shall not ask for information on matters of limited importance or on vague or meaningless matters, nor information of too many details.

(xiii) It shall not relate to day to day administration of local bodies or other semi-autonomous bodies. The Speaker may, however, allow questions which arise out of their relationship with the Government or relate to breaches of law or rules or to important matters of public interest.

(xiv) उसमें वर्तमान सत्र में हुए वाद–विवाद का संदर्भ नहीं होगा।

(xv) वह सदन के निर्णयों की आलोचना नहीं करेगा।

(xvi) उसमें ऐसे विषयों के संबंध में सूचना नहीं मांगी जायेगी, जो गोपनीय प्रकृति के हों जैसे मंत्रि–परिषद् के निर्णय अथवा कार्यवाहियां, विधि अधिकारियों द्वारा उपराज्यपाल को दी गई मंत्रणा तथा अन्य इस प्रकार के विषय।

(xvii) वह किसी समिति के समक्ष विषयों से अथवा समिति के सभापति अथवा सदन के प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विषयों से सम्बन्धित नहीं होगा।

(xviii) उसमें उस विषय के बारे में नहीं पूछा जायेगा, जो स्पष्ट रूप से अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में हो।

(xix) उसका संबंध किसी गैर सरकारी व्यक्ति अथवा गैर सरकारी निकाय द्वारा दिये गए किसी वक्तव्य से नहीं होगा।

(xx) उसमें उन व्यक्तियों के चरित्र अथवा आचरण पर आक्षेप नहीं होगा जिनके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो।

(xxi) उसमें ऐसे नीति के, जो इतनी विस्तृत हो कि वह प्रश्न के उत्तर की परिधि के भीतर न आ सके, प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे।

(xxii) वह मुख्यतः एक विभाग से संबंधित होगा।

(xxiii) उसमें ऐसे विषयों के बारे में जो केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच किसी विषय पर पत्र व्यवहार से संबंधित हों, तथ्यों के अलावा और कोई भी अन्य प्रश्न नहीं पूछा जायेगा तथा उत्तर तथ्यात्मक वक्तव्य तक ही सीमित रहेगा।

(xxiv) उसमें साधारणतः ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो किन्तु उसमें जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित विषयों के बारे में पूछा जा सकता है, यदि उससे न्यायाधिकरण या आयोग या जांच पड़ताल द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न हो।

(17)

(xiv) It shall not refer to debates in the current session.

(xv) It shall not criticise decisions of the House.

(xvi) It shall not seek information about matters, which in their nature are secret, such as, decision or proceedings of the Council of Ministers, advice given to the Lieutenant Governor by Law Officers and other similar subjects.

(xvii) It shall not deal with a matter before a Committee or matters within the jurisdiction of the Chairman of a Committee or the authorities of the House.

(xviii) It shall not deal with a matter which is within the exclusive jurisdiction of the Speaker.

(xix) It shall not relate to a statement made by a private individual or a non-official body.

(xx) It shall not reflect on the character or conduct of those persons whose conduct may only be challenged on a substantive motion.

(xxi) It shall not raise questions of policy too large to be dealt with in the limits of an answer to a question.

(xxii) It shall primarily relate to one department.

(xxiii) In matters which are, or have been, the subject of correspondence between the Central Government and the Government, no question shall be asked except as to matters of fact and the answer shall be confined to a statement of facts.

(xxiv) It shall not inquire about matters pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi- judicial functions or any commission or court of inquiry appointed to enquire into or investigate any matters, but may refer to matters concerned with procedure or scope or stage of inquiry, if it is not likely to prejudice the consideration of the matter by the tribunal, statutory authority, commission or court of inquiry.

32. अल्प–सूचना प्रश्न

(1) जब कोई सदस्य अल्प–सूचना प्रश्न पूछना चाहे तो वह ऐसे प्रश्न की कम–से–कम पूरे तीन दिन की पूर्व सूचना लिखित रूप में सचिव को देंगे। सचिव साधारणतया प्रश्न को अल्प–सूचना प्रश्न के रूप में स्वीकार्यता पर उसकी प्राप्ति से 24 घंटे के भीतर अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त करेंगे।

(2) अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रश्न की एक प्रतिलिपि संबंधित मंत्री को इस निवेदन के साथ भेज दी जायेगी कि वह सचिव को सूचित करें कि क्या वह प्रश्न का उत्तर अल्प–सूचना प्रश्न के रूप में देने की स्थिति में हैं।

(3) यदि मंत्री अल्प–सूचना पर उत्तर देने के लिये सहमत हों तो वह तत्काल या तदुपरांत कार्य–सूची में रख दिया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें:

परंतु किसी एक दिन की कार्य–सूची में दो से अधिक अल्प–सूचना प्रश्न नहीं रखे जायेंगे।

(4) यदि संबद्ध मंत्री अल्प–सूचना पर उत्तर देने की स्थिति में न हो और अध्यक्ष की यह राय हो कि वह पर्याप्त लोक महत्व का है तो वह निर्देश दे सकेंगे कि उसको उस दिन की प्रश्न सूची में, अध्यक्ष द्वारा निश्चित की गई प्राथमिकता दी जाये तथा तारांकित प्रश्न के रूप में उसका उत्तर दिया जाये और उसे अलग से अनुलग्नक के रूप में रखा जाये:

परन्तु किसी दिन की कार्य–सूची में ऐसी प्राथमिकता वाले प्रश्नों की संख्या तीन से अधिक नहीं होगी और इसमें किसी एक सदस्य के एक से अधिक प्रश्न को नहीं रखा जाएगा।

(5) जब दो या दो से अधिक सदस्य एक ही विषय पर अल्प–सूचना प्रश्न दें और एक सदस्य का प्रश्न अल्पसूचना पर उत्तर के लिये स्वीकार हो जाये, तो अन्य सदस्यों के नाम भी उसके साथ रख दिये जायेंगे, जिसका प्रश्न उत्तर के लिये स्वीकार कर लिया गया हो:

परन्तु अध्यक्ष यह निर्देश दे सकेंगे कि सब सूचनाओं को एक ही सूचना में समेकित कर दिया जाये, यदि उनकी राय में एक ही स्वयंपूर्ण ऐसा प्रश्न तैयार करना वांछनीय हो, जिनमें सदस्यों द्वारा उठाई गई सब महत्वपूर्ण बातें आ जायें और तब मंत्री समेकित प्रश्न का उत्तर देंगे:

किन्तु समेकित प्रश्न की अवस्था में सभी संबंधित सदस्यों के नाम साथ–साथ दिये जा सकेंगे और उनकी सूचना की प्राथमिकता के क्रम से प्रश्न के सामने दिखाये जा सकेंगे।

32. Short notice question

(1) Whenever a member desires to ask a short notice question he shall give not less than three clear days notice of such a question in writing to the Secretary. The Secretary will ordinarily obtain the orders of the Speaker regarding the admissibility of the question within 24 hours of its receipt.

(2) After the orders of the Speaker have been obtained, a copy of the question shall be sent to the Minister concerned, requesting him to inform the Secretary whether he is in a position to answer the question at a short notice.

(3) If the Minister agrees to answer it at short notice, it shall be placed immediately on the list of business or so soon thereafter, as the Speaker may direct:

Provided that not more than two short notice questions shall be placed in the list of business for any one day.

(4) If the Minister concerned is not in a position to answer it at short notice and the Speaker is of the opinion that it is of sufficient public importance, he may direct that it may be given priority on the list of questions for the day as determined by the Speaker and answered as a starred question and be placed in a separate annexure:

Provided that the number of such priority given questions on the list of business for the day shall not exceed three and not more than one question of any one member shall be placed therein.

(5) Where two or more members give short notice questions on the same subject and the question of one of the members is accepted for answer at short notice, the names of the other members shall be bracketed with the name of the member whose question has been accepted for answer:

Provided that the Speaker may direct that all the notices be consolidated into a single notice if in his opinion it is desirable to have a single self-contained question covering all the important points raised by members and the Minister shall then give his reply to the consolidated question:

Provided further that in the case of consolidated question the names of all the members concerned may be bracketed and shown against the question on the order of priority of their notices.

33. तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचना

(1) तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचना सदस्य द्वारा सचिव को कम से कम बारह स्पष्ट दिन पूर्व दी जायेगी।

(2) ऐसे प्रश्न सचिव द्वारा सरकार को साधारणतः तीन दिन के भीतर भेज दिये जायेंगे।

परन्तु जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्णय न करें कोई प्रश्न उत्तर के लिये प्रश्न–सूची में तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक कि ऐसे प्रश्न की सूचना संबंधित विभाग या मंत्री को देने की तिथि से नौ दिन तक की अवधि समाप्त न हो जाये।

परन्तु यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि प्रश्न की स्वीकार्यता अथवा अस्वीकार्यता का निर्णय करने के लिये अधिक समय की आवश्यकता है तो वह प्रश्न उत्तर के लिये कार्य–सूची में उस दिन के बाद किसी दिन रखा जायेगा जिस दिन वह नियमों के अधीन नियत किया जायेगा।

(3) नियम–32 के उपनियम (5) के उपबंध तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं की दशा में भी लागू होंगे।

(4) सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तरों के लिये सूची में रखे जाने वाले प्रश्नों की पारस्परिक पूर्ववर्तिता को अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैलट द्वारा उस दिन सुनिश्चित किया जायेगा जो अध्यक्ष नियत करेंगे।

(5) जहाँ प्रश्न की सूचना एक से अधिक सदस्य से प्राप्त हुई हो, वहाँ केवल जिस सदस्य के नाम से बैलेटिंग में प्रश्न को प्राथमिकता मिली है, उस सदस्य के नाम सहित अधिक से अधिक पाँच सदस्यों के नाम प्रश्न सूची में दिये जायेंगे।

34. प्रश्नों के लिये समय

जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के पूछने और उसके उत्तर देने के लिये उपलब्ध रहेगा, जिसमें–

(1) प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्नों को सबसे पहले लिया जायेगा;

(2) तत्पश्चात् उस दिन की प्रश्न सूची में लगे तारांकित प्रश्नों को लिया जायेगा;

(3) अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों को सदन पटल पर रखा गया माना जायेगा।

33. Notice of starred and unstarred question

(1) Not less than twelve clear days notice of starred and unstarred questions shall be given in writing by the member to the Secretary.

(2) Such questions shall ordinarily be forwarded to the Government by the Secretary within three days:

Provided that unless the Speaker otherwise decides, no question shall be placed on the list of questions for answer until the expiration of nine days from the date of the notice of such question to the Minister or the department concerned:

Provided further that if the Speaker is of the opinion that a longer period is necessary to decide about the admissibility or non-admissibility of a question, the question shall be placed on the list of questions for answer at a day later than it should have been fixed under the rules.

(3) The provisions of sub-rule (5) of rule 32 shall also apply in the case of notices of starred and unstarred questions.

(4) The relative precedence of the notice of question for oral answers given by members shall be determined by ballot, to be held in accordance with the directions given by the Speaker, on such day as the Speaker may appoint.

(5) Where a notice of question has been received from more than one member, names of not more than five members including the name of such member in whose name the question has got priority in balloting shall be placed on the list of questions.

34. Time for questions

Unless the Speaker directs otherwise the first hour of every sitting shall be available for asking and answering of questions during which—

(1) priority given starred question shall be taken up first;

(2) thereafter, the starred question, listed for the day, shall be taken up;

(3) replies to the unstarred question shall be deemed to have been laid on the Table of the House;

(4) प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात् अल्पसूचना प्रश्नों को लिया जायेगा।

35. उत्तरों की प्रतियां सदस्य को उपलब्ध कराना तथा सदन में प्रश्नोत्तर का निबटान

(1) संबद्ध सदस्य को किसी प्रश्न के लिखित उत्तर की प्रति उस दिन दी जायेगी जिस दिन के लिये वह प्रश्न उत्तर के लिये प्रश्न सूची में दर्ज किया गया है।

(2) अल्पसूचना प्रश्नों और तारांकित प्रश्नों के उत्तर संबद्ध मंत्री द्वारा पढ़कर सुनाए जायेंगे तथा कार्य–सूची में सम्मिलित ऐसे समस्त अतारांकित प्रश्नों के, जो स्थगित न किए गए हों, उत्तरों को सभा पटल पर रखा गया समझा जायेगा और ऐसे अतारांकित प्रश्न तथा उनके लिखित उत्तर उस दिन की कार्यवाही के अंश के रूप में प्रकाशित किए जायेंगे।

36. प्रश्नों की संख्या की परिसीमा

(1) एक सदस्य एक दिन के लिए पांच प्रश्नों की ही सूचना दे सकेगा, जिसमें अल्पसूचना, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सम्मिलित हैं। यदि कोई सदस्य किसी दिन के लिए पांच प्रश्नों से अधिक सूचना देता है तो उसकी प्रथम पांच सूचनाएं ली जा सकेंगी और शेष सूचना अस्वीकृत समझी जायेंगी।

(2) मौखिक उत्तर के लिये किसी एक दिन की प्रश्न सूची में तारांक लगाकर विभेद किए गए 20 से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं रखे जायेंगे तथा एक सदस्य के तीन से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं रखे जायेंगे। सदस्यों के किसी एक दिन के लिये निर्धारित तीन से अधिक तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूची में रख दिये जायेंगे:

परन्तु किसी एक दिन के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्नों की कुल संख्या सामान्यतया 200 से अधिक नहीं होगी।

37. प्रश्नों के मौखिक उत्तरों के लिये दिन नियत करना

प्रश्नों के उत्तर देने के लिये उपलब्ध समय संबद्ध मंत्री अथवा मंत्रियों से संबद्ध प्रश्नों के उत्तर देने के लिये भिन्न–भिन्न दिनों में चक्रानुक्रम से उस प्रकार नियत किया जायेगा जैसा कि अध्यक्ष समय–समय पर उपबंधित करें। प्रत्येक ऐसे दिन जब तक अध्यक्ष संबद्ध मंत्री की सम्मति से अन्यथा निर्देश न दें, केवल ऐसे मंत्री अथवा मंत्रियों से संबद्ध प्रश्न ही, जिनके लिये उस दिन समय नियत किया गया हो, उत्तर के लिये प्रश्न सूची में रखे जायेंगे। यह नियम अल्पसूचना प्रश्नों के संबंध में लागू नहीं होगा।

(4) then the short notice questions shall be taken up after the question hour is over.

35. Copies of written answers to be made available to the member and disposal of question-answer in the House

(1) A copy of written answer to a question shall be made available to the member concerned on the day for which the question is listed for answer.

(2) The answers to short notice questions and starred questions shall be read out by the Minister concerned and answer to all such unstarred questions included in the list of business which have not been postponed, shall be deemed to have been laid on the Table of the House and such unstarred questions and their written answers shall be published as part of the proceedings for the day.

36. Limitation on number of questions

(1) A member may give notice of only five questions for a day including short notice questions, starred questions and unstarred questions. In case any member gives notice of more than five questions for any day, his first five notices may be taken up and rest of the notices shall be deemed rejected.

(2) Not more than twenty starred questions distinguished by asterisk marks shall be placed on the list of questions for oral answer on any one day and not more than three starred questions of any one member shall be placed on the list. Starred question of the members in excess of three fixed for any one day, shall be placed on the list of unstarred questions:

Provided that the total number of unstarred questions fixed for any one day shall not ordinarily exceed 200.

37. Allotment of days for oral answers to questions

The time available for answering questions shall be allotted on different days in rotation for the answering of questions relating to Minister or Ministers concerned in such manner, as the Speaker may, from time to time, provide. On each such day, unless the Speaker with the consent of the Minister concerned otherwise directs, only questions relating to the Minister or Ministers, for whom time on that day has been allotted, shall be placed on the list of questions for answer. This rule shall not apply to short notice questions.

38. मंत्री की अनुपस्थिति के कारण प्रश्नों का स्थगन

विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण संबद्ध मंत्री की अनुपस्थिति की दशा में इस बारे में प्रार्थना किए जाने पर अध्यक्ष प्रश्नों को किसी आगामी दिन के लिये स्थगित कर सकेंगे:

परन्तु संबद्ध मंत्री की अनुपस्थिति के दौरान अध्यक्ष उनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी अन्य मंत्री को प्राधिकृत कर सकेंगे।

39. प्रश्न पूछने की रीति

(1) प्रश्नकाल में अध्यक्ष उन सदस्यों को जिनके नाम में प्रश्न सूची–बद्ध किए गए हों, क्रमानुसार तथा प्रश्नों की प्राथमिकता का यथोचित ध्यान रखते हुए अथवा ऐसी अन्य रीति से पुकारेंगे, जिसको अध्यक्ष स्वविवेक से विनिश्चित करें और ऐसे सदस्य पुकारे जाने पर अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिये अपने स्थान पर खड़े होंगे। यदि कोई पुकारा गया सदस्य अनुपस्थित हो तो अध्यक्ष आगामी प्रश्न को ले लेंगे।

(2) जिस सदस्य ने प्रश्न की सूचना दी हो, वह अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर प्रश्नों की सूची में उस प्रश्न की संख्या का हवाला देकर प्रश्न पूछने के लिये अपने स्थान पर खड़े होंगे और संबंधित मंत्री तुरंत उसका उत्तर देंगे:

परन्तु जब प्रश्न को एक से अधिक सदस्यों के नाम से दर्शाया गया हो, तो अध्यक्ष प्रथम सदस्य का नाम या उसकी अनुपस्थिति में दूसरे सदस्य का नाम पुकारेंगे और यही क्रम जारी रहेगा।

40. प्रश्नों की सूचना देने का तरीका

प्रश्न सम्बन्धित विभाग के मंत्री को संबोधित होंगे और सचिव को उनकी लिखित सूचना दी जायेगी।

व्याख्या– एक दिन दिये गये प्रश्न उसी दिन प्राप्त समझे जायेंगे, चाहे प्रश्नकर्ता ने उस पर विभिन्न तिथियाँ अंकित कर दी हों।

41. प्रश्नों के उत्तर देने के ढंग

(1) प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के विषय से सुसंगत होंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चित करें तो वे सभा के पटल पर विवरण रखने के रूप में भी हो सकेंगे।

(21)

38. Postponement of questions due to absence of Minister

In the event of the absence of Minister concerned on account of special or unexpected circumstances, the Speaker, on request being made in that behalf, may postpone the questions to any future day:

Provided that in absence of the Minister concerned, the Speaker may authorize some other Minister for answering the questions relating to that Minister.

39. Mode of asking questions

(1) During the question hour, the Speaker shall call successively each member in whose name a question is listed with due regard to priority of questions or in any other manner, as the Speaker may in his discretion decide and such member when so called shall stand in his seat to indicate his presence. If the member called is absent, the Speaker shall pass on the next question.

(2) The member who has given notice of the question shall rise in his place to ask question by reference to its number on the list of question when called by the Speaker and Minister concerned shall give the reply immediately:

Provided that when the question is shown in the name of more than one member, the Speaker shall call the name of first member or, in his absence, the name of second member, and so on.

40. Mode of giving notice of questions

The questions shall be addressed to the Minister of the department concerned, and notice thereof shall be given to the Secretary in writing.

***Explanation*—**Questions given on a day shall be treated received on the same date irrespective of the fact that the questioner may have put different dates on them.

41. Manner of answering questions

(1) Answers to questions shall be relevant to the subject matter of questions and may take the form of laying statements on the Table of the House if so decided by the Speaker.

(2) किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायेगा जिसके लिये वह सूची–बद्ध किया गया हो। यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तद्नुसार स्थिति बताएंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिये कोई तिथि नियत करेंगे।

(3) यदि मंत्री की यह राय हो कि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना लोकहित में नहीं दी जा सकती तो वे ऐसा कहेंगे। इस आधार पर मंत्री की सूचना देने से इंकार करना विशेषाधिकार का विषय नहीं बनाया जा सकता और न इस आधार पर सदन के स्थगन का प्रस्ताव ही लाया जा सकता है।

42. अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न

जब समस्त प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर मांगा गया हो, पुकारे जा चुके हों, तब अध्यक्ष, यदि समय हो, किसी प्रश्न को पुनः पुकार सकेंगे जो उस सदस्य की अनुपस्थिति के कारण न पूछा गया हो जिसके नाम से वह प्रश्न हो तथा अध्यक्ष किसी सदस्य को अन्य किसी सदस्य के नाम में रखे हुए प्रश्न को पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे यदि वे उनके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किए गए हों या यदि अन्य कोई सदस्य उस प्रश्न में अभिरुचि रखते हों।

43. प्रश्नों की वापसी अथवा स्थगन

कोई भी सदस्य उस बैठक के पूर्व जिसके लिए उसका प्रश्न सूचीबद्ध किया गया हो, सूचना देकर अध्यक्ष की सहमति से किसी भी समय अपने प्रश्न को वापिस ले सकेंगे अथवा सूचना में निर्दिष्ट किसी आगामी दिन के लिए उसको स्थगित करने की प्रार्थना कर सकेंगे और नियम 34 के उपबंधों के अधीन ऐसे आगामी दिन के लिए रखा गया प्रश्न उस दिन के निर्दिष्ट प्रश्नों की सूची के अन्त में रखा जाएगा।

44. मौखिक उत्तर न दिए जाने वाले प्रश्नों के लिखित उत्तर

(1) यदि उत्तर के लिए किसी तिथि को निर्धारित कोई अल्पसूचना अथवा तारांकित प्रश्न किसी कारण से उक्त तिथि को सदन में न लिया जा सके, तो उसका उत्तर दिया हुआ माना जाएगा और ऐसे समस्त प्रश्नों के लिखित उत्तर उस दिन की कार्यवाही के अंश के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे।

(2) बैठक के रद्द होने या किसी कार्य को निष्पादित किए बगैर इसके स्थगित होने के कारण यदि प्रश्नकाल नहीं होता है, तो प्रश्न सूची में मौखिक उत्तरों के साथ–साथ लिखित उत्तरों के लिए शामिल किए गए प्रश्नों के उत्तर संबंधित

(22)

(2) A question shall be replied on the date on which it is listed. If the information required by the member is not available, the Minister shall state the position accordingly, and the Speaker may allow such further time as he may under the circumstances deem proper and fix a date for the answer.

(3) If the Minister is of opinion that the information required by a member cannot be given in public interest, he will say so. The refusal of a Minister to supply the information on this ground cannot be raised as a matter of privilege nor can a motion for adjournment of the House be brought on this ground.

42. Questions of absent members

When all the questions for which an oral answer is desired have been called, the Speaker may, if time permits, call again any question which has not been asked by reasons of the absence of the member in whose name it stands, and may also permit a member to ask a question standing in the name of another member if so authorised by him or if any other member is interested in that question.

43. Withdrawal or postponement of questions

A member may, with the consent of the Speaker, by notice, given at any time before the sitting for which his question has been placed on the list, withdraw his question, or make a request to postpone it to a later day to be specified in the notice, and the question fixed for such later day, subject to the provisions of rule 34, shall be placed on the list after the questions tabled for that day.

44. Written answers to questions not replied orally

(1) If a short notice or starred question fixed for reply on any date is not taken up in the House on the said date for any reasons whatsoever, it shall be deemed to have been answered and the written answers to all such questions shall be published as part of the proceedings of the day.

(2) If there is no question hour owing to the cancellation of a sitting or its adjournment without transacting any business, the answers to questions included in the lists of questions for oral as well as written answer shall be deemed to have been laid on the Table by the

मंत्रियों द्वारा, जिन्हें ऐसे प्रश्न संबोधित हों, सदन की अगली बैठक में प्रश्नकाल के पश्चात् पटल पर रखे गए माने जाएंगे और वे उस दिन की कार्यवाही का हिस्सा होंगे।

(3) यदि किसी कारणवश किसी सत्र की अंतिम बैठक रद्द कर दी गई है, तो उस दिन के लिए मौखिक उत्तरों के साथ–साथ लिखित उत्तरों के लिए प्रश्न सूची में शामिल प्रश्नों को रद्द माना जाएगा।

45. अनुपूरक प्रश्न

(1) नियम–34 के अंतर्गत प्रश्नों के समय में किसी प्रश्न अथवा उत्तर के संबंध में चर्चा करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(2) अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदस्य प्रश्नाधीन विषय संबंधी तथ्यों पर अधिक स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे:

परन्तु अध्यक्ष कोई ऐसा अनुपूरक प्रश्न अस्वीकार करेंगे, यदि उनकी राय में उससे प्रश्नों संबंधी नियम भंग होते हैं।

46. अध्यक्ष से प्रश्न

अध्यक्ष से प्रश्न व्यक्तिगत सूचना द्वारा किए जाएंगे। ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से अथवा अध्यक्ष के निजी कक्ष में दिया जा सकेगा।

47. गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न

एक सदस्य द्वारा किसी दूसरे गैर सरकारी सदस्य को प्रश्न संबोधित किया जा सकेगा यदि प्रश्न का विषय किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन के कार्य के अन्य विषय से संबद्ध हो जिसके लिए वे सदस्य उत्तरदायी हैं और ऐसे प्रश्नों के संबंध में यथासंभव उसी प्रक्रिया का, जो किसी मंत्री से पूछे गए प्रश्नों के संबंध में प्रयोग की जाती है, ऐसे परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जाएगा, जिन्हें अध्यक्ष आवश्यक अथवा सुविधाजनक समझें।

48. अध्यक्ष प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय करेंगे

अध्यक्ष प्रश्न की स्वीकार्यता का निर्णय करेंगे और वे किसी प्रश्न या उसके किसी भाग को अस्वीकार कर सकेंगे, जो उनकी राय में इन नियमों के प्रतिकूल हैं अथवा प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग है। अध्यक्ष संबद्ध सदस्य को संक्षेप में प्रश्न के अस्वीकार करने के कारणों की सूचना देंगे। वे किसी प्रश्न को नियमानुकूल बनाने हेतु उसमें संशोधन भी कर सकेंगे अथवा प्रश्न को सुधार के लिए वापस कर सकेंगे।

Ministers to whom such questions are addressed at the next sitting of the House after the question hour and form part of the proceedings of that day.

(3) If the last sitting of a session is cancelled for any reason whatsoever, the questions in the list or questions for oral as well as written answer for the day shall lapse.

45. Supplementary questions

(1) No discussion shall be permitted during the time for questions under rule 34 in respect of any question or answer.

(2) A member may, with the permission of the Speaker, put a supplementary question for the purpose of further elucidating the facts relating to the matter under question:

Provided that the Speaker shall disallow any supplementary question if in his opinion it infringes any of the rules regarding questions.

46. Questions to the Speaker

Questions to the Speaker shall be by private notice. Such questions may either be answered by a written reply or in his chamber.

47. Questions to Private Members

A question may be addressed by a member to a Private Member provided the subject matter of the question relates to some Bill, resolution or other matter connected with the business of the House for which the member is responsible and the procedure in regard to such question shall so far as may be, be the same as is followed in the case of questions addressed to a Minister with such variations, as the Speaker may consider necessary or convenient.

48. Speaker to decide admissibility of questions

The Speaker shall decide the admissibility of a question and may disallow any question or a part thereof which, in his opinion, contravenes these rules or is an abuse of the right of asking questions. The Speaker shall inform the member concerned in brief the reasons for disallowing the question. He may also amend a question to bring it into conformity with the rules or may return a question for improvement.

49. प्रश्न के वर्ग में परिवर्तन करने की अध्यक्ष की शक्ति

अध्यक्ष किसी अल्पसूचना प्रश्न को तारांकित या अतारांकित प्रश्न में तथा किसी तारांकित प्रश्न को अतारांकित प्रश्न में परिवर्तित कर सकेंगे:

परन्तु अध्यक्ष यदि उचित समझें तो तारांकित प्रश्न की सूचना देने वाले सदस्य से अपने प्रश्न को उस वर्ग में रखने का कारण संक्षिप्त रूप से बताने के लिए कह सकेंगे और उस पर विचार करने के उपरांत अध्यक्ष निर्देश दे सकेंगे कि प्रश्न को उस वर्ग में रखा जाए।

50. किसी दिन के लिए प्रश्नों की सूची

(1) अध्यक्ष के निदेशानुसार जिन प्रश्नों को अस्वीकृत नहीं किया गया है उन्हें उस दिन की प्रश्न सूची में जैसी भी स्थिति हो, मौखिक अथवा लिखित उत्तरों के लिए शामिल किया जाएगा और वे उसी क्रम से पुकारे जाएंगे जिस प्रकार वे सूची में दिए हों। उक्त दिन के लिए निर्धारित शेष तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूची में रख दिए जाएंगे।

(2) सचिव प्रत्येक कार्य दिवस के लिए निर्धारित प्रश्नों की एक अस्थायी सूची बनाएंगे तथा उसकी अग्रिम प्रतिलिपियां सब सदस्यों को भेज देंगे। यदि उस दिन सदन की बैठक हो रही हो तो वह सदस्यों को प्रतिलिपियां भेजने के बदले उन्हें सदस्यों की मेजों पर रखेंगे।

51. प्रश्नों और उत्तरों का सभा की कार्यवाहियों में समावेश

प्रश्न जो पूछे जाएं तथा जिनके उत्तर दिए जाएं उन सब का सभा की कार्यवाही में समावेश होगा:

परन्तु किसी प्रश्न को जो अस्वीकार किया गया हो इस प्रकार समावेश नहीं हो सकेगा।

52. प्रश्नों और उत्तरों के पूर्व प्रकाशन पर रोक

प्रश्नों के उत्तर, जो मंत्री सभा में देना चाहते हों, तब तक प्रकाशनार्थ नहीं दिए जाएंगे, जब तक वास्तव में वे सभा में न दिए जा चुके हों या पटल पर न रखे जा चुके हों।

(24)

49. Power of the Speaker to change class of question

The Speaker may convert a short notice question into a starred or unstarred question and a starred question into an unstarred question:

Provided that the Speaker may, if he thinks fit, call upon the member who has given notice of a starred question to state in brief his reasons for so classifying his question and, after considering the same, may direct that the question be so classified.

50. List of questions for the day

(1) Questions which have not been disallowed shall be entered in the list of questions for the day for oral or written answers, as the case may be, in accordance with the directions of the Speaker and shall be called in the order in which they stand in the list. The remaining starred questions allotted for the said day shall be entered in the list of unstarred questions.

(2) The Secretary shall prepare a provisional list of questions fixed for each working day and shall send it in advance to all members. In case the House is sitting on that day, he shall instead of despatching copies to the members, place them on the desks of the members.

51. Questions and answers to be entered in proceedings of the Assembly

All questions asked and answers given thereto shall be entered in the proceedings of the Assembly:

Provided that a question which has been disallowed may not be so entered.

52. Prohibition on publication of questions and answers in advance

Answers to questions which Ministers propose to give in the House shall not be released for publication until the answers have actually been given on the floor of the House or laid on the Table.

आधे घंटे की चर्चा

53. प्रश्नोत्तरों से उत्पन्न होने वाले विषयों पर चर्चा

(1) अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोकमहत्व के विषय पर जो सदन में हाल में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिये आधे घंटे का समय नियत कर सकेंगे।

(2) जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, यह नियतन सदन की बैठक के दौरान शुक्रवार के अलावा किसी भी दिन सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त किया जायेगा।

(3) कोई सदस्य जो ऐसा विषय उठाना चाहते हों, उस दिन से, जिस दिन वे उस विषय को उठाना चाहते हों, तीन दिन पूर्व सचिव को उसकी लिखित सूचना भेजेंगे और इस विषय या उन विषयों का, जिनको वे उठाना चाहते हों, संक्षेप में उल्लेख करेंगेः

परन्तु सूचना के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी होगी जिसमें संबद्ध विषयों पर चर्चा उठाने के कारण बताए जायेंगेः

किन्तु अध्यक्ष संबद्ध मंत्री की सम्मति से सूचना की अवधि संबंधी अपेक्षा को हटा सकेंगे।

(4) यदि आवश्यक हो तो एक ही बैठक में दो सूचनायें ली जा सकेंगी। यदि दो से अधिक सूचनायें प्राप्त हुई हों और अध्यक्ष ने उनको स्वीकार कर लिया हो तो अध्यक्ष यह निर्णय करेंगे कि उनमें से कौन सी दो ली जायेंः

परन्तु यदि कोई विषय जो किसी विशेष दिन के चर्चार्थ रखा गया हो यदि उस दिन निष्पादन न हो सके तो वह अन्य किसी दिन तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक कि अध्यक्ष निदेश न दें।

(5) सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं होगा और न ही मत लिये जायेंगे। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वह एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा उस विषय का पुरःस्थापन करेंगे। संबद्ध मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। तत्पश्चात् अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी वस्तुस्थिति के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे। विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और संबद्ध मंत्री की टिप्पणी के पश्चात् चर्चा समाप्त हो जायेगी।

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

53. Discussion on matters arising out of question and answers

(1) The Speaker may allot half-an-hour for discussion on a matter of sufficient public importance which has been the subject of a question and answered in the House recently.

(2) Unless the Speaker directs otherwise, the allotment shall be made during the sitting of the House on any day except Friday after the termination of its usual business.

(3) A member wishing to raise such a matter shall give notice in writing to the Secretary three days in advance of the day on which the matter is desired to be raised and shall briefly specify the matter or matters that he wishes to raise:

Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating the reasons for raising discussion on the matters in question:

Provided further that the Speaker may, with the consent of the Minister concerned, waive the requirement concerning the period of notice.

(4) If necessary, two notices may be taken up at one sitting. If more than two notices have been received and admitted by the Speaker, the Speaker shall decide which two of them are to be taken up:

Provided that if any matter put down for discussion on a particular day is not disposed of on that day, it shall not be set down for any other day unless the Speaker otherwise directs.

(5) There shall be no formal motion before the House nor voting. The member who has given notice will introduce the subject in a brief statement. The Minister concerned will reply briefly. The Speaker may then permit other members to put questions for the purpose of further elucidating any matter of fact. The member introducing the subject may be permitted to speak a second time to make a reply and the discussion will end with the remarks of the Minister concerned.

अध्याय–8

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषयों पर ध्यान दिलाना

54. अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषयों पर ध्यान दिलाना

(1) कोई सदस्य अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना को बैठक प्रारंभ होने के तीन घण्टे पूर्व सचिव को दे सकेंगे। ऐसी सूचना की दो प्रतियां होंगी। सचिव सूचना की एक प्रति संबद्ध मंत्री को सूचनार्थ भेज देंगे।

(2) किसी ऐसी सूचना के स्वीकृत हो जाने पर सदस्य सूचना के मूल पाठ तक ही सीमित रहेंगे और मंत्री सूचनांकित विषय पर उसी दिन अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे या भावी तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेंगे। लिखित वक्तव्य होने की दशा में उसकी एक प्रति संबद्ध सदस्य को भी दी जायेगी।

(3) ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद–विवाद नहीं होगा। प्रत्येक सदस्य जिनके नाम कार्य सूची मे दर्शाए गये हों, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछ सकेंगे। तथापि अध्यक्ष यदि उचित समझें तो सूचनांकित विषय संबंधी तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिये किसी अन्य सदस्य को भी प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकेंगे।

(4) एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसे विषय नहीं उठाए जायेंगे।

(5) एक ही दिन के लिये एक से अधिक सूचनाएं प्राप्त होने की दशा में उस सूचना को स्वीकार किया जायेगा, जिसका विषय अध्यक्ष की राय में सर्वाधिक अविलम्बनीय और महत्वपूर्ण हो:

परन्तु कोई सदस्य किसी एक बैठक के लिये ऐसी एक से अधिक सूचना नहीं दे सकेगा:

परन्तु कार्य–सूची में तीन से अधिक सदस्यों के नाम नहीं दिखाए जायेंगे।

CHAPTER-VIII

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

54. Calling Attention to matters of urgent public importance

(1) A member may give notice for calling the attention of a Minister to a matter of urgent public importance to the Secretary three hours before the commencement of the sitting. Such a notice shall be in duplicate. The Secretary shall send one copy of the notice to the Minister concerned for information.

(2) On any such notice being admitted the member shall confine himself to the text of the notice and Minister concerned may make his brief statement on the matter given notice of on the same day or may seek time to make a statement on a future day. In the case of a written statement, one copy thereof shall also be given to the member concerned.

(3) There shall be no debate on such statement. Each member in whose name the item stands in the list of business may, with the permission of Speaker, ask a clarificatory question. Speaker may, however if he deems fit, permit any other member also to ask questions for elucidating facts relating to the matter given notice of.

(4) Not more than one such matter shall be raised at the same sitting.

(5) In the event of more than one notice being given for the same day, that notice which, in the opinion of the Speaker is most urgent and important shall be admitted:

Provided that no member shall give more than one such notice for anyone sitting:

Provided further that the names of not more than three members shall be shown in the list of business.

अध्याय–9

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषयों पर थोड़े समय के लिये चर्चा

55. चर्चा उठाने की सूचना

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर अल्पकालिक चर्चा उठाने के इच्छुक कोई सदस्य उठाए जाने वाले विषय का स्पष्ट एवं संक्षेप में उल्लेख कर सचिव को लिखित रूप में सूचना दे सकेंगे:

परन्तु सूचना के साथ एक व्याख्यात्मक टिप्पणी संलग्न होगी, जिसमें विषय की चर्चा उठाने के कारण दिये जायेंगे:

परन्तु सूचना का समर्थन कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर से होगा।

56. अध्यक्ष ग्राह्यता का निर्णय करेंगे

यदि अध्यक्ष, सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी के मांगने के बाद जिसे वे आवश्यक समझें, सहमत हो जायें कि विषय अविलम्बनीय है तथा इतने महत्व का है कि सदन में किसी दिन शीघ्र ही उठाया जाना चाहिए तो वे सूचना स्वीकार कर सकेंगे और सदन–नेता के परामर्श से उस विषय को चर्चा हेतु लेने के लिये तिथि व समय निश्चित कर देंगे। वे तिथि तथा सूचना के विषय को सदन में घोषित करेंगे और चर्चा के लिये उतने समय की अनुमति दे सकेंगे जितना कि परिस्थितियों में उचित समझें और जो ढाई घण्टे से अधिक न हो:

परन्तु ऐसे विषय पर चर्चा के लिये यदि इससे पूर्व कोई अवसर अन्यथा उपलब्ध हो तो अध्यक्ष सूचना स्वीकार करने से इंकार कर सकेंगे।

57. औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा

सदन के सामने मतदान के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं होगा। जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और अन्त में संबद्ध मंत्री की टिप्पणी के बाद चर्चा समाप्त हो जायेगी।

58. भाषणों के लिये समय सीमा

अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें भाषणों के लिये समय–सीमा नियत कर सकेंगे।

CHAPTER-IX

SHORT DURATION DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

55. Notice for raising discussion

Any member desirous of raising short duration discussion on a matter of urgent public importance may give notice in writing to the Secretary specifying clearly and precisely the matter to be raised:

Provided that the notice shall be accompanied by an explanatory note stating reasons for raising a discussion on the matter:

Provided further that the notice shall be supported by the signatures of at least two other members.

56. Speaker to decide admissibility

If the Speaker is satisfied, after calling of such information from the member who has given notice and from the Minister as he may consider necessary, that the matter is urgent and is of sufficient importance to be raised in the House at an early date, he may admit the notice and in consultation with the Leader of the House, fix the date and time for that matter to be taken up for discussion. He shall announce the date and subject matter of the notice in the House and allow such time for discussion not exceeding two and a half hours as he may consider appropriate in the circumstances:

Provided that if an early opportunity is otherwise available for the discussion of the matter, the Speaker may refuse to admit the notice.

57. No formal motion

There shall be no formal motion before the House for voting. The member who has given notice may make a short statement and the Minister shall reply briefly. Any other member may be permitted to take part in the discussion. The member introducing the subject may be permitted to speak a second time to make a reply and the discussion will end with the final remarks of the Minister concerned.

58. Time limit for speeches

The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time limit for the speeches.

अध्याय–10

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर कार्य–स्थगन प्रस्ताव

59. सूचना देने का तरीका

जिस दिन कार्य–स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना हो उस दिन की बैठक आरंभ होने के कम–से–कम तीन घण्टे पूर्व उसकी सूचना की दो प्रतियां सचिव को दी जायेंगी। सचिव सूचना की एक प्रति को संबद्ध मंत्री के पास भेज देंगे:

परन्तु निश्चित समय के पश्चात् प्राप्त सूचना को समाप्त हुआ माना जायेगा।

60. प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अध्यक्ष की सम्मति की आवश्यकता

इन नियमों के उपबंधों के अधीन किसी लोकमहत्व के निश्चित अविलम्बनीय विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन के कार्य–स्थगन का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

61. प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध

कार्य–स्थगन प्रस्ताव निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन ग्राह्य होगा–

(1) एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किए जायेंगे;

(2) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी;

(3) प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक सीमित रहेगा;

(4) प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा;

(5) प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो;

(6) प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो, किन्तु इस आधार पर प्रस्ताव को अग्राह्य करने के संबंध में अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रत्याशित विषय पर चर्चा उचित समय के भीतर सदन के समक्ष आने की संभावना है;

CHAPTER-X

MOTION FOR ADJOURNMENT ON A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

59. Method of giving notice

Notice of an adjournment motion shall be given to the Secretary in duplicate at least three hours before the commencement of the sitting of the day on which the motion is proposed to be moved. The Secretary shall send one copy of the notice to the Minister concerned:

Provided that a notice received after the stipulated time would be deemed to have lapsed.

60. Speaker's consent necessary to move motion

Subject to the provisions of these rules, a motion for an adjournment of the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance may be moved with the consent of the Speaker.

61. Restrictions on right to move motion

The adjournment motion shall be subject to the following restrictions, namely–

(1) not more than one motion shall be moved at the same sitting;

(2) not more than one matter shall be discussed on the same motion;

(3) the motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence;

(4) the motion shall not raise a question of privilege;

(5) the motion shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session;

(6) the motion shall not anticipate a matter which has been previously fixed for consideration, but the Speaker in disallowing the matter on this ground, shall take into consideration that the discussion of the matter anticipated is likely to be taken up in the House within a reasonable time;

(7) प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई संकल्प प्रस्तुत न किया जा सके;

(8) प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अंतर्गत हो; और

(9) प्रस्ताव ऐसे विषय से संबंधित होगा, जो मुख्यतया सरकार से संबंधित हो।

62. न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन विषयों पर चर्चा के लिये प्रस्ताव

ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हों जो किसी न्यायिक या अर्द्ध–न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हों:

परन्तु यदि अध्यक्ष सन्तुष्ट हो जाएं कि इससे न्यायाधिकरण, संविहित प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है तो अध्यक्ष स्व–विवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो जांच की प्रक्रिया या कार्य क्षेत्र या अवस्था से संबंधित हो।

63. कार्य–स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञा मांगने की रीति

(1) यदि अध्यक्ष के विचार में प्रस्तावित विषय नियमानुकूल है और नियम–60 के अंतर्गत वे अपनी सम्मति दें तो वे संबद्ध सदस्य को पुकारेंगे जो अपने स्थान पर खड़े होकर सदन के स्थगित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा मांगेंगे।

(2) यदि अनुज्ञा देने पर आपत्ति की जाये तो अध्यक्ष उन सदस्यों से, जो अनुज्ञा प्रदान करने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे और यदि तदनुसार तात्कालिक सदन के कुल सदस्यों के कम से कम छठमांश सदस्य खड़े हो जायें तो अध्यक्ष सूचित करेंगे कि अनुज्ञा प्रदान की गई। यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित कर देंगे कि उन्हें सदन की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है।

(7) the motion shall not deal with a matter on which resolution could not be moved;

(8) the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India; and

(9) the motion shall relate to a matter which is primarily the concern of the Government.

62. Motion for discussion on matters before tribunals, commissions, etc.

No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of inquiry appointed to inquire into or investigate a matter shall ordinarily be permitted to be moved:

Provided that the Speaker may in his discretion allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure, or scope or stage of inquiry, if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the tribunal, statutory authority, commission or court of inquiry.

63. Mode of asking for leave to move adjournment motion

(1) If the Speaker holds that the matter proposed is in order and gives his consent under rule 60, he shall call the member concerned who shall rise in his place and ask for leave to move for the adjournment of the House.

(2) If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places and if not less than one-sixth of the total number of members of the House for the time being rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted. If less than the required number of members rise, the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House

64. प्रस्ताव को लेने का समय

यदि ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त हो जाये तो दिन का कार्य समाप्त होने के लिये साधारणतः नियत समय से एक घंटा पूर्व या यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश दें तो ऐसे पूर्व समय पर जबकि दिन का कार्य समाप्त हो जाए, उस प्रस्ताव को लिया जायेगा।

65. चर्चा के समय की परिसीमा

(1) अविलम्बनीय लोकमहत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा के प्रयोजन से सदन के कार्य को स्थगित करने के प्रस्ताव पर सदन के समक्ष केवल यह प्रश्न रखा जायेगा कि ''अब प्रश्न है कि सदन को स्थगित किया जाए'' :

परन्तु अविलम्बनीय लोकमहत्व के निश्चित विषय पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा, यदि पहले समाप्त न हो जाये, सदन की बैठक के समापन के लिए निर्धारित समय के पूरा हो जाने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी और उसके पश्चात् कोई प्रश्न नहीं रखा जाएगा। किसी प्रस्ताव पर चर्चा दो घण्टे से अधिक नहीं होगी।

(2) यदि अध्यक्ष सन्तुष्ट हो जाएं कि विषय पर पर्याप्त वाद–विवाद हो चुका है तो वह सायं छः बजे या किसी अन्य समय पर जिसे वह उचित समझे सदन के समक्ष निर्णय हेतु प्रश्न रख सकेंगे।

(3) अध्यक्ष भाषणों के समय को निर्धारित करेंगे:

परन्तु कोई भाषण पन्द्रह मिनट से अधिक अवधि का नहीं होगा।

(30)

64. Time for moving motion

If leave to move such a motion is granted, the motion shall be taken up an hour before the time fixed for the usual termination of the business of the day, or if the Speaker so directs, at any earlier hour at which the business of the day may terminate.

65. Limitation of time of discussion

(1) On a motion to adjourn the business of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance, the only question that may be put shall be "That the House do now adjourn":

Provided that the debate on a motion to discuss a definite matter of urgent public importance if not earlier concluded, shall automatically terminate on the expiration of time fixed for conclusion of the sitting of the House and thereafter no question shall be put. The debate on a motion shall not exceed two hours.

(2) The Speaker may, if he is satisfied that there has been adequate debate, put the question to the vote of the House at 6 pm or at such other hour as he may deem proper.

(3) The Speaker shall prescribe a time limit for speeches:

Provided that no speech shall exceed fifteen minutes in duration.

अध्याय–11

विशेषाधिकार की अवहेलना तथा अवमानना के प्रश्न

66. विशेषाधिकार हनन अथवा अवमानना के प्रश्न का उठाया जाना

किसी सदस्य के अथवा सदन के अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार अथवा अवमानना के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से निम्न प्रकार से उठाया जा सकेगा –

(i) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा;

(ii) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा;

(iii) याचिका द्वारा; अथवा

(iv) समिति के प्रतिवेदन द्वाराः

परन्तु यदि विशेषाधिकार हनन अथवा अवमानना सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्रवाई कर सकेगा।

67. सदस्य द्वारा शिकायत

यदि सत्र चल रहा हो तो जो सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहे, वह उसकी लिखित सूचना सदन की बैठक आरम्भ होने के या जिस दिन प्रश्न उठाने का विचार हो, उस दिन सदन की बैठक आरम्भ होने के कम से कम तीन घंटे पूर्व सचिव को देंगे। यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो, तो सूचना के साथ मूल दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न होगी।

यदि सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध शिकायत हो तो ऐसी सूचना की दो प्रतियां दी जायेंगी, जिसकी एक प्रति संबंधित सदस्य को भेज दी जाएगी।

68. ग्राह्यता की शर्तें

ऐसे प्रश्न की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों से नियंत्रित होगी–

(i) प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक सीमित हो;

(ii) सूचना के विषय से विशेषाधिकार हनन अथवा अवमानना का प्रश्न प्रथम–दृष्ट्या बनता हो; तथा

(iii) ऐसे मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक होः

CHAPTER-XI

QUESTIONS INVOLVING BREACH OF PRIVILEGE AND CONTEMPT

66. Raising a question of breach of privilege or contempt

A question involving a breach of privilege or contempt either of a member or of the House or of a Committee thereof may, with the consent of the Speaker, be raised by–

(i) a complaint from a member;

(ii) a report from the Secretary;

(iii) a petition; or

(iv) a report from a Committee:

Provided that if the breach of privilege or contempt is committed in the view of the House, the House may with the consent of the Speaker take action without any complaint.

67. Complaint by member

A member wishing to raise such a question when the House is in session shall give notice in writing to the Secretary at least three hours before the commencement of the sitting on the day on which the question is proposed to be raised. If the question is based upon a document, the original or a copy thereof shall accompany the notice.

If the complaint is against any member of the House, such a notice shall be in duplicate, a copy of which shall be sent to the member concerned.

68. Conditions of admissibility

Admissibility of such question shall be governed by the following conditions–

(i) the question is restricted to a definite matter of recent occurrence;

(ii) the subject matter of the notice shows *prima facie* a question of breach of privilege or contempt; and

(iii) the matter requires the intervention of the House:

परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता संबधी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को संबद्ध दस्तावेजों, यदि कोई हों, के निरीक्षण का अवसरi देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्त्ता या अन्य सदस्य को भी सुन सकेंगे।

69. विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की रीति

(1) अध्यक्ष यदि नियम 66 के अंतर्गत सम्मति दें और यदि उनका यह मानना हो कि चर्चा के लिये प्रस्तावित विषय नियमानुकूल है तो वह संबंधित सदस्य को पुकारेंगे जो अपने स्थान पर खड़े होकर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संबद्ध एक संक्षिप्त वक्तव्य देंगे:

परन्तु जब अध्यक्ष ने नियम 66 के अंतर्गत अपनी सम्मति देने से इंकार कर दिया हो या उनकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्तावित विषय नियमानुकूल नहीं है तो, यदि वह आवश्यक समझें, उस विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना पढ़ कर सुना सकेंगे और कह सकेंगे कि वह सम्मति देने से इंकार करते हैं या विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना को नियमानुकूल नहीं ठहराते:

परन्तु इसके अलावा यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें, तो वह संबंधित सदस्य और अन्य सदस्यों की सुनवाई कर सकेंगे और अपना निर्णय देने से पूर्व अन्य जानकारी भी मांग सकेंगे:

परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष विषय की अविलम्बनीयता के संबंध में संतुष्ट हो जायें, तो वह प्रश्नों को निबटाए जाने के बाद बैठक के दौरान किसी भी समय विशेषाधिकार का प्रश्न उठाए जाने की अनुमति दे सकेंगे।

(2) यदि अनुमति दिए जाने पर आपत्ति की जाये तो अध्यक्ष प्रस्ताव को मतदान के लिए सदन के समक्ष रखेंगे। यदि कुल सदस्यों के कम से कम छठमांश सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में खड़े होते हैं, तो अध्यक्ष घोषित करेंगे कि अनुमति दी जाती है। हालांकि, यदि प्रस्ताव के समर्थन के छठमांश से कम सदस्य खड़े होते हैं तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेंगे कि उन्हें सदन की अनुमति प्राप्त नहीं है।

70. शिकायत का प्रस्तुत किया जाना

यदि इन नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष के मन में विशेषाधिकार हनन अथवा अवमानना की सूचना सम्मति योग्य तथा ग्राह्य हो तो वे उस मामले को विशेषाधिकार समिति को परीक्षण, जाँच

Provided that if the complaint is against a member, the Speaker, before giving his consent and determining its admissibility, shall hear him after giving an opportunity to inspect the concerned documents, if any, and if need be, may also hear the complainant or any other member.

69. Mode of raising question of privilege

(1) The Speaker, if he gives consent under rule 66 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall call the member, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, may make a short statement relevant thereto:

Provided that where the Speaker has refused his consent under rule 66 or is of the opinion that the matter proposed to be discussed is not in order, he may, if he thinks fit, state that he refuses consent or holds that the notice of question of privilege is not in order:

Provided further that if the Speaker deems it necessary, he may hear the member concerned and other member(s) and also seek such other information as he may require before giving decision:

Provided also that the Speaker may if he is satisfied with the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of a sitting after the disposal of questions.

(2) If objection to leave being granted is taken, the Speaker shall put the motion to vote before the House. If not less than one-sixth of the members rise in support of the motion, the Speaker shall declare that the leave is granted. If however, the number of members rising in support of the motion is less than one-sixth, the Speaker shall inform the member that he does not have the leave of the House.

70. Presentation of complaint

If in the opinion of the Speaker, the notice of breach of privilege or contempt is fit for giving consent and is admissible under these rules, he may refer that matter to the Committee of Privileges for examination, investigation

तथा प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट कर सकेंगे और उसकी सूचना सदन को देंगे। अध्यक्ष के मत में सूचना अग्राह्य हो तो वे तद्नुसार अस्वीकृति की सूचना सदन को देंगेः

परन्तु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व संबंधित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे।

71. विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना के प्रश्न पर सदन द्वारा विचार

यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय ऐसा है जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किए ही सदन में निपटान किया जा सकता है तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जायेः

परन्तु यदि सूचना सचिव या समिति के प्रतिवेदन या याचिका द्वारा प्राप्त हुई है तो सदन में विषय पर विचार आरंभ होने के पूर्व, यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो, प्रतिवेदन अथवा याचिका की प्रतियां छपवा कर सदस्यों में वितरित की जायेंगी।

72. सदन के समक्ष शिकायत का निपटारा

(1) यदि सदस्य के विरुद्ध शिकायत का सदन में निपटान हेतु लिया जाना निश्चित हो जाये तो उक्त सदस्य को सूचना दी जायेगी और उनको स्पष्टीकरण तथा निर्दोषिता सिद्धि के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का तथा सम्बन्धित दस्तावेज या दस्तावेजों के निरीक्षण करने तथा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

(2) वह सदस्य जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है, नियत दिन पर सदन में उपस्थित होंगे और यदि वह उपस्थित होने में असमर्थ हों तो वह अध्यक्ष को अनुपस्थिति के कारण की सूचना देंगे और सदन, दिये गए कारण को देखते हुए उस विषय पर विचार स्थगित कर सकेगा। किन्तु यदि सदन की राय में सदस्य के अनुपस्थित रहने के समुचित कारण नहीं हैं या वह सदस्य जान–बूझकर अनुपस्थित रहे तो सदन उनकी अनुपस्थिति में ही उस विषय पर विचार प्रारंभ कर सकेगा। यदि कोई सदस्य अनुपस्थित हो और अपरिहार्य परिस्थितिवश वह अपनी अनुपस्थिति के कारणों की सूचना न दे सके हों तो सदन उनकी प्रार्थना पर प्रश्न को पुनः विचारार्थ ले सकेगा।

(3) वह सदस्य जिनके विरुद्ध शिकायत की गई हो सदन में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देने के बाद सदन से बाहर चले जायेंगे और वह तब तक सदन में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि वह विषय सदन के विचाराधीन रहे किन्तु सदन उन्हें

and report and acquaint the House about it. If in the opinion of the Speaker, the notice is inadmissible, he shall inform the House accordingly:

Provided that if the Speaker deems it necessary, he may hear the member concerned and other members before giving his decision.

71. Consideration of question of breach of privilege or contempt by the House

If the Speaker is of the opinion that the matter given notice of, is such as can be disposed of by the House without being referred to the Committee of Privileges, it will be permissible to move that the question be taken up for consideration forthwith or at some future date:

Provided that if the notice is received by a report from the Secretary or a Committee or by a petition, copies of the report or petition shall, if the Speaker considers it necessary, be printed and distributed amongst the members before the consideration of the matter by the House.

72. Disposal of a complaint before the House

(1) If it is decided to bring a complaint against a member before the House for disposal, the said member shall be given notice and an opportunity to be heard for explanation and exculpation of his case and also to inspect and to produce relevant document or documents.

(2) The member complained against shall attend the House on the day fixed and if he is unable to attend, he shall intimate to the Speaker his reasons for absence and the House, in view of the reasons given, may postpone the consideration of the matter. If, however, the House is of the opinion that there are no valid reasons for absence or the member has wilfully absented himself, it may proceed with the consideration of the matter in his absence. In case, member is absent and has failed to intimate the reasons for his absence due to unavoidable circumstances, the House may reopen the question at his request.

(3) The member complained against after attending the House and giving his explanation shall withdraw from the House, and shall not enter the House as long as the matter is under consideration of the House. The House may, however, allow him to hear the

कार्यवाही सुनने की अनुमति दे सकेगा और अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए या क्षमा याचना के लिए उन्हें पुनः बुला सकेगा।

(4) इस नियम में उपबद्ध प्रक्रिया उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी, जो सदस्य नहीं हों, यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी।

73. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत प्रस्ताव

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत विशेषाधिकार समिति के सभापति अथवा उसके कोई सदस्य या सदन के कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेंगे कि समिति के प्रतिवेदन पर तुरन्त ही या किसी भावी समय में विचार किया जाये, जिसके भीतर प्रतिवेदन मुद्रित कराकर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को दी जा सकें।

74. मूल प्रस्ताव

जब सदन इस प्रकार के प्रस्ताव से सहमत हो–

(i) कि विशेषाधिकार हनन अथवा अवमानना, जो सदन के प्रत्यक्ष ही किया गया हो, के प्रश्न पर विचार किया जाये; या

(ii) कि नियम–71 के अंर्तगत इस विषय पर तत्काल विचार किया जाये; या

(iii) कि नियम–73 के अंतर्गत विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन विचारार्थ लिया जाये;

तो कोई सदस्य मूल प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे जिसमें यथास्थिति विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना अथवा प्रतिवेदन को पुष्टि करते हुए सुझाव होगा कि सदन को उस पर क्या कार्रवाही करनी चाहिए तथा कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत कर सकेंगे।

75. दोषारोपित व्यक्ति के लिये अवसर

उस दशा को छोड़कर जब कि विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमानना सदन के प्रत्यक्ष की गई हो, सदन दण्ड आदेश देने के पूर्व दोषारोपित व्यक्ति को उस पर लगाए गए दोष के स्पष्टीकरण या निर्दोषिता सिद्धि के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देगाः

परन्तु यदि वह विषय विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जा चुका है और दोषारोपित व्यक्ति समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर चुका है तो जब तक सदन अन्यथा निर्देश न दे, उस व्यक्ति के लिये सदन द्वारा ऐसा अवसर दिया जाना आवश्यक न होगा।

proceedings or recall him for purposes of giving a further explanation or for tendering an apology.

(4) The procedure provided in this rule shall *mutatis mutandis* apply to those persons also who are not members.

73. Motion after presentation of the report

After presentation of its report, the Chairman of the Committee of Privilege or any member thereof or any member of the House may make a motion that the report of the Committee be taken into consideration forthwith or at some future time within which the report may be printed and copies supplied to members.

74. Substantive motion

When the House agrees to the Motion—

(i) that the question of breach of privilege or contempt, committed in view of the House, be considered; or

(ii) that the matter be taken up for consideration forthwith under rule 71; or

(iii) that the report of the Committee of Privileges may be considered under rule 73;

any member may move a substantive motion confirming the commission of the breach of privilege or contempt, or the report, as the case may and also suggesting the action to be taken by the House thereon, and any other member may move an amendment to the said motion.

75. Opportunity to person charged

Except where the breach of privilege or contempt has been committed in the view of the House, the House shall before passing any sentence give an opportunity to the person charged to be heard for explanation or exculpation of the offence against him:

Provided that if the matter has been referred to the Committee of Privileges and the person charged has been heard before the Committee, it shall not be necessary for the House to give him that opportunity unless the House directs otherwise.

76. दोषारोपित पक्ष को बुलाना

अध्यक्ष दोषारोपित व्यक्ति को सूचना अथवा बन्दीकरण के अधिपत्र द्वारा कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर सदन के सम्मुख उपस्थित होने के लिये आहूत कर सकेंगे।

77. दण्ड

(1) सदन स्वयं अथवा विशेषाधिकार समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित दंड दे सकता है–

(क) चेतावनी;

(ख) फटकार;

(ग) सदस्य का निलम्बन;

(घ) जुर्माना;

(ड) सदस्य का निष्कासन;

(च) कारावास, जिसकी अवधि सदन की इच्छा पर निर्भर है परन्तु सत्रावसान या विघटन से अधिक नहीं बढ़ सकती; और

(छ) अन्य कोई दण्ड जिसे सदन ठीक समझे और जो धारा 18 के उपबंधों के अंतर्गत उचित हो।

(2) सदन की सेवा से निलम्बित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश करने और सदन तथा समितियों की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित रहेंगे, परन्तु अध्यक्ष किसी निलम्बित सदस्य को प्रार्थना किए जाने पर सदन के परिसर में किसी विशेष प्रयोजन से आने की अनुमति दे सकेंगे।

(3) सदन प्रस्ताव किए जाने पर यह आदेश कर सकेगा कि निलंबन का दण्ड या उसका असमाप्त भाग निरस्त किया जाये।

78. निराधार शिकायत

ऐसी अवस्था में जब कि सदन को पता चले कि विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमानना का आरोप निराधार है, तो वह आदेश दे सकेगा कि शिकायत करने वाला उस पक्ष को, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो, हर्जाने के रूप में ऐसी धन राशि दे जो 500 रुपए से अधिक न होगी।

79. सदन के आदेशों का पालन

अध्यक्ष या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि सदन द्वारा दिये गए आदेशों और दण्ड को कार्यान्वित कर सके।

(35)

76. Summoning the party charged

The Speaker may summon the person charged by notice or warrant of arrest to appear before the House at any stage of the proceedings.

77. Punishment

(1) The House on its own or on the recommendation of the Committee of Privileges may inflict the following punishments–

(a) admonition;

(b) reprimand;

(c) suspension of member;

(d) fine;

(e) expulsion of member;

(f) imprisonment, the term whereof is at the pleasure of the House but cannot extend beyond prorogation or dissolution; and

(g) any other punishment which the House may deem proper and subject to the provisions of section 18.

(2) The members suspended from the service of the House shall stand debarred from entering into the precincts of the House and from taking part in the proceedings of the House and the Committees, but the Speaker may, on a request being made to that effect, allow a suspended member to enter into the precincts of the House for any particular purpose.

(3) The House may, on a motion being made, order that any punishment of suspension or the unfinished part thereof may be rescinded.

78. Groundless complaint

In case the House finds a charge of breach of privilege or contempt groundless, it may order the payment by the complainant of an amount not exceeding Rs. 500/- as cost to the party charged.

79. Execution of orders of the House

The Speaker or any other person authorised by him in this behalf shall have the power to execute all the orders passed and sentences inflicted by the House.

80. वाद–विवाद की संक्षिप्तता

विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमानना विषयक प्रश्नों पर सभी चरणों में वाद–विवाद संक्षिप्त होगा।

81. प्रक्रिया का विनियमन

समिति में अथवा सदन में विशेषाधिकार अथवा अवमानना के प्रश्न पर विचार से सम्बद्ध विषयों की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये अध्यक्ष ऐसे निर्देश दे सकेंगे, जो आवश्यक हों।

82. विशेषाधिकार अथवा अवमानना के प्रश्न को समिति को सुपुर्द करने की अध्यक्ष की शक्ति

इन नियमों में अन्य बातों के रहते हुए भी अध्यक्ष विशेषाधिकार अथवा अवमानना के किसी मामले को जांच, परीक्षण या प्रतिवेदन के लिये विशेषाधिकार समिति को भेज सकेंगे और उससे सदन को अवगत करा सकेंगे।

83. किसी अन्य विधान मण्डल के सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा अवमानना के सम्बन्ध में कार्रवाही की प्रक्रिया

यदि भारत में किसी अन्य विधान मण्डल के सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी सदन के अवमानना या अभिकथित विशेषाधिकार की अवहेलना के मामले में अंतर्ग्रस्त हों तो अध्यक्ष उस विषय को संबंधित विधान मंडल के पीठासीन सदस्य को निर्दिष्ट कर देंगे परन्तु यदि प्रश्न उठाने वाले सदस्य को सुनने के उपरान्त अथवा जहां शिकायत किसी दस्तावेज या आलेख पर आधारित हो वहां ऐसे आलेख/दस्तावेज का अवलोकन करने के उपरान्त अध्यक्ष सन्तुष्ट हो जायें कि विशेषाधिकार की कोई अवहेलना नहीं हुई है अथवा मामला इतना नगण्य है कि उस पर ध्यान देना उचित नहीं है तो उस दशा में वे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को नामंजूर कर सकेंगे। जब भारत के किसी अन्य विधान मण्डल के अवमानना अथवा विशेषाधिकार की कथित अवहेलना का मामला जिसमें सदन के कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक अंतर्ग्रस्त हों, तो उस सदन को उस विधान मंडल जिसकी अवमानना की गई है, के पीठासीन सदस्य द्वारा भेजा जाये तो अध्यक्ष उस मामले में उसी प्रकार की कार्रवाही करेंगे जैसे कि यह इसी सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला हो और प्राप्त हुए मामले में की गई जांच तथा कार्रवाही का प्रतिवेदन उस पीठासीन सदस्य को, जिससे मामला प्राप्त हुआ हो, को भेज देंगे।

(36)

80. Brevity of debate

The debate at all stages on question involving breach of privilege or contempt shall be brief.

81. Regulation of procedure

The Speaker may issue such direction as may be necessary for regulating the procedure in matters connected with the consideration of the question of privilege or contempt either in the Committee or the House.

82. Power of Speaker to refer question of privilege or contempt to Committee

Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may refer any question of privilege or contempt to the Committee of Privileges for examination, investigation or report, and acquaint the House about it.

83. Procedure on question of breach of privilege or contempt of the House by a member or officer or servant of any other House

If a member, officer or servant of any other Legislature in India is involved in a case of contempt or an alleged breach of privilege of the House, the Speaker shall refer the matter to the Presiding Member of that Legislature, unless on hearing the member who raised the question or perusing any document, where the complaint is based on document, the Speaker is satisfied that no breach of privilege has been committed or matter is too trivial to be taken notice of, in which case he may disallow the motion for breach of privilege. When a case of contempt or an alleged breach of privilege of any other Legislature in India, in which a member, officer or servant of the House is involved, is referred to the House by the Presiding Member of the Legislature of which contempt has been committed, the Speaker shall deal with that matter in the same manner as if it were a case of breach of privilege of the House and communicate to the Presiding Member who made the reference, a report about the inquiry and the action taken on the reference received.

सदस्यों की गिरफ्तारी, नजरबन्दी एवं रिहाई आदि की अध्यक्ष को सूचना

84. दण्डाधिकारी द्वारा सदस्यों की गिरफ्तारी, नजरबन्दी आदि की अध्यक्ष को सूचना

जब कोई सदस्य किसी आपराधिक दोषारोपण या आपराधिक मामले में बंदी बनाए जायें या उन्हें किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया जाये या किसी कार्य–पालिका के आदेश के अंतर्गत नजरबन्द किया जाये, तो न्यायाधीश या दण्डाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी इन नियमों के साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में दिये गए उचित प्रपत्र में यथास्थिति, गिरफ्तारी, नजरबन्दी या दोषसिद्धि के कारण तथा सदस्य के नजरबन्दी या कारावास का स्थान दर्शाते हुए ऐसे तथ्य की सूचना शीघ्रता से अध्यक्ष को देंगे।

85. सदस्य की रिहाई पर अध्यक्ष को सूचना

जब कोई सदस्य बंदी बनाये जायें और दोषी ठहराने के बाद अपील लंबित होने तक जमानत पर रिहा किए जायें या अन्यथा रिहा किए जायें तो ऐसे तथ्य की सूचना भी संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रथम अनुसूची में दिये गए उचित प्रपत्र में अध्यक्ष को दी जायेगी।

86. दण्डाधिकारी से प्राप्त सूचना पर कार्रवाही

नियम 84 में निर्दिष्ट सूचना, जो वायरलेस संदेश, टेलीप्रिन्टर अथवा तार द्वारा भी भेजी जा सकेगी, प्राप्त होने के बाद यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष उसे सदन में पढ़कर सुनाएंगे, यदि सत्र चल रहा हो, या सदन सत्र में न हो तो निर्देश देंगे कि सदस्यों को उसकी सूचना दे दी जाये:

> परन्तु यदि किसी ऐसे सदस्य के जमानत पर या अन्यथा मुक्त होने की सूचना सदन को गिरफ्तारी या मूल गिरफ्तारी की सूचना दिये जाने से पहले ही प्राप्त हो जाये तो उसके बंदीकरण या कारावासित होने या मुक्त होने या छोड़े जाने के तथ्य को अध्यक्ष चाहें तो सदन को सूचित न करें।

सदन के परिसर के भीतर गिरफ्तारी एवं विधि संबंधी आदेशिका की प्रक्रिया

87. सदन के परिसर के भीतर गिरफ्तारी

सदन के परिसर के भीतर अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जायेगी।

88. विधि संबंधी आदेशिका की तामील

दीवानी या फौजदारी विधि संबंधी आदेशिका सदन के परिसर के भीतर अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना तामील नहीं की जायेगी।

INTIMATION OF ARREST, DETENTION, AND RELEASE ETC. OF A MEMBER TO SPEAKER

84. Intimation of arrest, detention etc. of a member to Speaker by Magistrate

When a member is arrested on a criminal charge or for a criminal offence or is sentenced to imprisonment by a court or is detained under an executive order, the judge, magistrate or executive authority, as the case may be, shall immediately intimate such fact to the Speaker indicating the reason for the arrest, detention or conviction, as the case may be and also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate form set out in the First Schedule annexed to these rules.

85. Intimation to Speaker on release of a member

When a member is arrested and after conviction released on bail pending an appeal or is otherwise released, such fact shall also be intimated to the Speaker by the authority concerned in the appropriate form set out in the First Schedule annexed to these rules.

86. Treatment of communication received from Magistrate

As soon as may be, the Speaker shall, after he has received a communication referred to in the rule 84 or which may also be sent by wireless message, teleprinter or telegram, read it out in the House if it is sitting, or the House is not sitting, direct that the members be informed of the same:

> Provided that if the intimation of the release of a member either on bail or otherwise is received before the House has been informed of the original arrest or imprisonment, the act of his arrest or imprisonment and his subsequent release or discharge may, in the discretion of the Speaker, not be intimated to the House by him.

PROCEDURE REGARDING SERVICE OF A LEGAL PROCESS AND ARREST WITHIN THE PRECINCTS OF THE HOUSE

87. Arrest within the precincts of the House

No arrest shall be made within the precincts of the House without obtaining the permission of the Speaker

88. Service of legal process

A legal process, civil or criminal shall not be served within the precincts of the House without obtaining the permission of the Speaker.

अध्याय–12

संकल्प

89. गैर–सरकारी सदस्यों द्वारा संकल्पों की सूचना

जो गैर–सरकारी सदस्य कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहें वे सचिव को अपने इस अभिप्राय की लिखित सूचना कम से कम 12 दिन पहले देंगे और सूचना के साथ उस संकल्प के पाठ की एक प्रति भेजेंगे जिसे वे प्रस्तुत करना चाहते हैं।

90. सरकार द्वारा संकल्प की सूचना

यदि मंत्री कोई संकल्प प्रस्तुत करना चाहें तो वे सात दिन की सूचना देंगे और उसके साथ संकल्प की एक प्रति सचिव को भेजेंगे जो साधारणतः उसकी प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भिजवायेंगेः

परन्तु, अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना स्वीकार कर सकेंगे।

91. संकल्प का विषय

इन नियमों के उपबंधों के अधीन कोई सदस्य अथवा मंत्री सामान्य लोकहित के किसी विषय के संबंध में संकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे।

92. संकल्प का रूप

संकल्प, राय की घोषणा अथवा सिफारिश के रूप में हो सकेगा या ऐसे रूप में हो सकेगा जिससे कि सरकार के किसी कार्य अथवा नीति का सदन द्वारा अनुमोदन या निरनुमोदन अभिलिखित किया जाए या कोई संदेश दिया जाये या किसी कार्रवाही के लिये आदेश अनुरोध अथवा प्रार्थना की जाये या किसी विषय अथवा स्थिति पर सरकार के विचारार्थ ध्यान आकृष्ट किया जाये या किसी ऐसे अन्य रूप में हो सकेगा जो अध्यक्ष उचित समझें।

93. संकल्प की ग्राह्यता की शर्तें

किसी संकल्प के ग्राह्य होने के लिये यह आवश्यक है कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करें, अर्थात् –

(i) वह स्पष्ट और संक्षेप में व्यक्त किया जायेगा;

(ii) उससे मुख्यतः एक ही निश्चित वाद–विषय उठाया जायेगा;

(iii) उसमें तर्क–वितर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, लांछन या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे;

CHAPTER-XII

RESOLUTIONS

89. Notice of resolutions by Private Members

A Private Member who wishes to move a resolution shall give not less than 12 days notice to the Secretary of his intention and shall together with the notice submit a copy of the resolution which he wishes to move.

90. Notice of resolution by Government

If a Minister desires to move a resolution he shall give seven days notice and shall alongwith it supply a copy of the resolution to the Secretary, who shall have its copies sent to members ordinarily within 48 hours of its receipt:

Provided that the Speaker may allow shorter notice.

91. Subject-matter of resolution

Subject to the provisions of these rules, any member or Minister may move a resolution relating to any matter of general public interest.

92. Form of resolution

A resolution may be in the form of a declaration of opinion or a recommendation or may be in the form so as to record either approval or disapproval by the House of an act or policy of Government, or convey a message or command, urge or request an action, or call attention to a matter or situation for consideration by Government or in such form as the Speaker may consider appropriate.

93. Conditions of admissibility of resolutions

In order that a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely–

(i) it shall be clearly and precisely expressed;

(ii) it shall raise substantially only one definite issue;

(iii) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements;

(iv) उसमें व्यक्तियों को सरकारी या सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का जिक्र नहीं होगा;

(v) उसका किसी ऐसे विषय से संबंध नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हो; तथा

(vi) उसमें भारत सरकार से भिन्न भारत के राष्ट्रपति अथवा सरकार से भिन्न, उसके उपराज्यपाल के आचरण पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होगी।

94. न्यायाधिकरण अथवा अन्य वैधानिक प्राधिकारी के समक्ष लम्बित विषय पर चर्चा उठाना

ऐसे संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हो जो किसी न्यायिक, अर्द्ध–न्यायिक कृत्य करने वाले किसी वैधानिक न्यायाधिकरण या वैधानिक प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या छानबीन करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित हो:

परन्तु यदि अध्यक्ष सन्तुष्ट हो जायें कि इससे न्यायाधिकरण आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के बारे में विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है तो अध्यक्ष, स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो जांच की प्रक्रिया या विषय या चरण से संबंधित हो।

95. संकल्पों की ग्राह्यता

अध्यक्ष संकल्प की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेंगे और संकल्प को नियमानुकूल बनाने के लिये स्वविवेक से उसके रूप में परिवर्तन कर सकेंगे। वे किसी संकल्प या उसके किसी भाग को अस्वीकृत कर सकेंगे जो नियमानुकूल न हो अथवा संकल्प प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो अथवा किसी अन्य प्रकार से सदन की प्रक्रिया में बाधा या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये आयोजित हो।

96. गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्पों की अग्रता

(1) गैर–सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों की सूचनाओं की अग्रता का निर्णय अध्यक्ष द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार की जाने वाली मतपर्ची द्वारा उस दिवस को होगा जो अध्यक्ष नियत करें।

(2) जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें, गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों के निस्तारण हेतु किसी दिन भी कार्य सूची में (नियम–28 के परन्तुक के अंतर्गत बकाया किसी संकल्प के अतिरिक्त) तीन से अधिक संकल्प नहीं रखे जायेंगे।

(39)

(iv) it shall not refer to the conduct or character of persons, except in their official or public capacity;

(v) it shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India; and

(vi) it shall not reflect upon the conduct of the President as distinct from the Government of India or of the Lieutenant Governor as distinct from the Government.

94. Raising discussion on matters before tribunals or other statutory authorities

No resolution, which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of inquiry appointed to inquire into or investigate any matter, shall be permitted to be moved:

Provided that the Speaker may in his discretion allow such matter to be raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of inquiry, if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the tribunal or commission or court of inquiry.

95. Admissibility of resolutions

The Speaker shall decide on the admissibility of a resolution and may, in his discretion amend the form of a resolution so as to bring it into conformity with the rules. He may disallow any resolution or part thereof which does not comply with the rules or is an abuse of the right of moving a resolution or is otherwise calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House.

96. Precedence of Private Members' resolution

(1) The relative precedence of notices of resolutions given by private members shall be determined by ballots, to be held in accordance with the directions given by the Speaker, on such day as the Speaker may decide.

(2) Unless the Speaker otherwise directs, not more than three resolutions (in addition to any resolution which is outstanding under proviso to rule 28) shall be set down in the list of business for any day allotted for the disposal of Private Members' resolutions.

97. गैर–सरकारी सदस्यों के संकल्प की प्रतिलिपि सरकार को भेजा जाना

गैर–सरकारी सदस्य का संकल्प यदि बैलेटिंग में स्थान प्राप्त कर ले और अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत हो जाये तो उस पर चर्चा के लिये नियत तिथि से साधारणतः सात दिन पूर्व उसकी एक प्रतिलिपि सरकार को भेजी जायेगी।

98. संकल्पों का प्रस्तुतीकरण

(1) कार्य–सूची में जिन सदस्यों के नाम से संकल्प हो वे अथवा कोई दूसरे सदस्य, जिनको उन्होंने अपनी ओर से कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पुकारे जाने पर संकल्प को प्रस्तुत करेंगे और उस दशा में कार्य–सूची में दिये हुए शब्दों में औपचारिक प्रस्ताव के साथ अपना भाषण देंगे अथवा यदि वे संकल्प प्रस्तुत न करना चाहें तो उस दशा में वे अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेंगेः

परन्तु अध्यक्ष स्वविवेक से उस सदस्य को संक्षेप में यह वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकेंगे कि वे संकल्प को क्यों प्रस्तुत करना नहीं चाहते।

(2) यदि सदस्य पुकारे जाने के समय अनुपस्थित हो और उपनियम (1) के अंतर्गत किसी दूसरे सदस्य को उनकी ओर से कार्य करने के लिये नियमित रूप से प्राधिकृत न किया गया हो तो उनके नाम से अंकित संकल्प समाप्त हो जायेगा।

99. संशोधन

जब कोई संकल्प चर्चाधीन हो तो कोई सदस्य संकल्पों से संबंधित नियमों के अधीन उस संकल्प पर संशोधन प्रस्तुत कर सकेंगे।

100. संशोधनों की सूचना

(1) यदि संशोधन की एक प्रति संकल्प पर चर्चा के लिये निश्चित दिन के दो स्पष्ट दिनों के पूर्व सचिव को न दी जा चुकी हो तो कोई भी सदस्य उस संशोधन के प्रस्तावित किए जाने पर आपत्ति कर सकेंगे और यह आपत्ति मान्य होगी जब तक कि अध्यक्ष संशोधन को प्रस्तावित करने की अनुज्ञा न दे दें।

(2) जिन संशोधनों की सूचना दी गई है, सचिव, यदि समय हो, तो उनकी सूचियां सदस्यों को समय–समय पर उपलब्ध करायेंगे।

101. भाषणों की समय सीमा

किसी भाषण की अवधि अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना पन्द्रह मिनट से अधिक नहीं होगीः

(40)

97. Sending copy of Private Members' resolution to Government

If a Private Members' resolution has obtained a place in the ballot and has been admitted by the Speaker, a copy thereof shall be sent to the Government ordinarily seven days before the date fixed for its discussion.

98. Moving of resolutions

(1) A member in whose name a resolution appears on the list of business or any other member whom he may have authorised to act on his behalf may, when called upon, either move the resolution, in which case he shall commence his speech by a formal motion in the terms appearing on the list of business or decline to move the resolution, in which case he shall confine himself to a mere statement to that effect:

Provided that the Speaker in his discretion may allow the member to make a brief statement as to why he does not propose to move the resolution.

(2) If the member when called upon is absent and no other member has been authorised to act on his behalf under sub-rule (1) the resolution standing in his name shall lapse.

99. Amendments

When a resolution is under discussion any member may, subject to the rules relating to resolutions move an amendment to such a resolution.

100. Notice of amendments

(1) If a copy of an amendment has not been delivered to the Secretary two clear days before the day fixed for the discussion of the resolution any member may object to the moving of the amendment and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved.

(2) The Secretary shall, if time permits, make available to members from time to time lists of amendments of which notices have been given.

101. Duration of speeches

No speech shall, except with the permission of the Speaker, exceed fifteen minutes in duration:

परन्तु संकल्प का प्रस्तावक उसे प्रस्तुत करते समय और सम्बन्धित विभाग का मंत्री, जब वे उस पर पहली बार बोलें, 25 मिनट तक या इससे और अधिक समय तक जिसकी अध्यक्ष अनुज्ञा दें, बोल सकेंगे।

102. संकल्प की वापसी

(1) कोई सदस्य, जिन्होंने संकल्प को या किसी संकल्प पर संशोधन को प्रस्तुत किया हो, सदन की अनुज्ञा के बिना उसे वापस नहीं लेंगे।

(2) वापस लेने की अनुज्ञा मांगने के प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जायेगी।

103. संकल्प जिस पर चर्चा नहीं हुई

यदि किसी संकल्प पर, जिसकी सूचना दी जा चुकी हो और जो कार्य–सूची में प्रविष्ट किया जा चुका हो, उस बैठक में चर्चा न हुई हो तो उसको समाप्त हुआ समझा जायेगा।

104. संकल्प का विभाजन

जब किसी संकल्प पर, जिसमें कई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हों, चर्चा हो चुकी हो, तब अध्यक्ष उस संकल्प को स्वविवेक से विभाजित कर सकेंगे और उसके प्रत्येक या किसी अंश को, जैसा भी वे उचित समझें, पृथक मत के लिये रख सकेंगे।

105. संकल्प की पुनरावृत्ति

जब कोई संकल्प प्रस्तुत किया गया हो तो मुख्य रूप से वही विषय उठाने वाला कोई संकल्प या संशोधन पूर्व संकल्प को प्रस्तुत करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा:

परन्तु जब कोई संकल्प सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया हो तो मुख्य रूप से वही विषय उठाने वाला कोई संकल्प उसी सत्र के दौरान प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

106. मंत्री को पारित संकल्प की प्रति भेजना

(1) सदन द्वारा पारित प्रत्येक संकल्प की एक प्रतिलिपि संबंधित मंत्री के पास भेजी जायेगी।

(2) संबंधित मंत्री सदन को संकल्प की स्थिति के बारे में अगले सत्र में सूचित करेंगे।

Provided that the mover of a resolution when moving the same and the Minister in charge of the department concerned when speaking for the first time may speak for twenty-five minutes or for such longer time as the Speaker may permit.

102. Withdrawal of resolution

(1) A member who has moved a resolution or an amendment to a resolution, shall not withdraw the same except by leave of the House.

(2) No discussion shall be permitted on a motion for leave to withdraw.

103. Resolution not discussed

If a resolution of which notice has been given and which has been entered in the list of business is not discussed during the sitting, it shall be deemed to have lapsed.

104. Splitting of resolution

When any resolution involving several questions has been discussed it shall be in the discretion of the Speaker to split the resolution and put each or any part thereof separately to the vote as he may think fit.

105. Repetition of resolution

No resolution or amendment raising substantially the same question shall be moved within one year from the date of the moving of the earlier resolution:

Provided that when a resolution has been withdrawn with the leave of the House, no resolution raising substantially the same question shall be moved during the same session.

106. Copy of resolution passed to be sent to Minister

(1) A copy of every resolution which has been passed by the House shall be forwarded to Minister concerned.

(2) The Minister concerned shall inform the House about the status of the resolution in the next session.

अध्याय–13

प्रस्ताव

107. लोकहित के किसी विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा

अधिनियम या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किए गए प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

108. प्रस्ताव की सूचना

नियम 114 में उपबंधित अवस्था को छोड़कर प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में दी जायेगी और सचिव को संबोधित होगी।

109. प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें

कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके तो उसके लिये वह निम्न शर्तें पूरी करेगा –

(i) उसमें मुख्य रूप से हाल ही में घटित एक ही निश्चित मामला उठाया जायेगा;

(ii) उसमें तर्क–वितर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप या मान–हानिकारक कथन नहीं होंगे;

(iii) उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र के उल्लेख नहीं होंगे;

(iv) उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा;

(v) उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं उठाई जायेगी जिस पर उसी सत्र में अथवा पिछले 6 मास के भीतर, जो भी समय पहले पड़ता हो चर्चा हो चुकी हो;

(vi) उसमें ऐसे विषय का पूर्वानुमान नहीं किया जाएगा जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो;

(vii) वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अंतर्गत हो;

(viii) सामान्यतः वह सदन की किसी समिति के विचाराधीन मामलों से संबंधित नहीं होगा; और

CHAPTER-XIII

MOTION

107. Discussion on a matter of public interest by motion

Save in so far as is otherwise provided by the Act or by these rules, no discussion on a matter of public interest shall take place except on a motion made with the consent of the Speaker.

108. Notice of a motion

Save as provided by rule 114, notice of a motion shall be given in writing addressed to the Secretary.

109. Condition of admissibility of a motion

In order that a motion may be admissible it shall satisfy the following conditions, namely—

(i) that it shall raise substantially only one definite issue of recent occurrence;

(ii) that it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements;

(iii) that it shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity;

(iv) that it shall not raise a question of privilege;

(v) that it shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session or within the preceding six months, whichever is earlier;

(vi) that it shall not anticipate a matter which is to be discussed in the same session;

(vii) that it shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India;

(viii) that it shall not ordinarily relate to a matter under consideration of a House Committee; and

(ix) उसमें ऐसे मामले को नहीं उठाया जायेगा, जो मुख्यतः सरकार का विषय न हो।

110. अध्यक्ष प्रस्ताव की ग्राह्यता का निर्णय करेंगे

अध्यक्ष निर्णय करेंगे कि कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग इन नियमों के अंतर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वे कोई प्रस्ताव या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेंगे जो उनकी राय में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो।

111. न्यायाधिकरण, आयोग आदि के समक्ष विषयों पर चर्चा उठाने के लिये प्रस्ताव

ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हो जो किसी न्यायिक या अर्द्ध–न्यायिक कार्य करने वाले किसी वैधानिक न्यायाधिकरण या वैधानिक प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या छानबीन करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लंबित होः

परन्तु यदि अध्यक्ष सन्तुष्ट हों कि इससे न्यायाधिकरण, वैधानिक प्राधिकारी, आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है तो वे स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो जांच की प्रक्रिया या कार्यक्षेत्र या चरण से संबंधित हो।

112. समय का निर्धारण और प्रस्तावों पर चर्चा

अध्यक्ष, सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेंगे।

113. भाषणों के लिये समय सीमा

अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, भाषणों के लिये समय–सीमा निर्धारित कर सकेंगे।

114. बिना सूचना दिये प्रस्ताव

यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें तो निम्नलिखित प्रस्ताव बिना सूचना के लिए जा सकेंगे–

(i) संवेदना या बधाई प्रस्ताव;

(ii) बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव;

(43)

(ix) that it shall not raise a matter which is not primarily the concern of the Government.

110. Speaker to decide admissibility of a motion

The Speaker shall decide whether motion or a part thereof is or is not admissible under these rules and may disallow any motion or a part thereof which is, in his opinion, an abuse of the right of moving a motion or calculated to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House or is in contravention of these rules.

111. Motion for raising discussion on matter before tribunals, commissions, etc.

No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions of any commission or court of inquiry appointed to inquire into or investigate any matter shall be permitted to be moved:

Provided that the Speaker may in his discretion allow such matter to be raised in the House as is concerned with the procedure or scope or stage of inquiry, if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the tribunal, statutory authority, commission or court of inquiry.

112. Allotment of time and discussion of motions

The Speaker may after considering the state of business in the House allot a day or days or part of a day for discussion of any such motion.

113. Time limit for speeches

The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time limit for speeches.

114. Motion without notice

The following motions may be made, if the Speaker permits, without notice–

(i) motion for condolence or congratulation;

(ii) motion for adjournment of a sitting;

(iii) अजनबियों को हटाने का प्रस्ताव;

(iv) समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव;

(v) किसी विधेयक, संकल्प, प्रस्ताव या उन पर संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव;

(vi) किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव;

(vii) चर्चा को समाप्त करने का प्रस्ताव;

(viii) किसी नियम के निलंबन का प्रस्ताव; और

(ix) किसी बैठक की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव।

115. प्रस्ताव की पुनरावृत्ति

अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर यदि कोई प्रस्ताव लंबित हो अथवा निबटाया जा चुका हो तो प्रस्ताव के लम्बनकाल में अथवा उसके निबटान की तिथि से छः महीने के भीतर कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जिसमें मूलतः वही वाद–विषय या प्रश्न उठाया जाये जो पूर्व प्रस्ताव में अन्तर्निहित थाः

परन्तु जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें, यहां कही गई किसी बात से निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने में रुकावट नहीं समझी जायेगी –

(क) किसी विधेयक को विचारार्थ लेने या प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव जब उसी प्रकार के किसी पिछले प्रस्ताव पर इस आशय का कोई संशोधन स्वीकृत हो गया हो कि उस पर राय जानने के लिए विधेयक को परिचालित किया जाए या पुनः परिचालित किया जाए;

(ख) सभा के पुनर्विचार के लिये उप–राज्यपाल द्वारा विधेयक को वापिस किए जाने के उपरान्त किया गया कोई ऐसा प्रस्ताव, जो संशोधन हेतु पुनर्विचारार्थ विषय या विषयों से सुसंगत हो; और

(ग) किसी विधेयक के संशोधन का प्रस्ताव जो किसी अन्य संशोधन को, जो स्वीकृत हो चुका हो, का परिणामी हो या केवल उसका प्रारूप बदलने के उद्देश्य से हो।

116. कार्य स्थगित करने के लिये प्रस्ताव

(1) धारा 29 के अंतर्गत विनियोग विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य विधेयक पर, जो पुरःस्थापित किया जा चुका हो अथवा कार्य–स्थगन के अतिरिक्त किसी अन्य

(44)

(iii) motion for withdrawal of strangers;

(iv) motion for electing members to Committees;

(v) motion for withdrawal of a Bill, resolution or a motion or amendments thereto;

(vi) motion for postponement of any business;

(vii) motion for closure of debate;

(viii) motion for suspension of a rule; and

(ix) motion to extend duration of a sitting.

115. Repetition of motion

Save as otherwise provided, where any motion is pending or has been disposed of, no motion or amendment raising substantially the same issue or question as was involved in the earlier motion shall be moved during the pendency of, as the case may be, within six months from the date of disposal of such a motion:

Provided that nothing contained herein shall, unless the Speaker otherwise directs, be deemed to prevent the making of any of the following motions, namely—

(a) a motion for taking into consideration or the reference to a Select Committee of a Bill where an amendment has been carried to a previous motion of the same kind to the effect that the Bill be circulated or recirculated for obtaining opinion thereon;

(b) a motion, made after return of a Bill by Lieutenant Governor for reconsideration of the Assembly, for an amendment relevant to the matter referred for reconsiderations; and

(c) a motion for the amendment of a Bill which is consequential on or designed merely to alter the drafting of another amendment which has been carried.

116. Motion for postponement of business

(1) A motion that consideration of a Bill, other than an Appropriation Bill under section 29, which has been introduced, or of a motion

प्रस्ताव पर अथवा संकल्प पर विचार को उसी सत्र में ऐसे कार्य के लिये उपलब्ध किसी भावी दिन अथवा भावी सत्र में अनिश्चित काल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकेगा और ऐसे प्रस्ताव को सभा के सम्मुख अन्य प्रस्तावों की तुलना में अग्रता होगी।

अध्यक्ष, प्रस्तावक को तथा यदि प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने का अवसर देने के बाद और आगे वाद–विवाद के बिना उस प्रश्न को रख सकेंगे।

(2) यदि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को किसी निर्धारित दिन के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो स्थगित कार्य को उस दिन के लिये नियत गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर प्राथमिकता मिलेगी।

(3) अध्यक्ष कार्य स्थगित करने के ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकेंगे यदि उनकी राय में प्रस्ताव सभा के कार्य में बाधा डालने या बैठक को स्थगित कराने के उद्देश्य से किया गया है।

117. समापन

(1) किसी प्रस्ताव के किए जाने के उपरांत किसी समय भी कोई सदस्य यह प्रस्ताव कर सकेंगे कि ''अब प्रश्न प्रस्तुत किया जाये'' और जब तक कि अध्यक्ष को यह प्रतीत न हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या संतुलित वाद–विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है, अध्यक्ष प्रस्ताव रखेंगे किः

''अब प्रश्न प्रस्तुत किया जाये।''

(2) जब उपनियम (1) के अंतर्गत प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो उसके परिणामी प्रश्न या प्रश्नों को और आगे वाद–विवाद के बिना तत्काल प्रस्तुत कर दिया जायेगाः

परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को उत्तर देने के अधिकार की स्वीकृति देंगे जो इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त हो।

other than a motion for adjournment, or a resolution be postponed to any future day available for such business in the same session or to any future session *sine die*, may be made by any member at any time and such motion shall take precedence on any other motion then before the Assembly.

The Speaker after permitting a brief explanatory statement from the mover and from the member opposing, if the motion is opposed, may without further debate, put the question thereon.

(2) If a motion for the postponement of Private Members' business to a specified day is carried the adjourned business shall have priority over the Private Members' business fixed for that day.

(3) The Speaker may disallow such motion for the postponement of business if, in his opinion, it has been made for the purpose of obstructing the business of the Assembly or for securing the adjournment of the sitting.

117. Closure

(1) At any time after a motion has been made, any member may move "that the question be now put" and unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall then put the motion:

"That the question be now put."

(2) When the motion under sub-rule (1) has been carried, the question or questions consequent thereon shall be put forthwith without further debate:

Provided that the Speaker shall allow any member a right of reply which he may have under these rules.

अध्याय–14

विधि निर्माण

(क) विधेयकों का पुरःस्थापन तथा प्रकाशन

118. विधेयकों को पुरःस्थापित करने से पूर्व प्रकाशित करने की अध्यक्ष की शक्ति

अध्यक्ष इस विषय में प्रार्थना किए जाने पर किसी सरकारी विधेयक (उद्देश्यों और कारणों के विवरण एवं संलग्न विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन तथा वित्तीय ज्ञापनों सहित, यदि कोई हों और यदि आवश्यक हो तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या उपराज्यपाल की सिफारिश) को राजपत्र में प्रकाशन का आदेश दे सकेंगे, चाहे विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये कोई प्रस्ताव नहीं भी रखा गया हो। उस दशा में विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं होगा और यदि विधेयक बाद में पुरःस्थापित किया जाये तो उसको पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगीः

परन्तु साधारणतः यदि सदन सत्र में हो तो विधेयक को इस प्रकार राजपत्र में प्रकाशित करना आवश्यक नहीं होगा।

119. गैर–सरकारी सदस्य द्वारा विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति मांगने के लिये प्रस्ताव की सूचना

(1) गैर–सरकारी सदस्य जो किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव करना चाहते हों अपने इस अभिप्राय की सूचना देंगे और सूचना के साथ विधेयक की एक प्रति तथा उद्देश्यों और कारणों का एक विवरण, जिसमें तर्क–वितर्क नहीं होंगे, भेजेंगेः

परन्तु अध्यक्ष यदि ठीक समझें, उद्देश्यों और कारणों के विवरण को संशोधित कर सकेंगे।

(2) सूचना की प्राप्ति के पश्चात् सचिव यथाशीघ्र, विधेयक को, राष्ट्रपति या उपराज्यपाल, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति अथवा सिफारिशें प्राप्त करने हेतु सम्बद्ध मंत्री को भेजेंगे।

(3) इस नियम के अंतर्गत विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव की सूचना की समय सीमा बारह दिन होगी, यदि अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना पर प्रस्ताव किए जाने की अनुमति न दे दें।

CHAPTER-XIV

LEGISLATION

(A) INTRODUCTION AND PUBLICATION OF BILLS

118. Speaker's power of publication of Bills before introduction

The Speaker may, on request being made in this behalf, order the publication of any Government Bill (together with the Statement of Objects and Reasons, the memorandum regarding delegation of legislation and the financial memorandum if any, accompanying it and the previous sanction of the President or the recommendation of the Lieutenant Governor, if necessary), in the Gazette, although no motion has been made for leave to introduce the Bill. In that case it shall not be necessary to move for leave to introduce the Bill, and, if the Bill is afterwards introduced, it shall not be necessary to publish it again:

Provided that ordinarily no Bill may be so published in the Gazette when the House is in session.

119. Notice of motion or leave to introduce a Bill by a Private Member

(1) A Private Member desiring to move for leave to introduce a Bill, shall give notice of his intention and shall together with the notice, submit a copy of the Bill and a Statement of Objects and Reasons which shall not contain any arguments:

Provided that the Speaker may, if he thinks fit, revise the Statement of Objects and Reasons.

(2) The Secretary shall as soon as may be after the receipt of the notice, refer the Bill to the Minister concerned for obtaining the sanction or the recommendation of the President or the Lieutenant Governor, as the case may be.

(3) The period of notice of a motion for leave to introduce a Bill under this rule shall be twelve days unless the Speaker allows the motion to be made at shorter notice.

120. विधेयक पर राष्ट्रपति या उपराज्यपाल के आदेश की मंत्री द्वारा सूचना

किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने या उस पर विचार करने सम्बन्धी राष्ट्रपति या उपराज्यपाल की मंजूरी देने, उसे रोकने या सिफारिश करने जैसी भी स्थिति हो, के आदेश की सूचना सम्बन्धित मंत्री द्वारा सचिव को लिखित रूप में भेजी जाएगी।

121. सदन में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर निर्भर विधेयक का पुरःस्थापन

कोई विधेयक, जो सदन में किसी अन्य लम्बित विधेयक पर पूर्णतः या अंशतः निर्भर है उस विधेयक जिस पर वह निर्भर है के पारित हो जाने के पूर्वानुमान में, सदन में पुरःस्थापित किया जा सकेगाः

परन्तु ऐसा विधेयक सदन में विचार किये जाने तथा पारित किए जाने के लिये तभी लिया जायेगा जब कि लम्बित विधेयक सदन द्वारा पारित किया जा चुका हो, और राष्ट्रपति अथवा उपराज्यपाल द्वारा यथास्थिति उस पर अनुमति दी जा चुकी हो।

122. समरूप विधेयक की सूचना

जब कोई विधेयक सदन में लंबित हो तो किसी समरूप विधेयक की सूचना को चाहे वह लंबित विधेयक के पुरःस्थापन से पहले प्राप्त हुई हो या बाद में, जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें, यथास्थिति, लंबित सूचनाओं की सूची से निकाल दिया जायेगा या उसमें प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

123. विधेयकों का वित्तीय ज्ञापन और विधेयकों में धन सम्बन्धी खण्ड

(1) जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस पुनरावर्तक तथा गैरपुनरावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।

(2) विधेयकों के जिन खण्डों या प्रावधानों में राजधानी की संचित निधि में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों या वक्राक्षरों में छापे जायेंगेः

परन्तु जहां किसी विधेयक में कोई खंड जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, मोटे टाइप या वक्राक्षरों में न मुद्रित किया जाये तो अध्यक्ष, विधेयक के प्रभारी सदस्य को ऐसे खण्डों की सभा को जानकारी में लाने की अनुमति दे सकेंगे।

(47)

120. Minister to communicate the order of the President or the Lieutenant Governor on the Bill

The order of the President or the Lieutenant Governor granting or withholding the sanction or the recommendation as the case may be to the introduction or consideration of a Bill shall be communicated to the Secretary by the Minister concerned in writing.

121. Introduction of a Bill dependent on another Bill pending before the House

A Bill which is dependent wholly or partly upon another Bill pending before the House may be introduced in the House in anticipation of the passing of the Bill upon which it is dependent:

Provided that such a Bill shall be taken up for consideration and passing in the House only after the pending Bill has been passed by the House and assented to by the President or the Lieutenant Governor, as the case may be.

122. Notice of an identical Bill

When a Bill is pending before the House, notice of an identical Bill whether received before or after the introduction of the pending Bill, shall be removed from or not entered in the list of pending notices as the case may be, unless the Speaker otherwise directs.

123. Financial memorandum to Bill and money clauses in Bills

(1) A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law.

(2) Clauses of provisions in Bills involving expenditure from the Consolidated Fund of the Capital shall be printed in bold type or in italics:

Provided that where a clause in a Bill involving expenditure is not printed in bold type or in italics, the Speaker may permit the member-in-charge of the Bill to bring such clauses to notice of the Assembly.

124. विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

जिस विधेयक में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजना के लिये प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हों, उसके साथ एक ज्ञापन होगा जिसमें ऐसे प्रस्तावों के कार्य क्षेत्र की व्याख्या होगी।

125. किसी विधेयक की सूचना को अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार करने की शक्ति

यदि कोई विधेयक नियम 123 और 124 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है तो अध्यक्ष ऐसे विधेयक की सूचना को अस्वीकार कर सकेंगे।

126. गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों में अग्रता

(1) विधेयकों की सूचनाओं की, जो गैर सरकारी सदस्यों ने प्रस्तुत की हो, एक दूसरे से अग्रता का निर्णय बैलेटिंग द्वारा होगा, जो अध्यक्ष द्वारा दिये गए उन निर्देशों के अनुसार उस दिवस को होगा जो अध्यक्ष नियत करें और जो ऐसे दिवस से कम से कम बारह दिन पूर्व होगा, जिसके लिये बैलेटिंग की जाये।

(2) गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों की, जो सदन में लंबित हो, एक दूसरे से अग्रता निम्न क्रम में निर्धारित की जायेगी –

(क) वे विधेयक जो उपराज्यपाल द्वारा धारा 24 तथा 25 के अंतर्गत संदेश सहित वापस किए गए हों;

(ख) वे विधेयक जिनके संबंध में उनके पारित किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका हो;

(ग) वे विधेयक जिनके संबंध में यह प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है कि विधेयक पर विचार किया जाये;

(घ) वे विधेयक जिनके संबंध में प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो;

(ङ) वे विधेयक जो राय जानने के लिये परिचालित किए गए हों;

(च) वे विधेयक जिनका पुरःस्थापन हो चुका हो और जिनके संबंध में कोई और प्रस्ताव रखा या स्वीकृत न किया गया हो; और

(छ) अन्य विधेयक।

(3) उपनियम (2) के किसी खण्ड के अंतर्गत आने वाले विधेयकों की एक दूसरे से अग्रता बैलेटिंग द्वारा ऐसे समय पर और ऐसे ढंग से निर्धारित की जायेगी जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें।

(48)

124. Explanatory memorandum to Bills delegating legislative power

A Bill involving proposals for the delegation of legislative power shall further be accompanied by a memorandum explaining the scope of such proposals.

125. Speaker's power to disallow notice of a Bill

The Speaker may disallow notice of a Bill in case the Bill does not comply with the provisions of rules 123 and 124.

126. Precedence of Private Members' Bills

(1) The relative precedence of notices of Bills given by Private Members shall be determined by the ballot to be held in accordance with the directions given by the Speaker on such day being not less than twelve days before the day in respect of which the ballot is held, as the Speaker may appoint.

(2) The relative precedence of the Private Members' Bills pending in the House shall be determined in the following order—

(a) Bills returned by the Lieutenant Governor with messages under section 24 and 25, as the case may be;

(b) Bills in respect of which motions for their passing have been made;

(c) Bills in respect of which motions have been carried that they be taken into consideration;

(d) Bills in respect of which reports of Select Committees have been presented;

(e) Bills which have been circulated for the purpose of eliciting opinions;

(f) Bills introduced and in respect of which no further motion has been made or carried; and

(g) other Bills.

(3) The relative precedence of Bills falling under the same clause of sub-rule (2) shall be determined by ballot to be held at such time and in such manner as the Speaker may direct.

(4) अध्यक्ष विशेष आदेश द्वारा जिसकी घोषणा सभा में की जाएगी उपनियम (2) में दिये गए विधेयकों की आपसी अग्रता में ऐसे परिवर्तन कर सकेंगे जो वे आवश्यक या सुविधाजनक समझें।

127. मंत्री को गैर–सरकारी सदस्य के विधेयक की प्रतिलिपि भेजना

जब कभी कोई गैर–सरकारी सदस्य किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अभिप्राय की सूचना दे और यदि उसे बैलेटिंग में स्थान प्राप्त हो जाये तो सचिव यथाशीघ्र उसकी एक प्रतिलिपि उद्देश्यों और कारणों के विवरण सहित संबंधित मंत्री को भेज देंगे।

128. विधेयक के पुरःस्थापन की अनुमति के लिये प्रस्ताव की सूचना

किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के इच्छुक मंत्री लिखित रूप में अपने अभिप्राय की सूचना सचिव को देंगे। विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव की सूचना देने की अवधि, यदि अध्यक्ष अल्पसूचना पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं प्रदान करते हैं, तो सात स्पष्ट दिनों की होगी।

129. पुरःस्थापन की अनुमति के लिये प्रस्ताव और सदस्यों को विधेयकों की प्रतियां भेजना

(1) किसी भी विधेयक की पुरःस्थापना के पूर्व सदन में प्रस्ताव द्वारा इस संबंध में अनुमति प्राप्त की जायेगीः

परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुए उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा, जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव रखने के दिन से दो दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न करा दी गई हों।

(2) यदि ऐसे प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुमति देने के पश्चात् और बिना वाद–विवाद के प्रश्न रख सकेंगेः

परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्णरूपेण चर्चा की अनुमति दे सकेंगे।

(4) The Speaker may, by a special order to be announced in the Assembly make such alteration in the relative precedence of the Bills set out in sub-rule (2) as he may consider necessary and convenient.

127. Copy of Private Members' Bill to Minister

Whenever a private member gives notice of his intention to move for leave to introduce a Bill and if it obtains a place in the ballot the Secretary shall as soon as possible, send a copy thereof together with the Statement of Objects and Reasons to the Minister concerned.

128. Notice of motion for leave to introduce a Bill

A Minister desiring to move for leave to introduce a Bill, shall give notice in writing to the Secretary of his intention to do so. The period of notice of a motion for leave to introduce a Bill shall be seven clear days unless the Speaker allows the motion to be moved at a shorter notice.

129. Motion for leave to introduce and copies of Bills to members

(1) Leave of the House shall be obtained before introducing any Bill, by a motion in that behalf:

Provided that unless the Speaker otherwise directs, no such motion shall be made until copies of the Bill have been made available to the members two days preceding the day on which the motion is made.

(2) If such a motion is opposed, the Speaker after permitting if he thinks fit, brief explanatory statement from the member who moved the motion and the member who opposes the motion may without further debate, put the question:

Provided that where a motion is opposed, on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the Assembly, the Speaker may permit a full discussion thereon.

130. विधेयक का पुरःस्थापन

नियम 129 में वर्णित प्रक्रिया के उपरान्त विधेयक को विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किया जायेगा।

131. विधेयक से सम्बन्धित पत्र मांगने की शक्ति

विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेंगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और गोपनीय न हों, सदन के पटल पर रख दी जायें।

132. विधेयक का प्रकाशन

विधेयक के पुरःस्थापन किए जाने के पश्चात् विधेयक, यदि वह पहले ही प्रकाशित नहीं किया जा चुका हो, यथाशीघ्र राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

133. उपराज्यपाल तथा राष्ट्रपति को विधेयकों की प्रतिलिपि भेजना

सभा में पुरःस्थापन के पश्चात् प्रत्येक पुरःस्थापित विधेयक की प्रतिलिपि सचिव द्वारा तुरन्त ही उप–राज्यपाल तथा राष्ट्रपति को सूचनार्थ भेज दी जायेगी।

134. अध्यादेश के बारे में विवरण

(1) जब कभी कोई विधेयक जो संविधान के अनुच्छेद 239–ख के अंतर्गत लागू किए गए किसी अध्यादेश के स्थान पर संशोधन सहित या बिना संशोधित सदन में पुरःस्थापित किया जाये तो सदन के सामने विधेयक के साथ उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी रखा जायेगा, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था।

(2) जब कभी कोई ऐसा अध्यादेश लागू किया जाये, जिसमें सदन के सामने लंबित किसी विधेयक के उपबन्ध पूर्णतः या अंशतः या संशोधन सहित समाविष्ट हो तो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण, जिनके कारण अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाना आवश्यक हो गया था, अध्यादेश को लागू करने के बाद के सत्र के प्रारम्भ में पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) पुरःस्थापन के उपरान्त प्रस्ताव

135. पुरःस्थापन के उपरान्त प्रस्ताव

किसी विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त या किसी बाद के अन्य अवसर पर विधेयक के प्रभारी सदस्य निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव कर सकेंगे, अर्थात् –

(50)

130. Introduction of Bill

After the completion of the procedure set out in rule 129, the Bill shall be introduced by the member in charge of the Bill.

131. Power to ask for papers connected with a Bill

After a Bill has been introduced, any member may demand that copies of paper, if any, on which the Bill is based and which are not confidential, be placed on the Table.

132. Publication of Bill

As soon as may be after a Bill has been introduced, the Bill, unless it has already been published, shall be published in the Gazette.

133. Copy of Bills to the Lieutenant Governor and the President

A copy of every Bill introduced in the Assembly shall, immediately after its introduction, be forwarded by the Secretary to the Lieutenant Governor and the President for their information.

134. Statement regarding Ordinance

(1) Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance promulgated under article 239B of the Constitution, with or without modification, is introduced in the House, these shall be placed before the House along with the Bill, a statement explaining the circumstances which have necessitated immediate legislation by Ordinance.

(2) Whenever an Ordinance, which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House, is promulgated a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the session following the promulgation of the Ordinance.

(B) MOTIONS AFTER INTRODUCTION

135. Motions after introduction

After a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member-in-charge of the Bill may make one of the following motions, namely–

(क) उसे सभा द्वारा तत्काल ही अथवा भविष्य में किसी ऐसे दिन, जिसे उसी समय निर्धारित किया जायेगा, विचारार्थ ले लिया जाये; या

(ख) उसे ऐसे निर्देशों सहित जो कि आवश्यक समझे जायें, सदन की प्रवर समिति को भेज दिया जाये; या

(ग) उस पर राय जानने के उद्देश्य से परिचालित किया जाये:

परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न करा दी गई हों और सदस्यों द्वारा की गई आपत्ति मान्य होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुमति न दे दें।

136. विधेयकों के सिद्धांतों पर चर्चा

(1) उस दिन जब नियम 135 में निर्दिष्ट कोई प्रस्ताव किया जाये या किसी बाद के दिन जिसके लिये चर्चा स्थगित की जाये, विधेयक के सिद्धांतों और उसके उपबंधों पर सामान्य चर्चा की जा सकेगी, किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उससे अधिक चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धांतों की व्याख्या के लिये आवश्यक हो।

(2) इस अवसर पर विधेयक में संशोधन प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे किन्तु यदि विधेयक के प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव करें कि विधेयक विचारार्थ लिया जाये, तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेंगे कि विधेयक ऐसे अनुदेशों के सहित जो कि आवश्यक समझे जायें एक प्रवर समिति को भेज दिया जाये या उस पर राय जानने के लिये उस तिथि तक, जो प्रस्ताव में दी गई हो, परिचालित किया जाये।

(3) (क) जब उपरोक्त नियमों के अंतर्गत किसी विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित किए जाने पर राय प्राप्त हो गई हों, तो राय प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरान्त यथासम्भव शीघ्र सचिव द्वारा एक ऐसा विवरण पटल पर रखा जायेगा जिसमें राय का सारांश दिया गया हो।

(ख) तदुपरांत विधेयक के प्रभारी सदस्य यदि वे अपने विधेयक पर इसके आगे कार्यवाही करना चाहते हों तो प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये, यदि अध्यक्ष यह प्रस्ताव करने की अनुमति न दे दें कि विधेयक पर तत्काल या किसी भावी तिथि को विचार किया जाये।

(51)

(a) that it be taken into consideration either at once or at some future day to be then specified; or

(b) that it be referred to a Select Committee of the House with such instructions as may be considered necessary; or

(c) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon:

Provided that no such motion shall be made unless copies of the Bill have been made available to the members three days before the day on which the motion is made and any objection by a member shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made.

136. Discussion on principles of Bills

(1) On the day on which any motion referred to in rule 135 is made, or on any subsequent day to which the discussion is postponed, the principles of the Bill and its provisions may be discussed generally, but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles.

(2) At this stage no amendments to the Bill may be moved but if the member-in-charge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be referred to a Select Committee with such instructions as may be considered necessary or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be mentioned in the motion.

(3) (a) Where opinions upon the circulation of a Bill for eliciting opinion under the foregoing rules have been received, a statement containing a gist of opinions shall be laid on the Table by the Secretary as soon as possible after the last date of the receipt of such opinion.

(b) Thereupon the member-in-charge of the Bill, if he wishes to proceed further with his Bill, shall move that the Bill be referred to a Select Committee unless the Speaker allows a motion to be made that the Bill be taken into consideration forthwith or at some future date.

137. प्रवर समिति को गठित करने का प्रस्ताव

जब सदन किसी विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करना निश्चित करे तो प्रवर समिति को नियमानुसार गठित करने का प्रस्ताव किया जायेगा।

138. व्यक्ति जो विधेयकों के संबंध में प्रस्ताव कर सकेंगे

विधेयक के प्रभारी सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा कि विधेयक पर विचार किया जाये या विधेयक को पारित किया जाये और विधेयक के प्रभारी सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा विधेयक के प्रभारी सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर संशोधन के रूप के अलावा यह प्रस्ताव नहीं किया जायेगा कि विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये या उस पर राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये या पुनः परिचालित किया जाये:

परन्तु यदि विधेयक के प्रभारी सदस्य अपने विधेयक के संबंध में पुरःस्थापन के उपरान्त अगला प्रस्ताव प्रस्तुत करने में ऐसे कारणों से असमर्थ हों जिन्हें अध्यक्ष पर्याप्त समझें तो वे किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के अनुमोदन से उस विशेष प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत कर सकेंगे।

व्याख्या – परन्तुक में दिये गए उपबंधों के रहते हुए भी विधेयक के प्रभारी सदस्य वही रहेंगे, जिन्होंने विधेयक पुरःस्थापित किया है।

(ग) प्रवर समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रक्रिया

139. प्रवर समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव

(1) किसी विधेयक पर सदन की प्रवर समिति के अंतिम प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्रभारी सदस्य प्रस्ताव कर सकेंगे कि :

(क) सदन की प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक पर विचार किया जाये:

परन्तु यदि प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदस्यों के उपयोग के लिये प्रस्ताव किए जाने के दिन से तीन दिन पहले उपलब्ध न कर दी गई हो तो कोई सदस्य इस तरह विचार किए जाने पर आपत्ति कर सकेंगे, यदि अध्यक्ष प्रतिवेदन पर विचार किए जाने की अनुमति न दें, तो ऐसी आपत्ति मान्य होगी, या

(52)

137. Motion to constitute a Select Committee

When the House decides to refer a Bill to a Select Committee, a Motion to constitute the Select Committee according to the rules shall be made.

138. Person by whom motions in respect of Bills may be made

No motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any member other than the member-in-charge of the Bill, and no motion that a Bill be referred to a Select Committee or be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon shall be made by any member other than the member-in-charge of the Bill, except by way of amendment to a motion made by the member-in-charge of the Bill:

Provided that if the member-in-charge of a Bill is unable for reasons which the Speaker considers adequate to move the next motion in regard to his Bill at any subsequent stage after introduction, he may with the approval of the Speaker authorise another member to move that particular motion.

Explanation—Notwithstanding the provision contained in the proviso, the member who introduced the Bill shall continue to be the member-in-charge of the Bill.

(C) PROCEDURE AFTER PRESENTATION OF REPORT OF THE SELECT COMMITTEE

139. Motion that may be moved after presentation of report of the Select Committee

(1) After the presentation of final report of the Select Committee of the House on the Bill, the member-in-charge may move—

(a) that the Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration:

Provided that any member may object to the report being so taken into consideration if a copy of the report has not been made available for the use of members three days before the day on which the motion is made and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the report to be taken into consideration; or

(ख) कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक उसी प्रवर समिति या नई प्रवर समिति को पुनः भेज दिया जाए, या तो –

(i) परिसीमा के बिना; अथवा

(ii) केवल विशेष खण्डों या संशोधनों के संबंध में; अथवा

(iii) समिति को विधेयक में कोई विशेष या कोई अतिरिक्त उप–बंध करने के अनुदेशों के साथ; या

(ग) सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक यथास्थिति उस पर राय या अतिरिक्त राय जानने के प्रयोजन के लिए परिचालित या पुनः परिचालित किया जाए।

(2) यदि विधेयक के प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव करें कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाए तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकेंगे कि विधेयक समिति को पुनः सौंपा जाए या उस पर राय या अतिरिक्त राय जानने के लिए परिचालित या पुनः परिचालित किया जाए।

140. वाद–विवाद का कार्यक्षेत्र

इस प्रस्ताव पर वाद–विवाद कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक पर विचार किया जाए, प्रवर समिति के प्रतिवेदन के विचार तक और उस प्रतिवेदन में निर्दिष्ट विषयों तक या विधेयक के सिद्धान्त से सुसंगत किन्हीं सुझावों तक ही सीमित रहेगा।

141. संशोधन की सूचना

(1) यदि विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची में किसी संशोधन की सूचना उस दिन से दो दिन पूर्व न दी गई हो जिस दिन विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किए जाने पर आपत्ति कर सकेंगे, और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किए जाने की अनुमति न दे दें, तो ऐसी आपत्ति मान्य होगीः

परन्तु किसी सरकारी विधेयक के सम्बन्ध में विधेयक के प्रभारी मंत्री से प्राप्त संशोधन की सूचना इस कारण व्यपगत नहीं होगी कि विधेयक के प्रभारी मंत्री, मंत्री या सदस्य नहीं रहे हैं और ऐसा संशोधन विधेयक के नए प्रभारी मंत्री के नाम पर छापा जाएगा;

(b) that the Bill as reported by the Select Committee of the House be recommitted to the same Select Committee or to a new Select Committee, either—

(i) without limitation; or

(ii) with respect to particular clauses or amendments only; or

(iii) with instructions to the Committee to make some particular or additional provision in Bill; or

(c) that the Bill as reported by the Select Committee of the House be circulated, as the case may be, for the purpose of eliciting opinion or further opinion thereon.

(2) If the member-in-charge moves that the Bill as reported by the Select Committee be taken into consideration, any member may move as an amendment that the Bill be recommitted to the Committee or be circulated or recirculated for the purpose of eliciting opinion or further opinion thereon.

140. Scope of debate

The debate on a motion that the Bill as reported by the Select Committee be taken into consideration shall be confined to consideration of the report of the Select Committee and the matters referred to in that report or any alternative suggestions consistent with the principle of the Bill.

141. Notice of amendment

(1) If notice of an amendment to any clause or schedule of a Bill has not been given two days before the day on which the Bill is to be considered, any member may object to the moving of the amendment, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the amendment to be moved:

Provided that in the case of a Government Bill notice for amendment of which has been received from the member-in-charge of the Bill, it shall not lapse for reason of the fact that the member-in-charge of the Bill has ceased to be a Minister or a member and such amendment shall be printed in the name of the new member-in-charge of the Bill:

किन्तु ऐसे संशोधनों के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी जो पूर्णतया शाब्दिक हो, या ऐसे संशोधनों के परिणामस्वरूप हो जो पेश या स्वीकृत किए जा चुके हों,

(2) यदि समय हो तो सचिव सदस्यों को, समय–समय पर, उन संशोधनों की सूचियां उपलब्ध कराएंगे, जिनकी सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हों।

142. संशोधनों के स्वीकार होने की शर्तें

किसी विधेयक के खण्डों या अनुसूचियों में संशोधनों की स्वीकार्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी;

(i) संशोधन विधेयक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ही होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा।

(ii) संशोधन सदन के उसी प्रश्न पर किसी पूर्व निर्णय से असंगत नहीं होगा।

(iii) संशोधन ऐसा नहीं होगा कि जिससे वह खंड, जिसमें संशोधन प्रस्तावित हो, समझ से परे हो या व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हो जाए।

(iv) यदि संशोधन बाद के किसी संशोधन या अनुसूची से संदर्भ रखता है या उसके बिना समझ से परे है तो प्रथम संशोधन का प्रस्ताव करने से पहले बाद के संशोधन या अनुसूची की सूचना दी जाएगी, जिससे कि संशोधनमाला पूर्णरूप से सूचनाप्रद हो जाए।

(v) अध्यक्ष संशोधन प्रस्तुत किए जाने का क्रम निर्धारित करेंगे।

(vi) अध्यक्ष ऐसे संशोधन की अनुमति देने से इंकार कर सकेंगे जो उनकी राय में महत्वहीन या अर्थहीन हों।

(vii) ऐसा संशोधन जिस की अध्यक्ष पहले अनुमति दे चुके हों उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

143. संशोधन की सूचना के साथ राष्ट्रपति की मंजूरी या उपराज्यपाल की सिफारिश का संलग्न किया जाना

(1) यदि सरकार कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित करना चाहे जो अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अथवा उपराज्यपाल की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हो तो वह आवश्यक सूचना के साथ ऐसी मंजूरी या सिफारिश की एक प्रति संलग्न करेगी और सूचना तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि यह आवश्यकता पूरी न हो जाये।

(54)

Provided further that previous notice shall not be necessary in the case of amendments of a purely verbal character or of amendments consequential upon or moved in respect of amendments which have been carried.

(2) The Secretary shall, if time permits, make available to members from time to time, lists of amendments of which notices have been received.

142. Conditions of admissibility of amendments

The following conditions shall govern the admissibility of amendment to clauses or Schedules of a Bill—

(i) An amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates.

(ii) An amendment shall not be inconsistent with any previous decision of the House on the same question.

(iii) An amendment shall not be such as to make the clause, which it proposes to amend unintelligible or ungrammatical.

(iv) If amendment refers to, or is not intelligible without, a subsequent amendment or Schedule, notice of the subsequent amendment or Schedule, shall be given before the first amendment is moved, so as to make the series of amendments fully intelligible.

(v) The Speaker shall determine the order in which an amendment shall be moved.

(vi) The Speaker may refuse to allow an amendment, which in his opinion, is frivolous or meaningless.

(vii) An amendment may be moved to an amendment which has already been allowed by the Speaker.

143. Sanction of the President or recommendation of the Lieutenant Governor to be annexed to notice of amendment

(1) If Government desires to move an amendment, which under the Act cannot be made without the previous sanction of the President or recommendation of the Lieutenant Governor, it shall annex to the required notice, a copy of such sanction or recommendation and the notice shall not be valid until this requirement is complied with.

(2) यदि कोई गैर सरकारी सदस्य किसी ऐसे संशोधन की सूचना दे जो अध्यक्ष की राय में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी अथवा उपराज्यपाल की सिफारिश के बिना प्रस्तावित नहीं किया जा सकता हो, तो सचिव सूचना की प्राप्ति के उपरान्त यथा–सम्भव शीघ्र संबंधित मंत्री के माध्यम से उस संशोधन को राष्ट्रपति अथवा उप–राज्यपाल को, यथास्थिति निर्दिष्ट कर देंगे और सूचना तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक उसे अपेक्षित मंजूरी अथवा सिफारिश प्राप्त न हो गई हो।

144. मंत्री द्वारा राष्ट्रपति/उप–राज्यपाल की किसी विधेयक के संशोधन की मंजूरी/सिफारिश से सचिव को संसूचित करना

किसी विधेयक के संशोधन की मंजूरी देने या रोक लेने अथवा सिफारिश करने, जैसी भी स्थिति हो, से संबंधित राष्ट्रपति या उप–राज्यपाल के आदेश संबंधित मंत्री द्वारा लिखित रूप में सचिव को भेजे जायेंगे।

145. संशोधनों की प्रस्तुति

(1) संशोधनों पर साधारणतः विधेयक के खण्डों के क्रम के अनुसार, जिनसे क्रमशः उनका संबंध हो, विचार किया जायेगाः

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई संशोधन अलग से रखा जाये तो अध्यक्ष उस संशोधन को अलग से रखेंगेः

किन्तु समय और पुनरावृत्ति बचाने के अभिप्राय से परस्पर निर्भर संशोधनों के समूह पर केवल एक चर्चा की अनुमति दी जा सकेगी।

146. संशोधनों की वापसी

प्रस्तुत किया गया कोई संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य की प्रार्थना पर सदन की अनुमति से वापस लिया जा सकेगा किन्तु अन्यथा नहीं। यदि किसी संशोधन में संशोधन प्रस्थापित किया गया हो तो मूल संशोधन तब तक वापस नहीं लिया जायेगा, जब तक उसमें प्रस्थापित संशोधन का निपटान न हो जाये।

(घ) खण्डों आदि में संशोधन तथा विधेयकों पर विचार

147. विधेयकों का खण्डवार प्रस्तुतीकरण

(1) जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये कि विधेयक विचारार्थ लिया जाये तो विधेयक के प्रत्येक खण्ड के संबंध में यह प्रस्ताव किया हुआ समझा जायेगा कि वह खण्ड विधेयक का अंग बने। इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी यह अध्यक्ष के

(55)

(2) If a Private Member gives notice of an amendment, which in the opinion of the Speaker cannot be moved without the previous sanction of the President or recommendation of the Lieutenant Governor, the Secretary shall, as soon as may be, after the receipt of the notice refer the amendment to the President or the Lieutenant Governor, as the case may be, through the Minister concerned and the notice shall not be valid until the required sanction or recommendation has been received.

144. Minister to communicate sanction/recommendation of President/ Lieutenant Governor to an amendment to a Bill to Secretary

The order of the President or the Lieutenant Governor granting or withholding the sanction or recommendation, as the case may be, to an amendment to a Bill, shall be communicated by the Minister in writing to the Secretary.

145. Moving of amendments

(1) Amendments shall ordinarily be considered in the order of the clauses of the Bill to which they respectively relate:

Provided that if a member requests that an amendment be put separately, the Speaker shall put that amendment separately:

Provided further that in order to save time and repetition, a single discussion may be allowed to cover a series of interdependent amendments.

146. Withdrawal of amendments

An amendment moved, may by leave of the House but not otherwise, be withdrawn on the request of the member moving it. If an amendment has been proposed to an amendment the original amendment shall not be withdrawn until the amendment proposed to it has been disposed of.

(D) AMENDMENTS OF CLAUSES, ETC. AND CONSIDERATION OF BILLS

147. Submission of Bills clause by clause

(1) When a motion that the Bill be taken into consideration is passed, the motion "that this clause do stand part of the Bill" shall be deemed

स्वविवेक में होगा कि विधेयक या विधेयक के किसी भाग को खण्डवार सदन के समक्ष रखें। अध्यक्ष प्रत्येक खण्ड को पृथक–पृथक लेंगे और जब उसमें सम्बन्धित संशोधन का निपटान आगामी नियमों के उपबंधों के अनुसार हो जाये तब यह प्रश्न रखेंगे ''कि यह खण्ड (या यथास्थिति संशोधित खण्ड) विधेयक का अंग माना जाये।''

(2) अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें ऐसे खण्डों के समूह को एक प्रश्न के रूप में रख सकेंगे जिन पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किए गए हों:

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई खण्ड अलग से रखा जाये तो अध्यक्ष उस खण्ड को अलग से रखेंगे।

148. किसी खण्ड का विलम्बन

अध्यक्ष, यदि ठीक समझें तो किसी खण्ड पर विचार विलम्बित कर सकेंगे।

149. अनुसूची पर विचार

अनुसूची या अनुसूचियों पर, यदि कोई हो, तो खण्डों पर विचार होने के उपरांत विचार किया जायेगा। अनुसूचियां अध्यक्षपीठ से रखी जायेंगी और वे उस रीति से संशोधित की जा सकेंगी जैसे कि खण्ड और नई अनुसूचियों पर विचार मूल अनुसूचियों के विचार के बाद किया जायेगा। इसके पश्चात यह प्रश्न रखा जायेगा ''कि यह अनुसूची (या यथास्थिति, संशोधित अनुसूची) विधेयक का अंग मानी जाये '':

परन्तु अध्यक्ष अनुसूची या अनुसूचियों पर, यदि कोई हो, खण्डों के निपटान किए जाने के पहले या किसी खण्ड के साथ या अन्यथा जैसे कि वे उचित समझें विचार किए जाने की अनुमति दे सकेंगे।

150. विधेयक का प्रथम खण्ड, प्रस्तावना और शीर्षक

विधेयक का प्रथम खण्ड, प्रस्तावना, यदि कोई हो और शीर्षक तब तक लम्बित रहेंगे जब तक कि अन्य खण्डों और अनुसूचियों (नये खण्डों और नई अनुसूचियों सहित) का निपटान न हो जाये और तदुपरान्त अध्यक्ष यह प्रश्न करेंगे ''कि प्रथम खण्ड या प्रस्तावना या शीर्षक (अथवा यथास्थिति संशोधित प्रथम खण्ड, प्रस्तावना या शीर्षक) विधेयक का अंग माने जाएं।''

to have been made in respect of each clause of the Bill. Notwithstanding anything in these rules it shall be in the discretion of the Speaker, to submit the Bill or any part of the Bill to the House clause by clause. The Speaker shall call each clause separately, and when the amendments relating to it have been disposed of in accordance with the provisions of succeeding rules, shall put the question: "that this clause (or, 'that this clause as amended', as the case may be) do stand part of the Bill".

(2) The Speaker may, if he thinks fit, put as one question, a group of clauses to which no amendments have been moved:

Provided that if a member requests that any clause be put separately, the Speaker shall put that clause separately.

148. Postponement of clause

The Speaker may, if he thinks fit, postpone the consideration of a clause.

149. Consideration of Schedule

The Consideration of the Schedule or Schedules, if any, shall follow the consideration of clauses. Schedules shall be put from the Chair, and may be amended in the same manner as clauses, and the consideration of new Schedule shall follow the consideration of the original Schedules. The question shall then be put "that this Schedule" (or, 'that this Schedule as amended', as the case may be) do stand part of the Bill":

Provided that the Speaker may allow the Schedule or Schedules, if any, to be considered before the clauses are disposed off or along with a clause or otherwise as he may think fit.

150. Clause one, Preamble and Title of the Bill

Clause one, the Preamble, if any, and the Title of a Bill shall stand postponed until the other clauses and Schedules (including new clauses and new Schedules) have been disposed of and the Speaker shall then put the question "that clause one, or the Preamble or the Title" (or as the case may be "that clause one, Preamble or Title, as amended)do stand part of the Bill."

(ङ) विधेयकों को पारित एवं प्रमाणित करना

151. विधेयकों का पारण

(1) जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाये, स्वीकार हो जाये और विधेयक में कोई संशोधन न हुआ हो तब विधेयक के प्रभारी सदस्य तुरन्त ही यह प्रस्ताव कर सकेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

(2) ऐसे प्रस्ताव पर कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(3) यदि विधेयक में कोई संशोधन किया जाये तो कोई भी सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव कि विधेयक को पारित किया जाये, के उसी दिन किये जाने पर आपत्ति कर सकेंगे और यदि अध्यक्ष उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा न दे दें तो ऐसी आपत्ति मान्य होगी।

152. वाद–विवाद का कार्यक्षेत्र

इस प्रस्ताव पर कि विधेयक पारित किया जाये, चर्चा विधेयक के समर्थन या उसकी अस्वीकृति की दलीलों तक सीमित होगी।

153. स्पष्ट गलतियों की शुद्धि

जब कोई विधेयक सदन द्वारा पारित हो जाये तब सचिव खण्डों को पुनरांकित करेंगे, उनकी उपांतिक टिप्पणियों को सुधारेंगे एवं पूर्ण करेंगे, उनमें केवल ऐसे औपचारिक, शाब्दिक अथवा परिणामी संशोधन करेंगे जो आवश्यक हों और ऐसी त्रुटियों को ठीक करेंगे जो असावधानी के कारण रह गई प्रतीत हों।

(च) सामान्य

154. विधेयक के वर्ष को अनुमति के वर्ष के अनुरूप करने की अध्यक्ष की शक्ति

पूर्वगामी वर्ष में पुरःस्थापित किये गये किन्तु बाद के वर्ष में पारित विधेयकों की दशा में अथवा ऐसे विधेयकों की दशा में जो उसी वर्ष पारित हुए हों किन्तु जिनके लिये अगले वर्ष में अनुमति दिये जाने की सम्भावना हो, अध्यक्ष विधेयक के वर्ष को परिवर्तित कर सकेंगे जिससे वह पारण के वर्ष के अनुरूप या उस वर्ष के अनुरूप हो जायें जिसमें कि, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराज्यपाल द्वारा अनुमति मिलने की संभावना हो।

(57)

(E) PASSING & AUTHENTICATION OF BILLS

151. Passing of a Bill

(1) When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment has been made in the Bill, the member-in-charge of the Bill may at once move that the Bill be passed.

(2) No amendment shall be moved to such a motion.

(3) If an amendment is made in the Bill, any member may object to a motion being made on the same day that the Bill be passed, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made.

152. Scope of debate

The discussion on a motion that the Bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill.

153. Corrections of patent errors

When the Bill is passed by the Assembly, the Secretary shall renumber the clauses, revise and complete the marginal notes thereof, make such purely formal verbal or consequential amendments therein as may be required and correct such error as may appear to him to be due to inadvertence.

(F) GENERAL

154. Power of Speaker to bring the year of the Bill in conformity with the year of assent

In case of Bills introduced in the preceding year but passed in subsequent year or if passed in the same year but the assent is likely to be given in the subsequent year, the Speaker may change the year of the Bill bringing it in conformity to the year of its passing or 'likely assent' by the President or the Lieutenant Governor, as the case may be.

155. विधेयक को अनुमति

(1) नियम 153 के अधीन सचिव द्वारा शाब्दिक अथवा परिणामी संशोधन, यदि कोई हो तो, किये जाने के उपरान्त विधेयक अध्यक्ष को उनके हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) अध्यक्ष के हस्ताक्षर के उपरान्त विधेयक को उपराज्यपाल के पास अधिनियम की धारा 24 के अतंर्गत जैसा वह उचित समझें, कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमति प्राप्त कर लिये जाने पर विधेयक को राजपत्र में विधान मण्डल के अधिनियम के रूप में प्रकाशित किया जायेगा एवं उसकी एक प्रति संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखी जायेगी।

(3) यदि वह धन विधेयक हो तो अध्यक्ष धारा 24 के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करेंगे, इसके उपरांत वह विधेयक तीन प्रतियों में उपराज्यपाल की अनुमति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

156. शाब्दिक संशोधनों का विवरण

नियम 155 के अधीन हस्ताक्षरित प्रति के साथ उपराज्यपाल को एक विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा जिसमें विधेयक में किये गये ऐसे शाब्दिक और परिणामी संशोधन या त्रुटियों का सुधार दर्शाया जायेगा जो नियम 153 और 154 के अंतर्गत किये गये हैं। विधेयक में किये गये इन परिवर्तनों की प्रतिलिपि उपराज्यपाल की अनुमति की घोषणा से पूर्व सचिव द्वारा पटल पर रखी जायेगी।

(छ) उपराज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयकों पर पुनर्विचार

157. उपराज्यपाल का संदेश

जब सदन द्वारा पारित कोई विधेयक उपराज्यपाल द्वारा अधिनियम की धारा 24 या 25 के अंतर्गत एक संदेश के साथ लौटाया जाये जिसमें यह कहा गया हो कि सदन विधेयक पर अथवा उसके किन्हीं विशेष उपबंधों पर अथवा किन्हीं संशोधनों पर, जिनकी संदेश में सिफारिश की गई हो, पुनर्विचार करे, तो अध्यक्ष उपराज्यपाल के संदेश को सदन में यदि सत्र चल रहा हो, पढ़कर सुनायेंगे या यदि सत्र न चल रहा हो तो अध्यक्ष यह निदेश देंगे कि उसे सदस्यों की सूचना हेतु विधान सभा समाचार में प्रकाशित किया जाये।

उसके पश्चात् जो प्रक्रिया विधान सभा में विधेयकों के निपटान के बारे में निर्धारित की गई है, उसका पालन किया जायेगा।

(58)

155. Assent to the Bill

(1) After the Secretary has made verbal or consequential amendments, if any, under rule 153, the Bill shall be submitted to the Speaker for his signatures.

(2) After the Speaker has signed the Bill, it shall be submitted to the Lieutenant Governor for taking appropriate action, as he deems fit under section 24 of the Act. When the assent has been obtained the Bill shall be published in the Gazette as an Act of the Legislature and a copy thereof shall be laid on Table by the Minister concerned.

(3) If it is a Money Bill, the Speaker shall endorse the necessary certificate under section 24 and thereafter it shall be sent in triplicate for the assent of the Lieutenant Governor.

156. Note of verbal amendments

Alongwith the signed copy under rule 155 a statement showing the verbal and consequential amendment or rectification of errors made in the Bill under rules 153 and 154 shall also be submitted to the Lieutenant Governor. A copy of these alterations shall be placed on the Table by the Secretary prior to the announcement of Lieutenant Governor's assent.

(G) RECONSIDERATION OF BILLS RETURNED BY THE LIEUTENANT GOVERNOR

157. Message of the Lieutenant Governor

When a Bill passed by the House is returned to it by the Lieutenant Governor under section 24 or section 25 of the Act, with a message to the effect that the Assembly should reconsider the Bill or any of its specified provisions or any amendment recommended in the message, the Speaker shall read the message of the Lieutenant Governor in the House, if in session, or if the Assembly is not in session, he shall direct that it be published in the bulletin for the information of the members.

Thereafter, the same procedure as is laid down for the disposal of the Bills in the Assembly shall be followed.

अध्याय–15

अधीनस्थ विधान

158. नियम, विनियम आदि का सदन पटल पर रखा जाना

(1) संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों अथवा संसद या विधान सभा के अधिनियम अथवा वर्तमान में लागू किसी कानून के अनुसरण में सरकार अथवा किसी अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर बनाये गये विनियमों, नियमों, उपनियमों, उप विधि आदि की प्रतियां, चाहे सम्बद्ध अधिनियम में उन्हें सदन में प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान हो अथवा नहीं, उनके अनुकूल बने कानून में दिये गये प्रावधानों के तहत निश्चित अवधि तक पटल पर रखे जायेंगे।

(2) जब उल्लिखित अवधि इस तरह पूरी न हो, तो विनियम, नियम, उप नियम, उप विधि आदि बाद के सत्र या सत्रों में पुनः रखे जायेंगे, जब तक कि कथित अवधि एक सत्र में पूरी न हो जाये।

(3) यदि किसी विनियम, नियम, उपनियम, उप विधि आदि में सदन द्वारा पारित संशोधन के अनुसार रूपान्तरण किया जाये तो संशोधित विनियम, नियम, उप नियम, उप विधि आदि सदन पटल पर रखे जायेंगे।

159. संशोधन पर चर्चा के लिये समय का आबंटन

(1) पटल पर रखे गए विनियम, नियम, उप नियम, उप विधि आदि के संबंध में सदस्यों द्वारा संशोधन उस अवधि के भीतर प्रस्तुत किये जा सकेंगे जो अधिनियम में उनके पटल पर रखे जाने के लिये निर्धारित हों तथा इन संशोधनों पर विचार व चर्चा के लिये वे नियम यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे जो विधेयक के खंडों के संशोधनों के लिये निर्धारित हैं।

(2) अध्यक्ष, सदन के नेता के परामर्श से इन संशोधनों पर चर्चा एवं विचार करने के लिये तिथि निश्चित करेंगे।

CHAPTER-XV

SUBORDINATE LEGISLATION

158. Laying of regulations, rules, etc. on the Table

(1) Copies of the regulations, rules, sub-rules, bye-laws, etc. framed from time to time in pursuance of the power conferred on the Government, Constitution, or an Act of Parliament or of the Assembly or any law in force, shall, whether the relevant Act or law does not require them to be laid before the House, be laid on the Table for the specified period as provided in the corresponding law.

(2) Where the specified period is not so completed, the regulations, rule, sub-rule, bye-law, etc. shall be re-laid in the succeeding session or sessions until the said period is completed in one session.

(3) If a regulation, rule, sub-rule, bye-law, etc. is modified in accordance with the amendment passed by the House, the amended regulation, rule, sub-rule, bye-law, etc. shall be laid on the Table.

159. Allotment of time for discussion of amendments

(1) Amendments relating to a regulation, rule, sub-rule, bye-law, etc. laid on the Table may be presented by the members within the period prescribed in the Act for its being laid on the Table and the rules prescribed for consideration of amendment to clauses of a Bill, shall with suitable modifications apply to consideration of and decision on those amendments.

(2) The Speaker shall, in consultation with the Leader of the House, fix the date for consideration and discussion on these amendments.

अध्याय–16

समितियों की प्रक्रिया

(क) सामान्य

160. सदन की समितियों की नियुक्ति

(1) प्रत्येक आम चुनाव के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय–समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो, विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या गठित की जायेंगी या अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जायेंगीः

परन्तु कोई सदस्य किसी समिति में तब तक नियुक्त नहीं किए जायेंगे जब तक कि वे उस समिति में कार्य करने के लिये सहमत न हों।

(2) किसी भी समिति में आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य की नियुक्ति द्वारा की जायेगी, और जिस व्यक्ति का नाम ऐसी रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्देशित किया जायेगा, वह उस कालावधि के शेष भाग तक पद धारण करेगा, जिसके लिये वह सदस्य, जिसके स्थान पर उस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, पद धारण करताः

परन्तु समिति की कार्यवाही इस आधार पर कि आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति नहीं की गई है, न तो अमान्य होगी और न ही रुकेगी।

161. समिति की सदस्यता पर आपत्ति

जब किसी सदस्य के किसी समिति में सम्मिलित किए जाने पर इस आधार पर आपत्ति की जाये कि सदस्य का ऐसे घनिष्ठ व्यक्तिगत, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है कि उससे समिति द्वारा विचारणीय विषयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो प्रक्रिया निम्नलिखित होगी –

(क) जिस सदस्य ने आपत्ति की हो वह अपनी आपत्ति का आधार तथा समिति के सामने आने वाले विषयों में उस सदस्य के तथाकथित हित के स्वरूप का, चाहे वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हो, संक्षेप में उल्लेख करेगा;

(ख) आपत्ति का कथन प्राप्त हो जाने के बाद, अध्यक्ष समिति के लिये प्रस्तावित सदस्य को जिसके विरुद्ध आपत्ति की गई हो, स्थिति स्पष्ट करने के लिये अवसर देंगे;

CHAPTER-XVI

PROCEDURE FOR COMMITTEES

(A) GENERAL

160. Appointment of Committees of the House

(1) At the commencement of the first session after each general election and thereafter before the commencement of each financial year or from time to time when the occasion otherwise arises, different Committees for specific or general purposes shall either be elected or constituted by the House or nominated by the Speaker:

Provided that no member shall be appointed to a Committee unless he is willing to serve on the Committee.

(2) Casual vacancy in a Committee shall be filled as soon as possible, by nomination of a member by the Speaker and any person nominated to fill such vacancy shall hold office for the unexpired portion of the term for which the member in whose place he is nominated would have held the office:

Provided that the proceedings of the Committee shall neither be invalid nor be held up on the ground that casual vacancies have not been filled.

161. Objection to membership of a Committee

Where an objection is taken to the inclusion of a member in a Committee on the ground that the member has personal, pecuniary or direct interest of such an intimate character that it may prejudicially affect the consideration of any matters to be considered by the Committee, the procedure shall be as follows–

(a) the member who has taken objection shall precisely state the ground of his objection and the nature of the alleged interest, whether personal, pecuniary or direct, of the proposed member in the matters coming up before the Committee;

(b) after the objection has been stated, the Speaker shall give an opportunity to the member proposed on the Committee against whom the objection has been taken, to state the position;

(ग) यदि तथ्यों के संबंध में विवाद हो तो अध्यक्ष आपत्ति करने वाले सदस्य एवं जिस सदस्य की नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई हो, अपने–अपने मामले के समर्थन में लिखित या अन्य साक्ष्य पेश करने के लिये कह सकेंगे;

(घ) जब अध्यक्ष ने अपने समक्ष इस तरह दिये गए साक्ष्य पर विचार कर लिया हो तो उसके बाद वह अपना निर्णय देंगे जो अंतिम होगा;

(ङ) जब तक अध्यक्ष ने अपना निर्णय न दिया हो, वह सदस्य जिसकी नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई हो, यदि वह निर्वाचित या मनोनीत हो गया हो तो समिति का सदस्य बना रहेगा, और चर्चा में भाग लेगा, किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा; और

(च) यदि अध्यक्ष यह विनिश्चय करें कि जिस सदस्य की नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति की गई है, उसका समिति के समक्ष विचाराधीन विषय में कोई वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित है, तो उसकी समिति की सदस्यता तुरन्त समाप्त हो जायेगीः

परन्तु समिति की जिन बैठकों में ऐसा सदस्य उपस्थित था उनकी कार्यवाही अध्यक्ष के निर्णय द्वारा किसी तरह प्रभावित नहीं होगी।

व्याख्या – इस नियम के प्रयोजनों के लिये सदस्य का हित प्रत्यक्ष, वैयक्तिक या आर्थिक होना चाहिए और वह हित जनसाधारण या उसके किसी वर्ग या भाग के साथ सम्मिलित रूप में या राज्य की नीति के किसी विषय में न होकर उस व्यक्ति का, जिसके मत पर आपत्ति की जाये, पृथक रूप से होना चाहिए।

162. समिति का सभापति

(1) प्रत्येक समिति का सभापति समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगाः

परन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति के सदस्य हों तो वे समिति के पदेन सभापति होंगे।

(2) यदि सभापति किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हों अथवा उनका पद रिक्त हो तो अध्यक्ष उनके स्थान पर अन्य सभापति नियुक्त कर सकेंगे।

(3) यदि समिति के सभापति समिति की किसी बैठक से अनुपस्थित हों तो समिति किसी अन्य सदस्य को उस बैठक के सभापति का कार्य करने के लिये निर्वाचित करेगी।

(c) if there is dispute on facts, the Speaker may call upon the member who has taken objection and the member against whose appointment on the Committee objection has been taken, to produce documentary or other evidence in support of their respective cases;

(d) after the Speaker has considered the evidence so tendered before him, he shall give his decision which shall be final;

(e) until the Speaker has given his decision, the member against whose appointment on the Committee, objection has been taken, shall continue to be a member thereof, if elected or nominated and take part in discussion but shall not be entitled to vote; and

(f) if the Speaker holds that the member against whose appointment objection has been taken has a personal, pecuniary or direct interest in the matter before the Committee, he shall cease to be a member thereof forthwith:

Provided that the proceedings of the sitting of the Committee at which such member was present, shall not in any way be affected by the decision of the Speaker.

Explanation—For the purposes of this rule the interest of the member should be direct, personal or pecuniary and separately belong to the person whose inclusion in the Committee is objected to and not in common with the public in general with any class or section thereof or any matter of State policy.

162. Chairman of the Committee

(1) The Chairman of each Committee shall be appointed by the Speaker from amongst the members of the Committee:

Provided that if the Deputy Speaker is a member of the Committee, he shall be the *ex officio* Chairman of the Committee.

(2) If the Chairman is for any reason unable to act or if the office of Chairman is vacant, the Speaker may appoint another Chairman in his place.

(3) If the Chairman of the Committee is absent from any of its sittings, the Committee shall elect another member of the Committee to act as Chairman for that sitting.

163. गणपूर्ति

(1) किसी समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबंधित न हो, समिति के कुल सदस्यों की संख्या के एक–तिहाई से कम नहीं होगी।

(2) समिति की बैठक के लिये निर्धारित किसी समय पर यदि दस मिनट के अंदर गणपूर्ति न हो तो, अथवा ऐसी बैठक के दौरान किसी भी समय में गणपूर्ति न हो तो, सभापति या तो गणपूर्ति होने तक बैठक को निलंबित करेंगे अथवा बैठक को भविष्य की किसी तारीख के लिये स्थगित करेंगे। यदि किसी कारणवश सभापति उपस्थित नहीं हैं और निर्धारित समय के दस मिनट बाद भी गणपूर्ति नहीं हुई तो सचिव बैठक के स्थगित होने की घोषणा करेंगे।

(3) जब उप नियम–2 के अंतर्गत समिति की बैठक दो लगातार नियत दिनांकों पर स्थगित हो चुकी हो तो सभापति इस तथ्य को सदन को प्रतिवेदित करेंगेः

परन्तु जब समिति अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई हो तो सभापति स्थगन के तथ्य को अध्यक्ष को प्रतिवेदित करेंगे।

(4) ऐसा प्रतिवेदन किये जाने पर, सदन या अध्यक्ष यथास्थिति यह विनिश्चित करेंगे कि आगे क्या कार्रवाई की जाये।

164. समितियों की बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों को हटाया जाना

यदि कोई सदस्य किसी समिति की लगातार तीन बैठकों से सभापति की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहे तो ऐसे सदस्य को स्पष्टीकरण का अवसर देने के उंपरान्त अध्यक्ष की आज्ञा से उस समिति से उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी और समिति में उनका स्थान अध्यक्ष की ऐसी आज्ञा के दिनांक से रिक्त घोषित किया जा सकेगा।

165. सदस्य का त्याग–पत्र

कोई सदस्य समिति में अपने स्थान को, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो अध्यक्ष को सम्बोधित होगा, त्याग सकेगा।

166. समिति की पदावधि

इनमें से प्रत्येक समिति की पदावधि एक वित्तीय वर्ष होगीः

(62)

163. Quorum

(1) The quorum to constitute a sitting of any Committee shall, save as otherwise provided in these rules, be not less than one-third of the total number of members of Committee.

(2) If at any time fixed for any sitting of the Committee, there is no quorum even within ten minutes after the time so fixed, or if at any time during such sitting there is no quorum, the Chairman shall either suspend the sitting until there is quorum or adjourn the sitting to some future date. If the Chairman for any reason is not present and there is also no quorum even ten minutes after the time so fixed, the Secretary shall announce that the sitting stands suspended.

(3) When the Committee has been adjourned in pursuance of sub-rule (2) on two successive dates fixed for sitting of the Committee, the Chairman shall report the fact to the House:

Provided that where a Committee has been appointed by the Speaker, the Chairman shall report the fact of such adjournment to the Speaker.

(4) On such report being made, the House or the Speaker, as the case may be, shall decide the future course of action.

164. Discharge of members absent from sittings of Committees

(1) If a member is absent from three consecutive sittings of a Committee without permission of the Chairman, the membership of such member from the Committee may, after giving him an opportunity to explain, be terminated with the approval of the Speaker and thereupon his office in the Committee may be declared vacant with effect from the date of such approval by the Speaker.

165. Resignation of a member

Any member may resign his seat from the Committee by writing under his hand addressed to the Speaker.

166. Term of a Committee

The term of these Committees shall be a financial year:

परन्तु इन नियमों के अंतर्गत निर्वाचित या नाम–निर्देशित समितियां, जब तक विशेष रूप से अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाये, उस समय तक पद धारण करेंगी, जब तक नई समिति नियुक्त न हो जाये।

167. समिति में मतदान

समिति की किसी बैठक में समस्त प्रश्नों का निर्धारण उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा। किसी विषय में बराबर मत होने की दशा में सभापति का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

168. उप–समितियां नियुक्त करने की शक्ति

(1) कोई भी समिति किन्हीं ऐसे विषयों को जो उसे निर्दिष्ट किए जायें, जांच करने के लिये एक या अधिक उप–समितियां नियुक्त कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक को अविभाजित समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी उप–समितियों के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन समझे जायेंगे, यदि वे सम्पूर्ण समिति की किसी बैठक में अनुमोदित हो जायें।

(2) उप–समिति के निर्देश–पत्र में जाँच के लिये विषय या विषयों का स्पष्टतया उल्लेख होगा। उप समिति के प्रतिवेदन पर सम्पूर्ण समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

169. समिति की बैठकें

समिति की बैठकें ऐसे समय और दिन में होंगी जो समिति के सभापति द्वारा निर्धारित किया जाये:

परन्तु यदि समिति का सभापति शीघ्र उपलब्ध न हो अथवा उनका पद रिक्त हो तो सचिव बैठक का दिन और समय निर्धारित कर सकेंगे।

170. समिति की बैठकें उस समय हो सकेंगी जब सदन की बैठक चल रही हो

समिति की बैठकें उस समय हो सकेंगी जब सदन की बैठक चल रही हो:

परन्तु सदन में विभाजन की मांग होने पर समिति के सभापति समिति की कार्यवाहियों को ऐसे समय तक के लिये निलंबित कर देंगे जो उनकी राय में सदस्यों को विभाजन में मतदान करने के लिये आवश्यक हों।

171. बैठक का स्थान

समिति की बैठक विधान सभा परिसर में की जायेगी और यदि यह आवश्यक हो जाये कि बैठक का स्थान विधान सभा परिसर के बाहर परिवर्तित किया जाये तो यह मामला अध्यक्ष

Provided that the Committee elected or nominated under these rules, shall, unless otherwise specified, hold office until a new Committee is appointed.

167. Voting in the Committee

All questions at any sitting of the Committee shall be determined by a majority of votes of the members present and voting. In the case of an equality of votes on any matter, the Chairman shall have a second or casting vote.

168. Power to appoint Sub-Committees

(1) A Committee may appoint one or more sub-Committees, each having the powers of the undivided Committee, to examine any matters that may be referred to them, and the reports of such sub-Committees shall be deemed to be the reports of the whole Committee if they are approved at a sitting of the whole Committee.

(2) The order of reference to a sub-Committee shall clearly state the matter or matters for investigation. The report of the sub-Committee shall be considered by the whole Committee.

169. Sitting of the Committee

The sitting of a Committee shall be held on such days and at such hour as the Chairman of the Committee may fix:

Provided that if the Chairman of Committee is not readily available or if his office is vacant, the Secretary may fix the date and time of a sitting.

170. Committee may sit whilst the House is sitting

The Committee may sit whilst the House is sitting:

Provided that on a division being called in the House, the Chairman of the Committee shall suspend the proceedings in the Committee for such time as will, in his opinion enable the members to vote in a division.

171. Venue of sitting

The sitting of the Committee shall be held in the precincts of the Assembly, and if it becomes necessary to shift the place of sitting to outside the precincts

को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

172. साक्ष्य लेने व पत्र, अभिलेख अथवा दस्तावेज मांगने की शक्ति

(1) कोई साक्षी सचिव के हस्ताक्षरित आदेश द्वारा आहूत किया जा सकेगा और ऐसे दस्तावेज पेश करेगा जो समिति के संदर्भ, अध्ययन अथवा उपयोग के लिये आवश्यक हों।

(2) यह समिति के स्वविवेक में होगा कि वह अपने समक्ष दिये गये किसी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय समझें।

(3) समिति के समक्ष रखा गया कोई दस्तावेज समिति के ज्ञान और अनुमोदन के बिना न तो वापिस लिया जायेगा और न उसमें बदलाव किया जायेगा।

(4) समिति को शपथ पर साक्ष्य लेने और व्यक्तियों को उपस्थित करने, पत्रों या अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, यदि उसके कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये ऐसा करना आवश्यक समझा जाये :

परन्तु सरकार किसी दस्तावेज को पेश करने से इस आधार पर इन्कार कर सकेगी कि उसका प्रकट किया जाना राजधानी के हित तथा सुरक्षा के प्रतिकूल होगा।

(5) साक्षी को दिये जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का रूप निम्नलिखित होगा :

''मैं, (नाम) ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं सत्य बोलूंगा, पूर्णतया सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा और मेरे साक्ष्य का कोई भी अंश झूठा नहीं होगा।''

(6) समिति के समक्ष दिया गया समस्त साक्ष्य तब तक गुप्त एवं गोपनीय समझा जायेगा जब तक समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत न कर दिया जाये :

परन्तु यह समिति के स्वविवेक में होगा कि वह किसी साक्ष्य को गुप्त एवं गोपनीय समझे, और उस अवस्था में वह प्रतिवेदन का अंश नहीं बनेगा।

173. पक्ष या गवाह समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है

समिति किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित

of the Assembly, the matter shall be referred to the Speaker whose decision shall be final.

172. Power to take evidence or call for papers, records or documents

(1) A witness may be summoned by an order signed by the Secretary and shall produce such documents as are required by the Committee for reference, perusal or use.

(2) It shall be in the discretion of the Committee to treat any evidence tendered before it as secret or confidential.

(3) No document submitted to the Committee shall be withdrawn or altered without the knowledge and approval of the Committee.

(4) The Committee shall have power to take evidence on oath and to require the attendance of persons or the production of papers or records if considered necessary for the discharge of its duties:

Provided that Government may decline to produce a document on the ground that its disclosure would be prejudicial to the interest and safety of the Capital.

(5) The format of oath or affirmation to be administered to a witness shall be as follows:

"I, (name), swear in the name of God/solemnly affirm that I shall speak the truth, the whole truth and nothing but truth and that no part of my deposition shall be false."

(6) All evidence tendered before the Committee shall be treated as secret or confidential until the presentation of the report of the Committee to the House:

Provided that it shall be in the discretion of the Committee to treat any evidence as secret or confidential in which case it shall not form part of the report.

173. Party or a witness can appoint a counsel to appear before Committee

A Committee may permit a party to be represented by a counsel appointed by him and approved by the Committee. Similarly, a witness may appear before

अधिवक्ता से कराये जाने की अनुमति दे सकेगी। इसी प्रकार कोई गवाह समिति के समक्ष अपने द्वारा नियुक्त तथा समिति द्वारा अनुमोदित अधिवक्ता के साथ उपस्थित हो सकेगा।

174. गवाहों की जांच की प्रक्रिया

समिति के सामने गवाह की जांच निम्न प्रकार से की जायेगी–

(1) समिति किसी गवाह को जांच के लिये बुलाये जाने से पूर्व उस प्रक्रिया की रीति को तथा ऐसे प्रश्नों के स्वरूप का निर्णय करेगी जो गवाह से पूछे जा सकेंगे।

(2) समिति के सभापति, इस नियम के उपनियम (1) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार साक्षी से पहले ऐसा प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछ सकेंगे जो वह विषय या किसी सम्बन्धित विषय के संबंध में आवश्यक समझें।

(3) सभापति समिति के अन्य सदस्यों को एक–एक करके कोई अन्य प्रश्न पूछने के लिये कह सकेंगे।

(4) साक्षी को समिति के सामने कोई अन्य संगत बात रखने को कहा जा सकेगा जो पहले न आ चुकी हो और जिन्हें साक्षी समिति के सामने रखना आवश्यक समझता हो।

(5) जब किसी साक्षी को साक्ष्य देने के लिये बुलाया जाये तो समिति की कार्यवाही का शब्दशः अभिलेख रखा जायेगा।

(6) समिति के सामने दिया गया साक्ष्य समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा।

175. जब समिति विचार–विमर्श कर रही हो तो अजनबी बाहर चले जायेंगे

(1) जब समिति विचार–विमर्श कर रही हो तो समिति के सदस्यों, अधिकारियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिनकी सेवाओं की समिति को आवश्यकता हो, के अलावा अन्य सभी व्यक्ति बाहर चले जायेंगे।

(2) समिति की चर्चाएं उसकी बैठक में उपस्थित किसी व्यक्ति द्वारा प्रकट नहीं की जायेंगी और ऐसी चर्चाओं का उल्लेख सदन में नहीं किया जायेगा।

(65)

the Committee accompanied by a counsel appointed by him and approved by the Committee.

174. Procedure for examining witness

The examination of witnesses before the Committee shall be conducted as follows–

(1) The Committee shall, before a witness is called for examination, decide the mode of procedure and the nature of question that may be put to the witness.

(2) The Chairman of the Committee may first put to the witness such question or questions as he may consider necessary with reference to the subject matter or any subject connected therewith according to the procedure mentioned in sub-rule (1) of this rule.

(3) The Chairman may call other members of the Committee one by one to put any other questions.

(4) A witness may be asked to place before the Committee any other relevant points that have not been covered and which a witness thinks are essential to be placed before the Committee.

(5) When a witness is summoned to give evidence, a verbatim record of proceedings of the Committee, shall be kept.

(6) The evidence tendered before the Committee may be made available to all members of the Committee.

175. Strangers to withdraw when the Committee deliberates

(1) All persons other than members of the Committee, officers and such other persons whose services are required by the Committee shall withdraw whenever the Committee is deliberating.

(2) The discussions of the Committee shall not be disclosed by any person present at its sitting nor shall any reference to such discussion be made in the House.

176. समिति के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर

समिति के प्रतिवेदन पर समिति की ओर से सभापति द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे :

परन्तु यदि सभापति अनुपस्थित हों या शीघ्र न मिल सकते हों तो समिति की ओर से प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिये समिति कोई अन्य सदस्य चुनेगी।

177. समिति का विशेष प्रतिवेदन

कोई समिति, यदि वह उचित समझे, किसी ऐसे विषय पर, जो उसके कार्य के दौरान उत्पन्न हो या प्रकाश में आये और जिसे समिति अध्यक्ष या सदन के ध्यान में लाना आवश्यक समझे, विशेष प्रतिवेदन दे सकेगी, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा विषय समिति के विचारणीय विषयों से परोक्ष रूप से संबंधित नहीं है या उनके भीतर नहीं आता, या उनसे प्रासंगिक नहीं है।

178. प्रस्तुतीकरण से पूर्व प्रतिवेदन का सरकार को उपलब्ध किया जाना

समिति, यदि वह ठीक समझे, तो अपने प्रतिवेदन की प्रतिलिपि को या उसके पूरे किये गये किसी भाग को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व सरकार को उपलब्ध करा सकेगी। ऐसे प्रतिवेदन जब तक सदन में प्रस्तुत नहीं कर दिये जायेंगे तब तक गोपनीय समझे जायेंगे।

179. प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

(1) समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किए हों या समिति के किसी सदस्य द्वारा जो सभापति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों, या सभापति की अनुपस्थिति में या जब सभापति प्रतिवेदन उपस्थित करने में असमर्थ हों तो समिति द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा और सदन पटल पर रखा जायेगा।

(2) प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले सदस्य यदि कोई टिप्पणी करें तो अपने आपको तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेंगे या समिति द्वारा की गई सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) संबंधित मंत्री या कोई मंत्री उसी दिन या किसी भावी दिनांक को जब तक के लिये वह विषय स्थगित किया गया है, सरकारी दृष्टिकोण और सरकार द्वारा किये जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे।

(66)

176. Signing of the report of the Committee

The report of the Committee shall be signed by the Chairman, on behalf of the Committee:

Provided that in case the Chairman is absent or is not readily available, the Committee shall choose another member to sign the report on behalf of the Committee.

177. Special report by the Committee

A Committee may, if it thinks fit, make a special report on any matter that arises or comes to light in the course of its working which it may consider necessary to bring to the notice of the Speaker or the House, notwithstanding that such matter is not directly connected with, or does not fall within or is not incidental to, its terms or reference.

178. Availability of report before presentation to Government

The Committee may, if it thinks fit, make available to Government a copy of its report or any completed part thereof before presentation to the House. Such report shall be treated as confidential until presented to the House.

179. Presentation of report

(1) The report of the Committee shall be presented by the Chairman of the Committee or the person who has signed the report or any member of the Committee; so authorised by the Chairman or in the absence of the Chairman or when he is unable to present the report, by any member authorised by the Committee and shall be placed on the Table of the House.

(2) In presenting the report the Chairman or in his absence the member presenting the report shall, if he makes any observations, confine himself to a brief statement of fact, or draw the attention of the House to the recommendations made by the Committee.

(3) The Minister concerned or any Minister may give a short reply on that very day or on some future date to which the matter has been postponed, explaining the Government point of view and the action which the Government propose to take.

(4) प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरांत किन्तु उपस्थिति की तिथि से 15 दिन के भीतर मांग किये जाने पर, अध्यक्ष यदि उचित समझें तो उस प्रतिवेदन पर विचार के लिये समय नियत करेंगे। सदन के समक्ष न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिये जायेंगे।

180. सदन में प्रस्तुतीकरण से पूर्व प्रतिवेदन का प्रकाशन या प्रचार

अध्यक्ष, उनसे प्रार्थना किये जाने पर और जब सदन सत्र में न हो, समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशन या प्रचार का आदेश दे सकेंगे, यद्यपि वह सदन में प्रस्तुत न किया गया हो। ऐसी अवस्था में प्रतिवेदन आगामी सत्र में प्रथम सुविधाजनक अवसर पर प्रस्तुत किया जायेगा।

181. प्रक्रिया के संबंध में सुझाव देने की शक्ति

(1) समिति को अध्यक्ष के विचारार्थ उस समिति से संबंधित प्रक्रिया के विषयों पर संकल्प पारित करने की शक्ति होगी और अध्यक्ष प्रक्रिया में ऐसे परिवर्तन कर सकेंगे जिन्हें वे आवश्यक समझें।

(2) इन समितियों में से कोई अध्यक्ष के अनुमोदन से इन नियमों में निहित उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्रक्रिया के विस्तृत नियम बना सकेंगी।

182. प्रक्रिया के विषय में या अन्य विषय में निर्देश देने की अध्यक्ष की शक्ति

(1) अध्यक्ष समय–समय पर समिति के सभापति को ऐसे निर्देश दे सकेंगे जिन्हें वे उसकी प्रक्रिया और कार्य की व्यवस्था के नियमन के लिये आवश्यक समझें।

(2) यदि प्रक्रिया के विषय में या अन्य किसी विषय में कोई संदेह उत्पन्न हो तो सभापति यदि ठीक समझें तो उस विषय को अध्यक्ष को भेज देंगे जिनका निर्णय अंतिम होगा।

183. समिति का असमाप्त कार्य

कोई समिति जो सदन के भंग होने से पूर्व अपना कार्य समाप्त करने में असमर्थ हो तो वह सदन को प्रतिवेदन देगी कि समिति अपना कार्य समाप्त करने में समर्थ नहीं हो सकी है। कोई प्रारंभिक प्रतिवेदन, ज्ञापन या टिप्पणी जो समिति ने तैयार की हो या कोई साक्ष्य जो समिति ने लिया हो, वह नई समिति को उपलब्ध कर दिया जायेगा।

(67)

(4) On a demand being made after the report has been presented but within 15 days from the date of its presentation, the Speaker, if he thinks fit, may appoint time for consideration of the report. There shall neither be a formal motion before the House nor voting.

180. Publication or circulation of report prior to its presentation to the House

The Speaker may on a request being made to him and when the House is not in session, order the publication or circulation of a report of a Committee although it has not been presented to the House. In that case the report shall be presented to the House during its next session at the first convenient opportunity.

181. Power to make suggestions on procedure

(1) A Committee shall have power to pass resolutions on matters of procedure relating to that Committee for the consideration of the Speaker, who may make such variations in procedure as he may consider necessary.

(2) Any of these Committees may, with the approval of the Speaker, make detailed rules of procedure to implement the provisions contained in these rules.

182. Power of Speaker to give direction on a point of procedure or otherwise

(1) The Speaker may, from time to time, issue such directions to the Chairman of the Committee as he may consider necessary for regulating its procedure and the organisation of its work.

(2) If any doubt arises on any point of procedure or otherwise the Chairman may, if he thinks fit, refer the point to the Speaker, whose decision shall be final.

183. Unfinished work of Committee

A Committee which is unable to complete its work before the dissolution of the House may report to the House that the Committee has not been able to complete its work. Any preliminary report, memorandum or note that the Committee may have prepared or any evidence that the Committee may have taken, shall be made available to the new Committee.

184. सचिव, समितियों के पदेन सचिव होंगे

(1) सचिव, इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त सभी समितियों के पदेन सचिव होंगे।

(2) सचिव, समिति की सहायता हेतु किसी ऐसे बिन्दु पर, जिसे उनकी राय में समिति को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, उन अधिकारियों/साक्षियों से, जो समिति में उपस्थित हों स्पष्टीकरण मांग सकेंगे।

185. सामान्य नियमों के प्रावधान समितियों पर लागू

किसी विशेष समिति के लिये जब तक अन्यथा विशेष रूप से उपबंधित न हो इस अध्याय के सामान्य नियम के प्रावधान सब समितियों पर लागू होंगे।

(ख) कार्य मंत्रणा समिति

186. समिति का गठन

(1) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक समिति होगी, जिसे कार्य मंत्रणा समिति कहा जायेगा। इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

(2) यदि किसी कारण से अध्यक्ष समिति की बैठक में पीठासीन होने में असमर्थ हों तो उपाध्यक्ष उस बैठक के सभापति होंगे। यदि किसी कारणवश ये दोनों ही पीठासीन होने में असमर्थ हों तो अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से उस बैठक के लिये सभापति नियुक्त करेंगे।

187. समिति के कार्य

(1) समिति का यह कार्य होगा कि वह ऐसे विधेयकों तथा अन्य सरकारी कार्यों की अवस्था पर चर्चा के लिये समय नियत करने के संबंध में सिफारिश करें जिन्हें अध्यक्ष सदन–नेता के परामर्श से समिति के हवाले करने के लिये निर्देश दें।

(2) समिति को प्रस्तावित समय–सूची में यह दर्शाने की शक्ति होगी कि विधेयक या अन्य सरकारी कार्य की विभिन्न अवस्थाएं अलग–अलग किस समय पूरी होंगी।

(3) समिति के पास सदन के कार्य संचालन से संबंधित ऐसे कार्य भी होंगे जिन्हें अध्यक्ष समय–समय पर निर्धारित करें।

(68)

184. Secretary to be *ex officio* Secretary of the Committee

(1) The Secretary shall be the *ex officio* Secretary of all the Committees appointed under these rules.

(2) The Secretary may, with a view to assist the Committee, seek clarifications from the officers/witnesses present on a point which, in his opinion, needs to be made clearer to the Committee.

185. Applicability of general rules to Committee

Except as otherwise specifically provided in respect of any particular Committee, the provisions of the general rules in this chapter shall apply to all Committees.

(B) BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

186. Constitution of the Committee

(1) There shall be a Committee called the Business Advisory Committee nominated by the Speaker. It shall consist of not more than nine members including the Speaker and the Deputy Speaker. The Speaker shall be the *ex officio* Chairman of the Committee.

(2) If the Speaker for any reason is unable to preside over any sitting of the Committee, the Deputy Speaker shall be the Chairman for that sitting. If both are unable to preside for any reason, the Speaker shall nominate a Chairman for that sitting from amongst the members of the Committee.

187. Functions of the Committee

(1) It shall be the function of the Committee to recommend the time that should be allocated for the discussion on the stage or stages of such Bills and other Government business as the Speaker, in consultation with the Leader of the House, may direct for being referred to the Committee.

(2) The Committee shall have the power to indicate in the proposed time table the different hours at which the various stages of the Bill or other Government business shall be completed.

(3) The Committee shall have such other functions relating to the business of the House as may be assigned by the Speaker from time to time.

188. समिति के प्रतिवेदन

समिति की सिफारिशें सदन को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत की जायेंगी।

189. प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् प्रस्ताव

(1) सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति के किसी भी सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा :

''कि यह सदन समिति द्वारा प्रस्तावित समय के आबंटन को स्वीकार करता है।''

(2) जब ऐसा प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हो जाये तो वह उसी प्रकार प्रभावी होगा जैसे कि वह सदन का आदेश हो :

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को पुनः भेज दिया जायेः

किन्तु प्रस्ताव पर चर्चा के लिये आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जायेगा और कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेंगे।

190. निश्चित समय पर लम्बित विषयों का निपटान

निश्चित समय पर सदन के संकल्प के अनुसार किसी विधेयक की किसी विशेष अवस्था अथवा अन्य कार्य को पूरा करने के लिये अध्यक्ष विधेयक की उस अवस्था अथवा अन्य कार्य से संबंधित समस्त लम्बित विषयों को निबटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंगे।

191. समय के आबंटन में परिवर्तन

(1) समय के आबंटन के आदेश में कोई परिवर्तन, अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव किये जाने और उसके सदन द्वारा स्वीकार किये जाने के अतिरिक्त नहीं किया जायेगा।

(2) समय के आबंटन के आदेश का अनुपालन करने हेतु सभी तरह के प्रयास किये जायेंगे। तथापि, अध्यक्ष स्वविवेक से, जैसा वह उचित समझें, सदन का समय बढ़ा सकेंगे।

(69)

188. Report of the Committee

The recommendations of the Committee shall be presented to the House in the form of a report.

189. Motion after presentation of report

(1) As soon as may be, after the report has been made to the House, a motion may be moved by a member of the Committee nominated by the Speaker:

"That this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee."

(2) When such a motion is accepted by the House, it shall take effect as if it were an order of the House:

Provided that an amendment may be moved that the report be referred back to the Committee either without limitation or with reference to any particular matter:

Provided further that not more than half an hour shall be allotted for the discussion of the motion and no member shall speak for more than five minutes on such a motion.

190. Disposal of outstanding matters at the appointed hour

At the appointed hour in accordance with the resolution of the House for the completion of a particular stage of a Bill or other business, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose off all the outstanding matters in connection with that stage of Bill or business.

191. Variation in the allocation of time

(1) No variation in the Allocation of Time Order shall be made except on a motion made with the consent of the Speaker, and accepted by the House.

(2) All efforts shall be made to adhere to the Allocation of Time Order. The Speaker may, however, in his discretion, extend the time of the House in the manner as he deems fit.

(ग) लोक लेखा समिति

192. समिति का गठन

(1) एक लोक लेखा समिति होगी जो राजधानी के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राजधानी के वार्षिक वित्तीय विवरण या ऐसे अन्य लेखों या वित्तीय विषयों को जो उसके सामने रखे जायें या उसको निर्दिष्ट किये जायें या जिनकी जांच करना समिति आवश्यक समझे, जांच करेगी।

(2) लोक लेखा समिति में नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो प्रत्येक वर्ष सदन द्वारा उसके सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तान्तरणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगेः

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायें तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

193. समिति के कार्य

(1) राजधानी के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन का निरीक्षण करते समय लोक–लेखा समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह समाधान कर ले कि–

(क) जो धन लेखे में व्यय के रूप में प्रदर्शित किया गया है वह उस सेवा या प्रयोजन के लिये विधिवत् उपलब्ध था और लगाए जाने योग्य था जिसमें वह लगाया या भारित किया गया है;

(ख) व्यय उस प्राधिकार के अनुरूप है, जिसके वह अधीन है;

(ग) प्रत्येक पुनर्विनियोग ऐसे नियमों के अनुसार किया गया है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये हों; और

(घ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करने हेतु जब भी समिति की बैठक हो तो महालेखा परीक्षक अथवा सचिव (वित्त), समिति की मात्र सहायता करने की दृष्टि से, किसी साक्षी से, किसी ऐसे बिन्दु पर, जिसे उनकी राय में समिति को स्पष्ट नहीं किया गया है, स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

(C) COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

192. Constitution of the Committee

(1) There shall be a Committee on Public Accounts for the examination of the appropriation accounts of the Capital and the reports of the Comptroller and Auditor General of India thereon, the annual financial accounts of the Capital or such other accounts or financial matters as are laid before it or referred to it or which the Committee deems necessary to scrutinize.

(2) The Committee on Public Accounts shall consist of not more than nine members who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote:

Provided that no Minister shall be appointed a member of the Committee and if a member of the Committee is appointed a Minister he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

193. Functions of the Committee

(1) In scrutinizing the appropriation accounts of the Capital and the reports of the Comptroller and Auditor General of India thereon, it shall be the duty of the Committee on Public Accounts to satisfy itself—

(a) that the money shown in the accounts as having been disbursed were legally available for and applicable to the service or purpose to which they have been applied or charged;

(b) that the expenditure conforms to the authority which governs it;

(c) that every re-appropriation has been made in accordance with such rules as may be prescribed by the competent authority; and

(d) when the Committee meets to consider the report of the Comptroller and Auditor General, the Auditor General, or Secretary (Finance) may with a view to solely assist the Committee seek clarifications from a witness on a point which in their opinion has not been made clearer to the Committee.

(2) लोक–लेखा समिति का यह भी कर्तव्य होगा–

(क) राज्य व्यापार तथा निर्माण योजनाओं की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरणों को तथा संतुलन–पत्रों और लाभ तथा हानि के लेखों के ऐसे विवरणों की जांच करना जिन्हें तैयार करने की उप–राज्यपाल ने अपेक्षा की हो, या जो किसी विशेष व्यापार–संस्था या परियोजना के लिये वित्तीय व्यवस्था विनियमित करने वाले वैधानिक नियमों के उपबंधों के अंतर्गत तैयार किये गये हों और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना,

(ख) स्वायत्त तथा अर्द्ध–स्वायत्त निकायों की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरण की जांच करना, जिसका आडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उप–राज्यपाल के निर्देशों के अंतर्गत अथवा किसी विधान के अनुसार किया जा सके, और

(ग) उन मामलों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना जिनके सम्बन्ध में उप–राज्यपाल ने उससे किन्हीं प्राप्तियों को लेखा परीक्षा करने को या भण्डार या माल के लेखों की परीक्षा करने की अपेक्षा की हो।

(घ) प्राक्कलन समिति

194. समिति का गठन

(1) ऐसे प्राक्कलनों की जांच के लिये, जो समिति को ठीक प्रतीत हो या उसे सदन द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जायें, एक प्राक्कलन समिति होगी।

(2) समिति में नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो सदन द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगेः

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायें तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

195. समिति के कार्य

(1) समिति के कार्य होंगे–

(2) It shall also be the duty of the Committee on Public Accounts—

(a) to examine the statement of accounts showing the income and expenditure of State trading and manufacturing schemes together with the balance sheets, and statements of profit and loss accounts which the Lieutenant Governor may have required to be prepared or are prepared under the provisions of the statutory rules regulating the finances of a particular State trading concern or project and the report of the Comptroller and Auditor General, thereon;

(b) to examine the statement of accounts showing the income and expenditure of autonomous and semi-autonomous bodies the audit of which may be conducted by the Comptroller and Auditor General of India either under the directions of the Lieutenant Governor or by a statute; and

(c) to consider the report of the Comptroller and Auditor General in cases where the Lieutenant Governor may have required him to conduct an audit of any receipts or to examine the accounts of stores and stock.

(D) COMMITTEE ON ESTIMATES

194. Constitution of the Committee

(1) There shall be a Committee on Estimates for the examination of such of the estimates as the Committee deems fit or are specifically referred to it by the House.

(2) The Committee shall consist of not more than nine members who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote:

Provided that no Minister shall be appointed a member of the Committee and if a member of the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

195. Functions of the Committee

(1) The functions of the Committee shall be–

(क) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति से संगत क्या मितव्ययितायें, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किये जा सकते हैं, इस सम्बन्ध में प्रतिवेदित करना;

(ख) प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययिता लाने के लिये वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना;

(ग) प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, उसकी जांच करना; तथा

(घ) प्राक्कलन किस रूप में सदन में उपस्थित किये जायेंगे, उसका सुझाव देना।

(2) समिति प्राक्कलनों की जांच वित्तीय वर्ष के भीतर समय–समय पर जारी रख सकेगी और जैसे–जैसे वह जांच करती जाये, सदन को प्रतिवेदित कर सकेगी। समिति के लिये यह अनिवार्य न होगा कि किसी एक वर्ष के समस्त प्राक्कलनों की जांच करे। इस बात के होते हुए भी कि समिति ने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है अनुदानों की मांगों पर अंतिम रूप से मतदान हो सकेगा।

(ङ) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

196. समिति का गठन

(1) इन नियमों के साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दर्शाए गये सरकारी उपक्रमों की कार्य–प्रणाली की जांच करने हेतु सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी एक समिति होगी।

(2) समिति में नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए प्रत्येक वर्ष सदन द्वारा उसी के सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगेः

परन्तु कोई भी मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायें तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

197. समिति के कार्य

(1) समिति के कार्य होंगे –

(क) इन नियमों के साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखे–जोखे की जांच करना;

(a) to report what economies, improvements in organization, efficiency or administrative reform consistent with the policy underlying the estimates may be effected;

(b) to suggest alternative policies in order to bring about efficiency and economy in administration;

(c) to examine whether the money is well laid out within the limits of the policy underlying in the estimates; and

(d) to suggest the form in which the estimates shall be presented to Assembly.

(2) The Committee may continue its examination of the estimates from time to time throughout the financial year and report to the House as its examination proceeds. It shall not be incumbent on the Committee to examine the entire estimates of any one year. The demands for grants may be finally voted notwithstanding the fact that the Committee has made no report.

(E) COMMITTEE ON GOVERNMENT UNDERTAKINGS

196. Constitution of the Committee

(1) There shall be a Committee on Government Undertakings for the examination of the working of the Government Undertaking specified in the Second Schedule annexed to these rules.

(2) The Committee shall consist of not more than nine members who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote:

Provided that no Minister shall be appointed a member of the Committee and if a member of the Committee is appointed a Minister he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

197. Functions of the Committee

(1) The functions of the Committee shall be—

(a) to examine the reports and accounts of the Government Undertakings as specified in the Second Schedule annexed to these rules;

(ख) सरकारी उपक्रमों पर महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन यदि कोई हो, की जांच करना;

(ग) सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्य–कुशलता के संदर्भ में यह जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्यों को कारोबार के ठोस सिद्धांतो और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक पद्धतियों के अनुसार चलाया जा रहा है अथवा नहीं; और

(घ) इन नियमों के साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित इस तरह के अन्य कार्यों को पूरा करना जो उपरोक्त उपखण्डों (क), (ख) और (ग) में सम्मिलित न किये गये और समय–समय पर अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गये हों:

परन्तु समिति निम्नलिखित में से किसी की भी जांच अथवा खोजबीन नहीं करेगी –

(i) सरकारी उपक्रमों के कारोबार अथवा वाणिज्यिक कार्यों से भिन्न प्रमुख सरकारी नीतियों के मामले;

(ii) दिन प्रतिदिन के प्रशासन के मामले; और

(iii) ऐसे मामले जिन पर विचार करने हेतु किसी विशेष विधान द्वारा कोई तंत्र स्थापित किया गया हो, जिसके अंतर्गत कोई विशेष सरकारी उपक्रम स्थापित किया गया हो।

(2) सदन सामान्य संकल्प द्वारा इन नियमों के साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में उपक्रमों के नाम जोड़ अथवा हटा सकेगा।

(च) सरकारी आश्वासन समिति

198. समिति का गठन और उसके कार्य

मंत्रियों द्वारा समय–समय पर सदन के अन्दर दिये गये आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि की छानबीन करने के लिये और निम्न बातों पर प्रतिवेदन करने के लिये सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे–

(b) to examine the report, if any, of the Auditor General on the Public Undertakings;

(c) to examine in the context of autonomy and efficiency of the Government Undertakings, whether the affairs of the Government Undertakings are being managed in accordance with the sound business principles and prudent commercial practices; and

(d) to exercise such other functions vested in the Committee on Public Accounts and the Committee on Estimates in relation to the Government Undertakings specified in Second Schedule annexed to these rules as are not covered by clauses (a), (b) and (c) above and as may be allotted to the Committee by the Speaker from time to time:

Provided that the Committee shall not examine and investigate any of the following, namely—

(i) matters of major Government policy as distinct from business or commercial functions of the Government Undertakings;

(ii) matters of day to day administration; and

(iii) matters for the consideration of which machinery is established by any special statute under which a particular Public Undertaking is established.

(2) The House may by ordinary resolution add or delete the names of undertakings in the Second Schedule annexed to these rules.

(F) COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

198. Constitution and functions of the Committee

There shall be a Committee on Government Assurances consisting of not more than nine members nominated by the Speaker in order to scrutinize the assurances, promises, undertaking, etc. given by Ministers from time to time on the floor of the House and to report on–

(क) ऐसे आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं, वचनों आदि का कहां तक कार्यान्वयन किया गया है; तथा

(ख) जहां कार्यान्वयन किया गया है तो क्या ऐसा कार्यान्वयन उस प्रयोजन के लिये आवश्यक न्यूनतम समय के भीतर हुआ है :

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायें तो ऐसी नियुक्ति की तिथि से वे समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(छ) याचिका समिति

199. समिति का गठन

अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक याचिका समिति होगी जिसके सदस्यों की संख्या नौ से अधिक नहीं होगीः

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायें तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

200. याचिका किसको संबोधित की जाये और कैसे पूरी की जाये

प्रत्येक याचिका अध्यक्ष को सम्बोधित की जायेगी और जिस विषय से उसका सम्बन्ध हो उसके बारे में याचिका देने वाले के निश्चित उद्देश्य का वर्णन करने वाली प्रार्थना के साथ पूर्ण होगी।

201. याचिकाओं का कार्यक्षेत्र

निम्न विषयों पर याचिकाएं, जब सदन का सत्र चल रहा हो तो सदन को अथवा जब उसका सत्र न चल रहा हो तो अध्यक्ष को प्रस्तुत की जा सकेंगी –

(i) ऐसा विधेयक जो नियम 118 के अंतर्गत प्रकाशित हो चुका हो या जो सदन में पुरःस्थापित हो चुका हो;

(ii) सदन के सामने लम्बित कार्य से सम्बन्धित कोई विषय; और

(iii) सामान्य लोक हित का कोई विषय परन्तु वह ऐसा न हो–

(क) जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय या किसी जांच न्यायालय या किसी वैधानिक न्यायाधिकरण या प्राधिकरण या किसी अर्द्ध–न्यायिक निकाय या आयोग के संज्ञान में हों,

(a) the extent to which such assurances, promises, undertakings,etc., have been implemented; and

(b) where implemented, whether such implementation has taken place within the minimum time necessary for the purpose:

Provided that no Minister shall be appointed a member of the Committee, and if a member of the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(G) COMMITTEE ON PETITIONS

199. Constitution of the Committee

There shall be a Committee on Petitions consisting of not more than nine members nominated by the Speaker:

Provided that no Minister shall be appointed a member of the Committee and if a member of the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

200. Petition to whom to be addressed and how to be concluded

Every petition shall be addressed to the Speaker and shall conclude with a prayer reciting the definite object of the petitioner in regard to the matter to which it relates.

201. Scope of petitions

Petitions may be presented to the House when it is in session or submitted to the Speaker when not in session on–

(i) a Bill which has been published under rule 118 or which has been introduced in the House;

(ii) a matter connected with the business pending before the House; and

(iii) any matter of general public interest, provided that it is not one–

(a) which falls within the cognizance of a court of a law having jurisdiction in any part of India or a court of inquiry or a statutory tribunal or authority or a quasi-judicial body or a commission;

(ख) जिसके लिये विधि के अंतर्गत उपाय उपलब्ध है और विधि में नियम, विनियम, उपविधि सम्मिलित हैं जो केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा बनाया गया हो जिसे ऐसे नियम, विनियम आदि बनाने की शक्ति सौंपी गई हो।

202. याचिका का सामान्य प्रपत्र

(1) प्रत्येक याचिका सम्मानपूर्ण, शिष्ट और संयत भाषा में लिखी जायेगी।

(2) प्रत्येक याचिका उसी भाषा में होगी जिसमें विधान सभा धारा 34 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपने कार्य को सम्पादित करती है। यदि याचिका किसी अन्य भाषा में है तो विधान सभा में कार्य के सम्पादन हेतु प्रयोग होने वाली भाषा का अनुवाद इसके साथ संलग्न किया जायेगा एवं याचिका–दाता के हस्ताक्षरयुक्त होगी।

(3) याचिका का सामान्य प्रपत्र इन नियमों के साथ संलग्न तृतीय अनुसूची में प्रदर्शित के अनुसार ही होगा।

203. याचिकाओं पर विचार

सदन के समक्ष याचिका के प्रस्तुतीकरण के बाद याचिका समिति उस पर विचार करने के लिये यथाशीघ्र समवेत होगी :

परन्तु यदि कोई याचिका ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में हो, जो सदन के समक्ष लंबित हो, तो सदन में उसके प्रस्तुतीकरण अथवा प्रतिवेदन के बाद याचिका समिति यथाशीघ्र समवेत होगी और सदन में एक विधेयक के लिये जाने से पर्याप्त पहले यथास्थिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी या सदस्यों को इस याचिका के प्रचार करने का निदेश देगी:

परन्तु यह और भी कि पहले से ही सदन के चर्चाधीन किसी विधेयक पर याचिका के सम्बन्ध में याचिका समिति उसकी प्राप्ति के पश्चात्, उसके प्रस्तुत किये जाने पर तुरन्त उस पर विचार करने के लिये समवेत होगी और सदन द्वारा उस विधेयक को पारित किये जाने से पर्याप्त पहले, यथास्थिति, सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी या सदस्यों में उस याचिका को परिचालित करेगी।

204. आवेदन पत्रों आदि पर विचार

समिति विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं आदि से प्राप्त आवेदन पत्रों और टेलिग्रामों पर, जो

(75)

(b) for which remedy is available under the law including rules, regulations, bye-laws made by the Central Government or the Government of the National Capital Territory of Delhi or an authority to whom power to make such rules, regulations, etc. is delegated.

202. General form of petition

(1) Every petition shall be couched in respectful, decorous and temperate language.

(2) Every petition shall be in the language in which the Assembly transacts its business under sub-section (2) of the section 34 and if it is made in any other language it shall be accompanied by a translation in the language used for the transaction of the business in the Assembly and shall be signed by the petitioner.

(3) The general form of the petition shall be as set out in the Third Schedule annexed to these rules.

203. Consideration of petitions

After the presentation of a petition to the House, the Committee on Petitions shall meet to consider it as early as possible:

Provided that in the case of petition on a Bill pending before the House, it shall meet as soon as possible after it has been presented or reported to the House and submit its report to the House or direct the circulation of the petition to the members, as the case may be, well in advance of the Bill being taken up in the House:

Provided further that in the case of a petition received on a Bill already under discussion in the House, the Committee shall meet to consider it immediately and submit its report or direct the circulation of the petition to the members, as the case may be, well in advance of the Bill being disposed of by the House.

204. Consideration of representations etc.

The Committee shall also meet as often as necessary to consider

याचिका सम्बन्धी नियमों के अंतर्गत नहीं आते, विचार करने के लिये भी आवश्यकतानुसार समय–समय पर अपनी बैठक करेगी और उनको निबटाने के लिये निदेश देगी :

परन्तु उन आवेदनों पर, जो निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं, समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा, किन्तु उन्हें सचिवालय में उनकी प्राप्ति पर फाइल कर दिया जायेगाः

(i) गुमनाम पत्र या ऐसे पत्र जिन पर भेजने वाले के नाम और/या पते न दिये हों या वे स्पष्ट न हों;

(ii) अध्यक्ष या सभा के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को सम्बोधित पत्रों की नामांकित प्रतियां, जब तक कि ऐसी किसी प्रति पर शिकायत को दूर करने की विशेष प्रार्थना का उल्लेख न हो;

(iii) यदि आवेदनों का संबंध व्यक्तिगत अथवा वैयक्तिक शिकायतों से है;

(iv) यदि इसका संबंध विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 201 के खण्ड (3) में निर्दिष्ट विषयों से है;

(v) यदि इसके माध्यम से कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शिकायतें प्रकाश में लाई जाती हैं;

(vi) ऐसे सभी आवेदन जिनका संबंध नौकरी या किसी भी रूप में धन या आर्थिक सहायता के अनुरोध, दूसरी राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन विषयों से संबंधित शिकायतों, न्यायालयों में पड़े मामलों, संविधान में संशोधन करने के सुझावों तथा निजी व्यक्ति के रूप में संसद सदस्यों, विधायकों के आचरण से संबंधित शिकायतों से हो, न कि सांसद/विधायक के रूप में किये आचरण से;

(vii) क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गये पत्र जिनका अनुवाद सचिवालय में सम्भव न हो;

(viii) तुच्छ प्रकृति के या ऐसे अभ्यावेदन जो सम्मानपूर्ण, शिष्ट एवं संयत भाषा में न लिखे गये हों या जो अपमानजनक, निंदात्मक या अभियोगात्मक प्रकार के हों;

(ix) ऐसे विषय जो विधान सभा के कार्यक्षेत्र के बाहर के हों; और

(x) राजधानी के संचित निधि से संबंधित विषयः

representations, letters and telegrams received from various individuals, associations, etc. which are not covered by the rules relating to petitions and give directions for their disposal:

Provided that the representations, which fall in the following categories shall not be considered by the Committee, but shall be filed on receipt in the Secretariat—

(i) anonymous letters or letters on which names and/or addresses of senders are not given or are illegible;

(ii) endorsement copies of letters addressed to authorities other than the Speaker or House unless there is a specific request on such a copy praying for redress of the grievance;

(iii) if the representations relate to personal or individual grievances;

(iv) if the representation relate to matters specified in clause (iii) of rule 201 of the rules;

(v) if they ventilate service grievances of employees/ex-employees;

(vi) representations seeking employments; requesting monetary or financial assistance in some forms; regarding grievances on matters under control of other State Government or Central Government; matters sub-judice; suggesting amendment of Constitution; and complaints against member of Parliament/ Assembly in relation to their conduct as private persons and not as members of Parliament/Assembly;

(vii) Letters in regional languages of which translation is not possible in the Secretariat;

(viii) representation of a frivolous nature or those not couched in respectful, decorous or temperate language or which are libellous or defamatory or allegatory in nature;

(ix) matters which are beyond the jurisdiction of the Assembly; and

(x) matters relating to the Consolidated Fund of the Capital:

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से समिति से किसी भी ऐसी याचिका पर विचार करने के लिये कह सकते हैं जिसे निर्दिष्ट करना वह उचित समझें।

205. याचिका के हस्ताक्षरकर्त्ताओं का प्रमाणीकरण

याचिका के प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता का पूरा नाम और पता उसमें दिया जायेगा और वह विधिवत प्रमाणित किया हुआ होगा।

206. किसी याचिका के साथ दस्तावेज नहीं लगाए जायेंगे

किसी याचिका के साथ कोई पत्र, शपथ–पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं लगाए जायेंगे।

207. प्रतिहस्ताक्षर

(1) प्रत्येक याचिका किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जायेगी एवं प्रति–हस्ताक्षरित होगी।

(2) कोई सदस्य अपनी ओर से याचिका प्रस्तुत नहीं करेंगे।

208. प्रस्तुतीकरण की सूचना

सदस्य सचिव को याचिका प्रस्तुत करने के अपने इरादे की कम से कम दो दिन की पूर्वसूचना देंगे।

209. याचिका का रूप

याचिका प्रस्तुत करने वाले सदस्य अपने को निम्न रूप के कथन तक ही सीमित रखेंगे:

'मैं (विषय का उल्लेख) के संबंध में याचिकाकर्त्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।''

और इस कथन पर किसी वाद–विवाद की अनुमति नहीं होगी।

210. याचिका के प्रस्तुतीकरण के बाद प्रक्रिया

(1) प्रत्येक याचिका इन नियमों के अधीन प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त समिति की जांच के लिये निर्दिष्ट की जायेगी।

(2) जांच के उपरान्त समिति, यदि आवश्यक हो तो, यह निर्देश दे सकेगी कि याचिका सविस्तार अथवा संक्षिप्त रूप में प्रचलित की जाये।

(3) प्रचलन और साक्ष्य, यदि कोई हों, के उपरान्त समिति के सभापति या समिति द्वारा प्राधिकृत कोई सदस्य याचिका में की गई शिकायत विशेष और इस

Provided that the Speaker may, in his discretion, require the Committee to consider any petition as referred by him.

205. Authentication of signatories to a petition

The full name and address of every signatory to a petition shall be set out therein and shall be duly authenticated.

206. Document not to be attached to a petition

Letters, affidavits or other documents shall not be attached to any petition.

207. Counter signature

(1) Every petition shall be presented and countersigned by a member.

(2) A member shall not present a petition from himself.

208. Notice of presentation

A member shall give at least two days advance intimation to the Secretary of his intention to present a petition.

209. Form of petition

A member presenting a petition shall confine himself to a statement in the following form:

"I present a petition signed by.....Petitioner (s) regarding....."

and no debate shall be permitted on his statement.

210. Procedure after presentation of a petition

(1) Every petition after its presentation under these rules shall be referred to the Committee for examination.

(2) After examination, the Committee may, if necessary, direct circulation of the petition *in extenso* or in any abridged form.

(3) After circulation and after evidence, if any, the Chairman of the Committee or any member authorised by the Committee shall report to the House the specific complaint contained in the petition

विशेष मामले में उपचारी उपायों का या भविष्य में ऐसे मामले रोकने के लिये सुझाव सदन को प्रतिवेदित करेंगे।

(ज) प्रतिनिहित विधायन समिति

211. समिति का गठन

अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नौ सदस्यों की एक प्रतिनिहित विधायन समिति इस बात की छानबीन करने और सदन को प्रतिवेदन करने के लिये होगी कि क्या अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अन्य वैध प्राधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उप–नियम, उपविधि आदि बनाने की शक्ति का प्रयोग ऐसे प्रत्यायोजन के अन्तर्गत उचित रूप से किया जा रहा है या नहीं:

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायें तो वे ऐसी नियुक्ति के दिनांक से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

212. समिति के कार्य

समिति विशेष रूप से इस बात पर विचार करेगी –

(i) कि प्रतिनिहित विधान, संविधान अथवा उस अधिनियम के सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल है या नहीं जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है;

(ii) उसमें ऐसा विषय निहित है या नहीं जिसको समुचित ढंग से निबटाने के लिये समिति की राय में विधान मंडल का अधिनियम होना चाहिए;

(iii) उसमें कोई कर लगाने का प्रावधान है या नहीं;

(iv) उसमें न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रुकावट होती है या नहीं;

(v) वह उन प्रावधानों में से किसी को पूर्व प्रभावी असर देता है या नहीं जिनके संबंध में संविधान या अधिनियम स्पष्ट रूप से कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है;

(vi) उसमें राजधानी की संचित निधि या लोक राजस्व में से व्यय निहित है या नहीं;

(vii) उसमें संविधान या उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है या नहीं, जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है;

and suggestions for remedial measures for the particular case or to prevent such case in future.

(H) COMMITTEE ON DELEGATED LEGISLATION

211. Constitution of the Committee

There shall be a Committee on Delegated Legislation consisting of not more than nine members nominated by the Speaker in order to scrutinize and report to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rule, bye-laws, etc. conferred by the Act or delegated by any other lawful authority are being properly exercised within such delegation:

Provided that no Minister shall be appointed a member of the Committee, and if a member of the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

212. Functions of the Committee

The Committee shall, in particular consider—

(i) whether the delegated legislation is in accordance with the general objects of the Constitution or the Act pursuant to which it is made;

(ii) whether it contains matter which in the opinion of the Committee, should more properly be dealt with in an Act of Legislature;

(iii) whether it contains imposition of any tax;

(iv) whether it directly or indirectly bars the jurisdiction of the courts;

(v) whether it gives retrospective effect to any of the provisions in respect of which the Constitution or the Act does not expressly give any such power;

(vi) whether it involves expenditure from the Consolidated Fund of the Capital or the public revenues;

(vii) whether it appears to make some unusual or unexpected use of the powers conferred by the Constitution or the Act pursuant to which it is made;

(viii) उसके प्रकाशन में या विधान मण्डल के समक्ष रखे जाने में अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है या नहीं; और

(ix) किसी कारण से उसके रूप या अभिप्राय के लिये किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है या नहीं।

213. समिति का प्रतिवेदन

यदि समिति की राय हो कि ऐसा कोई विधान पूर्णतः या अंशतः रद्द कर दिया जाना चाहिए या उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा उसका कारण सदन को प्रतिवेदित करेगी। यदि समिति की राय हो कि किसी प्रतिनिहित विधान से सम्बन्धित कोई अन्य विषय सदन की सूचना में लाया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा विषय सदन को प्रतिवेदित कर सकेगी।

(झ) नियम समिति

214. समिति का गठन

नियम समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे। शेष सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

215. समिति के कार्य

सदन की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन के विषयों पर विचार करने और नियमों में ऐसे संशोधन तथा वृद्धियों की सिफारिश करने के लिये, जो आवश्यक समझी जायें, एक नियम समिति होगी।

216. नियमों में संशोधन की सूचना

कोई सदस्य इस नियमावली के नियमों में संशोधनों की सूचना दे सकेंगे किन्तु ऐसी सूचना के साथ संशोधन के उद्देश्य और कारणों का विवरण संलग्न होगा। अध्यक्ष ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर, यदि वह अनियमित न हो, उसे नियम समिति के विचारार्थ भेज देंगे।

217. समिति का सभापति

अध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होंगे। यदि अध्यक्ष किसी कारण से समिति के सभापति के रूप में कार्य करने में असमर्थ हों तो उपाध्यक्ष उस बैठक के सभापति होंगे। यदि वे दोनों ही किसी कारण से पीठासीन होने में असमर्थ हों तो अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से किसी को उस बैठक का सभापति मनोनीत करेंगे।

(viii) whether there appears to have been unjustifiable delay in the publication or laying of it before the legislature; and

(ix) whether for any reason its form or purport calls for any elucidation.

213. Report of the Committee

If the Committee is of opinion that any such delegated legislation should be rejected wholly or in part, or should be amended in any respect, it shall report that opinion and the grounds thereof to the House. If the Committee is of opinion that any other matter relating to any delegated legislation should be brought to the notice of the House, it may report that opinion and matter to the House.

(I) RULES COMMITTEE

214. Constitution of the Committee

The Rules Committee shall consist of not more than nine members including the Speaker and the Deputy Speaker. Rest of the members shall be nominated by the Speaker.

215. Functions of the Committee

There shall be a Committee on Rules to consider matters of procedure and conduct of business in the House and to recommend any amendments or additions to these rules that may be deemed necessary.

216. Notice of amendments in rules

Any member may give notice of amendment to any of these rules, but such a notice shall be accompanied with the Statement of Objects and Reasons for the amendment. On receipt of such a notice, the Speaker shall refer the same, if it is not out of order, to the Committee for consideration.

217. Chairman of the Committee

The Speaker shall be the *ex officio* Chairman of the Committee. If the Speaker for any reason is unable to act as Chairman of the Committee, the Deputy Speaker shall be the Chairman for that sitting. If both are unable to preside for any reason, the Speaker shall nominate a Chairman for that sitting from amongst the members of the Committee.

218. नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया

(1) समिति की सिफारिशें पटल पर रखी जायेगी और इस प्रकार पटल पर रखे जाने के दिन से आरम्भ होकर तीन दिन की समयावधि के भीतर कोई सदस्य ऐसी सिफारिशों में किसी संशोधन, जिसमें समिति की सभी या किसी सिफारिश को समिति के पुनर्विचार हेतु निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव भी सम्मिलित है, की सूचना संशोधन करने के उद्देश्य और कारणों सहित दे सकेंगे।

(2) यदि उप–नियम (1) में उल्लिखित समयावधि के भीतर समिति की सिफारिशों में संशोधन की सूचना न दी जाये तो उस अवधि की समाप्ति पर समिति की सिफारिशें सदन द्वारा स्वीकृत समझी जायेंगी और नियमों में सम्मिलित कर ली जायेंगी।

(3) यदि उप–नियम (1) में निहित समयावधि के भीतर किसी संशोधन की सूचना प्राप्त हो तो ऐसे संशोधनों को जो ग्राह्य हों, अध्यक्ष समिति को भेज देंगे और समिति ऐसे संशोधनों पर विचार करके अपनी सिफारिशों में ऐसा परिवर्तन कर सकेगी, जो वह उचित समझे।

(4) उप–नियम (3) में उल्लिखित संशोधनों पर विचार करने के उपरान्त समिति का अन्तिम प्रतिवेदन पटल पर रखा जायेगा। तत्पश्चात् समिति के किसी सदस्य के प्रस्ताव पर सदन द्वारा प्रतिवेदन से सहमत होने पर, सदन द्वारा यथा अनुमोदित संशोधन नियमों को नियमों में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(ट) विशेषाधिकार समिति

219. समिति का गठन

अध्यक्ष एक विशेषाधिकार समिति मनोनीत करेंगे, जिसमें कुल नौ सदस्य होंगे।

220. विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रश्नों की जांच तथा उसकी प्रक्रिया

(1) विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट होने पर उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, सचिव द्वारा शिकायत की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेज दी जायेगी कि एक निश्चित तिथि तक, यदि वह चाहे तो, शिकायत के संबंध में अपना लिखित वक्तव्य सचिव को भेज दें। लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करने की तिथि समाप्त होने के उपरान्त, समिति यदि आवश्यक समझे

(80)

218. Procedure for the amendment of the rules

(1) The recommendations of the Committee shall be laid on the Table and any member may, within a period of three days beginning with the day when it is so laid on the Table, give notice of an amendment including a motion to refer all or any of the recommendations of the Committee for the reconsideration of the Committee together with the objects and reasons for such amendment.

(2) If no notice of amendment to the recommendations of the Committee is given within the period mentioned in sub-rule (1), the recommendations of the Committee shall be deemed to have been approved by the House on the expiry of the said period and shall be incorporated in the rules.

(3) If notice of any amendment is received within the period prescribed in sub-rule (1), the Speaker shall refer such amendments, which are admissible to the Committee and the Committee may, after considering such amendments, make such changes in its recommendations as it deems fit.

(4) The final report of the Committee after considering the amendments mentioned in sub-rule (3) shall be laid on the Table. Thereafter, on the House agreeing to the report on a motion made by a member of the Committee, the amendments to the rules as approved by the House shall be incorporated in the rules.

(J) COMMITTEE OF PRIVILEGES

219. Constitution of the Committee

The Committee of Privileges consisting of nine members shall be nominated by the Speaker.

220. Examination of the question by the Committee of Privileges and its procedure

(1) On a reference being made to the Committee of Privileges, copy of the complaint shall be sent by the Secretary to the person complained against with the request that he should, if he so desires, submit to the Secretary by a specified date his written statement

तो, जांच हेतु शिकायत करने वाले व्यक्ति तथा उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो, एक निश्चित तिथि, समय और स्थान पर अपने समक्ष उपस्थित होने के लिये बुला सकेगी।

(2) ऐसा व्यक्ति, यदि वह चाहे तो अधिवक्ता द्वारा भी अपना पक्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत करा सकेगा।

(3) यदि उपस्थित होने के लिये बुलाया गया पक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह समिति को उन कारणों की सूचना देगा। समिति दिये गये कारणों को देखते हुए उस विषय पर विचार स्थगित कर सकेगी, जिससे कि वह पक्ष उपस्थित हो सके। किन्तु यदि समिति यह समझे कि अनुपस्थिति के समुचित कारण नहीं हैं या पक्ष जानबूझकर अनुपस्थित रहा है तो समिति उस पक्ष के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में ही विषय पर विचार करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध आदेश की अवहेलना की सूचना सदन के समक्ष उचित कार्रवाई हेतु रख सकेगी।

221. समिति द्वारा प्रश्न की जांच

साक्ष्य के प्रकाश में और उस मामले की परिस्थितियों के अनुसार समिति उस समय प्रश्न की जांच करेगी और इस बात का निर्णय करेगी कि क्या किसी विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है अथवा अवमानना हुई है तथा यह देखेगी कि किस प्रकार की अवहेलना हुई है और किन परिस्थितियों के कारण हुई है और ऐसी सिफारिशें करेगी, जिन्हें वह ठीक समझे।

222. समिति के सदस्यों की निर्योग्यताएं

शिकायत करने वाले सदस्य अथवा वह सदस्य जिनके विरुद्ध शिकायत की गई हो, यदि समिति के सदस्य हों, तब तक समिति में नहीं बैठेंगे जब तक कि उनके द्वारा अथवा उनके विरुद्ध यथास्थिति की गई शिकायत का विषय समिति के समक्ष विचाराधीन हो।

223. विशेषाधिकार समिति की बैठकें

विशेषाधिकार समिति विशेषाधिकार अथवा अवमानना के प्रश्न के निर्दिष्ट किये जाने के उपरान्त यथाशीघ्र और उसके बाद समय–समय पर जब तक कि यथास्थिति सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा नियत समय के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर दिया जाये, समवेत होगीः

about the complaint. After the expiry of the date fixed for submission of written statement, the Committee may, if it considers necessary, summon for purposes of inquiry, the person complaining and the person complained against to appear before it on a specified date, time and place.

(2) Such a person, if he so desires, may also present his case before the Committee by a counsel.

(3) If a party summoned to be present is unable to attend on the specified date, he shall inform the Committee of the reasons thereof. The Committee may, on consideration of given reasons, postpone the consideration of the matter to enable the party to appear. If, however, the Committee considers that there are no good reasons for the absence or that the party had wilfully absented, the Committee may after considering the matter against that party, in his absence, submit its report, and bring to the notice of the House his disobedience of the order for proper action against him.

221. Examination of the question by the Committee

The Committee of Privileges shall examine the question in the light of the evidence and circumstances of the case and determine whether any breach of privileges or contempt, has been committed and look into the nature of the breach and the circumstances leading to it, and make such recommendations as it may deem proper.

222. Disabilities of members of the Committee

The Complaining member or the member complained against, if he be a member of the Committee, shall not sit in the Committee so long as the matter complained by or against him as the case may be, is under consideration before the Committee.

223. Sittings of Committee of Privileges

The Committee of Privileges shall meet as soon as may be, after a question of privileges or contempt has been referred to it and from time to time thereafter till report is made during the time fixed by the Speaker or the House, as the case may be:

परन्तु जब प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई समय नियत न किया गया हो तो प्रतिवेदन निर्देशन के दिनांक से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायेगाः

किन्तु अध्यक्ष अथवा सदन, यथास्थिति, समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि को समय–समय पर बढ़ा सकेंगे।

224. समिति का प्रतिवेदन

समिति के प्रतिवेदन में यह दर्शाया जायेगा कि क्या विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है अथवा अवमानना हुई है और उसकी राय में क्या दण्ड दिया जाना चाहिए। यदि क्षमा मांगी गई हो तो समिति यह भी सिफारिश कर सकेगी कि क्षमा–याचना स्वीकार की जाये।

(ठ) प्रश्न एवं संदर्भ समिति

225. समिति का गठन

(1) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकतम नौ सदस्यों की एक प्रश्न एवं संदर्भ समिति होगी और उपाध्यक्ष इस समिति के पदेन सभापति होंगे।

(2) कोई मंत्री उप–नियम (1) में उल्लिखित समिति के सदस्य नहीं होंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायें तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

226. समिति के कार्य

समिति के निम्न कार्य होंगे –

(1) यदि किसी प्रश्न का उत्तर सरकार से समय से प्राप्त न हो अथवा उत्तर संतोषजनक न हो और अध्यक्ष ऐसा करना उचित समझें, तो वह उस मामले को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को निर्दिष्ट कर सकेंगे।

(2) प्रश्नों के अतिरिक्त सदन से संबंधित अन्य कोई मामला, जो नियमों के अंतर्गत किसी अन्य समिति के क्षेत्राधिकार में न आता हो, अध्यक्ष द्वारा समिति को विचार हेतु निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

Provided that where no time has been fixed for the presentation of the report, the report shall be presented within one month of the date of reference:

Provided further that the Speaker of the House, as the case may be, may from time to time extend the date for the presentation of the report by the Committee.

224. Report of the Committee

The Report of the Committee shall indicate if a breach of privilege or contempt has been committed and what punishment in its opinion should be inflicted. It may also recommend the acceptance of any apology, if apology has been tendered.

(K) QUESTIONS AND REFERENCE COMMITTEE

225. Constitution of the Committee

(1) There shall be a Question and Reference Committee consisting of not more than nine members to be nominated by the Speaker and the Deputy Speaker shall be the *ex officio* Chairman of the Committee.

(2) No Minister shall be a member of the Committee mentioned in sub-rule (1) and if a member of the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

226. Functions of the Committee

The following shall be the functions of the Committee–

(1) If a reply to question is not received from the Government within time or the reply received is not satisfactory and the Speaker considers it expedient to do so, he may refer the matter to the Questions and Reference Committee.

(2) Besides questions, any other matter concerning the House not included within the jurisdiction of other Committee under these rules, may be referred by the Speaker to the said Committee for consideration.

(ड) सामान्य प्रयोजन समिति

227. गठन एवं कार्य

(1) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक सामान्य प्रयोजन समिति होगी जिसमें विधान सभा में विभिन्न दलों एवं समूहों के नेताओं तथा अध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों समेत नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अध्यक्ष समिति के पदेन सभापति होंगे।

(2) समिति का कार्य आवश्यक विषयों, विशेषकर विधान सभा के कार्यों के संगठन में सुधार लाने संबंधी विषयों के प्रस्तावों पर और सदन या अध्यक्ष द्वारा इसे सुझाए गये ऐसे मामलों पर विचार करना तथा अध्यक्ष को परामर्श देना होगा।

(ढ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति

228. गठन एवं कार्य

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के नाम से एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिक से अधिक नौ सदस्य होंगे:

परन्तु कोई भी मंत्री समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं होगा और यदि कोई सदस्य समिति का सदस्य नियुक्त होने के उपरान्त मंत्री नियुक्त हो जाता है तो उसकी समिति की सदस्यता ऐसी नियुक्ति की तिथि से समाप्त हो जायेगी।

(2) समिति के कार्य इस प्रकार होंगे –

(i) कल्याणकारी कार्यों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये अन्य सुधारात्मक उपाय के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये संवैधानिक सुरक्षाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा सरकार द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में किये जाने वाले उपायों के बारे में सदन को सूचित करना;

(ii) कम से कम समय में इन वर्गों की स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार की नीति के वास्तविक उपायों को कार्यान्वित करने के लिये सुझाव देना; और

(83)

(L) GENERAL PURPOSES COMMITTEE

227. Constitution and functions of the Committee

(1) There shall be a General Purposes Committee nominated by the Speaker consisting of not more than nine members including leaders of various parties and groups in the Assembly and other important members including the Speaker who shall be *ex officio* Chairman of the Committee.

(2) The functions of the Committee shall be to consider proposals and to tender advice to the Speaker on important matters especially relating to improvement in the organization of work in the Assembly and any other matter referred to it by the House or the Speaker.

(M) COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

228. Constitution and functions of the Committee

(1) There shall be a Committee called the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes nominated by the Speaker consisting of not more than nine members:

Provided that no Minister shall be nominated as a member of the Committee and if a member, after his appointment to the Committee is appointed as Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The functions of the Committee shall be—

(i) to review the progress and implementation of the welfare programmes and other ameliorative measures as also constitutional safeguards for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to report to the House as to the measures that should be taken by the Government in respect of matters within their review;

(ii) to suggest ways and means of realising the objective of government policy to bring about improvement in the conditions of these classes in the shortest possible time; and

(iii) सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सुझाए गये अथवा ऐसे मामलों की जांच करना जो कि समिति द्वारा उपयुक्त समझे जायें।

(ण) सदन पटल पर रखे गये पत्र संबंधी समिति

229. गठन एवं कार्य

(1) सदन पटल पर रखे गये पत्र संबंधी एक समिति होगी, जिसमें नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) समिति अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जायेगी।

(3) समिति के कार्य यह होंगे कि वह मंत्रियों द्वारा सदन पटल पर रखे गये सभी पत्रों की जांच करेगी और सदन को इन बातों के बारे में प्रतिवेदन देगी –

(i) क्या अधिनियम, नियमावली या विनियमों के प्रावधानों का पालन किया गया है, जिसके अंतर्गत पत्र सदन पटल पर रखा गया है;

(ii) क्या पत्रों को सदन पटल पर रखने में कुछ अनुचित विलम्ब हुआ है;

(iii) यदि ऐसा विलम्ब हुआ है तो क्या विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण सदन पटल पर रखा गया है और क्या वे कारण संतोषजनक हैं;

(iv) क्या पत्र के हिन्दी और अंग्रेजी दोनों संस्करण सदन पटल पर रखे गये हैं;

(v) क्या हिन्दी संस्करण के सदन पटल पर न रखे जाने के कारणों के बारे में विवरण दिया गया है और क्या वे कारण संतोषजनक हैं; और

(vi) समिति सदन पटल पर रखे गये पत्रों के संबंध में अन्य ऐसे कार्य करेगी जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।

(4) यदि कोई सदस्य उप–नियम (3) में उल्लिखित किसी विषय पर कोई चर्चा उठाना चाहे तो वह उसे समिति के पास भेजेगा और वह ऐसा मामला सदन में नहीं उठायेगा।

(iii) to examine such matters, as may deem fit, to the Committee or are specifically referred to it by the House or the Speaker.

(N) COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

229. Constitution and functionsof the Committee

(1) There shall be a Committee on Papers laid on the Table of the House consisting of not more than nine members.

(2) The Committee shall be nominated by the Speaker.

(3) The functions of the Committee shall be to examine all papers laid on the Table of the House by the Ministers and to report to the House on—

(i) whether there has been a compliance of the provisions of the Act, rules or regulations under which the papers have been laid;

(ii) whether there has been any unreasonable delay in laying the papers;

(iii) if there has been any such delay, whether a statement explaining the reasons for delay has been laid on the Table and whether those reasons are satisfactory;

(iv) whether both Hindi and English versions have been laid on the Table;

(v) whether a statement explaining reasons for not laying the Hindi version has been given and whether such reasons are satisfactory; and

(vi) the Committee shall perform such other functions in respect of the papers laid on the Table of the House, as may be assigned to it by the Speaker from time to time.

(4) A member wishing to raise any of the matters referred to in sub-rule (3) shall refer it to the Committee and not raise it in the House.

(त) पुस्तकालय समिति

230. गठन एवं कार्य

(1) एक पुस्तकालय समिति होगी जिसमें सभापति सहित नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

(2) समिति अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जायेगीः

परन्तु किसी मंत्री का समिति सदस्य के लिये नाम–निर्देशित नहीं किया जायेगा और यदि किसी सदस्य को समिति में लिये जाने के उपरान्त मंत्री नियुक्त किया जाता है, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) समिति के कार्य इस प्रकार होंगे –

(क) पुस्तकालय के संबंध में अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर समिति को भेजे गये विषयों पर विचार करना तथा मंत्रणा देना; तथा

(ख) पुस्तकालय के सुधार हेतु सुझावों पर विचार करना तथा इसके द्वारा सदस्यों को दी गई सेवाओं से संबंधित विषयों पर मंत्रणा देना।

(थ) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

231. गठन एवं कार्य

(1) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष समेत नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे। अध्यक्ष समिति के पदेन सभापति होंगे।

(2) समिति अध्यक्ष द्वारा मनोनीत की जायेगी।

(3) समिति के निम्न कार्य होंगे –

(i) गैर सरकारी सदस्यों के सब विधेयकों की, उन्हें पुरःस्थापित किये जाने के बाद या अन्यथा रूप में, जैसा भी अध्यक्ष निर्देश दें, उनके स्वरूप, अविलम्बनीयता तथा महत्त्व की ध्यानपूर्वक जांच करना तथा

(85)

(O) LIBRARY COMMITTEE

230. Constitution and functions of the Committee

(1) There shall be a Library Committee consisting of not more than nine members including its Chairman.

(2) The Committee shall be nominated by the Speaker:

Provided that no Minister shall be nominated as a member of the Committee and if a member, after his appointment to the Committee, is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(3) The functions of the Committee shall be—

(i) to consider and advice on such matters concerning the Library as may be referred to it by the Speaker from time to time; and

(ii) to consider suggestions for the improvement of the Library and to advise upon matters connected with the services provided to the members by the Library.

(P) COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

231. Constitution and functions of the Committee

(1) There shall be a Committee on Private Members' Bills and Resolutions consisting of not more than nine members including the Speaker who shall be the Chairman of the Committee.

(2) The Committee shall be nominated by the Speaker.

(3) The functions of the Committee shall be—

(i) to carefully examine the nature, urgency and importance of all Private Member's Bills after they are introduced in the Assembly or otherwise as the Speaker may direct and to recommend the time that should be allocated for the

यह सिफारिश करना कि विधेयक की अवस्था या अवस्थाओं पर चर्चा के लिये कितना समय आबंटित किया जाना चाहिए और इस प्रकार तैयार की गई सूची में यह भी दर्शाना कि दिन में किस–किस समय पर विधेयक की विभिन्न अवस्थाएं पूरी की जाएंगी;

(ii) गैर सरकारी सदस्यों के ऐसे विधेयक की जांच करना जिसका सदन में इस आधार पर विरोध किया जाये कि विधेयक द्वारा ऐसे विधान का सूत्रपात होता है जो सदन की विधायी सक्षमता से परे है और ऐसी आपत्ति को अध्यक्ष प्रथम दृष्टया ठीक समझें;

(iii) गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा सहायक विषयों की चर्चा के लिये समय सीमा की सिफारिश करना; और

(iv) समिति गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों के संबंध में अन्य ऐसे कार्य करेगी जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।

(4) **समिति का प्रतिवेदन** : सदन के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद किसी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि सदन प्रतिवेदन को स्वीकार करता है या संशोधन के साथ स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है:

परन्तु यह संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा कि प्रतिवेदन या तो बिना परिसीमा के या किसी विशेष विषय के संबंध में समिति को वापस भेज दिया जाए:

परन्तु यह भी प्रावधान किया जाता है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिये आधे घंटे से अधिक समय नियत नहीं किया जायेगा और कोई भी सदस्य ऐसे प्रस्ताव पर पांच मिनट से अधिक नहीं बोलेंगे।

(5) **समय का आवंटन** : विधेयकों तथा संकल्पों के संबंध में समय का आवंटन जिसे सदन ने अनुमोदित कर दिया हो ऐसे लागू होगा जैसा कि वह सदन का आदेश हो।

(6) अध्यक्ष समय के आबंटन के आदेश के अनुसार निश्चित समय पर विधेयक या संकल्प के किसी खास अवस्था की समाप्ति के संबंध में सब लम्बित विषयों को निपटाने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंगे।

(द) महिला एवं बाल कल्याण समिति

232. समिति का गठन

महिला और बाल कल्याण के नाम से एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे:

discussion of the stage or stages of each Bill and also to indicate in the time table so drawn up, the different hours at which the various stages of the Bill in a day shall be completed;

(ii) to examine every Private Members' Bill which is opposed in the Assembly on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the Assembly, and the Speaker considers such objection *prima facie* tenable;

(iii) to recommend time limit for the discussion of Private Members' Resolutions and other ancillary matters; and

(iv) to perform such other functions in respect of Private Members' Bill and Resolutions, as may be assigned to it by the Speaker from time to time.

(4) **Report of the Committee:** At any time after the report has been presented to the House, a motion may be moved that the House agrees with amendments or disagrees with the report:

Provided that an amendment may be moved that the report be referred back to the Committee either without limitation or with reference to any particular matter:

Provided further that not more than half an hour shall be allotted for discussion of the motion and no member shall speak for more than five minutes on such motion.

(5) **Allocation of time:** The Allocation of time in respect of Bills and resolutions as approved by the House shall take effect as if it were an order of the House.

(6) At the appointed hour, in accordance with the allocation of time, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the completion of a particular stage of the Bill or the resolution.

(Q) COMMITTEE ON WOMEN AND CHILD WELFARE

232. Constitution of the Committee

There shall be a Committee nominated by the Speaker on Women and Child Welfare consisting of not more than nine members:

परन्तु कोई भी मंत्री समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं होगा और यदि कोई सदस्य समिति का सदस्य नियुक्त होने के उपरान्त मंत्री नियुक्त हो जाता है, तो उसकी समिति की सदस्यता ऐसी नियुक्ति की तिथि से समाप्त हो जायेगी।

233. समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे –

1. समीक्षा करना :

   (i) विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों के लिये बने अनाथालयों, निर्धन गृह, कल्याण गृह, चिकित्सालय, आश्रम, शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, कारागार, कारखाना अथवा कार्यस्थल या व्यवसाय की कोई भी ऐसी जगह जहां आम तौर पर महिलाओं और बच्चों को दाखिल किया जाता है अथवा कोई भी सुरक्षा गृह, शरण गृह, नारी निकेतन, प्रसूति एवं बाल कल्याण गृह, बाल सुधार गृह अथवा इसी तरह के संस्थान और ऐसे परिसर जिन्हें समिति अध्यक्ष के साथ सलाह करके समय–समय पर निश्चित करे, की कार्यप्रणाली की जांच करना;

   (ii) उन संस्थानों एवं सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली की जांच करना, जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित कार्य की देख–रेख करते हैं;

   (iii) दिल्ली महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करना तथा महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या–क्या उपाय किये जाने चाहिए तथा महिलाओं की हैसियत/परिस्थितियों में सुधार करने हेतु उन विषयों के मामले में जो सरकार के क्षेत्राधिकार के दायरे में आते हैं, उनके बारे में रिपोर्ट देना।

2. निम्नलिखित के बारे में उपाय सुझाना :

   (i) अविवाहित या परित्यक्त माताओं एवं वृद्ध और निस्सहाय महिलाओं और बेसहारा विधवाओं के पुनर्वास के लिये;

   (ii) दिमागी तौर पर अस्वस्थ, अशक्त और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आत्म–निर्भर और समाज का उपयोगी सदस्य बनाने हेतु;

   (iii) घरेलू कामकाज और इसी तरह के अन्य व्यवसायों में संलग्न महिलाओं के अव्यवस्थित गुट के कल्याण हेतु।

Provided that a Minister shall not be nominated as a member of the Committee and if a member after his nomination to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

233. Functions of the Committee

The functions of the Committee shall be—

(1) to examine:

   (i) the functioning of any orphanage, poor home, welfare home, hospital, asylum, educational institution, boarding house, prison, factory or any place of calling or avocation where women and children are generally admitted or any rescue home, shelter home, Nari Niketan, maternity and child welfare home, borstal school or any other similar institution exclusively meant for women and children and such other premises as the Committee may determine, from time to time, in consultation with the Speaker;

   (ii) the functioning of the institutions and government departments dealing with the welfare of women and children; and

   (iii) to consider the reports submitted by the Delhi Commission for Women and to report on the measures that should be taken by the Government for empowerment of women and for improving their status/conditions in respect of the matters within the purview of the Government.

(2) to suggest measure for:

   (i) the rehabilitation of unmarried or deserted mothers and the aged and destitute women and desolate widows;

   (ii) making the mentally retarded, the infirm and the physically handicapped persons self-sufficient and useful members of the society;

   (iii) the welfare of disorganised group of women engaged in-household labour and similar other occupations; and

3. ऐसे अन्य मामलों की जांच करना, जो समिति द्वारा उचित समझे जायें अथवा अध्यक्ष द्वारा समिति को विशेष तौर पर सौंपे जायें।

(घ) छात्र एवं युवा कल्याण समिति

233. (क) समिति का गठन

'छात्र एवं युवा कल्याण समिति के नाम से एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिक से अधिक नौ सदस्य होंगे:

परन्तु कोई भी मंत्री समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं होंगे और यदि कोई सदस्य समिति का सदस्य नियुक्त होने के उपरान्त मंत्री नियुक्त हो जाता है, तो उसकी समिति की सदस्यता ऐसी नियुक्ति की तिथि से समाप्त हो जायेगी।

233. (ख) समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे :

(i) छात्रों एवं युवाओं की कल्याण योजनाओं एवं अन्य सुधारात्मक उपायों की प्रगति एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा सरकार द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में किए जाने वाले उपायों के बारे में सदन को सूचित करना;

(ii) कम से कम समय में छात्रों एवं युवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार की नीति के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने हेतु उपाय एवं युक्तियों का सुझाव देना;

(iii) छात्रों एवं युवाओं के कल्याण से सम्बन्धित मामलों पर विभिन्न साझेदारों अथवा सामान्य जनता से प्राप्त अभिवेदनों की जांच करना एवं उन पर अपनी रिपोर्ट देना; और

(iv) सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किए गये अथवा ऐसे मामलों की जांच करना जो कि समिति द्वारा उपयुक्त समझे जायें।

स्पष्टीकरण:– अभिवेदन अध्यक्ष को सम्बोधित एवं किसी माननीय सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए।

(88)

(3) to examine such other matters as may be deemed fit by the Committee or specially referred to it by the Speaker.

(R) COMMITTEE ON THE WELFARE OF STUDENTS AND YOUTH

233A. Constitution of the Committee

There shall be a Committee on the Welfare of Students and Youth nominated by the Speaker consisting of not more than nine members.

Provided that no Minister shall be nominated as a member of the Committee and if a member, after his appointment to the Committee is appointed as Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

233B. Functions of the Committee

The Functions of the Committee shall be–

(i) to review the progress and implementation of the welfare programmes and other ameliorative measures for students and youth and to report to the House as to the measures that should be taken by the Government in respect of matters within their purview;

(ii) to suggest ways and means of realizing the objectives of Government policy to bring about improvement in the condition of the students and youth in the shortest possible time;

(iii) to examine and report upon representations received from various stakeholders or general public on matters connected with welfare of the students and youth; and

(iv) to examine such matters as the Committee may deem fit or are specifically referred to it by the House or the Speaker.

***Explanation*—**Representations should be addressed to the Speaker and countersigned by a member.

(न) पर्यावरण समिति

234. समिति का गठन

पर्यावरण समिति के नाम से एक समिति होगी जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे:

परन्तु कोई भी मंत्री समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं होंगे और यदि कोई सदस्य समिति का सदस्य नियुक्त होने के उपरान्त मंत्री नियुक्त हो जाता है, तो उसकी समिति की सदस्यता ऐसी नियुक्ति की तिथि से समाप्त हो जायेगी।

235. समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे :

(i) राजधानी की पर्यावरण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना और उसके लिये उपचारात्मक उपाय सुझाना;

(ii) विभिन्न तरह के प्रदूषण द्वारा उत्पन्न किये गये पर्यावरणीय असंतुलन के स्वरूप, श्रेणी और विस्तार, ऐसे प्रदूषणों के परिणाम और ऐसे प्रदूषण पर रोक लगाने व उसके नियंत्रण हेतु उपचारात्मक उपाय सुझाना;

(iii) पर्यावरण से संबंधित विभागों/बोर्डों/निगमों की कार्यप्रणाली और गतिविधियों की जांच करना;

(iv) पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पुनरावलोकन करना; और

(v) ऐसे अन्य मामलों की जांच करना, जिन्हें समिति उचित समझती हो अथवा जो समिति को सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये हों।

(प) आचरण समिति

235क अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकतम नौ सदस्यों की आचरण समिति होगी।

परंतु कोई मंत्री समिति के सदस्य मनोनीत नहीं किए जाएंगे और यदि कोई सदस्य समिति में मनोनयन के पश्चात मंत्री नियुक्त होते हैं तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(89)

(S) COMMITTEE ON ENVIRONMENT

234. Constitution of the Committee

There shall be a Committee on environment consisting of not more than nine members to be nominated by the Speaker:

Provided that a Minister shall not be nominated as a member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

235. Functions of the Committee

The functions of the Committee shall be—

(i) to study the environmental problems in the Capital and to recommend remedial measures thereto;

(ii) to examine the nature, degree and extent of the environmental imbalances caused by different kind of pollution, the results of such pollutions and to suggest remedial measures for the prevention and control thereof;

(iii) to examine the working and activities of the Departments/Boards/ Corporations in relation to environment;

(iv) to review the implementation of the plans and programmes relating to maintenance of environmental balance; and

(v) to examine such other matters as may be deemed fit by the Committee or specially referred to it by the House or by the Speaker.

(T) COMMITTEE ON ETHICS

235A Constitution of the Committee

There shall be a Committee on Ethics consisting of not more than nine members to be nominated by the Speaker;

Provided that a Minister shall not be nominated as member of the Committee and that if a member after his nomination to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

235ख समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे –

(i) सदस्यों के सदाचार एवं नैतिक आचरण का निरीक्षण करना,

(ii) किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायतों तथा मामलों की जाँच करना, जो सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा इसको सौंपे जाएं तथा ऐसी सिफारिशें करना, जो यह उचित समझें, और

(iii) नियम बनाकर ऐसे कार्यों का विशेषोल्लेख करना, जो अनैतिक आचरण के अंतर्गत आते हैं।

235ग मामलों की जाँच का स्वतः संज्ञान लेना

सदस्यों के अनैतिक व्यवहार से संबंधित मामलों सहित, आचरण से जुड़े मामलों को स्व–विवेकानुसार जांच हेतु लेना, यदि आवश्यक समझे तथा ऐसी सिफारिशें करना, जो यह उचित समझें।

235घ प्रतिवेदन

समिति अपनी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सदन द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यविधि का अपने प्रतिवेदन में उल्लेख कर सकती है।

235ङ आचरण समिति की कार्यविधि

(i) समिति को सौंपे गए या इसके द्वारा स्वविवेकानुसार लिए गए मामलों पर प्राथमिक जाँच करेगी।

(ii) यदि प्राथमिक जाँच के पश्चात समिति को यह लगता है कि प्रथम दृष्ट्या कोई मामला नहीं बनता तो मामले को छोड़ा जा सकता है।

(iii) यदि समिति को यह लगता है कि प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो समिति मामले की जाँच हेतु लेगी।

(iv) समिति को सौंपे गए मामलों की जाँच हेतु समय–समय पर कार्यविधि भी निश्चित कर सकती है।

(फ) अल्पसंख्यक कल्याण समिति

235कक समिति का गठन

अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक कल्याण समिति होगी, जिसके सदस्यों की संख्या नौ से अधिक नहीं होगीः

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य मनोनीत नहीं किए जाएंगे और यदि कोई सदस्य समिति में मनोनयन के बाद मंत्री नियुक्त होते हैं तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

(90)

235B Functions of the Committee:

The functions of the Committee shall be—

(i) to oversee the moral and ethical conduct of members;

(ii) to examine every complaint relating to unethical conduct of member referred to it by the House or the Speaker and make such recommendations, as it may deem fit; and

(iii) to frame Code of Conduct specifying acts which constitute unethical conduct.

235C *Suo motu* examination of matters

The Committee may also *suo motu* take up for examination and investigation matters relating to ethics, including matters relating to unethical conduct by members wherever felt necessary and make such recommendations as it may deem fit.

235D Report

The report of the Committee may also state the procedure to be followed by the House in giving effect to the recommendations made by the Committee.

235E Procedure in the Committee

(i) On a matter being referred to the Committee or on a matter being taken up by the Committee *suo motu,* the Committee shall conduct preliminary inquiry.

(ii) After the preliminary inquiry, if the Committee is of the opinion that there is no *prima facie* case, the matter may be dropped.

(iii) If the Committee is of the opinion that there is a *prima facie* case, Committee shall take up the matter.

(iv) The Committee may lay down procedure, from time to time for examination of matters referred to it.

(U) COMMITTEE ON THE WELFARE OF MINORITIES

235AA. Constitution of the Committee

There shall be a Committee on the Welfare of Minorities nominated by the Speaker consisting of not more than nine members;

Provided that no Minister shall be nominated as a member of the Committee and if a member after his appointment to the Committee is appointed as Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date so such appointment.

235खख. समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे –

(i) अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों, अन्य सुधारात्मक उपायों तथा संवैधानिक सुरक्षा उपायों की प्रगति तथा क्रियान्वयन की समीक्षा करना और सरकार द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में किए जाने वाले उपायों के बारे में सदन को सूचित करना;

(ii) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा करना;

(iii) इन वर्गों की दशा में न्यूनतम संभावित समय में सुधार लाने के लिए सरकार की नीति के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु तौर–तरीकों को समझाना; और

(iv) सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सुझाए गए अथवा ऐसे मामलों की जाँच करन जो कि समिति द्वारा उपयुक्त समझे जाएं।

235गग. विभागों से जानकारी

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों के संबंध में समिति प्रत्येक विभाग से मासिक जानकारी प्राप्त करेगी तथा प्रतिवेदनों की समीक्षा के लिए त्रैमासिक बैठकें आयोजित करेगी।

(ब) अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति

235ककक. समिति का गठन

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण नाम से एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकतम नौ सदस्य होंगे।

परन्तु कोई भी मंत्री समिति के सदस्यों के रूप में नामित नहीं होंगे और यदि कोई सदस्य, समिति का सदस्य नियुक्त होने के उपरांत मंत्री नियुक्त हो जाते हैं तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

35खखख. समिति के कार्य

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे –

(i) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कल्याण कार्यक्रमों एवं अन्य सुधारात्मक उपायों की प्रगति एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा समीक्षातर्गत मामलों के संबंध में सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में सदन को प्रतिवेदन करना;

235BB. Functions of the Committee

The functions of the Committee shall be—

(i) to review the progress and implementation of the welfare programmes and other ameliorative measures as also constitutional safeguards for minorities and to report to the House as to the measures that should be taken by the Government in respect of matters within their purview;

(ii) to examine measures taken by the Government for the implementation of 15 points programme of the Prime Minister for the welfare of minorities;

(iii) to suggest ways and means of realizing the objectives of Government policy to bring about improvement in the condition of these classes in the shortest possible time; and

(iv) to examine such measures as the Committee may deem fit or are specially referred to it by the House or the Speaker.

235CC. Information from Departments

The Committee shall obtain monthly information from each department of the Government about measures taken for the welfare of the minorities and hold quarterly meetings to examine the reports.

(V) COMMITTEE ON THE WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

235AAA. Constitution of the Committee

There shall be a Committee on the Welfare of Other Backward Classes nominated by the Speaker consisting of not more than nine members.

Provided that no Minister shall be nominated as a member of the Committee and if a member, after his appointment to the Committee, is appointed as Minister, he shall cease to be a member of the Committee from the date so such appointment.

235BBB. Functions of the Committee

The Functions of the Committee shall be—

(i) to review the progress and implementation of the welfare programmes and other ameliorative measures for Other Backward Classes and to report to the House as to the measures that should be taken by the Government in respect of matters within their purview;

(ii) सरकार द्वारा अपने अधीनस्थ सेवाओं एवं पदों में अन्य पिछड़ा वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों की जाँच करना;

(iii) इन वर्गों की दशा में न्यूनतम संभावित समय में सुधार लाने के लिए सरकार की नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपाय और साधन सुझाना; और

(iv) सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सुझाए गए अथवा ऐसे मामलों की जाँच करना जो कि समिति द्वारा उपयुक्त समझे जाएं।

235गगग. जानकारी प्राप्त करने का अधिकार

समिति अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ सरकार के प्रत्येक विभाग द्वारा किए गए कार्यों की मासिक जानकारी प्राप्त करेगी तथा प्रतिवेदनों की जाँच हेतु त्रैमासिक बैठकें आयोजित करेगी।

(भ) प्रवर समिति

236. प्रवर समिति का गठन

(1) जब किसी विधेयक का प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो विधेयक पर प्रवर समिति के सदस्य, सदन द्वारा या प्राधिकृत किये जाने पर अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।

(2) प्रवर समिति में निम्न प्रकार नौ सदस्य होंगे।

(i) विधेयक के प्रभारी मंत्री

(ii) विधेयक के प्रभारी सदस्य, यदि कोई हो

(iii) वह सदस्य जिसके प्रस्ताव पर विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया हो

(iv) शेष सदस्य सदन में दलों के सदस्यों की संख्या के अनुपात में मनोनीत किये जायेंगे या अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए चुने जाएंगे।

237. प्रवर समिति में प्रक्रिया

प्रवर समिति में यथासंभव उसी प्रक्रिया को ऐसे अनुकूलनों के साथ चाहे वे परिवर्तन के रूप में अथवा अंश जोड़ या निकालकर, जैसा अध्यक्ष उचित समझें, का पालन किया जायेगा जो सदन में किसी विधेयक पर विचार के अवसर पर अपनाई जाती है।

(ii) to examine measures taken by the Government to secure due representation of the Other Backward Classes, nominated in services and posts under its control;

(iii) to suggest ways and means of realizing the objectives of Government policy to bring about improvement in the condition of these classes in the shortest possible time; and

(iv) to examine such measures as the Committee may deem fit or are specially referred to it by the House or the Speaker;

235CCC. Power to call for information

The Committee shall obtain monthly information from each department of the Government about measures taken for the welfare of the Other Backward Classes and hold quarterly meetings to examine the reports.

(W) SELECT COMMITTEE

236. Constitution of the Select Committee

(1) When a motion that a Bill be referred to a Select Committee is made and agreed to, the members of the Select Committee on the Bill shall be appointed by the House or by the Speaker if so authorised.

(2) The Select Committee shall consist of nine members as follows—

(i) Minister-in-charge of the Bill

(ii) Member-in-charge of the Bill, if any

(iii) The member on whose motion the Bill is referred to the Select Committee

(iv) Rest of the members of the Assembly may be nominated in proportion to the strength of parties in the House or elected by means of a single transferable vote.

237. Procedure in a Select Committee

The procedure in a Select Committee shall, as for as practicable, be the same as is followed in the House during the consideration stage of a Bill, with such adaptation whether by way of modification, addition or omission, as the Speaker may consider necessary or convenient.

238. प्रवर समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा संशोधन की सूचना

जब कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा चुका हो, तो उसके किसी खण्ड में संशोधन के किसी सदस्य द्वारा दी गई सूचना स्वतः प्रवर समिति को निर्दिष्ट हुई समझी जायेगीः

परन्तु यदि संशोधन की सूचना किसी ऐसे सदस्य से प्राप्त हुई हो जो प्रवर समिति के सदस्य न हों, तो ऐसे संशोधन समिति द्वारा तब तक नहीं लिये जायेंगे जब तक कि वे समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत न किये गये हों।

239. समिति की साक्ष्य लेने की शक्ति

प्रवर समिति विशेष साक्ष्य और उन विशेष हितों के प्रतिनिधियों के बयान सुन सकेगी जिन पर समिति के समक्ष मामलों का प्रभाव पड़ता हो।

240. प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का मुद्रण तथा प्रकाशन

(1) प्रवर समिति की चर्चायें उसकी बैठक में उपस्थित किसी व्यक्ति द्वारा प्रकट नहीं की जायेंगी और ऐसी चर्चाओं का कोई उल्लेख सदन में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रवर समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य प्रवर समिति के सब सदस्यों को उपलब्ध किया जा सकेगा।

(3) समिति निर्देश दे सकेगी कि सम्पूर्ण साक्ष्य, उसका कोई अंश या उसका सारांश पटल पर रख दिया जाये।

(4) प्रवर समिति के सामने दिया गया साक्ष्य प्रवर समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक प्रकाशित नहीं किया जायेगा जब तक वह पटल पर न रख दिया गया होः

परन्तु अध्यक्ष, स्वविवेक से निर्देश दे सकेंगे कि ऐसा साक्ष्य पटल पर औपचारिक रूप से रखे जाने से पहले सदस्यों को गुप्त रूप से उपलब्ध कर दिया जाये।

241. समिति के निर्णयों का अभिलेख

प्रवर समिति के निर्णयों का अभिलेख रखा जायेगा और सभापति के निदेश के अधीन समिति के सदस्यों में वितरित किया जायेगा।

(93)

238. Notice of amendments by members other than members of Select Committee

When a Bill has been referred to a Select Committee, any notice given by a member of any amendment to a clause in the Bill shall stand referred to the Committee:

Provided that where notice of amendment is received from a member who is not a member of the Select Committee, such amendment shall not be taken up by the Committee unless moved by a member of the Committee.

239. Power of Committee to take evidence

A Select Committee may hear expert evidence and representatives of special interests affected by the measure before it.

240. Printing and publication of evidence tendered before a Select Committee

(1) The discussions of a Select Committee shall not be disclosed by any person present at its sitting nor shall any reference to such discussion be made in the House.

(2) The evidence tendered before the Select Committee may be made available to all members of the Select Committee.

(3) The Committee may direct that the whole or a part of the evidence or a summary thereof may be laid on the Table.

(4) The evidence given before a Select Committee shall not be published by any member of the Select Committee or by any other person until it has been laid on the Table:

Provided that the Speaker may, in his discretion, direct that such evidence be confidentially made available to members before it is formally laid on the Table.

241. Record of decisions of the Committee

A record of the decisions of a Select Committee shall be maintained and circulated to members of the Committee under the direction of the Chairman.

242. प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन

(1) विधेयक के प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के बाद शीघ्र ही प्रवर समिति विधयेक पर विचार करने के लिये समय–समय पर समवेत होगी और सदन द्वारा निश्चित अवधि के भीतर उस पर प्रतिवेदन पेश करेगीः

परन्तु जब सदन ने प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिये कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से तीन मास समाप्त होने से पहले प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जिस तिथि को सदन ने प्रवर समिति को विधेयक निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव किया थाः

परन्तु यह भी प्रावधान किया जाता है कि सदन किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर निर्देश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के लिये समय, प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाये।

(2) प्रतिवेदन प्रारम्भिक या अन्तिम हो सकेंगे।

(3) प्रवर समिति अपने प्रतिवेदन में यह बताएगी कि इन नियमों के निर्देशों के अनुसार विधेयक का प्रकाशन हो चुका है या नहीं और प्रकाशन किस तिथि को हुआ है।

(4) जब विधेयक में परिवर्तन किया गया हो, तो प्रवर समिति, यदि वह ठीक समझे, अपने प्रतिवेदन में विधेयक के प्रभारी सदस्य के लिये यह सिफारिश सम्मिलित कर सकेगी कि उनका अगला प्रस्ताव परिचालन का प्रस्ताव होना चाहिए या अगर विधेयक पहले ही परिचालित किया जा चुका हो, तो पुनः परिचालन का।

243. सदस्य द्वारा अभिलिखित असम्मत टिप्पणी

(1) प्रवर समिति के कोई सदस्य विधेयक से संबंधित या प्रतिवेदन में दिये गये किसी विषय या विषयों पर असम्मत टिप्पणी अभिलिखित कर सकेंगे।

(2) असम्मत टिप्पणी संयत और शिष्ट भाषा में लिखी जायेगी और न उसमें प्रवर समिति में की गई चर्चा का जिक्र किया जायेगा और न ही समिति पर आक्षेप किया जायेगा।

(3) यदि अध्यक्ष की राय में किसी असम्मत टिप्पणी में ऐसे शब्द, वाक्यांश या पदावलियां हों, जो असंसदीय या अन्यथा अनुपयुक्त हों तो वे ऐसे शब्दों, वाक्यांशों या पदावलियों को असम्मत टिप्पणियों में से निकाल दिये जाने का आदेश दे सकेंगे।

(94)

242. Report by Select Committee

(1) Soon after a Bill has been referred to it, the Select Committee shall meet from time to time in order to consider the Bill and shall make a report thereon within the time fixed by the House:

Provided that where the House has not fixed any time for the presentation of the report, the report shall be presented before the expiry of three months from the date on which the House adopted the motion for the reference of the Bill to the Select Committee:

Provided further that the House may at any time on a motion being made, direct that the time for the presentation of the report by the Select Committee be extended to a date specified in the motion.

(2) Reports may be either preliminary or final.

(3) The Select Committee shall in its report state whether the publication of the Bill directed by these rules has taken place and the date on which the publication has taken place.

(4) Where a Bill has been altered, the Select Committee may, if it thinks fit, include in its report a recommendation to the member-in-charge of the Bill that his next motion should be a motion for circulation or where the Bill has already been circulated for recirculation.

243. Minutes of dissent recorded by a member

(1) any member of a Select Committee may record a minute of dissention any matter or matters connected with Bill or dealt with in the report.

(2) A minute of dissent shall be couched in temperate and decorous language and shall not refer to any discussion in the Select Committee nor cast aspersions on the Committee.

(3) If in the opinion of the Speaker, a minute of dissent contains words, phrases or expressions which are unparliamentary or otherwise inappropriate, he may order such words, phrases or expressions to be expunged from the minutes of dissent.

(4) असम्मत टिप्पणी यदि कोई हो तो प्रतिवेदन का अंश बनेगी।

244. प्रतिवेदन का मुद्रण तथा प्रकाशन

सचिव प्रवर समिति के प्रत्येक प्रतिवेदन को मुद्रित करायेंगे और प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिये उपलब्ध की जायेगी। समिति का प्रतिवेदन तथा विधेयक यदि संशोधित किया गया हो, तो प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में, गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

(म) विभागो से सम्बद्ध स्थायी समितियां

244क. समितियों का गठन

(1) सदन की विभागों से संबद्ध समितियां होंगी जिन्हें स्थायी समिति कहा जायेगा।

(2) प्रत्येक समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विभाग छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे। परन्तु अध्यक्ष समय–समय पर अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं।

(3) नियम 244अ के अंतर्गत गठित प्रत्येक स्थायी समिति में नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो कि अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाऐंगे।

(4) मंत्री समिति के सदस्य मनोनीत नहीं होंगे और यदि कोई सदस्य समिति का सदस्य मनोनीत होने के पश्चात् मंत्री नियुक्त होता है तो ऐसे सदस्य ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

244ख. समितियों के कार्य

प्रत्येक स्थायी समिति के कार्य होंगेः–

(क) सभा द्वारा स्वीकृत नीतियों से संगत क्या सुधार या उपाय किये जा सकते हैं, की जाँच करना व प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(ख) संबंधित विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करना और सभा को इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन में कटौती प्रस्ताव जैसे सुझाव नहीं होंगे।

(ग) संबंधित विभागों के ऐसे अधिनियमों की जाँच करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जो सदन या अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए हों।

(घ) संबंधित विभागों के नीतिगत दस्तावेजों और वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(95)

(4) The minutes of dissent, if any, shall form part of the report.

244. Printing and publication of report

The Secretary shall cause every report of the Select Committee to be printed and a copy of the report shall be made available, for the use of every member of the House. The report and the Bill, as reported by the Select Committee shall be published in the Gazette.

(X) DEPARTMENT RELATED STANDING COMMITTEES

244A. Constitution of the Committees

(1) There shall be Department Related Standing Committees of the House to be called as Standing Committees.

(2) The Departments covered under the jurisdiction of each of the Standing Committees shall be as specified in the Sixth Schedule:

Provided that the Speaker may amend the Schedule from time to time.

(3) Each of the Standing Committees constituted under rule 244A shall consist of not more than nine members to be nominated by the Speaker.

(4) A Minister shall not be nominated as a member of the Committee and if a member after nomination to the Committee is appointed a Minister, such member shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

244B. Functions of the Committees

The functions of each of the Standing Committees shall be—

(a) to examine and report what measures or reforms consistent with the policy approved by the Assembly might be effected;

(b) to consider the Demands for Grants of the concerned Departments and make a report on the same to the House. The report shall not suggest anything of the nature of cut motions;

(c) to examine such Bills pertaining to the concerned Departments as are referred to the Committee by the House or the Speaker and make reports thereon;

(d) to consider annual reports and policy documents of the concerned Departments and make reports thereon; and

(ङ) उन विभागों से संबंधित लोक महत्व के मामलों को सूक्ष्म परीक्षण, पूछताछ, जाँच पड़ताल के लिए लेना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

244ग. सामान्य नियमों की उपयुक्तता

उन मामलों के सिवाय जिनके लिए स्थायी समितियों से संबंधित नियमों में विशेष प्रावधान किया गया है, अन्य समितियों पर लागू होने वाले आम नियम यथोचित परिवर्तन करके स्थायी समितियों पर लागू होंगे।

(य) अनाधिकृत कॉलोनियों के मामलों से सम्बद्ध समिति

244घ. समिति का गठन

अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अनाधिकृत कालोनियों से सम्बद्ध मामलों पर एक समिति होगी जिसके सदस्यों की संख्या नौ से अधिक नही होगी।

परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किए जाएंगे और यदि कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किए जाएं तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

244ङ. समिति के कार्य

समिति के निम्न कार्य होंगे–

(1) अनाधिकृत कालोनियों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा करना और अपनी सीमा के अंतर्गत मामलों में सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय सदन को प्रतिवेदित करना।

(2) अनाधिकृत कालोनियों की दशा में सुधार के लिए सरकारी नीतियों को साकार करने हेतु उपाय और साधनों का सुझाव देना।

(3) अनाधिकृत कालोनियों के मामलों से सम्बद्ध मामलों में विभिन्न साझेदारों या आम जनता से प्राप्त आवेदनों की जाँच व प्रतिवेदित करना; और

(4) ऐसे मामलों की जाँच करना जिन्हें समिति उचित समझे या विशेष रूप से सदन या अध्यक्ष द्वारा इसे भेजे जायें।

स्पष्टीकरण– आवेदन अध्यक्ष के नाम से व किसी सदस्य से प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए।

(e) to take up matters of public importance concerning the respective Departments for scrutiny, inquiry, investigation and make reports thereon.

244C. Applicability of general rules

Except for matters for which special provision is made in the rules relating to the Standing Committees, the general rules applicable to other Committees shall apply *mutatis mutandis* to the Standing Committees.

(Y) COMMITTEE ON THE ISSUES RELATED TO UNAUTHORISED COLONIES

244D. Constitution of the Committee

There shall be a Committee on the issues related to unauthorized colonies, nominated by the Speaker consisting of not more than nine members.

Provided that no Minister shall be nominated as a member of the Committee and if a member, after his appointment to the Committee is appointed as Minister, he shall cease to be a member of the committee from the date of such appointment.

244E. Functions of the Committee

The functions of the Committee shall be—

(1) to review the progress and implementation of the projects in unauthorized colonies and to report to the House as to the measures that should be taken by the Government in respect of the matters within their purview;

(2) to suggest ways and means of realizing the objectives of Government policies to bring about improvement in the condition of the unauthorized colonies;

(3) to examine and report upon representations received from the various stakeholders or general public on matters connected with issues related to unauthorized colonies; and

(4) to examine such matters as the Committee may deem fit or are specifically referred to it by the House or the Speaker.

Explanation—Representations should be addressed to the Speaker and countersigned by a member.

अध्याय–17

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प

245. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प

कोई सदस्य जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिये धारा 7(2)(ग) के अंतर्गत किसी संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना देना चाहे तो वे उसे लिखित रूप में देंगेः

परन्तु उपरोक्त प्रयोजन के लिये कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक कि सचिव को चौदह दिन पूर्व ऐसी सूचना न दी गई हो।

246. संकल्प की ग्राह्यता

इस प्रकार के संकल्प को ग्राह्य बनाने के लिये उसे निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्–

(i) वह आरोपों के संबंध में निश्चित होगा;

(ii) यह स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया गया होगा; और

(iii) इसमें तर्क–वितर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक भाषा, आरोप अथवा मानहानिकारक वक्तव्यों का समावेश नहीं होगा।

247. संकल्प लिये जाने के लिये सदन की अनुमति

(1) जिस सदस्य के नाम में संकल्प हो, वे संकल्प वापस ले सकेंगे, परन्तु यदि वे ऐसा न करें तो वे संकल्प प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुमति मांगेंगे। इस अवसर पर किसी भाषण की अनुमति नहीं होगी, किन्तु प्रस्तावक संकल्प लाने के कारणों का संक्षेप में उल्लेख कर सकेंगे।

(2) अध्यक्ष अथवा पीठासीन सदस्य उन सदस्यों से जो अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों, अपने–अपने स्थानों पर खड़े होने के लिये कहेंगे। यदि उस समय सदन के सदस्यों के पंचमांश से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य प्रस्तावक को सूचित करेंगे कि उसे संकल्प प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुमति नहीं है।

248. नियत दिन की कार्य–सूची में संकल्प का सम्मिलित किया जाना

(1) यदि उपरोक्त नियम के उपबंधों के अनुसार प्रस्तावक संकल्प को प्रस्तुत

CHAPTER-XVII

RESOLUTION FOR REMOVAL OF SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER

245. Resolution for removal of Speaker and Deputy Speaker

A member wishing to give notice of his intention to move a resolution under section 7(2)(c) for the removal of Speaker or the Deputy Speaker from his office shall do so in writing:

Provided that no resolution for the aforesaid purpose shall be moved unless notice has been given to the Secretary at least fourteen days before.

246. Admissibility of resolution

In order that such a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely—

(i) it shall be specific with respect to the charges;

(ii) it shall be clearly and precisely expressed; and

(iii) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements.

247. Leave of the House to take up resolution

(1) The member in whose name the resolution stands may withdraw the resolution, but if he does not do so he shall ask for the leave of the House to move the resolution. No speech shall be permitted at this stage, but the mover may briefly state the reason for bringing the resolution.

(2) The Speaker or the Presiding Member shall ask those members who are in favour of leave being granted to rise in their places. If less than one-fifth of the total number of then members of the House rise in their places; the Speaker or the Presiding Member shall inform the mover that he has not the leave of the House to move the resolution.

248. Resolution included in the list of business on the appointed day

(1) In case, the mover obtains the leave of the House to move the resolution according to the provisions of the last preceding rules,

करने की अनुमति सदन से प्राप्त कर लें, तो संकल्प उसी दिन अथवा किसी नियत दिन पर विचार के लिये लिया जा सकेगा।

(2) ऐसा संकल्प प्रश्न काल के बाद और अन्य कोई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लिया जायेगा।

249. संकल्प पर विचार के समय पीठासीन सदस्य

धारा 8 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जब उपरोक्त नियमों के अंतर्गत पद से हटाने का कोई संकल्प विचारार्थ लिया जाये तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई अन्य सदस्य पीठासीन होंगे।

250. भाषणों के लिये समय सीमा

किसी संकल्प पर भाषण की अवधि 15 मिनट से अधिक नहीं होगीः

परन्तु संकल्प के प्रस्तावक या अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, उतने समय तक भाषण दे सकेंगे जितने की पीठासीन व्यक्ति अनुमति दे।

the resolution shall be taken up for consideration on the same day or any appointed day.

(2) Such a resolution shall be taken up after the question hour and before any other business is entered upon.

249. The Presiding Member at the time of consideration of the Resolution

Subject to the provisions of sub-section (1) of section 8, the Speaker or the Deputy Speaker or such other person, as is referred to in sub-section (4) of section 7 shall preside when a resolution for removal under the foregoing rules is taken up for consideration.

250. Time limit for speeches

No speech on the resolution shall exceed fifteen minutes in duration:

Provided that the mover of the resolution or the Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, may speak for such time as the member presiding may permit.

अध्याय–18

मंत्रि–परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

251. अविश्वास का प्रस्ताव

(1) मंत्रि–परिषद् में विश्वास के अभाव को प्रकट करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से निम्नलिखित पाबंदियों के साथ किया जा सकेगा, अर्थात्

(i) प्रस्ताव करने की अनुमति प्रश्नकाल के उपरांत तथा दिन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मांगी जायेगी।

(ii) अनुमति मांगने वाले सदस्य को सदन की उस दिन की बैठक होने से कम से कम तीन घंटे पूर्व सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे, लिखित सूचना (चतुर्थ सूची में प्रदर्शित प्रपत्र के अनुसार) देनी होगी।

(2) यदि अध्यक्ष की राय हो कि प्रस्ताव नियमानुकूल है तो वे प्रस्ताव को सदन को पढ़कर सुनायेंगे और उन सदस्यों से जो अनुज्ञा दिये जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने की प्रार्थना करेंगे और यदि समस्त सदस्यों के कम से कम पंचमांश सदस्य इस प्रकार खड़े हो जायें, तो अध्यक्ष सूचित करेंगे कि अनुज्ञा दी जाती है और प्रस्ताव अनुज्ञा दिये जाने के दिन से अधिक से अधिक तीन दिन के भीतर किसी ऐसे दिन जो अध्यक्ष नियत करें, लिया जायेगा। यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष, सदस्य को सूचित करेंगे कि उन्हें सदन की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है।

(3) यदि उप–नियम (2) के अन्तर्गत अनुज्ञा दे दी जाये तो अध्यक्ष सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेंगे।

(4) अध्यक्ष, नियत दिन या अन्तिम दिन, जैसा भी मामला हो, निश्चित समय प्रस्ताव पर सदन का निर्णय निर्धारित करने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेंगे।

(5) अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, भाषणों के लिये समय सीमा निश्चित कर सकेंगे।

252. मंत्री का वक्तव्य जिसने पद त्याग किया है

किसी सदस्य को जिसने मंत्री पद का त्याग किया हो, अध्यक्ष की सम्मति से

CHAPTER-XVIII

MOTION OF NO CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

251. Motion of No Confidence

(1) A motion expressing want of confidence in the Council of Ministers may be made with the consent of the Speaker subject to the following restrictions, namely—

(i) Leave to make the motion shall be asked for after the Question Hour and before the list of business for the day is entered upon.

(ii) The member asking for leave shall deliver to the Secretary a written notice of the motion (as per form set out in Fourth Schedule) which he proposes to move by three hours before the sitting for the day.

(2) If the Speaker is of opinion that the motion is in order, he shall read the motion to the House and shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and, if not less than one-fifth of the total number of the members of the House rise accordingly, the Speaker shall intimate that leave is granted and that the motion will be taken on such day, not being more than three days from the date on which the leave is granted, as he may appoint. If less than the requisite number of members rise the Speaker shall inform the member that he has not the leave of the House.

(3) If leave is granted under sub-rule (2) the Speaker may, after considering the state of business in the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion.

(4) The Speaker shall, at the appointed hour on the allotted day or the last of the allotted days, as the case may be, forthwith put every question necessary to determine the decision of the House on the motion.

(5) The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time limit for speeches.

252. Statement by a Minister who has resigned

(1) A member who has resigned the office of the Minister shall have the right with the consent of the Speaker to make a personal

अपने त्याग–पत्र के स्पष्टीकरण में एक व्यक्तिगत वक्तव्य देने का अधिकार होगा। जिस दिन वक्तव्य दिया जाये उससे एक दिन पहले उसकी एक प्रति अध्यक्ष और सदन के नेता को भेजी जायेगीः

परन्तु लिखित वक्तव्य की अनुपस्थिति में ऐसे वक्तव्य की मुख्य बातें या उसका सार अध्यक्ष और सदन–नेता को, जिस दिन वक्तव्य दिया जाये उससे एक दिन पहले, भेजा जायेगा।

(2) ऐसा वक्तव्य प्रश्नों के उपरांत और दिन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व दिया जायेगा।

(3) ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद–विवाद नहीं होगा, परन्तु कोई मंत्री तत्संगत वक्तव्य दे सकेगा।

(100)

statement in explanation of his resignation. A copy of the statement shall be forwarded to the Speaker and the Leader of the house one day in advance of the day on which it is made:

Provided that in the absence of a written statement the points or the gist of such statement shall be conveyed to the Speaker and the Leader of the House one day in advance of the day on which it is made.

(2) such statement shall be made after questions and before the list of business for the day is entered upon.

(3) There shall be no debate on such statement, but any Minister may make a statement pertinent thereto.

अध्याय–19

उपराज्यपाल और विधान सभा के बीच संसूचना

253. उपराज्यपाल द्वारा विधान सभा को संसूचना

उपराज्यपाल, विधान सभा को अपनी संसूचना एक लिखित संदेश द्वारा अध्यक्ष के पास भेजेंगे जो उनके द्वारा सदन को पढ़कर सुनाई जायेगी।

254. विधान सभा द्वारा उपराज्यपाल को संसूचना

विधान सभा उपराज्यपाल को अपनी संसूचना इस प्रकार भेज सकेगी–

(1) सदन में प्रस्ताव किये जाने तथा स्वीकृत होने के पश्चात् औपचारिक संबोधन द्वारा; और

(2) अध्यक्ष के माध्यम से।

CHAPTER-XIX

COMMUNICATION BETWEEN THE LIEUTENANT GOVERNOR AND THE ASSEMBLY

253. Communications from the Lieutenant Governor to the Assembly

Communications from the Lieutenant Governor to the Assembly may be made by a written message delivered to the Speaker and read to the House by him.

254. Communications from the Assembly to the Lieutenant Governor

Communication from the Assembly to the Lieutenant Governor may be made—

(1) by formal address, after a motion made and carried in the House; and

(2) through the Speaker.

अध्याय–20

सदन के स्थानों का त्याग और उनकी रिक्तता तथा अनुपस्थित सदस्य

255. सदन के स्थानों का त्याग

जो सदस्य सदन में अपने स्थान का त्याग करना चाहें, वे निम्नलिखित प्रपत्र में ऐसी सूचना देंगे –

सेवा में

अध्यक्ष,
विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र
दिल्ली।

श्रीमान्,

मैं एतदद्वारा सदन में अपने पद से.....(दिनांक) पूर्वाह्न/अपराह्न से पद त्याग करता हूं।

भवदीय,

.....

(विधान सभा के सदस्य के हस्ताक्षर)

स्थान :

तिथि :

नोटः (1) पत्र में दिये हुए पद त्याग में दिनांक और समय उस समय से पूर्व के नहीं होंगे जब कि वह पत्र लिखा गया है।

(2) यदि कोई सदस्य अपना त्याग–पत्र अध्यक्ष को स्वयं व्यक्तिगत रूप से देते हैं और उनको सूचित करते हैं कि त्याग–पत्र स्वेच्छा से दिया गया है और प्रामाणिक है और अध्यक्ष के पास कोई विपरीत सूचना या जानकारी नहीं है तो अध्यक्ष त्याग–पत्र को तत्काल स्वीकार कर सकेंगे।

(3) यदि अध्यक्ष को त्याग–पत्र डाक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मिले तो अध्यक्ष, त्याग–पत्र की स्वेच्छात्मक प्रकृति तथा प्रामाणिकता के बारे में अपना समाधान करने के लिये ऐसी जांच कर सकेंगे जिसे वे

CHAPTER-XX

RESIGNATION AND VACATION OF SEATS IN THE HOUSE AND ABSENTEE MEMBERS

255. Resignation of seats in the House

(1) A member who desires to resign his seat in the House shall intimate in the following form:

To

The Speaker,
Legislative Assembly,
National Capital Territory of Delhi.

Sir,

I hereby tender my resignation of my seat in the House with effect from.....(date) forenoon/afternoon.

Yours faithfully,

.....

(Signature of Member of the House)

Place:

Date:

Note: (1) The date and time of resignation given in the letter shall not be earlier than the one on which the letter is written.

(2) If a member hands over the letter of his resignation personally to the Speaker and informs him that the resignation is voluntary and genuine, and the Speaker has no information or knowledge to the contrary, the Speaker may accept the resignation immediately.

(3) If the Speaker receives the letter of resignation by post or through some other person the Speaker may make such enquiry as he thinks fit to satisfy himself about the voluntary nature and genuineness of the resignation. If the Speaker is satisfied, after

उचित समझें। यदि अध्यक्ष द्वारा या तो स्वयं या विधान सभा सचिवालय के माध्यम से या ऐसे अन्य माध्यम से जिसे वे उचित समझें, संक्षिप्त जांच के उपरान्त यह समाधान हो जाये कि त्याग–पत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है या प्रामाणिक नहीं है तो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे।

(4) कोई सदस्य अपने त्याग–पत्र को अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने से पूर्व वापस ले सकेंगे।

(5) किसी सदस्य का त्याग–पत्र स्वीकार करने के उपरान्त अध्यक्ष शीघ्र सदन को सूचना देंगे कि अमुक–अमुक सदस्य ने सदन में अपने पद का त्याग कर दिया है और उन्होंने त्याग–पत्र स्वीकार कर लिया है।

स्पष्टीकरण–जब सदन सत्र में न हो तो अध्यक्ष सदन के पुनः समवेत होने के बाद, तुरंत सदन को सूचना देंगे।

(6) सचिव, अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य के त्याग–पत्र को स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त यथाशीघ्र यह जानकारी बुलेटिन तथा गजट में प्रकाशित कराएंगे और अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार हुई रिक्तता की पूर्ति हेतु कार्रवाई करने के लिये भेजेंगे। परन्तु यदि त्याग–पत्र किसी आगामी तिथि से प्रभावी होने वाला हो तो उसकी जानकारी बुलेटिन तथा गजट में उस दिनांक से पूर्व प्रकाशित नहीं की जायेगी जिस दिनांक से उसे प्रभावी होना है।

(7) त्याग–पत्र में निर्दिष्ट दिनांक एवं समय से पद त्याग प्रभावी होगा।

(8) यदि त्याग–पत्र की प्रामाणिकता अथवा स्वेच्छात्मक प्रकृति के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हो तो उप–नियम (5) अथवा उप–नियम (6) के अंतर्गत कार्रवाई करने से पूर्व उसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(9) यदि कोई त्याग–पत्र निर्धारित प्रपत्र में न हो तो वह संबद्ध सदस्य को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने हेतु वापस कर दिया जायेगा।

256. सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये अनुमति

(1) जो सदस्य धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत सदन की बैठकों में अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्राप्त करना चाहें, वह अध्यक्ष को लिखित रूप में आवेदन–पत्र देंगे जिसमें उस कालावधि का उल्लेख करेंगे जिसके लिये उन्हें सदन की

(103)

making a summary enquiry either himself or through Legislative Assembly Secretariat or such other agency as he may deem fit, that the resignation is not voluntary or genuine he shall not accept it.

(4) A member may withdraw his resignation before it is accepted by the Speaker.

(5) Soon after the acceptance of the resignation of a member, the Speaker shall inform the House that such and such member has resigned his seat in the House and that he has accepted the resignation.

***Explanation*—**When the House is not in session, the Speaker shall inform the House immediately after it re-assembles.

(6) The Secretary shall, as soon as may be, after the Speaker has accepted the resignation of a member, cause the information to be published in the bulletin and the Gazette and forward a copy of the notification to the Election Commission for taking steps to fill the vacancy thus caused. But if the resignation is to take effect from future date, the information shall not be published in the bulletin and Gazette before the date from which it is to take effect.

(7) The resignation shall take effect from the date and time specified in the letter of resignation.

(8) If any dispute arises as regards the genuineness or voluntary nature of the resignation, the same shall be determined by the Speaker before any action is taken under sub-rule (5) or sub-rule (6).

(9) If any letter of resignation is not in the form prescribed, it shall be returned to the member concerned for being submitted in the prescribed form.

256. Permission to remain absent from sittings of the House

(1) A member wishing to obtain permission of the House for remaining absent from sittings thereof under sub-section (3) of section 14, shall make an application in writing to the Speaker, stating the

बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये।

(2) ऐसा आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र ही जैसा कि अध्यक्ष आदेश दें, सदन के विचारार्थ रखा जायेगा और इस प्रकार नियत दिवस में प्रश्नकाल के उपरांत तत्काल तथा उस दिन का अन्य कार्य आरम्भ होने के पूर्व उस पर विचार किया जायेगा।

(3) अध्यक्ष, उस ढंग को निश्चित करेंगे जिसके अनुसार ऐसे आवेदन–पत्रों पर सभा का निर्णय लिया जायेगा।

(4) सचिव, सदस्य को उनके आवेदन–पत्र पर सभा के निर्णय की यथाशीघ्र सूचना देंगे।

(5) यदि कोई सदस्य जिन्हें उप–नियम (2) के अंतर्गत अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई हो, अवकाश की कालावधि के दौरान सदन के सत्र में उपस्थित हो जाये तो उनकी पुनः उपस्थिति की तिथि से अवकाश का शेष भाग समाप्त हो जायेगा।

(6) यदि कोई सदस्य 60 दिन की कालावधि या उससे अधिक समय तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसकी सभी बैठकों से, जिसकी गणना धारा 14 की उपधारा (3) के परन्तुक में निहित रीति से की जायेगी, अनुपस्थित रहे तो सदन–नेता या कोई भी अन्य सदस्य प्रस्ताव कर सकेंगे कि ऐसे सदस्य का पद रिक्त घोषित कर दिया जाये।

(7) सदस्य ऐसे प्रस्ताव की तीन दिन की सूचना अवश्य देंगे और अपनी सूचना के साथ उन तिथियों का एक पूर्ण विवरण भेजेंगे जिसमें वह सदस्य अनुपस्थित थे।

(8) उप–नियम (6) के अंतर्गत प्रस्ताव स्वीकार हो जाने के बाद सचिव यह जानकारी गजट में प्रकाशित करायेंगे और अधिसूचना की एक प्रति निर्वाचन आयोग को इस प्रकार हुई रिक्तता की पूर्ति हेतु कार्रवाई करने के लिये भेजेंगे।

257. उपस्थिति पंजिका

सचिव सभा की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख रखेंगे और इस प्रयोजन के लिये एक उपस्थिति पंजिका रखी जायेगी। यह सत्र की बैठक प्रारंभ होने से एक घंटे पूर्व लॉबी में रखी जायेगी और यह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष

period for which he may be permitted to be absent from the sittings of the House.

(2) Such application shall be set down for consideration by the House soon after receipt, as may be ordered by the Speaker, and shall on the day so fixed be considered immediately after questions and before any other business for the day is entered upon.

(3) The Speaker shall decide the manner in which the decision of the Assembly shall be taken on such application.

(4) The Secretary shall inform the member, as soon as possible of the decision of the Assembly on his application.

(5) If a member who has been granted leave of absence under sub-rule (2) attends the session of the House during the period of leave, the unexpired portion of the leave from the date of his resumed attendance shall lapse.

(6) If a member is absent without permission from all sittings of the Assembly for a period of 60 days or more, computed in the manner provided in the proviso to sub-section (3) of section 14, the Leader of the House or any other member may move that such member's seat be declared vacant.

(7) Three days notice of such a motion shall be necessary and a complete statement of the dates on which the member was absent shall be appended to it.

(8) The Secretary shall, after the motion under sub-rule (6) is carried, cause the information to be published in the Gazette and forward a copy of the notification to the Election Commission for taking steps to fill the vacancy thus caused.

257. Attendance register

A record of attendance of members in the sittings of the House shall be kept by the Secretary and for this purpose an attendance register shall be maintained. It will be placed in the lobbies an hour before the commencement of a sitting and the members, other than Speaker, the Deputy

एवं सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उसमें सत्र के दिन के लिये स्थगित होने से पूर्व हस्ताक्षर करेंगे। जो सदस्य पंजिका में हस्ताक्षर नहीं करेंगे वे अनुपस्थित समझे जायेंगेः

परन्तु जो सदस्य इस प्रकार अनुपस्थित समझे जायें वह बैठक के 15 दिन के भीतर जिसमें वे उपस्थित थे, किन्तु हस्ताक्षर नहीं कर सके थे, अध्यक्ष को अपनी उपस्थिति का समाधान करा सकेंगे और यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाये तो वे आदेश दे सकेंगे कि उनको उपस्थित अंकित किया जाये।

(105)

Speaker, Ministers, the Leader of Opposition and the Chief Whip of the Ruling Party shall sign it before the sitting is adjourned for the day. A member who has not signed the register shall be treated as absent:

Provided that the member who has been treated as absent may, within fifteen days of such a sitting which he attended and during which he failed to sign the attendance register, satisfy the Speaker about his attendance and the Speaker, if so satisfied, may order that he may be marked present.

अध्याय–21

प्रक्रिया के साधारण नियम

(क) सूचना

258. सूचनाओं का दिया जाना

(1) नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी, जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जायेगी तथा सूचना कार्यालय में ही दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय–समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा।

(2) सूचना कार्यालय में उप–नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेंगी।

(3) जब सदन की बैठक हो रही हो तो कटौती प्रस्तावों के अतिरिक्त जो सूचनाएं उप–नियम (1) के अन्तर्गत प्राप्त हों, उनकी प्रतिलिपि सचिव द्वारा सदस्यों में अगले दिन तक वितरित कर दी जायेगी।

(ख) संशोधन

259. ग्राह्य संशोधन

(1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक संशोधन उस प्रस्ताव के विषय से सुसंगत होना चाहिए, जिस के संबंध में वह प्रस्तावित किया जाये।

(2) यदि अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें, तो संशोधन की सूचना जिस दिन प्रस्ताव पर विचार किया जाना हो उससे कम से कम एक दिन पूर्व दी जायेगी।

(3) ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा जिसका प्रभाव केवल नकारात्मक मत हों।

(4) जब प्रस्ताव के किसी भाग के संशोधन पर निर्णय हो चुका हो तो उसके पूर्व का भाग संशोधित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जो उसी विषय पर दिये गये पूर्व निर्णयों से असंगत हो।

(6) अध्यक्ष को संशोधनों के चयन की शक्ति होगी तथा वे किसी अवस्था में किसी संशोधन को जो उनकी राय में निरर्थक या अनियमित हो, अस्वीकार कर सकेंगे या उस पर मत लेना अस्वीकार कर सकेंगे।

(106)

CHAPTER-XXI

GENERAL RULES OF PROCEDURE

(A) NOTICE

258. Giving of notices

(1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Office between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.

(2) A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.

(3) While the House is sitting, copies of the notices except of cut motions, received under sub-rule (1) shall be circulated by the Secretary to members by next day.

(B) AMENDMENTS

259. Amendments which may be admissible

(1) Subject to these rules, an amendment shall be relevant to the subject matter of the motion to which it is proposed.

(2) A notice of amendment shall be given at least one day before the day on which the motion is to be considered, unless the Speaker directs otherwise.

(3) An amendment may not be moved which if carried, would have merely the effect of a negative vote.

(4) After a decision has been given on an amendment to a part of a motion the earlier part thereof shall not be amended.

(5) No amendment may be proposed which is inconsistent with a previous decision on the same subject.

(6) The Speaker shall have the power to select amendments given notice of and he may, at any stage, disallow an amendment or refuse to put to vote an amendment, which in his opinion is frivolous or irregular.

260. संशोधन पर मत

(1) जब किसी प्रस्ताव पर एक या एक से अधिक संशोधन प्रस्तुत किये जायें तब अध्यक्ष उन पर प्रश्न प्रस्तुत करने से पूर्व मूल प्रस्ताव को सदन को बतायेंगे या पढ़कर सुनायेंगे।

(2) यह अध्यक्ष के स्वविवेक में होगा कि वह मूल प्रस्ताव को पहले मतदान के लिये रखते हैं या उससे संबद्ध किसी संशोधन पर पहले मतदान कराने हेतु रखते हैं।

(ग) सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

261. सभा में उपस्थिति के समय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

जब सदन की बैठक हो रही हो, तो सदस्य –

(i) कोई ऐसी पुस्तक, समाचार–पत्र या पत्र नहीं पढ़ेंगे और न उस कार्य के अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य करेंगे, जिसका सदन की कार्यवाही से संबंध न हो;

(ii) किसी सदस्य द्वारा भाषण करते समय, उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेंगे;

(iii) सदन में प्रवेश करते समय या सदन से बाहर जाते समय और अपने स्थान पर बैठते समय या वहां से उठते समय भी अध्यक्षपीठ के प्रति नमन करेंगे;

(iv) अध्यक्षपीठ और ऐसे सदस्य के बीच में से जो भाषण दे रहे हों, नहीं गुजरेंगे;

(v) जब अध्यक्ष सदन को संबोधित कर रहे हों तो न सदन के बाहर जायेंगे और न एक ओर से दूसरी ओर जायेंगे;

(vi) सदैव अध्यक्षपीठ को ही संबोधित करेंगे;

(vii) सदन को संबोधित करते समय अपने सामान्य स्थान पर ही रहेंगे;

(viii) जब सदन में नहीं बोल रहे हों तो शांत रहेंगे;

(ix) जब सदन में भाषण हो रहे हों या सदन का सत्र चल रहा हो, तो कार्यवाही में चिल्लाकर, सीटी बजाकर अथवा किसी भी अन्य तरीके से रुकावट अथवा बाधा नहीं डालेंगे;

(107)

260. Vote on Amendment

(1) When one or more amendments are moved to a motion, the Speaker shall, before putting the question thereon, state or read to the House the original motion.

(2) It shall be in the discretion of the Speaker either to put the original motion to vote first or any of the amendments thereto.

(C) RULES TO BE OBSERVED BY MEMBERS

261. Rules to be observed by members while present in the House

While the House is sitting, a member—

(i) shall not read any book, newspaper or letter, nor shall he do anything which is unconnected with the business of the House;

(ii) shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression; or noises or in any other disorderly manner;

(iii) shall bow to the Chair while entering or leaving the House, and also when taking or leaving his seat;

(iv) shall not pass between the Chair and any member who is speaking;

(v) shall not leave or cross the floor of the House when the Speaker is addressing the House;

(vi) shall always address the Chair;

(vii) shall keep to his usual seat while addressing in the House;

(viii) shall maintain silence when not speaking in the House;

(ix) shall not obstruct or interrupt the proceedings by shouting, hissing or in any other manner whatsoever when speeches are being made in the House or the House is in session;

(x) भाषण करते समय किसी दीर्घा में किसी अजनबी की ओर संकेत नहीं करेंगे;

(xi) जब किसी दीर्घा में अथवा विशेष बाक्स में कोई अजनबी प्रवेश करे तो कोई प्रशंसा–घोष नहीं करेंगे;

(xii) सदन में नारे नहीं लगाएंगे;

(xiii) अध्यक्ष के आसन की ओर पीठ करके नहीं बैठेंगे या खड़े नहीं होंगे;

(xiv) सदन में अध्यक्षपीठ के पास स्वयं नहीं जायेंगे। यदि आवश्यक हो तो वह पटल अधिकारी को पर्चियां भेज सकते हैं;

(xv) सदन में किसी प्रकार के बिल्ले नहीं लगाएंगे या प्रदर्शित नहीं करेंगे;

(xvi) सदन में शस्त्र नहीं लाएंगे या प्रदर्शित नहीं करेंगे;

(xvii) सदन में झण्डे, प्रतीक या कोई नमूना प्रदर्शित नहीं करेंगे;

(xviii) अपना भाषण देने के तुरन्त बाद सभा से बाहर नहीं जायेंगे;

(xix) सदन के परिसर में ऐसे साहित्य, प्रश्नावली, पुस्तिकाओं, प्रेस टिप्पणियों, पर्चों इत्यादि का वितरण नहीं करेंगे जो सदन के कार्य से संबंधित न हो;

(xx) सदन में डेस्क पर अपना हैट/टोपी नहीं रखेंगे, फाइल रखने या लेखन कार्य के लिये सदन में बोर्ड नहीं लाएंगे, सदन में धूम्रपान नहीं करेंगे या बांह पर कोट लटकाकर सदन में प्रवेश नहीं करेंगे;

(xxi) जब तक स्वास्थ्य के आधार पर अध्यक्ष द्वारा अनुमति न दी गई हो, सदन में छड़ी नहीं लाएंगे;

(xxii) सदन में विरोधस्वरूप दस्तावेजों को नहीं फाड़ेंगे;

(xxiii) सदन में कैसेट या टेप रिकार्डर नहीं लाएंगे या बजाएंगे;

(xxiv) लॉबी में इतनी जोर से बात नहीं करेंगे अथवा हंसेंगे जो सदन में सुनाई दे; और

(xxv) सदन में किसी भी तरह के फोन, यंत्र अथवा इलैक्ट्रानिक वस्तुएं नहीं लाएंगे।

262. अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर सदस्य का बोलना

अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर सदस्य बोलने के लिए खड़े होंगे। यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य खड़े हो जायें तो जिस सदस्य का नाम पुकारा

(x) shall not, while speaking, point to any stranger in the gallery;

(xi) shall not applaud when a stranger enters any of the Galleries or the Special box;

(xii) shall not shout slogans in the House;

(xiii) shall not sit or stand with his back towards the Chair;

(xiv) shall not approach the Chair personally in the House. He may send chits to the officers at the Table, if necessary;

(xv) shall not wear or display badges of any kind in the House;

(xvi) shall not bring or display arms in the House;

(xvii) shall not display flags, emblems or any exhibits in the House;

(xviii) shall not leave the House immediately after delivering his speech;

(xix) shall not distribute within the precincts of the House any literature, questionnaire, pamphlets, press notes, leaflets, etc. not connected with the business of the house;

(xx) shall not place his hat/cap on the desk in the House, bring boards in the Chamber for keeping files for writing purposes, smoke or enter the House with his coat hanging on the arms;

(xxi) shall not carry walking stick into the House unless permitted by the Speaker on health grounds;

(xxii) shall not tear off documents in the House in protest;

(xxiii) shall not bring or play cassette or tape recorder in the House;

(xxiv) shall avoid talking or laughing in Lobby loud enough to be heard in the House; and

(xxv) shall not carry any mobile phone, apparatus or electronic gadgets in the House.

262. Member to speak when called by the Speaker

The member shall rise to speak, when the Speaker calls his name. If more members than one rise at the same time, the member whose name

जायेगा केवल उन्हीं को बोलने का अधिकार होगा।

263. सदन को संबोधित करने का ढंग

कोई सदस्य, जो सदन के समक्ष किसी विषय पर कुछ कहना चाहते हों, बोलते समय खड़े होंगे और अध्यक्ष को संबोधित करेंगे:

परन्तु अध्यक्ष रोग या दुर्बलता के कारण किसी असमर्थ सदस्य को बैठकर बोलने की अनुज्ञा भी दे सकेंगे।

264. बोलते समय पालनीय नियम

(1) प्रत्येक भाषण चर्चाधीन विषय से सर्वथा सुसंगत होना चाहिए,

(2) बोलते समय कोई सदस्य–

(क) किसी प्रश्न का टालमटोल वाला उत्तर नहीं देंगे;

(ख) किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय के विचाराधीन हो, कोई विचार प्रकट नहीं करेंगे और न ही कोई आलोचना करेंगे;

(ग) किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप तथा लांछन नहीं लगाएंगे;

(घ) संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के व्यवहार या कार्य के विषय में अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे;

(ङ) सदन के विनिश्चय की, ऐसे अवसर को छोड़कर, जब उसे निरस्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, आलोचना नहीं करेंगे;

(च) राष्ट्रपति, किसी राज्यपाल अथवा किसी न्यायालय के आचरण पर आक्षेप नहीं करेंगे;

(छ) राष्ट्रद्रोह या मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, किन्तु वह अध्यक्ष की अनुज्ञा से अपने तर्क के प्रयोजन के लिये उनको उद्धृत कर सकेंगे;

(ज) कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो अध्यक्ष अथवा सदन के लिये अनादर सूचक हो;

(झ) सरकारी अधिकारियों का नाम लेकर उल्लेख नहीं करेंगे; और

(ञ) अध्यक्षपीठ की पूर्व अनुमति के बिना लिखित भाषण नहीं पढ़ेंगे।

(109)

is called shall be entitled to speak.

263. Mode of addressing the House

A member desiring to make any observations on any matter before the House shall rise when he speaks and shall address the Speaker:

Provided that a member disabled by sickness or infirmity may be permitted by the Speaker to speak while sitting.

264. Rules to be observed while speaking

(1) The matter of every speech must be strictly relevant to the matter under discussion.

(2) A member while speaking shall not—

(a) give any evasive reply to any question;

(b) express any opinion or make any comment on any matter of fact under consideration of a Court of Justice;

(c) make a personal charge or accusation against a member;

(d) use offensive expressions about the conduct of business of parliament or the legislature of any State;

(e) reflect on any decision of the House except when a motion for rescinding it is under consideration;

(f) reflect upon the conduct of the President or any Governor or any Court of Justice;

(g) utter treasonable or defamatory words but he may, with the permission of the Speaker, quote them for the purposes of his argument;

(h) say anything which is derogatory to the Chair or to the House;

(i) refer to the Government officials by name; and

(j) read a written speech except with the prior permission of the Chair.

265. किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने के संबंध में प्रक्रिया

किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अशिष्ट स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके:

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से मना कर सकेंगे यदि उनकी राय में ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसे आरोप से कोई लोक–हित सिद्ध नहीं होता।

266. प्रश्न अध्यक्ष के माध्यम से पूछे जायेंगे

जब चर्चा के बीच स्पष्टीकरण के लिये या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, किसी सदस्य को सभा के विचाराधीन किसी विषय पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूछना हो तो वह अध्यक्ष के माध्यम से पूछेंगे।

267. असंगति या पुनरावृत्ति

अध्यक्ष ऐसे सदस्य के जो बार–बार असंगत बातें करें या स्वयं अपनी या अन्य सदस्यों द्वारा वाद–विवाद में तर्क–वितर्क की अरुचिकर पुनरावृत्ति करें, उनके व्यवहार की ओर सभा का ध्यान दिलाने के उपरांत उस सदस्य को भाषण बन्द करने का निर्देश दे सकेंगे।

268. वैयक्तिक स्पष्टीकरण

कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे सकेंगे यद्यपि सदन के सामने कोई प्रश्न न भी हो, किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं उठाया जायेगा और कोई वाद–विवाद नहीं होगा।

(घ) भाषणों का क्रम तथा उत्तर देने का अधिकार

269. भाषणों का क्रम तथा उत्तर देने का अधिकार

(1) प्रस्तावक सदस्य के भाषण के उपरान्त अन्य सदस्य प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा निश्चित क्रमानुसार भाषण कर सकेंगे। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर भाषण न करे तो फिर उन्हें अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना वाद–विवाद के किसी आगे के प्रक्रम में प्रस्ताव पर भाषण देने का अधिकार नहीं होगा।

(110)

265. Procedure for making allegation against any person

No member shall make any allegation of defamatory or offensive nature against any person unless the member has given prior notice to the Speaker and the Minister concerned so that the Minister may examine the matter for the purpose of reply:

Provided that the Speaker may prohibit any member at any time from making such allegation, if he is of the opinion that such allegation is against the dignity of the House or such allegation does not serve public interest.

266. Questions to be asked through the Speaker

When for the purposes of explanation during discussion or for any other sufficient reason, any member has to ask a question from another member on any matter under the consideration of the Assembly, he shall ask the question through the Speaker.

267. Irrelevance or repetition

The Speaker, after having called the attention of the Assembly to the conduct of a member who persists in irrelevance or tedious repetition either of his own arguments or of the arguments used by other members in debate may direct him to discontinue his speech.

268. Personal explanation

A member may give personal explanation with the permission of the Speaker though there may be no question before the House, provided that in such case no controversial question shall be raised and there would be no debate.

(D) ORDER OF SPEECHES & RIGHT OF REPLY

269. Order of speeches and right of reply

(1) After the member who makes a motion has spoken, other members may speak on the motion in such order as the Speaker may determine. If any member when called upon by the Speaker does not speak, he shall not be entitled except with the permission of the Speaker to speak on the motion at any later stage of the debate.

(2) अन्यथा प्रावधान के अधीन रहते हुए कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर एक से अधिक बार भाषण नहीं देंगे।

(3) कोई सदस्य जिन्होंने कोई मूल प्रस्ताव या उस पर कोई संशोधन प्रस्तुत किया हो या बजट की मांगों के लिये किसी मद को कम करने या हटा देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, उत्तर के रूप में पुनः भाषण कर सकेंगे, और यदि प्रस्ताव या संशोधन किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो उस मंत्री को, जिसके विभाग से चर्चाधीन विषय का संबंध हो, प्रस्तावक के पश्चात् भाषण करने का अधिकार होगा, चाहे उन्होंने वाद–विवाद में पहले भाषण किया हो या न किया हो।

(4) उप–नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए वाद–विवाद सब अवस्थाओं में मूल प्रस्ताव के प्रस्तावक के उत्तर देने पर समाप्त हो जायेगा।

270. मंत्री का वाद–विवाद में हस्तक्षेप करने या वक्तव्य देने का अधिकार

(1) (क) कोई मंत्री अध्यक्ष की अनुमति से वाद–विवाद के दौरान किसी भी अवसर पर हस्तक्षेप कर सकेगा और वाद–विवाद का समापन करने की दृष्टि से उसे उत्तर देने का भी अधिकार होगा।

(ख) किसी भी लोक महत्व के विषय पर अध्यक्ष की सहमति से मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा, किन्तु जब वक्तव्य दिया जा रहा हो, उस समय कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

(2) खण्ड 1 (ख) के अंतर्गत सदन में वक्तव्य देने के इच्छुक मंत्री, जिस दिन वक्तव्य देना प्रस्तावित हो, उससे पहले अपने आशय की सूचना देंगे और वक्तव्य की प्रतिलिपि भी सचिव को भेजेंगे।

(3) वक्तव्य उसी विषय से संबंधित होगा, जिसके लिये मंत्री उत्तरदायी हो और वह लोक महत्व के किसी विशिष्ट मामले या किसी सामयिक रुचि से संबंधित सरकारी नीति को स्पष्ट करने हेतु दिया जायेगा।

271. अध्यक्ष द्वारा संबोधन

अध्यक्ष स्वयं ही, या किसी सदस्य द्वारा प्रश्न उठाए जाने पर या अनुरोध किये जाने पर किसी भी समय सदन में विचाराधीन विषय पर सदस्यों को उनके विचार–विमर्श में सहायता करने की दृष्टि से सदन को संबोधित कर सकेंगे और इस प्रकार व्यक्त किये गये मत को किसी प्रकार के निर्णय के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(111)

(2) Except as otherwise provided, no member shall speak more than once on any motion.

(3) A member who has moved the original motion or an amendment thereto or has made a motion for reduction or omission of an item under the budget demands, may speak again by way of reply, and if the motion or the amendment is moved by a Private Member, the Minister to whose department the matter under discussion relates shall have the right of speaking after the mover whether he has previously spoken in the debate or not.

(4) Subject to the provisions of sub-rule (3) the reply of the mover of the original motion shall in all cases conclude the debate.

270. Minister's right to intervene in the debate or to make a statement

(1) (a) A Minister with the permission of the Speaker may intervene at any stage of debate and will also have a right to reply to the debate so as to conclude it.

(b) A statement may be made by Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made.

(2) A Minister desiring to make a statement in the House under clause 1(b) shall intimate in advance the date on which the statement is proposed to be made and also send a copy of the statement to the Secretary.

(3) The statement shall pertain to a subject for which the Minister is responsible and shall be made to explain Government's policy in regard to a specific matter of public importance or topical interest.

271. Address by Speaker

The Speaker may *suo motu* or on a point being raised or on a request made by a member address the House at any time on a matter under consideration in the House with a view to aiding members in their deliberations and such expression of views shall not be taken to be in the nature of a decision.

(ङ) अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया

272. अध्यक्ष के भाषण को मौनपूर्वक सुना जाना

(1) जब कभी अध्यक्ष बोलें या सदन को संबोधित करने के लिये उठकर खड़े हों तो उनका भाषण मौनपूर्वक सुना जायेगा और कोई सदस्य जो उस समय बोल रहा हो या बोलने के लिये खड़ा हो, तत्काल अपना आसन ग्रहण कर लेगा।

(2) जब अध्यक्ष सदन को संबोधित कर रहे हों तब कोई सदस्य अपने स्थान से नहीं उठेंगे।

(च) निर्णय

273. सदन का निर्णय प्राप्त करने की प्रक्रिया

जिस विषय पर सदन का मत अपेक्षित हो वह अध्यक्ष द्वारा रखे गये प्रश्न के द्वारा विनिश्चय किया जायेगा।

274. प्रस्ताव तथा प्रश्न का रखा जाना

जब कोई प्रस्ताव किया गया हो तो अध्यक्ष प्रश्न को विचार के लिये प्रस्तावित करेंगे और उसे सदन के विनिश्चय के लिये रखेंगे यदि किसी प्रस्ताव में दो या अधिक अलग–अलग प्रस्ताव शामिल हों तो वे प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा अलग–अलग प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

275. आवाजें संगृहीत होने के बाद कोई भाषण नहीं

किसी प्रश्न पर अध्यक्ष ''हां'' वालों और ''नहीं'' वालों, दोनों की आवाजें संगृहीत कर लें तो उसके बाद कोई सदस्य उस प्रश्न पर नहीं बोलेंगे।

276. निर्णय

(1) मत ध्वनिमत द्वारा या विभाजन द्वारा किये जा सकेंगे और यदि कोई सदस्य ऐसा चाहेंगे तो विभाजन द्वारा लिये जायेंगेः

परन्तु अध्यक्ष, यदि समझें कि विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई है तो वे हाथ उठवाकर मत ले सकेंगे और विभाजन को टाल सकेंगे।

(2) विभाजन का परिणाम अध्यक्ष द्वारा तत्काल घोषित किया जायेगा और उस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

(E) PROCEDURE WHEN SPEAKER RISES

272. Speaker to be heard in silence

(1) Whenever the Speaker speaks or rises to address the House, he shall be heard in silence and any member who is then speaking or offering to speak, shall immediately sit down.

(2) No member shall leave his seat while the Speaker is addressing the House.

(F) DECISION

273. Procedure for obtaining decision of the House

A matter requiring the decision of House shall be decided by means of a question put by the Speaker.

274. Proposal and putting of question

When a motion has been made, the Speaker shall propose the question for consideration, and put it for decision of the House. If a motion embodies two or more separate prepositions, those prepositions may be proposed by the Speaker as separate questions.

275. No speech after voices collected

No member shall speak on a question after the Speaker has collected voices both of the 'ayes' and of the 'noes' on that question.

276. Decision

(1) Votes may be taken by voices or by division and shall be taken by division, if any member so desires:

Provided that the Speaker may, if he is satisfied that division is unnecessarily claimed, avoid a division and take votes by show of hands.

(2) The results of a division shall at once be announced by the Speaker and shall not be challenged.

(छ) किसी सदस्य को बाहर चले जाने की आज्ञा देने की या सदन को स्थगित करने या बैठक का निलंबन करने की अध्यक्ष की शक्ति

277. सदन में शान्ति और व्यवस्था

(1) अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाये वह तत्काल सदन से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के दिन के बाकी समय में अनुपस्थित रहेंगे।

(2) अध्यक्ष, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसी सदस्य को इंगित (नेम) कर सकेंगे :

(क) यदि उप–नियम (1) के अंतर्गत बाहर चले जाने का आदेश दिये जाने पर सदस्य उसका पालन न करें, या

(ख) यदि अध्यक्ष उप–नियम (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग अपर्याप्त समझें, या

(ग) यदि सदस्य जान–बूझकर सदन की कार्यवाही में बार–बार अव्यवस्थित रीति से बाधा डालें, या

(घ) यदि उनके विरुद्ध इस नियम के अधीन एक ही सत्र में, लगातार अवसरों पर कार्रवाई करना आवश्यक हो जाये।

(3) (क) जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायेगा, सदन नेता या संसदीय कार्य मंत्री अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई सदस्य तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि इंगित सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित किया जाये और ऐसे प्रस्ताव पर प्रश्न बिना किसी संशोधन, वाद–विवाद या स्थगन प्रक्रिया के सदन के समक्ष उपस्थित कर दिया जायेगा।

(ख) इस प्रकार किसी सदस्य के निलंबित किये जाने पर पहली बार निलंबन की अवधि तीन बैठकों के लिये होगी, दूसरी बार सात बैठकों के लिये और बाद के अवसरों पर, यदि सदन अन्यथा विनिश्चय न करे, सत्र की शेष कालावधि के लिये होगी:

(G) SPEAKER'S POWER TO ORDER WITHDRAWAL OF A MEMBER OR TO ADJOURN THE HOUSE OR SUSPEND A SITTING

277. Peace and order in the house

(1) The Speaker shall preserve order and may direct any member whose conduct in his opinion is disorderly or is defiant to the Speaker to withdraw immediately from the House and the member so ordered to withdraw shall withdraw forthwith and shall absent himself during the remainder of the day's sitting.

(2) The Speaker may name a member in the following cases–

(a) if a member on being ordered by the Speaker under sub-rule (1) to withdraw does not obey the order; or

(b) if the Speaker considers the power conferred under sub-rule (1) to be inadequate; or

(c) if a member wilfully and persistently obstructs the proceedings of the House in a disorderly manner; or

(d) if action under this rule becomes necessary against him on successive occasions in the same session.

(3) (a) As soon as a member is named, the Leader of the House or the Minister for Parliamentary Affairs or in his absence any other member shall forthwith make a motion to the effect that the member so named be suspended from the service of the House and the question on such motion shall be put before the House without any amendment, debate or adjournment proceeding.

(b) On a member being so suspended, the period of suspension shall be for the first occasion for three sittings, for the second occasion for seven sittings and on subsequent occasions unless otherwise decided by the House, for the remainder of the session:

परन्तु निलंबन की कोई कालावधि किसी अवस्था में भी सत्र की शेष कालावधि से अधिक नहीं होगी:

(ग) सदन द्वारा निलंबित सदस्य सदन के परिसर का तुरंत परित्याग करने के लिए बाध्य होंगे किन्तु ऐसा न करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किये जाने पर कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है, निलंबित सदस्य, बिना किसी और प्रस्ताव के सत्र की शेष कालावधि के लिये निलंबित हो जायेंगे;

(घ) सदन की सेवा से निलंबित सदस्य, सदन के परिसर में प्रवेश करने से और सदन और समितियों की कार्यवाहियों में भाग लेने से वंचित रहेंगे:

परन्तु अध्यक्ष किसी निलंबित सदस्य को तदर्थ प्रार्थना किये जाने पर सदन के परिसर में किसी विशेष प्रयोजन के लिये आने की अनुमति दे सकेंगे।

(4) सदन किसी समय प्रस्ताव किये जाने पर यह आदेश दे सकेगा कि उपर्युक्त उप–नियम (3) के अधीन दिया गया निलंबन का कोई दण्ड या उसका असमाप्त भाग निरस्त किया जाये।

(5) अध्यक्ष के अपने आदेश या सदन के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पूरी शक्ति होगी और वे कार्यवाही के किसी भी अवस्था पर आवश्यक बल का प्रयोग कर सकेंगे या करने का अधिकार दे सकेंगे।

(6) सदन में घोर अव्यवस्था होने की दशा में अध्यक्ष किसी सत्र को ऐसे समय के लिये जिसे वह निर्धारित करें, निलंबित कर सकेंगे।

278. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य को निलंबित समझा जाना

यदि कोई सदस्य सदन के किसी सत्र में सभागार के मध्य रिक्त स्थान में आकर सदन के कर्मचारियों की मेज पर रखे पत्रादि को छीनता है या छीनने का प्रयास करता है अथवा उन्हें फाड़ता है या फाड़ने का प्रयास करता है अथवा कोई कागज, पत्रावली आदि अध्यक्षपीठ की ओर फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है अथवा अध्यक्षपीठ पर चढ़ता है या चढ़ने का प्रयास करता है तो अध्यक्ष अथवा पीठासीन अध्यक्ष द्वारा ऐसे सदस्य का नाम पुकारे जाने पर, ऐसा सदस्य उक्त बैठक के लिये सदन की सेवा से निलंबित समझा जायेगा।

(114)

Provided that any period of suspension shall in no case be longer than the remainder of the session.

(c) The member suspended by the House shall forthwith withdraw from the precincts of the House. But on his not doing so and on the attention of the House being drawn by the Speaker to the fact that recourse to force has become necessary, the suspended member shall stand suspended for the remainder of the session without any further action.

(d) The member suspended from the service of the house shall stand debarred from entering the precincts of the House and from taking part in the proceedings of the House and the Committees:

Provided that the Speaker may allow a suspended member to enter the precincts of the House for any particular purpose on a request being made to that effect.

(4) The House may at any time, on a motion being made order that any punishment of suspension under sub-rule (3) aforesaid or the unfinished part thereof may be rescinded.

(5) The Speaker shall have full authority to carry out his order or the decisions of the House and may employ, or authorise the employment of necessary force at any stage of the proceedings.

(6) The Speaker may, in the case of grave disorder arising in the House, suspend a sitting for a time to be determined by him.

278. Suspension of a member in certain circumstances

If during any sitting of the House, any member after entering into empty space in the Chamber of the House snatches or tries to snatch the papers kept on the table of the servants of the House or tears or tries to tear them or throws or tries to throw any paper, file, etc. towards the Speaker's chair, or climbs or tries to climb the Speaker's chair, such member shall on being named by the Speaker or presiding member, be deemed to have been suspended from the services of the House for the said sitting.

(ज) औचित्य या व्यवस्था का प्रश्न

279. व्यवस्था का प्रश्न और उन पर निर्णय

(1) व्यवस्था का प्रश्न इन नियमों के या संविधान या अधिनियम की ऐसी धाराओं की व्याख्या या लागू करने के संबंध में होगा जिनसे सदन का कार्य संचालित होता है और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

(2) व्यवस्था का प्रश्न उस समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगाः

परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारंभ होने के बीच की अन्तरावधि में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे, यदि वह सदन में व्यवस्था बनाए रखने या सदन के समक्ष कार्य प्रबंध के संबंध में हो।

(3) उप–नियम (1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकेंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना निर्णय देंगे, जो अंतिम होगा।

(4) किसी व्यवस्था के प्रश्न पर वाद–विवाद की अनुमति नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें तो अपना निर्णय देने से पहले सदस्यों की बातें सुन सकेंगे।

(5) व्यवस्था का प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

(6) कोई सदस्य ऐसा व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाएंगे जो–

(क) जानकारी मांगने के लिये, या

(ख) अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये, या

(ग) जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो, या

(घ) काल्पनिक, या

(ङ) विभाजन की घंटियां नहीं बजी या सुनाई नहीं पड़ी, के संबंध में हो।

(115)

(H) POINTS OF ORDER

279. Points of order and decisions thereon

(1) A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such articles of the Constitution or such sections of the Act as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker.

(2) A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment:

Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to the maintenance of order in or the arrangement of business before the House.

(3) Subject to the conditions referred to in sub-rules (1) and (2), a member may raise a point of order and the Speaker shall decide whether the point raised is a point of order and if so, give his decision thereon, which shall be final.

(4) No debate shall be allowed on a point of order, but the Speaker may, if he thinks fit, hear members before giving his decision.

(5) A point of order is not a point of privilege.

(6) A member shall not raise a point of order–

(a) to ask for information; or

(b) to explain his position; or

(c) while a question on any motion is being put to the House; or

(d) which is hypothetical; or

(e) that division bells did not ring or were not heard.

280. ऐसा विषय उठाना जो व्यवस्था का प्रश्न न हो

जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहें, जो व्यवस्था का प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देंगे, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेंगे जिसे वह सदन में उठाना चाहते हों तथा साथ में कारण भी बतायेंगे कि वे उसे क्यों उठाना चाहते हैं और उन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करें।

(झ) कार्यवाही का अभिलेख तथा वृतान्त

281. विधान सभा की कार्यवाहियों का अभिलेख

(1) सचिव, विधान सभा की कार्यवाही की दैनिकी, जिसमें सभा के प्रत्येक दिन के विनिश्चयों का संक्षिप्त अभिलेख लिया जायेगा, रखेंगे।

(2) सदन की प्रत्येक बैठक के उपरान्त अध्यक्ष दैनिकी पर हस्ताक्षर करेंगे और इस प्रकार हस्ताक्षर हो जाने पर यह दैनिकी सदन के विनिश्चयों का प्रामाणिक अभिलेख बन जायेगा।

(3) प्रत्येक दिन की कार्यवाही का एक संक्षिप्त अभिलेख समाचार के रूप में सदस्यों में शीघ्रातिशीघ्र बांटा जायेगा।

282. विधान सभा की कार्यवाहियों की वृतान्त

(1) सचिव, विधान सभा के प्रत्येक सत्र की कार्यवाही का संपूर्ण और शुद्ध प्रतिवेदन भी तैयार करायेंगे तथा उनको ऐसे रूप में और ऐसे ढंग से जैसाकि अध्यक्ष समय–समय पर निर्देश दें, प्रकाशित करायेंगे।

(2) ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि तीन मास के भीतर सचिव द्वारा विधान सभा के प्रत्येक सदस्य तथा उपराज्यपाल को भेजी जायेगी।

283. सदन की कार्यवाही से शब्दों को निकाला जाना

(1) यदि अध्यक्ष की राय हो कि सदन में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयोग किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वे स्वविवेक से आदेश दे सकेंगे कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें।

(2) सदन की कार्यवाही में से इस प्रकार निकाले गये अंश छापे नहीं जायेंगे

(116)

280. Raising of a matter which is not a point of order

A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order, shall give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the house together with reasons for wishing to raise it and he shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix.

(I) RECORD & REPORT OF PROCEEDINGS

281. Record of proceedings of the Assembly

(1) The Secretary shall keep a journal in which a short record of the decisions of the Assembly for each day shall be entered.

(2) The journal after each sitting of the House, shall be signed by the Speaker, and when so signed it shall form an authentic record of the decisions of the House.

(3) The short record of each day's proceedings shall be circulated to the members in the form of a bulletin as soon as possible.

282. Report of proceedings of the Assembly

(1) The Secretary shall also cause to be prepared a full and accurate record of the proceedings of the Assembly at each of its sittings and shall publish it in such form and manner as the Speaker may from time to time direct.

(2) A copy of such report shall be sent by the Secretary to each member of the Assembly and to the Lieutenant Governor within three months.

283. Expunction of words from proceedings of the House

(1) If the Speaker is of the opinion that a word or words has or have been used in the House which is or are defamatory or indecent, or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion, order that such word or words be expunged from the proceedings of the House.

(2) The portions of the proceedings of the House so expunged shall not be printed, in their place asterisks shall be marked and an

अपितु उसके स्थान पर तारांक लगाया जायेगा और कार्यवाही में निम्नलिखित व्याख्यात्मक टिप्पणी समाविष्ट की जायेगी;

''अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार अमुक–अमुक तिथि को निकाला गया''।

(ञ) अजनबियों का प्रवेश

284. अध्यक्ष द्वारा अजनबियों के प्रवेश का नियमन

सदन के परिसर के उन भागों में, जो केवल सदस्यों के उपयोग के लिये आरक्षित नहीं हैं, अजनबियों का प्रवेश अध्यक्ष के आदेश या उनके द्वारा निर्मित नियमों द्वारा नियमित किया जायेगा।

285. अजनबियों के हटाने की शक्ति

अध्यक्ष किसी समय अजनबियों को सदन के किसी परिसर से हटाने का आदेश दे सकेंगे।

286. अजनबियों के निष्कासन के लिये कार्य

सदन के परिसरों के किसी भाग से किसी अजनबी के निष्कासन के लिये अध्यक्ष ऐसा आवश्यक कार्य या ऐसी कार्रवाई जो प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए उनके स्वविवेक में आवश्यक हो, कर सकेंगे।

(ट) एकल हस्तान्तरणीय मत द्वारा निर्वाचन एवं बैलट के लिये नियम बनाने की अध्यक्ष की शक्ति

287. अध्यक्ष का एकल हस्तान्तरणीय मत द्वारा निर्वाचन एवं बैलट के लिये नियम बनाना

अध्यक्ष एकल हस्तान्तरणीय मत द्वारा निर्वाचन की पद्धति के विषय में या किसी अन्य प्रयोजनार्थ बैलट करने के लिये जिसका नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, नियम बनाएंगे।

(ठ) विधान सभा द्वारा निर्वाचन

288. विधान सभा द्वारा निर्वाचन

जब किसी अधिनियम के अनुसार या अन्यथा, विधान सभा के सदस्यगण अथवा उनके एक भाग को किसी सार्वजनिक संस्था के लिये अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन

explanatory footnote shall be inserted in the proceedings as follow:

"Expunged as ordered by the Chair, on such and such date."

(J) ADMISSION OF STRANGERS

284. Speaker to regulate admission of strangers

Admission of strangers to those portions of the precincts of the House, which are not reserved for the exclusive use of members, shall be regulated by orders or rules made by the Speaker.

285. Powers to order withdrawal of strangers

The Speaker may, at any time, order the withdrawal of strangers from any portion of the precincts of the House.

286. Steps for expulsion of strangers

The Speaker may take such steps or action as may, in his discretion be necessary in the circumstances of the case for the expulsion of any stranger from any portion of the precincts of the House.

(K) POWER OF SPEAKER TO MAKE REGULATIONS FOR ELECTION BY SINGLE TRANSFERABLE VOTE AND FOR BALLOT

287. Speaker to make regulation for election by single transferable vote and for ballot

The Speaker shall make regulations governing the method of election by single transferable vote or the holding of ballot for any other purposes for which no provision has been made in these rules.

(L) ELECTION BY THE ASSEMBLY

288. Election by the Assembly

When in pursuance of an Act or otherwise, the members of the Assembly or a section thereof have to elect their representatives on a public

करना हो तो सचिव इस संबंध में प्रार्थना किये जाने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार या अध्यक्ष के निदेशानुसार तथा उनके द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार, यदि कोई हो, निर्वाचन करने का प्रबन्ध करेंगे।

(ड) सदन के पटल पर किसी पत्र या दस्तावेज का रखा जाना

289. सदन पटल पर किसी पत्र या दस्तावेज का रखा जाना

पटल पर कोई पत्र या दस्तावेज अध्यक्ष के आदेश या प्राधिकार के बिना नहीं रखा जायेगाः

परन्तु जब कोई पत्र या दस्तावेज पटल पर रखा जाये तो सचिव को उसकी पूर्व सूचना दी जायेगीः

परन्तु यह भी प्रावधान किया जाता है कि जब कभी भी वैधानिक विनियमों, नियमों, उप–नियमों, उप–विधियों आदि को पटल पर रखे जाने की आवश्यकता हो, तो मंत्री द्वारा उसकी पूर्व सूचना सचिव को संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों सहित कम से कम एक दिन पूर्व दी जायेगी।

(ढ) विविध

290. नियमों का निलंबन

कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलंबित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह नियम उस नियम के लिये निलंबित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जायेगी।

291. व्याख्या एवं कठिनाइयों का निराकरण

यदि इन नियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो तो अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

292. अवशिष्ट शक्तियां

ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गई है और इन नियमों के विस्तृत कार्य संचालन से संबद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष समय–समय पर निर्देश करें।

body, the Secretary shall, when requested in this behalf, arrange to hold an election in accordance with the provisions of the Act or the directions of and regulations, if any, made by the Speaker.

(M) LAYING OF A PAPER OR DOCUMENT ON THE TABLE OF THE HOUSE

289. Laying of any paper or documents on the table of the House

No paper or document shall be laid on the Table without the order or the authority of the Speaker:

Provided that when a paper or document is laid on the Table, prior notice shall be given to the Secretary:

Provided further that whenever statutory regulations, rules, sub-rules, bye-laws, etc. are required to be laid on the Table, prior notice thereof shall be given by the minister to the Secretary in writing along with the authenticated copies of the relevant documents at least, one day in advance.

(N) MISCELLANEOUS

290. Suspension of rules

Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being. The Speaker shall decide the procedure to be followed in such a case.

291. Interpretation and removal of difficulties

If any doubt arises as to interpretation of any of the provisions of these rules, the decision of the Speaker shall be final.

292. Residuary powers

All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct.

293. अध्यक्ष के निर्णय पर आपत्ति नहीं की जायेगी

किसी संकल्प या प्रश्न एवं किसी अन्य विषय की स्वीकृति या अस्वीकृति देने के बारे में अध्यक्ष का जो निर्णय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

294. किसी सदस्य के मत पर आपत्ति

यदि सभा के किसी मत विभाजन में किसी सदस्य के मत का निर्णय किये जा रहे विषय में वैयक्तिक, आर्थिक या प्रत्यक्ष हित होने के आधार पर आपत्ति की जाये तो अध्यक्ष यदि वे आवश्यक समझें आपत्ति करने वाले सदस्य से अपनी आपत्ति के आधारों को और जिस सदस्य के मत पर आपत्ति की गई हो, उससे अपना पक्ष रखने के लिये कह सकेंगे और यह निर्णय करेंगे कि उस सदस्य का मत अस्वीकृत किया जाना चाहिए या नहीं और उनका निर्णय अंतिम होगाः

परन्तु किसी सदस्य या सदस्यों के मत पर आपत्ति मत विभाजन के तुरन्त बाद और अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित किये जाने के पहले की जाये।

व्याख्या– इस नियम के प्रयोजनों के लिये सदस्य का हित प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत या आर्थिक होना चाहिए और वह हित जन साधारण या उसके किसी वर्ग या भाग के साथ सम्मिलित रूप में या राज्य की नीति के किसी विषय में न होकर उस व्यक्ति का जिसके मत पर आपत्ति की जाये, पृथक् रूप से होना चाहिए।

(119)

293. Speaker's decision not to be questioned

No decision of the Speaker in respect of allowing or disallowing of any resolution or question or in respect of any other matter, shall be questioned.

294. Objection to vote of a member

If the vote of a member in a division in the House is challenged on the ground of personal, pecuniary or direct interest in the matter to be decided, the Speaker may, if he considers necessary, call upon the member making the challenge, to state precisely grounds of his objection and the member whose vote has been challenged, to state his case and shall decide whether the vote of that member should be disallowed or not and his decision shall be final:

Provided that the vote of any member or members is challenged immediately after the division is over and before the result is announced by the Speaker.

***Explanation*—**For the purposes of this rule, the interest of a member should be direct, personal or pecuniary and separately belong to the member whose vote is questioned and not in common with the public in general or with any class or section thereof on a matter of state policy.

प्रथम अनुसूची
(देखिए नियम **84** तथा **85**)

(किसी सदस्य की यथास्थिति गिरफ्तारी, नजरबंदी, दोषसिद्धि या रिहाई के बारे में सूचना का प्रपत्र)

स्थान.....

तिथि.....

सेवा में

अध्यक्ष,
विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र
दिल्ली।

माननीय महोदय,

(क)

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि . . . . . (अधिनियम) की धारा . . . . . के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि विधान सभा के सदस्य, श्री . . . . . को . . . . . (यथास्थिति गिरफ्तारी या नजरबंदी के कारण) . . . . . लिए गिरफ्तार/नजरबंद कर लिया जाए।

तदनुसार श्री . . . . . विधान सभा सदस्य को . . . . . (तिथि) को . . . . . पर (समय) बंदी बना लिया गया है/हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें इस समय . . . . . जेल . . . . . (स्थान) में रखा गया है तथा . . . . . बजे रिहा कर दिया गया।

(ख)

मुझे आपको सूचना देनी है कि विधान सभा के सदस्य, श्री . . . . . पर . . . . . (दोषसिद्धि) के कारण दोषारोप (या दोषारोपों)

FIRST SCHEDULE
(See rules 84 and 85)

(Form of communication regarding arrest, detention, conviction or release, as the case may be of a member.)

Place.....

Date.....

To

The Speaker,
Legislative Assembly,
National Capital Territory of Delhi.

Dear Sir,

(A)

I have the honour to inform you that I have found it my duty in the exercise of my power under section ..... of the ..... (Act), to direct that Shri ..... member of the Legislative Assembly of the Capital be arrested/detained for ..... (reason for the arrest or detention, as the case may be.)

Shri ..... M.L.A. was accordingly arrested/ taken into custody at ..... (time) on ..... (date) and is at present lodged in the ..... jail ..... (place) and released at ..... (time).

(B)

I have the honour to inform you that Shri ..... member of the Legislative Assembly of the Capital, was tried at the

के लिए . . . . . न्यायालय में मेरे सामने मुकदमा चलाया गया। . . . . . दिन तक मुकदमा चलने के बाद . . . . (तिथि) को मैंने उन्हें . . . . . का अपराधी पाया और उन्हें . . . . . (कालावधि) के कारावास का दण्डादेश दिया। . . . . . को अपील करने की अनुमति के लिए उनका प्रार्थना–पत्र विचारार्थ लंबित है।

(ग)

मुझे आपको सूचना देनी है कि विधान सभा के सदस्य, श्री . . . . . को, जिन्हें . . . . . (तिथि) को सिद्धदोष ठहराया गया था और . . . . . के लिए (दोषसिद्ध के कारण) . . . . . (कालावधि) का कारावास दिया गया था . . . . . (तिथि) को अपील लंबित होने तक जमानत पर रिहा कर दिया गया था (या, यथास्थिति, अपील पर दण्डादेश रद्द होने पर रिहा कर दिया गया)

भवदीय,

(न्यायाधीश, दण्डाधिकारी या

कार्यपालिका प्राधिकारी)

*न्यायालय का नाम

..... Court before me on a charge (or charges) of ..... (reasons for the conviction). On ..... (date) after a trial lasting for ..... days, I found him guilty of ..... and sentenced him to imprisonment for .....

His application for leave to appeal to ..... is pending for consideration.

(C)

I have the honour to inform you that Shri ..... member of the Legislative Assembly of the Capital, who was convicted on ..... (date) and imprisoned for ..... (period) for ..... (reason for conviction) was released on bail pending appeal (or released on the sentence being set aside on appeal, as the case may be) on the ..... (date).

Yours faithfully,

(Judge, Magistrate or

Executive Authority)

*Name of the Court

द्वितीय अनुसूची

(देखिए नियम 197)

सरकारी उपक्रमों की सूची

1. दिल्ली वित्त निगम
2. दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
3. दिल्ली राज्य आपूर्ति निगम लिमिटेड
4. दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम
5. दिल्ली परिवहन एवं पर्यटन विकास निगम
6. दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम
7. दिल्ली जल बोर्ड
8. दिल्ली परिवहन निगम
9. दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड
10. इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड
11. दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड
12. प्रगति पावर कंपनी लिमिटेड

(122)

SECOND SCHEDULE

(See rule 197)

List of Government Undertakings

1. Delhi Financial Corporation
2. Delhi Khadi and Village Industries Board
3. Delhi State Civil Supplies Corporation
4. Delhi Scheduled Castes Financial Development Corporation
5. Delhi Tourism and Transportation Development Corporation
6. Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation
7. Delhi Jal Board
8. Delhi Transport Corporation
9. Delhi Transco Limited
10. Indraprastha Power Generation Company Limited
11. Delhi Power Company Limited
12. Pragati Power Company Limited

तृतीय अनुसूची
[देखिए नियम 202 (3)]
याचिका का प्रपत्र

सेवा में

अध्यक्ष,

विधान सभा,

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र,

दिल्ली।

(यहां संक्षिप्त रूप में याचिका देने वाले या देने वालों के नाम तथा पद या विवरण, यथा, ''क, ख तथा अन्य'' या ''. . . . . के निवासी'' या ''. . . . . की नगर पालिका'' आदि समाविष्ट करिए) की विनम्र याचिका दर्शाती है।

(यहां मामले का संक्षिप्त विवरण लिखिए) और तद्नुसार आपको याचिका देने वाला या याचिका देने वाले प्रार्थना करते हैं कि

(यहां समाविष्ट करिए ''कि विधेयक के संबंध में आगे कार्रवाई की जाए या न की जाए'' या ''कि आपको याचिका देने वाले (वालों) के मामले के लिए विधेयक में विशेष उपबंध किया जाए'' या सभा के सदन के मामले के समक्ष विधेयक या विषय अथवा सामान्य लोकहित के विषय के संबंध में कोई अन्य समुचित प्रार्थना)

और आपको याचिका देने वाला (वाले) कर्त्तव्यबद्ध होकर प्रार्थना करेगा (करेंगे)।

याचिका देने वाले का नाम	पता	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

सदस्य के प्रतिहस्ताक्षर

THIRD SCHEDULE

[See rule 202 (3)]

Form of Petition

To

The Speaker,
Legislative Assembly,
National Capital Territory of Delhi.
Delhi

The humble petition of

(here insert name and designation of description of petitioner (s) in concise form, e.g. "A., B. and others or "the residents of ....." or "the municipality of ....." etc.)

showeth

(Here insert concise statement of case) and accordingly your petitioner (s) pray that:

(Here insert "that the Bill be or be not proceeded with" or "that Special provision be made in the Bill to meet the case of your petitioner(s)" or any other appropriate prayer regarding the Bill or matter before the House or a matter of general public interest)

and your petitioner(s) in duty bound will ever pray.

Name of the Petitioner	Address	Signature or Thumb impression

Counter Signature of the Member

चतुर्थ अनुसूची

(देखिए नियम–251)

अविश्वास प्रस्ताव का प्रपत्र

दिनांक :

सेवा में,

सचिव,
विधान सभा,
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली।

विषय : मंत्रि–परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव।

महोदय,

मैं नियम–251 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना देता हूं :

'यह सदन मंत्रि– परिषद् में अविश्वास व्यक्त करता है।'

(सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर)

(124)

FOURTH SCHEDULE

(See rule 251)

Form of No Confidence Motion

Date :

To

The Secretary,
Legislative Assembly,
National Capital Territory of Delhi

Sub : No Confidence Motion in the Council of Ministers.

Sir,

I hereby give notice of the following Motion under rule 251 :

'This House expresses its want of Confidence in the Council of Ministers.'

(Name of the MLA with signature)

पाँचवी अनुसूची

दिल्ली विधान सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता सदस्यों द्वारा सदन के अन्दर अपनाई जाने वाली आचार संहिता

1. जब सदन की बैठक चल रही हो, तो सदस्य को –

   (i) प्रश्नकाल की मर्यादा सदन में बनाए रखें;

   (ii) अध्यक्ष की मेज को नहीं लाघेंगे;

   (iii) जब अध्यक्ष बोलने के लिए खड़े होंगे तो अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे;

   (iv) सदन को संबोधित करते समय अपने सामान्य स्थान पर ही रहेंगे;

   (v) जब सदन में नहीं बोल रहे हों, तो शांत रहेंगे;

2. जब सदन की बैठक चल रही हो, तो सदस्य –

   (i) अध्यक्ष के आसन की ओर पीठ करके न तो बैठेंगे न खड़े होंगे;

   (ii) सदन में किसी प्रकार के बिल्ले नहीं लगाएंगे या प्रदर्शित नहीं करेंगे;

   (iii) सदन में ऐसे साहित्य, प्रश्नावली, पर्चे, प्रेस–नोट, इश्तहार इत्यादि का वितरण नहीं करेंगे जो सदन के कार्य से संबंधित न हों;

   (iv) सदन में डेस्क पर अपना हैट/टोपी नहीं रखेंगे, सदन में धूम्रपान नहीं करेंगे या बाँह पर कोर्ट लटकाकर सदन में प्रवेश नहीं करेंगे;

   (v) विरोध–स्वरूप दस्तावेजों को नहीं फाड़ेंगे;

   (vi) अध्यक्ष/मंत्री/सदस्य/अधिकारीगण से किसी प्रकार के कागज व दस्तावेज की छना झपटी नहीं करेंगे;

   (vii) सदन में कैसेट या टेप–रिकॉर्डर नहीं लाएंगे या बजाएंगें;

   (viii) कार्यवाही में बाधा पहुँचाने वो किसी भी सामान को सदन में नहीं लाएंगे;

   (ix) सदन एवं सदन के आस–पास के स्थानों में सत्याग्रह या धरने पर नहीं बैठेंगे;

   (x) अध्यक्षपीठ और ऐसे सदस्य के बीच में से जो भाषण दे रहे हों, नहीं गुजरेंगे;

   (xi) किसी अन्य सदस्य को चोट नहीं पहुँचाएंगे अथवा हाथापाई करने का प्रयास नहीं करेंगे;

(125)

FIFTH SCHEDULE

CODE OF CONDUCT

FOR THE MEMBERS OF DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

CODE OF CONDUCT OF MEMBERS INSIDE THE HOUSE

1. A member, whilst the House is sitting, shall–

   (i) maintain the inviolability of the Questions Hour;

   (ii) refrain from transgressing into the table of the Speaker;

   (iii) resume his seat as soon as the Speaker rises to speak;

   (iv) keep to his usual seat while addressing the House; and

   (v) maintain silence when not speaking in the House;

2. A member, whilst the House is sitting, shall not–

   (i) sit or stand with his back towards the Chair;

   (ii) wear or display badges of any kind in the House;

   (iii) exhibit, display or distribute within the precincts of the House any literature, questionnaire, pamphlets, press notes, leaflets/ advertising material etc. not connected with the business of the House;

   (iv) smoke, place his/her cap/hat on the desk in the House or enter the House with his/her coat hanging on the arms;

   (v) tear off documents in protest;

   (vi) remove or snatch any paper or document from the Chair or Minister or any other member of the House or Table functionaries of the House;

   (vii) bring or play cassette or tape recorder in the House;

   (viii) bring any article in the House to interrupt the proceedings;

   (ix) sit on Satyagrah or Dharna inside the House or anywhere within the precincts of the House;

   (x) pass between the Chair and any member who is speaking;

   (xi) attempt to cause hurt or manhandle any other member;

(xii) यदि कोई सदस्य किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा दिए गए व्यतव्य में कोई गलती या अशुद्धि इंगित करना चाहता है तो मामले को सदन में लाने से पहले अध्यक्ष को लिखित रूप में गलती या अशुद्धि का विवरण प्रस्तुत करना होगा तथा सदन में मामला उठाने के लिए उनकी अनुमति लेनी होगी;

(xiii) यदि किसी सदस्य का सदन में समक्ष किसी मामले में व्यक्तिगत, वित्तीय या प्रत्यक्ष हित है तो उस मामले पर कार्यवाही में भाग लेने से पहले, उसे अपने हित के संबंध में बताना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे मामलों पर कार्यवाही में सदस्य भाग नहीं ले सकेगा।

सदन की समितियों में सदस्यों के लिए आचार–संहिता

3. यदि किसी समिति के सदस्य का समिति द्वारा विचार किए जाने वाले मामले में व्यक्तिगत आर्थिक या प्रत्यक्ष रूचि है, तो वह समिति के सभापति के माध्यम से अध्यक्ष के समक्ष ऐसी रूचि की अभिव्यक्ति करेंगे।

4. अब कभी भी समिति के सदस्यों को ऐसे कागज़ात या दस्तावेज़ वितरित किए जाते हैं जिन पर **गोपनीय** अंकित होता है, ऐसे कागज़ातों या दस्तावेज़ों की विषयवस्तु किसी सदस्य द्वारा असहमति के कार्यवृत्त या सदन के अंदर या किसी अन्य रूप में, अध्यक्ष की अनुमति के बिना उद्घाटित नहीं की जाएगी तथा जहाँ ऐसी अनुमति प्राप्त की गई है, अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में लगाया गया प्रतिबंध या दस्तावेज़ में वर्णित सूचना की मात्रा के रहस्योद्घाटन पर प्रतिबंध की सख्ती से पालना की जाएगी।

5. किसी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का समिति के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकाशन नहीं किया जाएगा, जब तक इसे सदन पटल पर न रख दिए जाए।

उप–राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदस्यों के लिए आचार–संहिता

6. यदि कोई सदस्य सदन में माननीय उप–राज्यपाल के अभिभाषण को अवरूद्ध करता है या बाधा डालता है, अभिभाषण से पहले या उसके दौरान या अभिभाषण के बाद, जब माननीय उप–राज्यपाल सदन में उपस्थित हों, किसी भाषण या व्यवस्था के प्रश्न द्वारा बर्हिगमन करके या किसी अन्य तरीके से, ऐसी बाधा, अवरोध या असम्मान का प्रदर्शन माननीय उप–राज्यपाल के प्रति निरादार माना जाएगा तथा संबंधित सदस्य/सदस्यों की ओर से पूर्णतः अमर्यादित व्यवहार माना जाएगा तथा सदन की अवमानना माना जा सकता है जिस पर तदंतर किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बाद सदन द्वारा विचार किया जाएगा।

(126)

(xii) raise a matter in the House without the permission of Speaker, if he/she wishes to point out any mistake or inaccuracy in statement made by a Minister or any other member. Before referring the matter in the House, he/she shall write to the Speaker pointing out the particulars of the mistake or inaccuracy and seek his permission to raise the matter in the House; and

(xiii) take part in the proceedings or any matter if he/she has any personal, pecuniary or direct interest in a matter before the House, unless he/she has declared the nature of that interest.

CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS IN COMMITTEES

3. Where a member of a Committee has personal, pecuniary of direct interest in any matter which is to be considered by the Committee, he shall state his interest therein to the Speaker through the Chairman of the Committee.

4. Whenever a paper of document, marked 'secret' or "confidential" is circulated to the members of the Committee, the contents of such paper or document shall not be divulged by any member either in the minute of dissent or on the floor of the House, or otherwise, without the permission of the Speaker and where such permission has been obtained, any restriction imposed by the Speaker in regard to the manner in which, or the extent to which the information contained in the document may be divulged/revealed, shall be strictly observed.

5. The evidence given before a Committee shall not be published by any member of the Committee or by any other person until it has been laid on the Table.

CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS DURING LIEUTENANT GOVERNOR'S ADDRESS

6. If any member interrupts or obstructs the Lieutenant Governor's Address to the House either before or during or after the Address, while the Lieutenant Governor is in the House, with any speech or point of order or walk out or in any other manner, such interruption, obstruction or show of disrespect shall tantamount to an act of disrespect to the Lieutenant Governor and may be considered as a grossly disorderly conduct on the part of the concerned member/members and a contempt of the House which may be dealt with by the House subsequently on a motion moved by the member.

7. यदि कोई सदस्य विरोध स्वरूप उप–राज्यपाल के भाषण का बहिष्कार करना चाहते हैं तो वे, राष्ट्र–गान गाने/बजाने के तुरंत बाद तथा उप–राज्यपाल द्वारा भाषण प्रारम्भ करने से पहले सदन से बहिर्गमन करके ऐसा कर सकते हैं।

विधानमंडल की समितियों के सदस्यों के लिए अध्ययन–भ्रमण के दौरान आचार–संहिता

8. समितियाँ सामान्य तौर पर अध्ययन भ्रमण नहीं करेंगी, जब तक कि किसी समिति के समक्ष उठाए गए विषय की समुचित जाँच के लिए ऐसा आवश्यक न हो।

9. यदि कोई समिति दौरा करना चाहती है, तो सभी मामलों में अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।

10. भ्रमण के दौरान समितियों को, केवल स्थानीय भ्रमण छोड़कर, ऐसे स्थान पर जाने से बचना चाहिए जो सरकारी दौरे में सम्मिलित न हो।

11. यह आवश्यक है कि दौरों पर हुआ खर्च तथा स्थानीय प्रशासन और परिवहन प्राधिकरणों पर भार न्यूनतम होना चाहिए।

12. अध्ययन दौरे पर जाने वाले, अध्ययन समूहों या उप–समितियों के टर्मज़ ऑफ रेफरेंस स्पष्ट तथा लिखित होने चाहिए।

13. यदि कोई अध्ययन भ्रमण दौरा किसी विषय के साक्ष्य से संबंधित हो तो यह दौरा समिति द्वारा इस विषय पर सरकारी साक्ष्य लेने के पहले किया जाना चाहिए न कि साक्ष्य के बाद।

14. राज्य सरकारों/अन्य विभागों या संबंधित उपक्रमों को भ्रमण कार्यक्रम की पर्याप्त पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।

15. भ्रमण के दौरान सदस्य उपयुक्त गरिमा तथा मर्यादा बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान रखेंगे ताकि समिति की किसी प्रकार से आलोचना न हो।

16. भ्रमण के दौरान, यदि कोई सदस्य बीमार हो जाता है तथा चिकित्सक उसे और आगे भ्रमण करने की सलाह नहीं देते हैं तो उसे चिकित्सक की सलाह माननी चाहिए।

17. कोई भी सदस्य समिति की कार्यवाही के संबंध में प्रेस को वक्तव्य नहीं देंगे। यदि कभी प्रेस को सूचना देने की आवश्यकता होगी तो ऐसा समिति के सभापति द्वारा किया जाएगा।

(127)

7. Member/Members, if desire to boycott the Lieutenant Governor's Address as a mark of protest they may do so by staging a walk-out immediately after the National Anthem is sung/played over and before the Lieutenant Governor rises to deliver the speech.

CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS DURING STUDY TOURS OR COMMITTEES

8. Committees should not normally undertake tours unless it is necessary to undertake an on-the-spot study tour for proper examination of the subject before the Committee.

9. Where a Committee proposes to undertake a tour, prior permission of the Speaker should be taken in all cases.

10. During the tours, Committees should avoid visits to places not included in the official tour programmes, except local sightseeing.

11. It is necessary that the expenditure on tours and strain on the local administration and transport authorities should be kept to the minimum.

12. Terms of reference of the Committees on study tours should be precise and laid down in writing.

13. If a Study Tour is connected with the evidence on any subject, it should be undertaken before the official evidence on the subject is taken by the Committee and not after the evidence.

14. Sufficient notice of the tour programme should be given to the State Government/other Departments or Undertakings concerned.

15. Members during tours shall take particular care to maintain proper dignity and decorum so that no criticism is made of the Committee in any manner.

16. During the tour, if a member falls ill and the doctor advises him not to undertake further tour, he shall follow the doctor's advice.

17. No member shall give press statements regarding Committee proceedings to press. Whenever any briefing of the press is required to be done the same should be done by the Chairman of the Committee.

18. सदस्य भ्रमण के दौरान महँगे उपहार स्वीकार नहीं करेंगे। हालाँकि सदस्य दौरा किए गए संस्थान से संबंधित साधारण स्मृति चिह्न स्वीकार कर सकते हैं।

19. भ्रमण के दौरान समिति या उप–समिति या अध्ययन समूह सभापति की अनुमति के बिना किसी निजी वर्ग द्वारा आयोजित भोजन या अन्य सम्मान का निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। सरकारी भोजन का निमंत्रण जो समिति या उप–समिति या अध्ययन समूह द्वारा स्वीकार्य हो, के दौरान सामान्यतः मदिरा परोसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

20. समिति के सभापति की पूर्व अनुमति से कोई सदस्य अपने साथ सहायक या अपने विवाहिती को साथ ले जा सकते हैं। ऐसे मामलों में, अपने विवाहिती या सहायक के संबंध में सभी खर्च सदस्य द्वारा ही वहन किए जाएंगे।

21. प्रत्येक भ्रमण पूरा होने के बाद, समिति के सभापति भ्रमण के संबंध में विधान सभा के अध्यक्ष को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों के लिए आचार–संहिता

22. विदेश भ्रमण के दौरान सदस्य प्रोटोकॉल नियमों का ध्यान रखेंगे।

23. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते समय, सदस्यों को उन नियमों, दिशा–निर्देशों, शर्तों इत्यादि का पालन करना चाहिए जो विधि/नियमों द्वारा स्थापित हो तथा/या आयोजकों द्वारा निश्चित किए जाए।

24. दूसरे देशों में संसदीय प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा के दौरान, कोई सदस्य भ्रमण के संबंध में प्रेस वक्तव्य जारी नहीं करेंगे। यदि कभी प्रेस को सूचित करना आवश्यक हुआ तो ऐसा प्रतिनिधि मंडल के नेता द्वारा किया जाएगा।

सदन के बाहर सदस्यों के लिए आचार–संहिता तथा सामान्य आचरण सिद्धान्त

25. सदस्यों को गोपनीय रूप से उपलब्ध कराई गई सूचना या राज्य के विधान मंडल की समितियों के सदस्यों के रूप में उपलब्ध, सूचना किसी के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी, न ही उनके द्वारा इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यवसाय में उपयोग किया जाएगा जिसमे वे संलग्न हैं, जैसे– समाचार–पत्रों के सम्पादक या संवाददाता के रूप में या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के स्वामी के रूप में इत्यादि।

26. कोई सदस्य किसी प्रतिष्ठान, कम्पनी या संगठन के लिए सरकार से कार्य प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा, जिसके साथ वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

27. कोई सदस्य ऐसे प्रमाण–पत्र नहीं देगा जो तथ्यों पर आधारित न हों।

28. कोई सदस्य उसे आवंटित सरकारी आवास के परिसर को किराये पर देकर लाभ अर्जित नहीं करेगा।

(128)

18. Members shall not accept any costly gifts during the tour. Members can, however, accept inexpensive mementos connected with the organization visited.

19. The Committee or Sub-Committee or Study Group, while on tour, shall not accept any invitation for lunch or dinner or other hospitality that might be extended by any private party except with the approval of the Chairman. At the official lunches or dinners, if any, that might be accepted by the Committee or Sub-Committee or Study Group, generally no liquor should be allowed to be served.

20. An attendant or member's spouse may accompany a member with the prior permission of the Chairman of the Committee. In such cases, the member shall bear all expenses in respect of his/her spouse or attendant.

21. After completion of each tour, the Chairman of the Committee shall submit a report on the tour to Speaker of the Assembly.

CODE OF CONDUCT DURING DELEGATIONS TO FOREIGN COUNTRIES

22. Member should adhere to protocol norms during the visits to foreign countries.

23. While participating in the international Conferences, members should follow rules, guidelines, conditions etc. as may be provided for in the statutes/ rules and/or as may be fixed by the organizers.

24. During visit of Legislative delegations to other countries, no member shall give press statements regarding visit. Whenever any briefing of the press is required to be done, the same shall be done by the leader of the delegation.

CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OUTSIDE THE HOUSE

25. Information given to members in confidence or by virtue of their being member of Committees of Legislature shall not be divulged to anyone nor used by them directly or indirectly in the profession in which they are engaged, such as in their capacity as editors or correspondents of newspapers or proprietors of business firms and so on.

26. A member shall not try to secure business from Government for a firm, company or organization with which he is directly or indirectly concerned.

27. A member shall not give certificates which are not based on facts.

28. A member shall not make profit out of Government residence allotted to him by sub-letting the premises.

29. कोई सदस्य सरकारी अधिकारियों या मंत्रियों को ऐसे मामले में अनावश्यक रूप से प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय रूप से रूचि रखता हो।

30 कोई सदस्य किसी ऐसे कार्य के लिए, जिसे वह किसी व्यक्ति या संगठन से करवाता है और जिसके लिए कार्य उसके द्वारा किया गया है, से किसी प्रकार की आवभगत प्राप्त नहीं करेगा न ही कोई मूल्यवान उपहार स्वीकार करेगा।

31. कोई सदस्य वकील या वैधानिक सलाहकार या विधि परामर्शदाता या सॉलिसिटर के रूप में किसी मंत्री या अर्ध–वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले कार्यकारी अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होगा।

32. कोई सदस्य कुछ अपर्याप्त या आधारहीन तथ्यों के आधार पर अपने मतदाताओं की ओर से कार्यवाही करने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा।

33. कोई सदस्य तथ्यों की जाँच किए बिना किसी की पीड़ा या शिकायत के लिए तत्काल समर्थक के रूप में स्वयं को उपस्थित होने की अनुमति नहीं देगा।

34. कोई सदस्य अपने द्वारा देय राशि के संबंध में बिलों के लिए गलत प्रमाण–पत्र नहीं लगाएगा।

35. कोई सदस्य सरकार द्वारा निर्धारित समय के भीतर सरकार द्वारा उसे सरकारी उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराया गया कोई सामान, फर्नीचर, वाहन व वैद्युत उपकरण आदि सरकार को वापस करेंगे। सदस्य वाहन अग्रिम भत्ता, अग्रिम यात्रा भत्ता, अग्रिम चिकित्सा भत्ते आदि की बकाया राशि सरकार से सूचना मिलने के तुरन्त बाद वापस लौटा देगा, ऐसा न करने पर सामान की तत्कालीन कीमत अथवा बकाया अदेय अग्रिम राशि को उनके वेतन अथवा पेंशन जैसी भी स्थिति हो, से काट दिया जाएगा।

सदस्यों द्वारा सामान्य आचरण सिद्धांतों का पालन

36. सदस्यों को अपने पद का उपयोग सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने हेतु करना चाहिए।

37. सदस्यों एवं जनता के हितों में विरोधाभास की स्थिति में इसका समाधान इस तरह से करना चाहिए कि जिससे सार्वजनिक/जनहित उनके व्यक्तिगत हितों से ऊपर रहें।

38. सदस्य व्यक्तिगत आर्थिक/पारिवारिक हितों एवं जनहित में विरोधाभास होने की स्थिति में समाधान करते समय जनहित की हानि का ध्यान रखेंगे।

39. सार्वजनिक कार्यालय संभालने वाले सदस्य सार्वजनिक साधनों का उपयोग जनहित में करेंगे।

(129)

29. A member shall not unduly influence the Government officials or the Ministers in a case in which he is interested financially either directly or indirectly.

30. A member shall not receive hospitality of any kind or any gift of substantial value for any work that he desires or proposes to do from a person or organization on whose behalf the work is to be done by him.

31. A member shall not in his capacity as lawyer or a legal adviser or a counsel or a solicitor appear before a Minister or an Executive Officer exercising quasi-judicial powers.

32. A member shall not proceed to take action on behalf of his constituents on some insufficient or baseless facts.

33. A member shall not permit himself to be used as a ready supporter of anybody's grievances or complaints without verifying facts.

34. A member shall not endorse incorrect certificates on bills claiming amounts due to him.

35. A member shall return back to the government any item, furniture, vehicle, electronic gadget provided to him by the Government for official purposes within the time prescribed by the government on this behalf. He will also repay to the government the balance unpaid amount of an advance such as car advance, travel advance, medical advance, etc. as soon as the demand in this regard is received by him from the government failing which the current value of the item or balance unpaid amount of the advance shall be recovered from his salary or the pension as the case may be.

GENERAL ETHICAL PRINCIPLES WITH WHICH MEMBERS SHOULD ABIDE

36. Members must utilize their position to advance general well being of the people.

37. In case of conflict between the personal interest of members and public interest, they must resolve the conflict so that personal interest are subordinated to the duty of their public office.

38. Members shall resolve conflict between private financial interest/family interest and public interest in a manner that the public interest is not jeopardized.

39. Members holding public offices shall use public resources in such a manner as may lead to public good.

40. सदस्य संविधान के भाग–4 'क' में दिए गए मूल कर्तव्यों को सर्वोपरि रखेंगे।

41. सदस्य अपने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता, मर्यादा शालीनता तथा मूल्यों के उच्च स्तर को बनाए रखेंगे।

आचार–संहिता के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया

42. पीठासीन अधिकारी या सदन, जैसी भी स्थिति हो, सदन में आचार–संहिता के उल्लंघन के मामलों पर विचार करने के लिए स्वतः संज्ञान ले सकेंगे।

43. दूसरे मामलों में अध्यक्ष आचार–संहिता से संबंधित मामलों को जाँच तथा रिपोर्ट के लिए आचरण समिति को सौंप सकते हैं।

आचार–संहिता के उल्लंघन पर दंड

44. आचार–संहिता के उल्लंघन के मामले में, पीठासीन अधिकारी या सदन, जो भी स्थिति हो, निम्नलिखित सजा/दंड लागू कर सकते हैं –

(क) चेतावनी;

(ख) फटकार;

(ग) कड़ी आलोचना;

(घ) सदन में निष्कासन;

(ङ) निश्चित अवधि के लिए सदन से निलंबन; और

(च) ऐसी अन्य दंडात्मक कार्रवाही जो सदन द्वारा उचित समझी जाए।

(130)

40. Members shall keep uppermost in their mind the fundamental duties listed in Part-IVA of the Constitution.

41. Members shall maintain high standards of morality, dignity, decency and values in public life.

PROCEDURE FOR DEALING WITH COMPLAINTS REGARDING BREACH OF CODE OF CONDUCT

42. The presiding officer or the House, as the case may be, *suo motu* take up for consideration cases of breach of the code that have taken place in the House.

43. In other cases, the Speaker may refer complaints, regarding violation of Code of Conduct to Committee on Ethics for examination and report thereon.

PUNISHMENT FOR BREACH OF CODE OF CONDUCT

44. In case of violation of the code of Conduct the Presiding Officer or the House, as the case may be, impose any of the following punishment/penalties–

(a) Admonition;

(b) Reprimand;

(c) Censure;

(d) Withdrawal from the House;

(e) Suspension from the service of the House for a specific period; and

(f) Any other penal action considered appropriate by the House.

छठी अनुसूची

(नियम 244क देखें)

विभागों से सम्बद्ध प्रस्तावित स्थायी समितियाँ

क्र.सं.	समिति का नाम	विभाग
1.	प्रशासनिक मामलों पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति	1. प्रशासनिक सुधार 2. सेवाएँ 3. सतर्कता 4. प्रशिक्षण निदेशालय (यू.टी.सी.एस.) 5. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड 6. सामान्य प्रशासनिक विभाग 7. विधि, न्याय एवं विधायी कार्य 8. सूचना एवं तकनीकी
2.	शिक्षा पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति	1. शिक्षा 2. उच्च शिक्षा 3. प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा 4. कला, संस्कृति एवं भाषा 5. खेल
3.	कल्याण पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति	1. समाज कल्याण 2. श्रम 3. खाद्य आपूर्ति 4. रोजगार 5. गृह
4.	स्वास्थ्य पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति	1. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 2. परिवार कल्याण 3. चिकित्सा सेवाएं निदेशालय

(131)

SIXTH SCHEDULE

(See rule 244A)

Department Related Standing Committees

Sl.No.	Name of the Committee	Departments
1.	Department Related Standing Committee on Administrative Matters	1. Administrative Reforms 2. Services 3. Vigilance 4. Directorate of Training (UTCS) 5. Delhi Subordinate Services Selection Board 6. General Administration Department 7. Law, Justice and Legislative Affairs 8. Information Technology
2.	Department Related Standing Committee on Education	1. Education 2. Higher Education 3. Training and Technical Education 4. Art, Culture and Language 5. Sports
3.	Department Related Standing Committee on Welfare	1. Social Welfare 2. Labour 3. Food and Supplies 4. Employment 5. Home
4.	Department Related Standing Committee on Health	1. Medical and Public Health 2. Family Welfare 3. Directorate of Heath Services

		4. खाद्य सुरक्षा
5.	विकास पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति	1. विकास 2. ग्रामीण विकास 3. शहरी विकास 4. कृषि विपणन 5. राजस्व 6. भूमि एवं भवन 7. उद्योग
6.	जनोपयोगी सेवाओं और नागरिक सुविधाओं पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति	1. लोक निर्माण 2. ऊर्जा 3. दिल्ली जल बोर्ड 4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
7.	वित्त, परिवहन एवं पर्यटन पर विभाग से सम्बद्ध स्थायी समिति	1. वित्त 2. व्यापार एवं कर 3. आबकारी एवं विलासिता कर 4. योजना 5. परिवहन 6. पर्यटन 7. विभाग जो स्पष्टतः किसी समिति को आंबटित नहीं किए गए हैं

(132)

		4. Food Safety
5.	Department Related Standing Committee on Development	1. Development 2. Rural Development 3. Urban Development 4. Agricultural Marketing 5. Revenue 6. Land and Building 7. Industries
6.	Department Related Standing Committee on Public Utilities and Civic Amenities	1. Public Works Department 2. Power 3. Delhi Jal Board 4. Irrigation and Flood Control
7.	Department Related Standing Committee on Finance and Transport	1. Finance 2. Trade and Taxes 3. Excise and Luxury Taxes 4. Planning 5. Transport 6. Tourism 7. Department not allotted to other committees

दिल्ली विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, **1996**

THE MEMBER OF DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY (DISQUALIFICATION ON GROUNDS OF DEFECTION) RULE, 1996

अनुलग्नक–1

दिल्ली विधान सभा सदस्य (दल–परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1996

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा के अध्यक्ष दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अधिनियम (1992 की सं. 1) 1991 की धारा 16 के साथ पठित भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्–

1. संक्षिप्त नाम

इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1996 है।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **'समाचार'** से तात्पर्य सदन का समाचार है;

(ख) **'समिति'** से तात्पर्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा की विशेषाधिकार समिति है;

(ग) **'प्रारूप'** से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप है;

(घ) इन नियमों के संबंध में **'प्रारम्भ की तारीख'** से तात्पर्य वह तारीख है, जिस तारीख को ये नियम दसवीं अनुसूची के पैरा 8 के उप–पैरा(2) के अधीन प्रभावी होंगे;

(ङ) **'सदन'** से तात्पर्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा का सदन है;

(च) किसी विधायी–दल के संबंध में **'नेता'** से तात्पर्य उस दल का ऐसा सदस्य है जिसे उस दल ने अपना नेता चुना है और इसके अन्तर्गत उस दल का कोई ऐसा अन्य सदस्य भी है जो उसकी अनुपस्थिति में इन नियमों के प्रयोजनार्थ उस दल के नेता के रूप में कार्य करने, उसके कार्यों का निर्वहन करने के लिए उस दल द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(छ) **'सदस्य'** से तार्त्पय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा का सदस्य है;

(134)

ANNEXURE-I

THE MEMBERS OF DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY (DISQUALIFICATION ON GROUNDS OF DEFECTION) RULES, 1996

In exercise of the powers conferred by paragraph 8 of the Tenth Schedule to the Constitution of India, read with section 16 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (No. 1 of 1992), the Speaker, Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules; namely—

1. Short Title

These Rules may be called the Members of Delhi Legislative Assembly (Disqualification on ground of Defection) Rules, 1996.

2. Definitions

In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) '**Bulletin'** means the Bulletin of the House;

(b) '**Committee'** means the Committee of Privileges of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi;

(c) '**Form'** means a form appended to these rules;

(d) '**Date of commencement',** in relation to these rules means the date on which these rules take effect under sub-paragraph (2) of paragraph 8 of the Tenth Schedule;

(e) '**House'** means the House of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi;

(f) '**Leader** 'in relation to a legislature party, means a member of the party chosen by it as its leader and includes any other member of the party authorised by the party to act, in the absence of the leader as, or discharge the functions of, the leader of the party for the purpose of these rules;

(g) '**Member'** means a member of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi;

(ज) **'दसवीं अनुसूची'** से तात्पर्य भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची है; और

(झ) **'सचिव'** से तात्पर्य विधान सभा का सचिव है, और उसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जिसे सचिव के कर्त्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

3. विधायी दल के नेता द्वारा जानकारी का दिया जाना

(1) प्रत्येक विधायी–दल का नेता (ऐसे विधान–दल से भिन्न जिसमें केवल एक सदस्य हो) सभा की पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहां ऐसे विधायी–दल का गठन ऐसी तारीख के बाद किया गया है, वहां उसके गठन की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त कारण, के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को निम्नलिखित प्रस्तुत करेंगे, अर्थात्–

(क) एक विवरण (लिखित रूप में) जिसमें ऐसे विधायी–दल के सदस्यों के नाम और उसके साथ ऐसे सदस्यों से संबंधित अन्य विवरण होंगे जैसे कि प्ररूप I में है और ऐसे दल के उन सदस्यों के नाम और पदनाम होंगे, जिन्हें उस दल ने इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष से पत्र–व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) संबंधित राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों की एक प्रति (चाहे उन्हें इस नाम से या संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो); और

(ग) जहां ऐसे विधायी–दल के कोई पृथक् नियम और विनियम हैं (चाहे उन्हें इस नाम से अथवा संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो) वहां ऐसे नियमों और विनियमों की एक प्रति।

(2) जहां किसी विधायी–दल में केवल एक सदस्य है वहां ऐसा सदस्य सदन की पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहां वह ऐसी तारीख के बाद सदन का सदस्य बना है, वहां सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसा अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसका अध्यक्ष पर्याप्त कारण के आधार पर अनुज्ञा दें, अध्यक्ष को उप–नियम (1) के खंड (ख) में उल्लिखित नियमों और विनियमों की एक प्रति भेजेंगे।

(135)

(h) '**Tenth Schedule'** means the Tenth Schedule to the Constitution of India; and

(i) **Secretary'** means the Secretary to the Legislative Assembly and includes any other person as is empowered to perform the functions of the Secretary.

3. Information to be furnished by leader of a legislature party

(1) The leader of each legislature party (other than legislature party consisting of only one member) shall, within thirty days after the first sitting of the House, or, where such legislature party is formed after the first sitting, within thirty days after its formation, or, in either case within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow, furnish the following to the Speaker, namely—

(a) a statement (in writing) containing the names of members of such legislature party together with other particulars regarding such members as in Form I and the names and designations of the members of such party who have been authorised by it, for communicating with the Speaker for purposes of these rules;

(b) a copy of the rules and regulations (whether known as such or as Constitution or by any other name) of the political party concerned; and

(c) where such legislature party has any separate set of rules and regulations (whether known as such or as Constitution or by any other name), also a copy of such rules and regulations.

(2) Where a legislature party consists of only one member, such member shall furnish a copy of the rules and regulations mentioned in clause (b) of sub-rule (1) to the Speaker, within thirty days after the first sitting of the House or, where he has become a member of the House after the first sitting, within thirty days after he has taken his seat in the House, or, in either case within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow.

(3) ऐसे किसी विधायी–दल की संख्या में, जिसमें केवल एक सदस्य है, वृद्धि होने पर, उप–नियम (1) के उपबंध ऐसे विधायी–दल के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, मानो वह विधायी–दल उस तारीख को बनाया गया है, जिसको उसकी संख्या में वृद्धि हुई है।

(4) जब कभी किसी विधायी–दल के नेता द्वारा उपनिमय (1) के अंतर्गत या किसी सदस्य द्वारा उप–नियम (2) के अंतर्गत दी गई सूचना में कोई परिवर्तन होता है तो वह उसके पश्चात् 30 दिन के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतु के आधार पर अनुज्ञा दें, अध्यक्ष को ऐसे परिवर्तन की लिखित सूचना देंगे।

(5) इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को विद्यमान सदन की दशा में उप–नियम (1) और उप–नियम (2) में सदन की पहली बैठक की तारीख के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इन नियमों के आरम्भ की तारीख के प्रति निर्देश है।

(6) जहां किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य, ऐसे राजनीतिक दल द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्देश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना सदन में मतदान करते हैं या मतदान करने से विरत रहते हैं, तो संबंधित विधायी–दल का नेता या जहां ऐसा सदस्य ऐसे विधायी–दल का, यथास्थिति, नेता या एकमात्र सदस्य है तो ऐसा सदस्य, ऐसा मतदान करने या मतदान में भाग न लेने की तारीख से पंद्रह दिन की समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, और किसी भी स्थिति में ऐसे मतदान करने या मतदान में भाग लेने के तीस दिन के भीतर प्रारूप II के अनुसार, अध्यक्ष को यह संसूचित करेगा कि ऐसा मतदान करने या मतदान में भाग लेने के लिए ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने माफ किया है या नहीं।

स्पष्टीकरण – किसी मतदान में भाग न लेना तभी माना जायेगा, जब वह मतदान करने के लिए अधिकृत किये जाने पर स्वेच्छा से मतदान में भाग नहीं लेगा।

4. सदस्यों द्वारा सूचना आदि का दिया जाना

(1) ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसने इन नियमों के आरम्भ होने की तारीख से पूर्व सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, ऐसी तारीख से तीस

(136)

(3) In the event of any increase in the strength of a legislature party consisting of only one member, the provision of sub-rule (1) shall apply in relation to such legislature party, as if such legislature party had been formed on the first day on which its strength increased.

(4) Whenever any change takes place in the information furnished by the leader of a legislature party under sub-rule (1) or by a member under sub-rule (2), he shall, within 30 days thereafter, or, within such further period, as the Speaker may for sufficient cause allow, furnish in writing information to the Speaker with respect to such change.

(5) In the case of the House in existence on the date of commencement of these rules, the reference in sub-rules (1) and (2) to the date of the first sitting of the House shall be construed as a reference to the date of commencement of these rules.

(6) Where a member belonging to any political party votes or abstains from voting in the House contrary to any direction issued by such political party or by any person or authority authorised by it in this behalf, without obtaining, in either case, the prior permission of such political party, person or authority, the leader of the legislature party concerned or where such member is the leader, or as the case may be, the sole member of such legislature party, such member, shall, as soon as may be after the expiry of fifteen days from the date of such voting or abstention, and in any case within thirty days from the date of such voting or abstention, inform the Speaker as in Form II whether such voting or abstention has or has not been condoned by such political party, person or authority.

Explanation–A member may be regarded as having abstained from voting only when he, being entitled to vote, voluntarily refrained from voting.

4. Information etc. to be furnished by members

(1) Every member who has taken his seat in the House before the date of commencement of these rules shall, furnish to the

दिन के भीतर अथवा ऐसी आगे की अवधि के भीतर जिसकी अनुमति अध्यक्ष पर्याप्त कारण से दे, प्रारूप III में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा सचिव को भेजेंगे।

(2) प्रत्येक सदस्य, जो इन नियमों के आरम्भ के पश्चात् सदन में अपना स्थान ग्रहण करते हैं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 की सं. 1) के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व, सचिव के पास, यथास्थिति, अपने निर्वाचन प्रमाणपत्र की प्रति जमा कराएंगे और प्रारूप III में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा भी सचिव को देंगे।

स्पष्टीकरण– इस उप–नियम के प्रयोजन के लिए ''निर्वाचन प्रमाण पत्र'' से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया निर्वाचन प्रमाणपत्र है।

(3) इस नियम के अधीन सदस्य जो जानकारी देंगे उसका संक्षेप, समाचार (बुलेटिन) में प्रकाशित किया जाएगा और यदि अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में उसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो समाचार में आवश्यक शुद्धि–पत्र प्रकाशित किया जाएगा।

5. सदस्यों के बारे में जानकारी का रजिस्टर

(1) सचिव, प्रारूप IV में एक रजिस्टर रखेंगे जो सदस्यों के संबंध में नियम 3 और नियम 4 के अधीन जानकारी पर आधारित होगा।

(2) प्रत्येक सदस्य के संबंध में जानकारी, रजिस्टर में पृथक् पृष्ठ पर अभिलिखित की जाएगी।

6. निर्देश का अर्जी द्वारा किया जाना

(1) कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार दी गई अर्जी द्वारा ही किया जायेगा अन्यथा नहीं।

(2) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी किसी अन्य सदस्य द्वारा अध्यक्ष को लिखित रूप में दी जा सकेगीः

परन्तु अध्यक्ष के संबंध में कोई अर्जी सचिव को संबोधित की जाएगी :

(3) सचिव –

(क) उप–नियम (2) के परन्तुक के अधीन दी गई अर्जी की प्राप्ति के

(137)

Secretary within thirty days from such date or within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow, a statement of particulars and declaration as in Form III.

(2) Every member who takes his seat in the House after the commencement of these rules shall, before making and subscribing an oath or affirmation under section 12 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,1991 (No. 1 of 1992) and taking his seat in the House, deposit with the Secretary, his election certificate and also furnish to the Secretary a statement of particulars and declaration as in Form III.

***Explanation*—**For the purposes of this sub-rule, "Election Certificate" means the certificate of election issued under the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and the rules made thereunder.

(3) A summary of the information furnished by the members under this rule shall be published in the Bulletin and if any discrepancy therein is pointed out to the satisfaction of the Speaker, necessary corrigendum shall be published in the Bulletin.

5. Register of information as to members

(1) The Secretary shall maintain, as in Form IV, a register based on the information furnished under rules 3 and 4 in relation to the members.

(2) The information in relation to each member shall be recorded on a separate page in the register.

6. References to be made by petitions

(1) No reference of any question as to whether a member has become subject to disqualification under the Tenth Schedule shall be made except by a petition in relation to such members made in accordance with the provisions of this rule.

(2) A petition in relation to a member may be made in writing to the Speaker by any other member:

Provided that a petition in relation to the Speaker shall be addressed to the Secretary.

(3) The Secretary shall—

(a) as soon as may be after the receipt of a petition under the proviso

पश्चात् यथाशीघ्र, उसके बारे में सदन को एक रिपोर्ट देंगे; और

(ख) दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप–पैरा (1) के परन्तुक के अनुसरण में सदन द्वारा किसी सदस्य के निर्वाचित किए जाने के पश्चात् अर्जी को यथाशीघ्र उस सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(4) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी देने से पूर्व, अर्जीदार अपना सह समाधान करेगा कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं।

(5) प्रत्येक अर्जी–

(क) अर्जी में उन सात्विक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा, जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है; और

(ख) अर्जी के साथ ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की यदि कोई हो, प्रतियां संलग्न होंगी, जिस पर अर्जीदार निर्भर करता है, और जहां अर्जीदार किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई किसी जानकारी पर निर्भर करता है, वहां उन व्यक्तियों के नाम और पते सहित विवरण और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई ऐसी जानकारी का सारांश संलग्न होगा।

(6) प्रत्येक अर्जी पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे, अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित रीति से सत्यापित किया जाएगा।

(7) अर्जी के प्रत्येक उपबंध पर भी अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे अर्जी के समान रीति से ही सत्यापित किया जाएगा।

7. प्रक्रिया

(1) नियम 6 के अधीन अर्जी प्राप्त होने पर, अध्यक्ष इस बात पर विचार करेंगे कि क्या अर्जी उक्त नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है।

(2) यदि अर्जी नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है, तो अध्यक्ष अर्जी को रद्द करेंगे और अर्जीदार को तदनुसार संसूचित करेंगे।

(3) यदि अर्जी नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, तो अध्यक्ष अर्जी और उसके उपबंधों की प्रतियां –

(138)

to sub-rule (2) make a report in respect thereof to the house; and

(b) as soon as may be after the House has elected a member in pursuance of the proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 6 of the Tenth Schedule, place the petition before such member.

(4) Before making any petition in relation to any member, the petitioner shall satisfy himself that there are reasonable grounds for believing that a question has arisen as to whether such member has become subject to disqualification under the Tenth Schedule.

(5) Every petition—

(a) shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies; and

(b) shall be accompanied by copies of the documentary evidence, if any, on which the petitioner relies and where the petitioner relies on any information furnished to him by any person, a statement containing the names and addresses of such persons and the gist of such information as furnished by each such person.

(6) Every petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), for the verification of pleadings.

(7) Every annexure to the petition shall also be signed by the petitioner and verified in the same manner as the petition.

7. Procedure

(1) On receipt of a petition under rule 6, the Speaker shall consider whether the petition complies with the requirements of that rule.

(2) If the petition does not comply with the requirements of rule 6, the Speaker shall dismiss the petition and intimate the petitioner accordingly.

(3) If the petition complies with the requirements of rule 6, the Speaker shall cause copies of the petition and of the annexures thereto to be forwarded—

(क) उस सदस्य को भिजवाएंगे, जिसके संबंध में अर्जी दी गई है, और

(ख) जहां ऐसा सदस्य किसी विधायी–दल का है, और ऐसी अर्जी उस दल के नेता ने नहीं दी है, वहां ऐसे नेता को भी भिजवाएंगे।

और ऐसे सदस्य या नेता, ऐसी प्रतियों की प्राप्ति से सात दिन के भीतर, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, उस पर अपनी लिखित टिप्पणियां अध्यक्ष को भेजेंगे।

(4) अर्जी के संबंध में, अनुमति की अवधि (चाहे मूलतः या उक्त उप–नियम के अधीन विस्तारित) के भीतर, उप–नियम (3) के अधीन प्राप्त टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष या तो प्रश्न का निर्णय करने के लिए अग्रसर होंगे या, यदि उसका उस मामले की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय है तो वह अर्जी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसे समिति को निर्दिष्ट करेंगे।

(5) अध्यक्ष, उप–नियम (4) के अधीन समिति को अर्जी निर्दिष्ट करने के पश्चात्, यथाशीघ्र, अर्जीदार को तदनुसार संसूचित करेंगे और ऐसे निर्देश के संबंध में सदन में घोषणा करेंगे या, यदि सदन का सत्र उस समय नहीं चल रहा है तो उस निर्देश की सूचना समाचार में प्रकाशित कराएंगे।

(6) जहां अध्यक्ष समिति को उप–नियम (4) के अधीन निर्देश करते हैं, वहां यह समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र उस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

(7) वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण अध्यक्ष उप–नियम (4) के अधीन किसी प्रश्न के अवधारणा के लिए करेंगे और यह प्रक्रिया जिसका अनुसरण समिति प्रारंभिक जांच के प्रयोजन के लिए करेगी, यथासंभव, वही प्रक्रिया होगी जिसकी समिति किसी सदस्य द्वारा सदन के विशेषाधिकार की मांग किए जाने के किसी प्रश्न का निर्णय करने के लिए अनुसरण करती है और अध्यक्ष या समिति इस निष्कर्ष पर कि वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, तभी पहुंचेंगे जब कि उस सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और व्यक्तिगत रूप से और यदि वह चाहता है तो, उसकी इच्छानुसार परामर्शी की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

(a) to the member in relation to whom the petition has been made; and

(b) where such member belongs to any legislature party and such petition has not been made by the leader thereof, also to such leader.

And such member of leader shall, within seven days of the receipt of such copies, or within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow, forward his comments in writing thereon to the Speaker.

(4) After considering the comments, if any, in relation to the petition, received under sub-rule (3) within the period allowed (whether originally or on extension under that sub-rule) the Speaker may either proceed to determine the question or, if he is satisfied, having regard to the nature and circumstances of the case that it is necessary or expedient so to do, refer the petition to the Committee for making a preliminary inquiry and submitting a report to him.

(5) The Speaker shall, as soon as may be after referring a petition to the Committee under sub-rule (4), intimate the petitioner accordingly and make an announcement with respect to such reference in the House or, if the House is not then in session, cause the information as to the reference to be published in the Bulletin.

(6) Where the Speaker makes a reference under sub-rule (4) to the Committee, he shall proceed to determine the question as soon as may be after receipt of the report from the Committee.

(7) The procedure which shall be followed by the Speaker for determining any question and the procedure which shall be followed by the Committee for the purpose of making a preliminary inquiry under sub-rule (4) shall be, so far as may be, the same as the procedure for inquiry and determination by the Committee of any question as to breach of privilege of the House by a member, and neither the Speaker nor the Committee shall come to any finding that a member has become subject to disqualification under the Tenth Schedule without affording a reasonable opportunity to such member to represent his case and to be heard in person.

(8) उप–नियम (1) से (7) तक के उपबंध अध्यक्ष के संबंध में दी गई अर्जी के बारे में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी अन्य सदस्य के संबंध में दी गई अर्जी के बारे में लागू होते हैं, तथा इस प्रयोजनार्थ, इन उप–नियमों में अध्यक्ष के प्रति निर्देश का अर्थ दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप–पैरा (1) के परन्तुक के अन्तर्गत सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य के प्रति निर्देश सहित लगाया जाएगा।

8. अर्जी पर विनिश्चय

(1) अर्जी पर विचार होने के पश्चात् यथास्थिति, अध्यक्ष या दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप–पैरा (1) के परन्तुक के अधीन निर्वाचित सदस्य, लिखित आदेश द्वारा –

(क) अर्जी को खारिज करेंगे, या

(ख) यह घोषणा करेंगे कि वह सदस्य जिसके संबंध में अर्जी दी गई है, दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है;

और उस आदेश की प्रतियां अर्जीदार को, उस सदस्य को, जिसके संबंध में अर्जी दी गई है, और संबंधित विधायी–दल के नेता को, यदि कोई हो, भिजवाएंगे या अग्रेषित करवाएंगे।

(2) ऐसा प्रत्येक निर्णय, जिसमें किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त घोषित किया गया है सदन को, यदि वह सत्र में है, तुरन्त रिपोर्ट किया जाएगा, और यदि सदन सत्र में नहीं है तो सदन के पुनः समवेत होने के तुरन्त पश्चात् रिपोर्ट किया जायेगा।

(3) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय समाचार में प्रकाशित किया जाएगा और राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा तथा सचिव उस निर्णय की प्रतियां भारत के निर्वाचन आयोग को और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार को अग्रेषित करेंगे।

9. इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के संबंध में निर्देश

अध्यक्ष समय–समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे, जो वह इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के बारे में आवश्यक समझें।

(140)

(8) The provisions of sub-rules (1) to (7) shall apply with respect to a petition in relation to the Speaker as they apply with respect to a petition in relation to any other member and for this purpose, reference to the Speaker in these sub-rules shall be construed as including reference to the member elected by the House under the proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 6 of the Tenth Schedule.

8. Decision on petitions

(1) At the conclusion of the consideration of the petition, the Speaker or, as the case may be, the member elected under the proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 6 of the Tenth Schedule shall by order in writing—

(a) dismiss the petition, or

(b) declare that the member in relation to whom the petition has been made has become subject to disqualification under the Tenth Schedule.

And cause copies of the order to be delivered or forwarded to the petitioner, the member in relation to whom the petition has been made and to the leader of the legislature party, if any, concerned.

(2) Every decision declaring a member to have become subject to disqualification under the Tenth Schedule shall be reported to the House forthwith if the House is in session, and if the House is not in session, immediately after the House reassembles.

(3) Every decision referred to in sub-rule (1) shall be published in the Bulletin and notified in the Official Gazette and copies of such decision forwarded by the Secretary to the Election Commission of India and the Government of National Capital Territory of Delhi.

9. Directions as to detailed working of the rules

The Speaker may, from time to time, issue such directions, as he may consider necessary in regard to the detailed working of these rules.

प्रारूप – I

[देखिए नियम 3(1)(क)]

विधायी दल का नाम : तत्सथानी राजनीतिक दल का नाम :

क्रम संख्या	विधायक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	विधान सभा क्षेत्र जिससे निर्वाचित हुआ है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

दिनांक: विधायी दल के नेता के हस्ताक्षर

(141)

FORM I

[See rule 3(1)(a)]

Name of the Legislature Party : Name of the corresponding political party :

S.No.	Name of the Member (in block letters)	Father's/husband's name	Permanent Address	Name of the Constituency from which elected
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Date : Signature of the leader of the Legislature party.

प्रारूप–II

[देखिए नियम 3(6)]

सेवा में

अध्यक्ष,

विधान सभा,

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र,

दिल्ली।

महोदय,

सदन की.....(तारीख) को हुई बैठक में..... विषय पर हुए मतदान में

+श्री.....विधायक ने जिनकी (विभाजन संख्या.....) है और जो.....(राजनीतिक दल) के हैं और ..... (विधायी दल) के हैं, ने भाग लिया/अनुपस्थित रहे।	*मैंने/मैं अर्थात्.....(.....विधायक का नाम) (विभाजन संख्या .....) (राजनीतिक दल का नाम.....) .....) का सदस्य और.....(विधायी–दल का नाम) का नेता/एक मात्र सदस्य, ने भाग लिया/अनुपस्थित रहा हूँ।

.....*(व्यक्ति/प्राधिकारी/दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध और उक्त *व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना मतदान किया है/मतदान करने से विरत रहा है/रहा हूं।

2. .....(तारीख) को पूर्वोक्त मामले पर..... *(व्यक्ति/प्राधिकारी दल) द्वारा विचार किया गया और उक्त +मतदान करने/मतदान करने से विरत रहने को, उसके द्वारा +माफ किया गया/माफ नहीं किया गया।

भवदीय,

दिनांक : हस्ताक्षर

---

* जो लागू ना हो उसे काट दें

+(यहाँ पर उस व्यक्ति/प्राधिकारी/दल, जैसा भी हो, का नाम लिखें जिसने निर्देश जारी किये हो।)

(142)

FORM II

[See rule 3(6)]

To

The Speaker,
Legislative Assembly,
National Capital Territory of Delhi,
Delhi.

Sir,

At the sitting of the House held on.....(date) during voting on..... (subject-matter) .....

+Shri.....MLA (Division No.....) member of..... (name of political party), and member of..... (name of legislative party) had voted/abstained from voting,	* I .....(name of the member) MLA, (Division No.....), member of ..... (name of the political party) and leader of/sole member of .....(name of legislature party) voted/abstained from voting.

contrary to the direction issued by.....*(person/authority/party) without obtaining the prior permission of the said *person/authority/party.

2. On (date).....the aforesaid matter was considered by.....*(person/authority/party) and the said †voting/abstention was †condoned/was not condoned by †him/it.

Yours faithfully,

Date: (Signature)

---

†Strike out inappropriate words/portions.

*(Here mention the name of the person/authority/party, as the case may be, who has issued the direction.)

प्ररूप–III

(देखिए नियम 4)

1. विधायक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पिता/पति का नाम :
3. स्थायी पता :
4. दिल्ली का पता :
5. निर्वाचन की दिनांक :
6. जिस दल से संबद्ध
   (i) निर्वाचन की दिनांक
   (ii) इस प्रारूप पर हस्ताक्षर करने की दिनांक

घोषणा

मैं.....यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

ऊपर दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर, मैं अध्यक्ष महोदय को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूं।

विधायक के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

दिनांक:

(143)

FORM III

(See rule 4)

1. Name of the member (in block letters) :
2. Father's/husband's name :
3. Permanent Address :
4. Delhi Address :
5. Date of election :
6. Party affiliation as on—
   (i) Date of election :
   (ii) Date of signing this form :

DECLARATION

I.....hereby declare that the information given above is true and correct.

In the event of any change in the information given above, I undertake to intimate the Speaker immediately.

Date:

Signature/thumb
impression of member

प्रारूप–IV

[देखिए नियम 5(1)]

सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	दिल्ली का पता	निर्वाचन/नाम–निर्देशन की तारीख	जिससे वह संबद्ध है, उस राजनीतिक दल का नाम	जिससे वह संबद्ध है, उस विधायी–दल का नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(144)

सचिव

FORM IV

[See rule 5(1)]

Name of the member (in block letters)	Father's/ Husband's name	Permanent Address	Delhi Address	Date of Election	Name of political party to which he belongs	Name of legislature party to which he belongs	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(144)

Secretary

संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991

THE CONSTITUTION (SIXTY NINTH AMENDMENT) ACT, 1991

संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991

(21 दिसम्बर, 1991)

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए नियम

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (उनहत्तरवां संशोधन), अधिनियम 1991 है।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

नए अनुच्छेद 239 कक और अनुच्छेद 239 कख का अन्तःस्थापन–

2. संविधान के अनुच्छेद 239 क के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् –

239 कक दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध

(1) संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारम्भ से, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र कहा गया है) कहा जाएगा और अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक का पदाभिधान उपराज्यपाल होगा।

(2) (क) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी और ऐसी विधान सभा में स्थान राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों से भरे जायेंगे।

(ख) विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन (जिसके अन्तर्गत ऐसे विभाजन का आधार है) तथा विधान सभा के कार्यकरण से संबंधित सभी अन्य विषयों का विनियमन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा, किया जाएगा।

(ग) अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 329 के उपबंध राष्ट्रीय राजधानी राज्य

1 उपर्युक्त अधिनियम 1 फरवरी, 1992 से प्रवृत्त हुआ। (भारत का राजपत्र असाधारण भाग–2 खण्ड–3 उपखण्ड–2 दिनांक 31 जनवरी, 1992

(146)

THE CONSTITUTION (SIXTY NINTH AMENDMENT) ACT, 1991

(21st December, 1991)

An Act further to amend the Constitution of India.

BE it enacted by Parliament in the Forty Second Year of Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement, Insertion of new articles 239AA and 239 AB:

(1) This Act may be called the Constitution (Sixty ninth Amendment) Act 1991.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the official Gazette, appoint.*

2. After article 239A of the Constitution, the following articles shall be inserted namely—

239AA Special provisions with respect to Delhi.

(1) As from the date of commencement of the Constitution (Sixty-ninth Amendment) Act, 1991 the Union Territory of Delhi shall be called the National Capital Territory of Delhi (hereinafter in this Part referred to as the National Capital Territory) and the Administrator thereof appointed under article 239 shall be designated as the Lieutenant Governor.

(2) (a) There shall be a Legislative Assembly for the National Capital Territory of Delhi and the seats in such Assembly shall be filled by members chosen by direct election from territorial constituencies in the National Capital Territory.

(b) The total number of seats in the Legislative Assembly, the number of seats reserved for scheduled castes, the division of the National Capital Territory into territorial constituencies (including the basis for such division) and all other matters relating to the functioning of the Legislative Assembly shall be regulated by law made by Parliament.

(c) The provisions of articles 324 to 327 and 329 shall apply in relation

* Came into force on 1-2-92 vide Gazette of India Extra-ordinary Part-II Sec. 3(ii) dated 31-1-1992.

क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी राज्य की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं तथा अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 329 में "समुचित विधान–मंडल" के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संसद के प्रति निर्देश है।

(3) (क) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विधान सभा को राज्य सूची की प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से तथा उस सूची की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और प्रविष्टि 66 से जहां तक उनका सम्बन्ध उक्त प्रविष्टि 1, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 18 से है, संबंधित विषयों से भिन्न राज्य सूची में या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में, जहाँ तक ऐसा कोई विषय संघ राज्य क्षेत्रों को लागू है, सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी।

(ख) उपखण्ड (क) की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए किसी भी विषय के सम्बन्ध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा।

(ग) यदि विधान सभा द्वारा किसी विषय के सम्बन्ध में बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा उस विषय के सम्बन्ध में बनाई गई विधि के, चाहे वह विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, या किसी पूर्वतर विधि के, जो विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न है, किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो, दोनों दशाओं में यथास्थिति, संसद द्वारा बनाई गई विधि, या ऐसी पूर्वतर विधि, अभिभावी होगी और विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी :

परन्तु यदि विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है तो ऐसी विधि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में अभिभावी होगी :

परन्तु यह और कि इस उपखण्ड की कोई बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि, जिसके अन्तर्गत ऐसी विधि है जो विधान सभा द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) जिन बातों में किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे उन बातों को छोड़कर, उपराज्यपाल को, उन विषयों के

to the National Capital Territory, the Legislative Assembly of the National Capital Territory and the members thereof as they apply, in relation to a State, the Legislative Assembly of a State and the members thereof respectively and any reference in articles 326 and 329 to "appropriate Legislature" shall be deemed to be a reference to Parliament.

(3) (a) Subject to the provisions of this Constitution, the Legislative Assembly shall have power to make laws for the whole or any part of the National Capital Territory with respect to any of the matters enumerated in the State List or in the Concurrent List in so far as any such matter is applicable to Union Territories except matters with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64, 65 and 66 of that list in so far as they relate to the said Entries 1, 2 and 18.

(b) Nothing in sub-clause (a) shall derogate from the powers of Parliament under this constitution to make laws with respect to any matter for a Union Territory or any part thereof.

(c) If any provision of a law made by the Legislative Assembly with respect to any matter is repugnant to any provision of a law made by Parliament with respect to that matter, whether passed before or after the law made by the Legislative Assembly, or of an earlier law, other than a law made by the Legislative Assembly, then, in either case, the law made by Parliament, or , as the case may be, such earlier law, shall prevail and the law made by the Legislative Assembly shall, to the extent of the repugnancy, be void:

Provided that if any such law made by the Legislative Assembly has been reserved for the consideration of the President and has received his assent such law shall prevail in National Capital Territory:

Provided further that nothing in this sub-clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislative Assembly.

(4) There shall be a Council of Ministers consisting of not more than ten percent, of the total number of members in the Legislative Assembly, with the Chief Minister at the head to aid and advise the Lieutenant

संबंध में जिनकी बाबत विधान सभा को विधि बनाने की शक्ति है, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि–परिषद् होगी जो विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगाः

परन्तु उपराज्यपाल और उसके मन्त्रियों के बीच किसी विषय पर मतभेद की दशा में, उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर किए गए विनिश्चय के अनुसार कार्य करेगा तथा ऐसा विनिश्चय होने तक उपराज्यपाल किसी ऐसे मामले में, जहाँ वह विषय, इतना आवश्यक है जिसके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उसके लिए उसकी राय में, इतना आवश्यक है वहाँ, उस विषय में ऐसी कार्रवाई करने या ऐसा निर्देश देने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, सक्षम होगा।

(5) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे।

(6) मंत्रि–परिषद् विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

(7) (क) संसद, पूर्वगामी खण्डों को प्रभावी करने के लिए, या उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों की अनुपूर्ति के लिए और उनके आनुषंगिक या पारिणामिक सभी विषयों के लिए, विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी।

[1](ख) उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है।

(8) अनुच्छेद 239 ख के उपबंध, जहां तक हो सके, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, उप–राज्यपाल और विधान सभा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासक और उसके विधान मंडल के संबंध में लागू होते हैं, और अनुच्छेद में उस अनुच्छेद 239 क के खण्ड (1) के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 239 कख के प्रति निर्देश है।

1. संविधान (सत्तरवां संशोधन) 1992 की धारा–3 द्वारा (21–12–1992 से) अन्तःस्थापित

Governor in the exercise of his functions in relation to matters with respect to which the Legislative Assembly has power to make laws, except in so far as he is, by or under any law, required to act in his discretion:

Provided that in the case of difference of opinion between the Lieutenant Governor and his Ministers on any matter, the Lieutenant Governor shall refer it to the President for decision and act according to the decision given thereon by the President and pending such decision it shall be competent for the Lieutenant Governor in any; case where the matter, in his opinion, is so urgent that it is necessary for him to take immediate action, to take such action or to give such direction in the matter as he deems necessary.

(5) The Chief Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Chief Minister and the Ministers shall hold office during the pleasure of the President.

(6) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly.

(7) (a) Parliament may, by law, make provisions for giving effect to, or supplementing provisions contained in the foregoing clauses and for all matter incidental or consequential thereto.

*(b) Any such law as is referred to in sub-clause (a) shall not be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368 notwithstanding that it contains any provision which amends or has the effect of amending this constitution.

(8) The provisions of article 239B shall, so far as may be, apply in relation to the National Capital Territory, the Lieutenant Governor and the Legislative Assembly, as they apply in relation to the Union Territory of Pondicherry, the administrator and its Legislature respectively; and any reference in that article to "clause (1) of article 239A" shall be deemed to be a reference to this article or article 239AB, as the case may be.

* Inserted by Section 3 of the Constitution (Seventieth Amendment) Act, 1992 (w.e.f. 21-12-1991).

यदि राष्ट्रपति का, उपराज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि :–

239कख सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 कक या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; या

(ख) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अनुच्छेद 239 कक के किसी उपबंध के अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की जाएं, निलंबित कर सकेगा तथा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239 कक के उपबन्ध के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।''

(149)

Provisions in case of failure of constitutional machinery.

239AB. If the President, on receipt of a report from the Lieutenant Governor or otherwise, is satisfied–

(a) that a situation has arisen in which the administration of the National Capital Territory cannot be carried on in accordance with the provisions of article 239AA or of any law made in pursuance of that article; or

(b) that for the proper administration of the National Capital Territory it is necessary or expedient so to do, the President may by order suspend the operation of any provision of article 239AA or all or any of the provisions of any law made in pursuance of that article for such period and subject to such conditions as may be specified in such law and make such incidental and consequential provisions as may appear to him to be necessary or expedient for administering the National Capital Territory in accordance with the provisions of article 239 and article 239AA.

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991

THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI ACT, 1991

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991

(1992 का अधिनियम संख्यांक–1)

(2 जनवरी, 1992)

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए विधान सभा और मंत्री परिषद् से संबंधित संविधान के उपबंधों की अनुपूर्ति के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो –

भाग–1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 है।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के संबंध में किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उस उपबंध के प्रवृत्त होने के बारे में निर्देश हैं।

2. परिभाषाएं– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) 'अनुच्छेद' से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है,

1. धारा 2, 3, 38, 39, 40, एवं 53, 1 फरवरी, 1992 से प्रवृत्त हुई। (भारत का राजपत्र असाधारण भाग–2, खण्ड–3, उपखण्ड–2, दिनांक 31 जनवरी, 1992)।

2. धारा 4 से 37 (दोनों सम्मिलित) 41 से 45 (दोनों सम्मिलित) 49 से 52 (दोनों सम्मिलित) 54 तथा 55 दिनांक 2 अक्तूबर, 1993 से प्रवृत्त हुई। (भारत का राजपत्र असाधारण भाग–2, खण्ड–3, उपखण्ड–2, दिनांक 30 सितम्बर, 1993)

THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI ACT, 1991

(No. 1 of 1992)

(2nd January, 1992)

An Act to supplement the provisions of the Constitution relating to the Legislative Assembly and a Council of Ministers for the National Capital Territory of Delhi and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Forty-second year of the Republic of India as follows:--

PART – I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement

(1) This Act may be called the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

(2) It shall come into force on such date* as the Central Government may, by notification in the official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires–

(a) "article" means an article of the Constitution;

* 1. Section 2,3,38,39,40 and 53 came into force on 1st February, 1992. (Gazette of India-Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 31st January, 1992).

2. Sections 4 to 37 (both inclusive), 41 to 45 (both inclusive), 49 to 52 (both inclusive), 54 and 55 came into force on 2nd October, 1993, (Gazette of India-Extraordinary, Part-II, Section 3, dated 30th September, 1993).

(ख) 'सभा निर्वाचन क्षेत्र' से विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन उपबंधित निर्वाचन–क्षेत्र अभिप्रेत है,

(ग) 'राजधानी' से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है,

(घ) 'निर्वाचन आयोग' से अनुच्छेद 324 में निर्दिष्ट निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है,

(ङ) 'विधान सभा' से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा अभिप्रेत है,

(च) राजधानी के संबंध में 'अनुसूचित जाति' से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं, जिन्हें, राजधानी के संबंध में, अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है।

भाग–2

विधान सभा

3. विधान सभा और उसकी संरचना

(1) विधान सभा में प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या सत्तर होगी।

(2) विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए, राजधानी को इस अधिनियम के भाग–3 के उपबंधों के अनुसार एकल–सदस्य सभा निर्वाचन–क्षेत्रों में ऐसी रीति में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन–क्षेत्र की जनसंख्या समस्त राजधानी में यथासाध्य एक ही हो।

(3) विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो राजधानी में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात राजधानी की कुल जनसंख्या से है और ऐसे आरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 334 के उपबंध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण– *इस धारा में 'जनसंख्या' पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं:*

परन्तु जहां ऐसे आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं वहां इस अधिनियम के अधीन प्रथम विधान सभा के गठन के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ, राजधानी की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों को, जैसे कि वे 1991 की जनगणना के संबंध में प्रकाशित हुए हैं, राजधानी की जनसंख्या समझा जाएगा।

(152)

(b) "assembly constituency" means a constituency provided under this Act for the purpose of elections to the Legislative Assembly;

(c) "Capital" means the National Capital Territory of Delhi;

(d) "Election Commission" means the Election Commission referred to in article 324;

(e) "Legislative Assembly" means the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi;

(f) "Scheduled Castes" in relation to the Capital, means such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under article 341 to be Scheduled Castes in relation to the Capital.

PART – II

LEGISLATIVE ASSEMBLY

3. Legislative Assembly and its composition

1. The total number of seats in the Legislative Assembly to be filled by persons chosen by direct election from territorial constituencies shall be seventy.

2. For the purpose of elections to the Legislative Assembly, the Capital shall be divided into single member assembly constituencies in accordance with the provisions of Part III in such manner that the population of each of the constituencies shall, so far as practicable, be the same throughout the Capital.

3. Seats shall be reserved for the Scheduled Castes in the Legislative Assembly, and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the assembly as the population of the Scheduled Castes in the Capital bears to the total population of the Capital and the provisions of article 334 shall apply to such reservations.

Explanation–*In this section, the expression "population" means the population as ascertained in the last preceding census of which the relevant figures have been published:*

Provided that where such figures have not been published, then for the purposes of elections for the constitution of the first Legislative Assembly under this Act, the Provisional Figures of the population of the Capital as published in relation to the 1991 census shall be deemed to be the population of the Capital.

4.विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हता –

कोई व्यक्ति विधान सभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब –

(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;

(ख) वह कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है, और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं।

5.विधान सभा की अवधि

विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा :

परन्तु उक्त अवधि को, जब अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन निकाली गई आपात् उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।

6.विधान सभा का सत्र, सत्रावसान और विघटन

(1) उपराज्यपाल, समय–समय पर, विधान सभा को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अन्तर नहीं होगा।

(2) उपराज्यपाल, समय–समय पर–

(क) विधान सभा का सत्रावसान कर सकेगा;

(ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा।

(153)

4. Qualifications for membership of Legislative Assembly

A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly unless he–

(a) is a citizen of India and makes and subscribes before some person authorized in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Schedule;

(b) is not less than twenty-five years of age; and

(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by parliament.

5. Duration of Legislative Assembly

The Legislative Assembly, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer, and the expiration of the said period of five years shall operate as dissolution of the Assembly:

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency issued under clause (1) of article 352 is in operation, be extended by the President by order for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

6. Sessions of Legislative Assembly, prorogation and dissolution

(1) The Lieutenant Governor shall, from time-to-time, summon the Legislative Assembly to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

(2) The Lieutenant Governor may, from time to time,

a. prorogue the Assembly;

b. dissolve the Assembly.

7. विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष –

(1) विधान सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब–जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब–तब विधान सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।

(2) विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य :–

(क) यदि विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा,

(ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, और

(ग) विधान सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा :

परन्तु खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो :

परन्तु जब कभी विधान सभा का विघटन किया जाएगा है तो विघटन के पश्चात् होने वाले विधान सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा।

(3) जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधान सभा का ऐसा सदस्य जो विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, उस पद के कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

(4) विधान सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो सभा द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(5) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का जो विधान सभा, विधि द्वारा, नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो उपराज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, अवधारित करे, संदाय किया जाएगा।

(154)

7. Speaker and Deputy Speaker of Legislative Assembly

1. The Legislative Assembly shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.

2. A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of the Legislative Assembly—

   a. shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly;

   b. may, at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office; and

   c. may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly:

   Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days notice has been given of the intention to move the resolution:

   Provided further that whenever the Assembly is dissolved, the Speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the Assembly after the dissolution.

3. While the office of Speaker is vacant the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as may be determined by the rules of procedure of the Assembly.

4. During the absence of the Speaker from any sitting of the Assembly, the Deputy Speaker, or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of the procedure of the Assembly, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Assembly, shall act as Speaker.

5. There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly such salaries and allowances as may be respectively fixed by the Legislative Assembly by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as the Lieutenant Governor may, with the approval of the President, by order determine.

8. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

(1) विधान सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष, या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और धारा 7 की उपधारा (4) के उपबन्ध ऐसी प्रत्येक बैठक के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है।

(2) जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधान सभा में विचाराधीन है तब उसको विधान सभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह धारा 13 में किसी बात के होते भी, ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा किन्तु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा।

9. विधान सभा में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का उपराज्यपाल का अधिकार

(1) उपराज्यपाल विधान सभा में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) उपराज्यपाल विधान सभा में उस समय लंबित किसी विधेयक के सम्बन्ध में संदेश या कोई अन्य संदेश भेज सकेगा और जब ऐसा कोई संदेश इस प्रकार भेजा जाता है तब विधान सभा उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगी।

10. उपराज्यपाल का विशेष अभिभाषण

(1) उपराज्यपाल विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा में अभिभाषण करेगा और विधान सभा को उसके आह्वान के कारण बतायेगा।

(2) विधान सभा की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा, जो उस सभा द्वारा बनाए जायेंगे, ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबन्ध किया जाएगा।

(155)

8. Speaker or Deputy Speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration

1. At any sitting of the Legislative Assembly, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker from his office is under consideration, the Deputy Speaker shall not, though he is present, preside and the provisions of sub-section (4) of section 7 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker or, as the case may be, the Deputy Speaker is absent.

2. The Speaker shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Legislative Assembly while any resolution for his removal from office is under consideration in the assembly and shall, notwithstanding anything in section 13, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings but not in the case of any equality of votes.

9. Right of Lieutenant Governor to Address and send messages to Legislative Assembly

(1) The Lieutenant Governor may address the Legislative Assembly and for that purpose require the attendance of members.

(2) The Lieutenant Governor may send messages to the Assembly whether with respect to a Bill then pending in the Assembly or otherwise, and when a message is so sent, the Assembly shall with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration.

10. Special Address by the Lieutenant Governor

(1) At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year the Lieutenant Governor shall address the Legislative Assembly and inform it of the causes of its summons.

(2) Provision shall be made by rules to be made by the Assembly regulation its procedure for the allotment of time for discussion on the matters referred to in such address.

11. विधान सभा के बारे में मंत्रियों के अधिकार

प्रत्येक मंत्री को यह अधिकार होगा कि वह विधान सभा में बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले और विधान सभा की किसी समिति की कार्यवाही में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु इस धारा के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

12. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

विधान सभा का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, उपराज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

13. सभा में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सभा की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

(1) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विधान सभा की बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किन्तु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(3) विधान सभा की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी, उस सभा को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी विधान सभा की कार्यवाही विधिमान्य होगी।

(4) विधान सभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सभा के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई भाग होगी।

(5) यदि विधान सभा के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सभा को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलम्बित कर दे जब तक गणपूति नहीं हो जाती है।

(156)

11. Rights of Ministers as respects Legislative Assembly

Every Minister shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly and to speak in, and otherwise to take part in the proceeding of, any committee of the Legislative Assembly of which he may be named a member, but shall not by virtue of this section be entitled to vote.

12. Oath or affirmation by members

Every member of the Legislative Assembly shall, before taking his seat, make and subscribe before the Lieutenant Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Schedule.

13. Voting in Assembly, power of Assembly to act notwithstanding vacancies and quorum

(1) Save as otherwise provided in this Act, all questions at any sitting of the Legislative Assembly shall be determined by a majority of votes of the members present and voting other than the Speaker or person acting as such.

(2) The Speaker or person acting as such shall not vote in the first instance, but shall have and exercise a casting vote in the case of an equality of votes.

(3) The Legislative Assembly shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in the Legislative Assembly shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do, sat or voted or otherwise took part in the proceedings.

(4) The quorum to constitute a meeting of the Legislative Assembly shall be one-third of the total number of members of the Assembly.

(5) If at any time during a meeting of the Legislative Assembly there is no quorum, it shall be the duty of the Speaker, or person acting as such, either to adjourn the Assembly or to suspend the meeting until there is a quorum.

14. स्थानों का रिक्त होना

(1) कोई व्यक्ति संसद तथा विधान सभा दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद तथा ऐसी सभा, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 101 के खण्ड (2) तथा अनुच्छेद 190 के खण्ड (2) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट की जाए, उस व्यक्ति का संसद में स्थान रिक्त हो जायेगा, जब तक कि उसने विधान सभा में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है।

(2) यदि विधान सभा का कोई सदस्य–

(क) सभा की सदस्यता के लिए धारा 15 या धारा 16 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या

(ख) अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा :

परन्तु खण्ड (ख) में निर्दिष्ट त्याग पत्र की दशा में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्याग पत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्याग पत्र को स्वीकार नहीं करेगा।

(3) यदि विधान सभा का सदस्य साठ दिन की अवधि तक सभा की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगी :

परन्तु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सभा सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहती है।

15. सदस्यता के लिए निरर्हता

(1) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा :

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के या किसी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसके धारण करने वाले का

(157)

14. Vacation of Seats

(1) No person shall be a member both of Parliament and the Legislative Assembly and if a person is chosen a member both of Parliament and of such Assembly, then, at the expiration of such period as is specified in or under the Representation of the People Act, 1951 and the rules made by the President under clause (2) of article 101 and clause (2) of article 190, that person's seat in Parliament shall become vacant unless he has previously resigned his seat in the Legislative Assembly.

(2) If a member of the Legislative Assembly—

(a) becomes subject to any disqualification mentioned in section 15 or section 16 for membership of the Assembly; or

(b) resigns his seat by writing under his hand addressed to the Speaker and his resignation is accepted by the Speaker;

his seat shall thereupon become vacant:

Provided that in the case of any resignation referred to in clause (b), if from the information received or otherwise and after making such inquiry as he thinks fit, the Speaker is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation.

(3) If for a period of sixty days a member of the Legislative Assembly is without permission of the Assembly absent from all meetings thereof, the Assembly may declare his seat vacant:

Provided that in computing the said period of sixty days, no account shall be taken of any period during which the assembly is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

15. Disqualifications for membership

(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly–

(a) if he holds any office of profit under the Government of India or any state or the Government of Union Territory other than

निरर्हित न होना संसद द्वारा या किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा या राजधानी या किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;

(ख) यदि वह अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख), उपखण्ड (ग) या उपखण्ड (घ) के उपबन्धों के अधीन अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन संसद के दोनों सदन में से किसी सदन का सदस्य चुने जाने और होने के लिए तत्समय निरर्हित है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का या ऐसे राज्यक्षेत्र का मंत्री है।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान सभा का कोई सदस्य उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन ऐसा सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए निदर्शित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

16. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता

आवश्यक उपांतरों के अधीन रहते हुए (जिसके अन्तर्गत यह उपांतरण भी हैं कि उसमें राज्य की विधान सभा, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 212 के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे, क्रमशः विधान सभा, और इस अधिनियम की धारा 12, धारा 18 और धारा 37 के प्रति निर्देश है) विधान सभा के सदस्यों को और उनके सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य की विधान सभा के सदस्यों को और उनके सम्बन्ध में लागू होते हैं, और तदनुसारः–

(क) इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची इस अधिनियम का भाग समझी जाएगी, और

(ख) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य होने से निरर्हित होगा यदि वह इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित है।

an office declared by law made by Parliament or by the Legislature of any State or by the Legislative Assembly of the Capital or of any other Union territory not to disqualify its holder; or

(b) if he is for the time being disqualified for being chosen, as, and for being, a member of either House of Parliament under the provisions of sub-clause (b), sub-clause (c) or sub-clause (d) of clause (1) of article 102 or of any law made in pursuance of that article.

(2) For the purposes of this section, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any state or the Government of any Union Territory by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State or Union Territory.

(3) If any question arises as to whether a member of the Legislative Assembly has become disqualified for being such a member under the provisions of sub-section (1), the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

(4) Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.

16. Disqualification on ground of defection

The provisions of the Tenth Schedule to the Constitution shall, subject to the necessary modifications (including modifications for construing references therein to the Legislative Assembly of a State, article 188, article 194 and article 212 as references, respectively, to the Legislative Assembly, section 12, section 18 and section 37 of this Act), apply to and in relation to the members of the Legislative Assembly of a State, and accordingly–

(a) the said Tenth Schedule as so modified shall be deemed to form part of this Act, and

(b) a person shall be disqualified for being a member of the Legislative Assembly if he is so disqualified under the said Tenth Schedule as so modified.

17. शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति

यदि विधान सभा में कोई व्यक्ति धारा 12 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या यह जानते हुए कि वह उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं है, या निरर्हित कर दिया गया है, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रूपये की शास्ति का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।

18. सदस्यों को शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों और विधान सभा की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, विधान सभा में वाक स्वातंत्र्य होगा।

(2) विधान सभा या उसकी किसी समिति में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी विधान सभा के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन–पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई कार्रवाही नहीं की जाएगी।

(3) अन्य बातों में विधान सभा और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जिनका उपयोग लोकसभा और उसके सदस्यों तथा समितियों द्वारा तत्समय किया जा रहा है।

(4) जिन व्यक्तियों को इस अधिनियम के आधार पर विधान सभा या किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उसके सम्बन्ध में उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस विधान सभा के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं।

19. सदस्यों के वेतन और भत्ते

विधान सभा के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें विधान सभा, समय–समय पर, विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस सम्बन्ध में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और भत्ते जो उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के अनुमोदन से आदेश द्वारा, अवधारित करे, प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(159)

17. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation or when not qualified or when disqualified

If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly before he has complied with the requirements of section 12 or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the Union.

18. Powers, privileges, etc. of members

(1) Subject to the provisions of this Act and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislative Assembly, there shall be freedom of speech in the Legislative Assembly.

(2) No member of the Legislative Assembly shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Assembly or any committee thereof and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of such Assembly of any report, paper, votes or proceedings.

(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of the Legislative Assembly and of the members and the committees thereof shall be such as are for the time being enjoyed by the House of the People and its members and committees.

(4) The provisions of sub-sections (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Act have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly or any committee thereof as they apply in relation to members of the Assembly.

19. Salaries and allowances of members

Members of the Legislative Assembly shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time-to-time be determined by the Legislative Assembly by law and until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as the Lieutenant Governor may, with the approval of the President by order determine.

20. संघ की सम्पत्ति को करों से छूट

वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे, विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन या राजधानी में प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित सभी करों से संघ की सम्पत्ति को छूट होगी :

परन्तु इस धारा की कोई बात जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, राजधानी के भीतर किसी प्राधिकारी को संघ की किसी सम्पत्ति पर कोई ऐसा कर, जिसके दायित्व संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले ऐसी सम्पत्ति पर था या माना जाता था, उद्‌गृहीत करने से तब तक नहीं रोकेगी जब तक वह कर राजधानी में उद्‌गृहीत होता रहता है।

21. कतिपय विषयों की बाबत विधान सभा द्वारा पारित विधियों पर निर्बंधन

(1) अनुच्छेद 286, अनुच्छेद 287 और अनुच्छेद 288 के उपबन्ध विधान सभा द्वारा उन अनुच्छेदों में, निर्दिष्ट विषयों में से किसी की बाबत पारित किसी विधि के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा उन विषयों की बाबत पारित किसी विधि के संबंध में लागू होते हैं।

(2) अनुच्छेद 304 के उपबन्ध, आवश्यक उपांतरणों सहित, विधान सभा द्वारा उन अनुच्छेद में निर्दिष्ट विषयों में से किसी की बाबत पारित किसी विधि के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य के विधान मंडल द्वारा उन विषयों की बाबत पारित किसी विधि के संबंध में लागू होते हैं।

22. वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबन्ध

(1) कोई विधेयक या संशोधन उपराज्यपाल की सिफारिश से ही विधान सभा में पुरःस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा यदि ऐसा विधेयक या संशोधन निम्नलिखित विषयों की बाबत उपबन्ध करता है, अर्थात् :

(क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन,

(ख) राजधानी की सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से सम्बन्धित विधि का संशोधन,

(ग) राजधानी की संचित निधि में से धन का विनियोग,

(160)

20. Exemption of property of the Union from taxation

The property of the Union shall, save in so far as Parliament may by law otherwise provide, be exempted from all taxes imposed by or under any law made by the Legislative Assembly or by or under any other law in force in the capital:

Provided that nothing in this section shall, until Parliament may by law otherwise provides, prevent any authority within the Capital from levying any tax on any property of the Union to which such property was immediately before the commencement of the Constitution liable or treated as liable, so long as that tax continues to be levied in the Capital.

21. Restrictions on laws passed by Legislative Assembly with respect to certain matters

(1) The provisions of article 286, article 287 and article 288 shall apply in relation to any law passed by the Legislative Assembly with respect to any of the matters referred to in those articles as they apply in relation to any law passed by the Legislature of a State with respect to those matters.

(2) The provisions of article 304 shall, with the necessary modifications, apply in relation to any law passed by the Legislative Assembly with respect to any of the matters referred to in that article as they apply in relation to any law passed by the Legislature of a State with respect to those matters.

22. Special provisions as to financial Bills

(1) A Bill or amendment shall not be introduced into, or moved in the Legislative Assembly except on the recommendation of the Lieutenant Governor, if such Bill or amendment makes provision for any of the following matters, namely—

(a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;

(b) the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Government of the Capital;

(c) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the Capital;

(घ) किसी व्यय को राजधानी की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना,

(ङ) राजधानी की संचित निधि से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन :

परन्तु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस उपधारा के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) कोई विधेयक या संशोधन पूर्वोक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए शुल्क की या की गई सेवाओं के लिए शुल्क की मांग का या उनके संदाय का उपबन्ध करता है अथवा इस कारण नहीं समझा जायेगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबन्ध करता है।

(3) जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर राजधानी की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक विधान सभा द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सभा से उपराज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है।

23. विधेयकों के व्यपगत होने के संबंध में प्रक्रिया:

(1) विधान सभा में लंबित विधेयक विधान सभा के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा।

(2) वह विधान सभा में लंबित विधेयक, विधान सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा।

24. विधेयकों पर अनुमति:

जब कोई विधेयक विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उपराज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है :

(161)

(d) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of the Capital or the increasing of the amount of any such expenditure;

(e) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of the Capital or the custody or issue of such money:

Provided that no recommendation shall be required under this sub-section for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax.

(2) A Bill or amendment shall not be deemed to make provision for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of the Capital shall not be passed by the Legislative Assembly unless the Lieutenant Governor has recommended to that Assembly the consideration of the Bill.

23. Procedure as to lapsing of Bills

(1) A Bill pending in the Legislative Assembly shall not lapse by reason of the prorogation of the Assembly.

(2) A Bill which is pending in the Legislative Assembly shall lapse on a dissolution of the Assembly.

24. Assent to Bills

When a Bill has been passed by the Legislative Assembly, it shall be presented to the Lieutenant Governor and the Lieutenant Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the Bill for the consideration of the President:

परन्तु उपराज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो विधान सभा को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि विधान सभा विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करे और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापना की वांछनीयता पर विचार करे जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब विधान सभा विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेगी और यदि विधेयक संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और उपराज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उपराज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है :

परन्तु यह और कि उपराज्यपाल उस विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किन्तु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा :–

(क) जिस विधेयक से, उसके विधि बन जाने पर, उपराज्यपाल की राय में, उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है, संकटापन्न हो जाएगा, या

(ख) जो विधेयक राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अपने विचार के लिए आरक्षित रखने का निदेश दे, या

(ग) जो विधेयक धारा 7 की उपधारा (5) या धारा 19 या धारा 34 या धारा 43 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट विषयों से सम्बन्धित है।

स्पष्टीकरण–इस धारा और धारा 25 के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल धारा 22 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों से या उन विषयों में से किसी के आनुषंगिक किसी विषय से सम्बन्धित उपबन्ध है और दोनों दशाओं में से किसी में, विधान सभा के अध्यक्ष का यह प्रमाण–पत्र कि वह धन विधेयक है उस पर पृष्ठांकित है, और उसके द्वारा हस्ताक्षरित है।

25. विचार के लिए आरक्षित विधेयक

जब कोई विधेयक उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है :

Provided that the Lieutenant Governor may, as soon as possible after the presentation of the Bill to him for assent, return the Bill if it is not a Money Bill together with a message requesting that the Assembly will reconsider the Bill for any specified provisions thereof, and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and, when a Bill is so returned, the Assembly will reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again with or without amendment and presented to the Lieutenant Governor for assent, the Lieutenant Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he reserves the Bill for the consideration of the President:

Provided further that the Lieutenant Governor shall not assent to, but shall reserve for the consideration of the President, any Bill which—

(a) in the opinion of the Lieutenant Governor would, if it became law, so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that Court is, by the Constitution, designed to fill; or

(b) the President may, by order, direct to be reserved for the consideration; or

(c) relates to matters referred to in sub-section (5) of section7 or section 19 or section 34 or sub-section (3) of section 43.

***Explanation*–**For the purposes of this section and section 25, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the matters specified in sub-section (1) of section 22 or any matter incidental to any of those matters and, in either case, there is endorsed thereon the certificate of the Speaker of the Legislative Assembly signed by him that it is a Money Bill.

25. Bills reserved for consideration

When a Bill is reserved by the Lieutenant Governor for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the Bill or that he withhold assent therefrom:

परन्तु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है वहां राष्ट्रपति उपराज्यपाल को यह निदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को विधान सभा को ऐसे सन्देश के साथ, जो धारा 24 के पहले परन्तुक में वर्णित है, लौटा दे और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा सन्देश मिलने की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर विधान सभा द्वारा उस पर तदनुसार पुनः विचार किया जाएगा और यदि वह उस सभा द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा।

26. मंजूरी आदि के सम्बन्ध में अपेक्षाऐं

विधान सभा का कोई अधिनियम, और किसी ऐसे अधिनियम का कोई उपबन्ध, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित कोई पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी या सिफारिश नहीं की गई थी, यदि उस अधिनियम को उपराज्यपाल द्वारा, या राष्ट्रपति के विचार के लिए उपराज्यपाल द्वारा आरक्षित रख लिए जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा, अनुमति दे दी गई थी।

27. वार्षिक वित्तीय विवरण

(1) उपराज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में विधान सभा के समक्ष, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा गया है।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में–

(क) इस अधिनियम में राजधानी की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, और

(ख) राजधानी की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, पृथक–पृथक दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा।

(3) तत्सम्य प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित व्यय राजधानी को संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात् –

(क) उपराज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से सम्बन्धित अन्य व्यय जो राष्ट्रपति द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अवधारित किया जाए;

(ख) राजधानी को भारत की संचित निधि में से दिए गए उधारों की बाबत संदेय–भार, जिनके अन्तर्गत ब्याज, निक्षेप निधि–भार और मोचन–भार तथा उससे सम्बन्धित अन्य व्यय;

Provided that where the Bill is not a Money Bill, the President may direct the Lieutenant Governor to return the Bill to the Legislative Assembly together with such a message as is mentioned in the first proviso to section 24 and, when a Bills is so returned, the Assembly shall reconsider it accordingly within a period of six months from date of receipt of such message and, if it is again passed by the Assembly with or without amendment, it shall be presented again to the President for his consideration.

26. Requirement as to sanction, etc.

No Act of the Legislative Assembly, and no provision in any such Act, shall be invalid by reason only that some previous sanction or recommendation required by this Act was not given, if assent to that Act was given by the Lieutenant Governor, or, on being reserved by the Lieutenant Governor for the Consideration of the President, by the President.

27. Annual financial statement

(1) The Lieutenant Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the Legislative Assembly, with the previous sanction of the President, a statement of the estimated receipts and expenditure of the Capital for that year, in this Part referred to as the "annual financial statement".

(2) The estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately—

(a) the sums required to meet expenditure described by this Act as expenditure charged upon the Consolidated Fund of the Capital; and

(b) the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of the Capital, and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the following expenditure shall be expenditure charged on the Consolidated Fund of the Capital—

(a) the emoluments and allowances of the Lieutenant Governor and other expenditure relating to his office as determined by the President by general or special order;

(b) the charges payable in respect of loans advanced to the Capital from the Consolidated Fund of India including interest, sinking fund charges and redemption charges, and other expenditure connected therewith;

(ग) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते;

(घ) दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों के सम्बन्ध में व्यय;

(ङ) किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित कोई राशियां;

(च) कोई अन्य व्यय, जो संविधान द्वारा या संसद द्वारा या विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है।

28. विधान सभा में प्राक्कलनों के सम्बन्ध में प्रक्रिया

(1) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राजधानी की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बन्धित हैं वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किन्तु इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधान सभा में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है।

(2) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से सम्बन्धित हैं, वे विधान सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधान सभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे।

(3) किसी अनुदान की मांग उपराज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

29. विनियोग विधेयक

(1) विधान सभा द्वारा धारा 28 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राजधानी की संचित निधि में से :

(क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और

(ख) राजधानी की संचित निधि पर भारित, किन्तु विधान सभा के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की, पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबन्ध करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा।

(164)

(c) the salaries and allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

(d) expenditure in respect of salaries and allowances of Judges of the High Court of Delhi;

(e) any sums required to satisfy any judgement, decree or award of any court or arbitral tribunal; and

(f) any other expenditure declared by the Constitution or by law made by Parliament or by the Legislative Assembly to be so charged.

28. Procedure in Legislative Assembly with respect to estimates

(1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of the Capital shall not be submitted to the vote of the Legislative Assembly, but nothing in this sub-section shall be construed as preventing the discussion in the Legislative Assembly of any of those estimates.

(2) So much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the Legislative Assembly, and Legislative Assembly shall have power to assent, or to refuse to assent, to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein.

(3) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Lieutenant Governor.

29. Appropriation Bills

(1) As soon as may be after the grants under section 28 have been made by the Legislative Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the Capital of all moneys required to meet—

(a) the grants so made by the Assembly; and

(b) the expenditure charged on the Consolidated Fund of the Capital but not exceeding in any case the amount shown in the statement previously laid before the assembly.

(2) इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राजधानी की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में विधान सभा में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अन्तिम होगा कि कोई संशोधन इस उपधारा के अधीन अग्राह्य है या नहीं।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राजधानी की संचित निधि में से इस धारा के उपबन्धों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं।

30. अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान

(1) उपराज्यपाल द्वारा–

(क) धारा 29 के उपबन्धों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, या

(ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है, तो उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, विधान सभा के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या ऐसे पूर्व अनुमोदन से विधान सभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा।

(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के सम्बन्ध में तथा राजधानी की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से सम्बन्धित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के सम्बन्ध में भी, धारा 27, धारा 28 और धारा 29 के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय के सम्बन्ध में या किसी अनुदान की किसी मांग के सम्बन्ध में और राजधानी की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के सम्बन्ध में प्रभावी हैं।

(165)

(2) No amendment shall be proposed to any such Bill in the Legislative Assembly which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of the Capital and the decision of the person presiding as to whether as amendment is inadmissible under this sub-section shall be final.

(3) Subject to the other provisions of this Act, no money shall be withdrawn from the Consolidated Fund of the Capital except under appropriation made by law passed in accordance with provisions of this section.

30. Supplementary, additional or excess grants

(1) The Lieutenant Governor shall—

(a) if the amount authorized by any law made in accordance with the provisions of section 29 to be spent for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year; or

(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for the service and for that year, cause to be laid before the Legislative Assembly, with the previous sanction of the President, another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the Legislative Assembly with such previous sanction a demand for such excess, as the case may be.

(2) The provisions of section 27, 28 and 29 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand and also to any law to be made authorizing the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the Capital to meet such expenditure or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein or to a demand for a grant and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the Capital to meet such expenditure or grant.

31. लेखा अनुदान

(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, विधान सभा का किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए धारा 28 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में धारा 29 के उपबन्धों के अनुसार विधि के पारित होने तक, अग्रिम देने की, शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं, उनके लिए राजधानी की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की विधान सभा को शक्ति होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस उपधारा के अधीन बनाई जाने वाली विधि के संबंध में धारा 28 और धारा 29 के उपबन्ध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और राजधानी की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं।

32. विधान सभा द्वारा व्यय की मंजूरी दिए जाने तक व्यय को प्राधिकृत किया जाना

इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, उपराज्यपाल राजधानी की संचित निधि में से ऐसा व्यय प्राधिकृत कर सकेगा जो वह राजधानी की संचित निधि के गठन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली छह मास से अनधिक अवधि के लिए, विधान सभा द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी दिए जाने तक, आवश्यक समझे।

33. प्रक्रिया के नियम

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधान सभा अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी :

परन्तु उपराज्यपाल, विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन से –

(क) वित्तीय कार्य का समय के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए;

(ख) किसी वित्तीय विषय से या राजधानी की संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से सम्बन्धित विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन करने के लिए;

(ग) जहां तक इस अधिनियम या किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपराज्यपाल से स्वविवेकानुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है वहां तक उसके कृत्यों

(166)

31. Vote on account

1. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the Legislative Assembly shall have power to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in section 28 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of section 29 in relation to that expenditure and the Legislative Assembly shall have power to authorize by law the withdrawal of moneys from the Consolidated Fund of the Capital for the purposes for which the said grant is made.

2. The provisions of sections 28 and 29 shall have effect in relation to the making of any grant under sub-section (1) or to any law to be made under that sub-section as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorization of appropriation of moneys, out of the Consolidated Fund of the Capital to meet such expenditure;

32. Authorization of expenditure pending its sanction by Legislative Assembly

Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the Lieutenant Governor may authorize such expenditure from the Consolidated Fund of the Capital, as he deems necessary for a period of not more than six months beginning with the date of the constitution of the Consolidated Fund of the Capital, pending the sanction of such expenditure by the Legislative Assembly.

33. Rules of procedure

(1) The Legislative Assembly may make rules for regulating, subject to the provisions of this Act, its procedure and the conduct of its business:

Provided that the Lieutenant Governor shall, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly and with the approval of the President, make rules—

(a) for securing the timely completion of financial business;

(b) for regulating the procedure of, and the conduct of business in, the Legislative Assembly in relation to any financial matter or to any Bill for the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of the Capital;

(c) for prohibiting the discussion of, or the asking of questions on, any matter which affects the discharge of the functions

के निर्वहन पर प्रभाव डालने वाली किसी बात पर विचार–विमर्श करने का या प्रश्न पूछने का प्रतिषेध करने के लिए; नियम बना सकेगा।

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक विधान सभा में इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले, उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए विधान सभा के सम्बन्ध में प्रभावी होंगे जिन्हें उपराज्यपाल उनमें करें।

34. राजधानी की राजभाषा या राजभाषाएं तथा उसकी विधान सभा में प्रयोग होने वाली भाषा या भाषाएं

(1) विधान सभा, विधि द्वारा, राजधानी में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को राजधानी के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली राजभाषा या राजभाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगी :

परन्तु राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, निर्देश दे सकेगा कि–

(i) संघ की राजभाषा राजधानी के ऐसे शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत की जाएगी जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ii) कोई अन्य भाषा भी संपूर्ण राजधानी में या उसके ऐसे भाग में राजधानी के शासकीय प्रयोजनों में से ऐसे प्रयोजनों के लिए अंगीकृत की जाएगी जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि राजधानी की जनसंख्या का पर्याप्त भाग ऐसे सभी प्रयोजनों या उनमें से किसी प्रयोजन के लिए, उस अन्य भाषा के प्रयोग की वांछा करता है।

(2) विधान सभा में कार्य राजधानी की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :

परन्तु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सभा को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

35. विधेयकों, अधिनियमों, आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

धारा 34 में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक जो –

(167)

of the Lieutenant Governor in so far as he is required by or under this Act or any law to act in his discretion.

(2) Until rules are made under sub-section (1), the rules of procedure and standing orders with respect to the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh in force immediately before the commencement of this Act shall have effect in relation to the Legislative Assembly subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Lieutenant Governor.

34. Official language or languages of the Capital and languages to be used in Legislative Assembly

(1) The Legislative Assembly may by law adopt any one or more of the languages in use in the Capital or Hindi as the official language or languages to be used for all or any of the official purposes of the Capital:

Provided that the President may by order direct—

(i) that the official language of the Union shall be adopted for such of the official purposes of the Capital as may be specified in the order;

(ii) that any other language shall also be adopted throughout the Capital or such part thereof for such of the official purposes of the Capital as may be specified in the order, if the President is satisfied that a substantial proportion of the population of the Capital desires the use of that other language for all or any of such purposes.

(2) The Business in the Legislative Assembly shall be transacted in the official language or languages of the Capital or in Hindi or in English:

Provided that the Speaker of the Legislative Assembly or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in any of the languages aforesaid to address the Assembly in his mother tongue.

35. Language to be used for Bills, Acts, etc.

Notwithstanding anything contained in section 34, until Parliament by law otherwise provides, the authoritative texts—

(क) विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके सभी संशोधनों के

(ख) विधान सभा द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और

(ग) विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बताए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के।

प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे :

परन्तु जहाँ विधान सभा ने उस विधान सभा में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है, वहां राजपत्र में उपराज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

36. विधान सभा में चर्चा पर निर्बन्धन

उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में विधान सभा में कोई चर्चा नहीं होगी।

37. न्यायालय द्वारा विधान सभा की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

(1) विधान सभा की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) विधान सभा का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उस विधान सभा में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा।

(a) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in the Legislative Assembly;

(b) of all Acts passed by the Legislative Assembly; and

(c) of all orders, rules, regulations and bye-laws issued under any law made by the Legislative Assembly, shall be in the English Language:

Provided that where the Legislative Assembly has prescribed any language other than the English language for use in Bills introduced in, or Acts passed by, the Legislative Assembly or in any order, rule, regulation or bye-law issued under any law made by the Legislative Assembly, a translation of the same in the English language published under the authority of the Lieutenant Governor in the Official Gazette shall be deemed to be the authoritative text thereof in the English Language.

36. Restriction on discussion in the Legislative Assembly

No discussion shall take place in the Legislative Assembly with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a High court in the discharge of his duties.

37. Courts not to inquire into proceedings of Legislative Assembly

(1) The validity of any proceedings in the Legislative Assembly shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.

(2) No officer or member of the Legislative Assembly in whom powers are vested by or under this Act for regulating procedure or the conduct of business, or for maintaining order in the Legislative Assembly shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers.

भाग–3

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

38. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन–क्षेत्रों का परिसीमन करना

(1) निर्वाचन आयोग, धारा 3 के अधीन विधान सभा के लिए समनुदिष्ट स्थानों को एक–सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्रों में, इसमें उपबन्धित रीति से, वितरित करेगा और उनका परिसीमन निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए करेगा, अर्थात –

(क) सभी निर्वाचन क्षेत्रों का, यथासाध्य, ऐसी रीति से परिसीमन किया जाएगा कि राजधानी की कुल जनसंख्या का ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या से अनुपात एक ही हो; और

(ख) वे निर्वाचन–क्षेत्र जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे जहां उनकी जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या से अपेक्षाकृत अधिक हो।

(2) निर्वाचन आयोग

(क) निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से भी, जैसी आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और साथ–साथ एक सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के सम्बन्ध में आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दिष्ट की गई हो जिसको या जिसके पश्चात् प्रस्थापनाओं पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तिथि से पहले प्राप्त हुए हों;

(ग) इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले उसे प्राप्त हुए सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निर्वाचन–क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा, और ऐसे प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विविध का पूर्ण बल रखेगा या रखेंगे और उसे या उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(169)

PART - III

DELIMITATION OF CONSTITUENCIES

38. Election Commission to delimit constituencies

(1) The Election Commission shall, in the manner herein provided, distribute the seats assigned to the Legislative Assembly under section 3 to single member territorial constituencies and delimit them having regard to the following provisions, namely—

a) all constituencies shall, as for as practicable, be delimited in such manner that the ratio between the population of each of such constituencies and the total population of the Capital is the same; and

b) Constituencies, in which seats are reserved for the Scheduled Castes shall, as far as practicable, be located in areas where the proportion of their population to the total population is comparatively large.

(2) The Election Commission shall—

a) Publish its proposals for the delimitation of constituencies in the Official Gazette and also in such manner as the Commission may consider fit, together with a notice inviting objections and suggestions in relation to the proposals and specifying a date on or after which the proposals will be further considered by it;

b) Consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified;

c) After considering all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified, determine by one or more orders the delimitation of constituencies and cause such order or orders to be published in the official Gazette; and upon such publication, the order or orders shall have the full force of law and shall not be called in question in any court.

39. परिसीमन के आदेशों को बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ

निर्वाचन आयोग की परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की शक्ति–निर्वाचन आयोग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर–

(क) धारा 38 के अधीन किए गए किसी आदेश में किसी मुद्रण सम्बन्धी भूल को या अनवधानता से हुई भूल वा लोप से उसमें हुई किसी गलती को शुद्ध कर सकेगा;

(ख) किसी आदेश में उल्लिखित किसी प्रादेशिक खंड की सीमाओं या नाम परिवर्तित कर दिए जाते हैं तब ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उस आदेश को बनाए रखने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

40. विधान सभा के लिए निर्वाचन

(1) धारा 38 के अधीन सभी सभा निर्वाचन–क्षेत्रों का परिसीमन करने के पश्चात् विद्यमान विधान सभा का गठन करने के प्रयोजन के लिए यथाशीघ्र साधारण निर्वाचन कराया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए उपराज्यपाल राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों के, जो उपधारा (3) के अधीन लागू हैं, उपबन्धों के अनुसार उक्त सभी सभा निर्वाचन–क्षेत्रों से सदस्यों के निर्वाचन की अपेक्षा करेगा।

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियम या निकाले गए आदेश तथा निर्वाचनों से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्र सभी अन्य विधियां, आवश्यक उपांतरणों सहित (जिनमें उसमें अर्थान्वयन करने के लिए राज्य, राज्य सरकार और उपराज्यपाल के प्रति निर्देशों को क्रमशः राजधानी, राजधानी की सरकार और उपराज्यपाल के प्रति निर्देश के रूप में सम्मिलित उपांतरण भी हैं) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट साधारण निर्वाचन को या उसके सम्बन्ध में लागू होंगी।

(170)

39. Powers of Election Commission to maintain delimitation orders up-to-date

The Election Commission may, from time to time, by notification in the Official Gazette—

(a) Correct any printing mistakes in any order made under section 38 or any error arising therein from inadvertent slip or omission; and

(b) Where the boundaries or name of any territorial division mentioned in any such order are or is altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing such order up-to-date.

40. Elections of the Legislative Assembly

(1) For the purpose of constituting the Legislative Assembly, a general election will be held as soon as may be, after the delimitation of all the assembly constituencies under section 38.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Lieutenant Governor shall, by one or more notifications published in the Official Gazette, call upon all the said assembly constituencies to elect members in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1951, and of the rules and orders made or issued thereunder as applicable under sub-section (3).

(3) The Representation of the People Act,1950, the Representation of the People Act, 1951, the rules and orders made or issued under the said Acts and all other laws for the time being in force relating to elections shall apply with necessary modifications (including modifications for construing references therein to a State Government and Governor as including references to the Capital, Government of the Capital and Lieutenant Governor, respectively) to, and in relation to, the general election referred to in sub-section (1).

भाग–4

उपराज्यपाल और मंत्रियों से सम्बन्धित कतिपय उपबन्ध

41. वे विषय जिनमें उपराज्यपाल स्वविवेकानुसार कार्य करेगा

(1) उपराज्यपाल किसी ऐसे मामले में स्वविवेकानुसार कार्य करेगा–

(i) जो विधान सभा की प्रदत्त शक्तियों के परिक्षेत्र के बाहर आता है किन्तु जिसकी बाबत राष्ट्रपति द्वारा उसे शक्तियां या कृत्य न्यस्त या प्रत्यायोजित किए जाते हैं; या

(ii) जिसमें किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्वविवेकानुसार कार्य करे या किन्हीं न्यायिक या न्यायिक कल्प कृत्यों का निर्वहन करे।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं है जिसके संबंध में किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह स्वविवेकानुसार कार्य करे तो उस पर उपराज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं है जिसके संबंध में किसी विधि द्वारा उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह किन्हीं न्यायिक या न्यायिक कल्प कृत्यों का निर्वहन करे तो उस पर उपराज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा।

42. मंत्रियों द्वारा सलाह

इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने उपराज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।

43. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

(1) किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले उपराज्यपाल अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसकी पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।

(2) कोई मंत्री, जो निरंतर छः मास की किसी अवधि तक विधान सभा का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।

(3) मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो विधान सभा, विधि द्वारा, समय–समय पर अवधारित करे और जब तक विधान सभा इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति के अनुमोदन से उपराज्यपाल द्वारा अवधारित किए जाएं।

(171)

PART - IV

CERTAIN PROVISIONS RELATING TO LIEUTENANT GOVERNOR AND MINISTERS

41. Matters in which Lieutenant Governor to act in his discretion

(1) The Lieutenant Governor shall act in his discretion in a matter—

(i) which falls outside the purview of the powers conferred on the Legislative Assembly but in respect of which powers or functions are entrusted or delegated to him by the President; or

(ii) in which he is required by or under any law to acting his discretion or to exercise any judicial functions.

(2) If any question arises as to whether any matter is or is not a matter as respects with the Lieutenant Governor is by or under any law required to act in his discretion, the decision of the Lieutenant Governor thereon shall be final.

(3) If any question arises as to whether any matter is or is not a matter as respects with the Lieutenant Governor is by or under any law required by any law to exercise any judicial or quasi-judicial functions, the decision of the Lieutenant Governor thereon shall be final.

42. Advice by Ministers

The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Lieutenant Governor shall not be inquired into in any court.

43. Other provisions as to Ministers

(1) Before a Minister enters upon his office, the Lieutenant Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Schedule.

(2) A Minister who, for any period of six consecutive months, is not a member of the Legislative Assembly, shall, at the expiration of that period, cease to be a Minister.

(3) The salaries and allowances of Ministers shall be such as the Legislative Assembly may from time-to-time by law determine, and until the Legislative Assembly so determines, shall be determined by the Lieutenant Governor with the approval of the President.

44. कार्य संचालन

(1) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियम

(क) मंत्रियों में कार्य के आबंटन के लिए, जहां तक कि वह उस कार्य से संबंधित है जिसकी बाबत उपराज्यपाल से अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है; तथा

(ख) मंत्रियों के साथ कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए, जिसमें उपराज्यपाल तथा मंत्रि परिषद या किसी मंत्री के बीच मतभेद के मामले में अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया भी है, नियम बनायेगा।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, उपराज्यपाल की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, चाहे अपने मंत्रियों की सलाह पर या अन्यथा की गई हो, उपराज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी।

(3) उपराज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो उपराज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह उपराज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है।

45. उपराज्यपाल को जानकारी देने, आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) राजधानी के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रि–परिषद् के सभी विनिश्चय उपराज्यपाल को संसूचित करे;

(ख) राजधानी के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी उपराज्यपाल मांगे, वह दे, और

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रि–परिषद ने विचार नहीं किया है, उपराज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रि–परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे।

(172)

44. Conduct of business

(1) The President shall make rules—

(a) for the allocation of business to the Ministers in so far as it is business with respect to which the Lieutenant Governor is required to act on the aid and advice of his Council of Ministers; and

(b) for the more convenient transaction of business with the Ministers, including the procedure to be adopted in the case of a difference of opinion between the Lieutenant Governor and the Council of Ministers or a Minister.

(2) Save as otherwise provided in this Act, all executive action of Lieutenant Governor whether taken on the advice of his Ministers or otherwise shall be expressed to be taken in the name of the Lieutenant Governor.

(3) Orders and other instruments made and executed in the name of the Lieutenant Governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the Lieutenant Governor and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the Lieutenant Governor.

45. Duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to the Lieutenant Governor etc.

It shall be the duty of the Chief Minister—

(a) to communicate to the Lieutenant Governor all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the Capital and proposals for legislation;

(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Capital and proposals for legislation as Lieutenant Governor may call for; and

(c) if the Lieutenant Governor so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council.

भाग–5

प्रकीर्ण तथा संक्रमणकालीन उपबंध

46. राजधानी की संचित निधि

(1) ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिसकी बाबत विधान सभा को विधियां बनाने की शक्ति है, भारत सरकार को या उपराज्यपाल को राजधानी में प्राप्त सभी राजस्व तथा भारत की संचित निधि में से राजधानी को दिए गए सभी अनुदान तथा सभी उधार तथा उधारों के प्रतिसंदाय में राजधानी को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो ''दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की संचित निधि'' के नाम से ज्ञात होगी (जिसे इस अधिनियम में राजधानी की संचित निधि कहा गया है)।

(2) राजधानी की संचित निधि में से कोई धनराशियां इस अधिनियम के अनुसार और उसमें उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की जाएगी, अन्यथा नहीं।

(3) राजधानी की संचित निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधि में से धनराशियों के संदाय, उससे धनराशियों के निकाले जाने का तथा उन विषयों से सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक अन्य सभी विषयों का विनियमन, राष्ट्रपति के अनुमोदन से उपराज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा।

47. राजधानी की आकस्मिकता निधि

(1) अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि स्थापित की जाएगी जो ''दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की आकस्मिकता निधि'' के नाम से ज्ञात होगी जिसमें राजधानी की संचित निधि में से ऐसी राशियां जमा की जाएंगी जो, समय–समय पर, विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अवधारित की जाएं और ऐसी निधि में से अग्रिम धन देने के लिए उपराज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि उपराज्यपाल द्वारा धारित की जाएगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आकस्मिकता निधि में से कोई अग्रिम धन किसी अनवेक्षित व्यय का विधि द्वारा किए गए विनियोजनों के अधीन विधान सभा द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसे व्यय की पूर्ति के प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(173)

PART — V

MISCELLANEOUS AND TRANSITIONAL PROVISIONS

46. Consolidated Fund of the Capital

(1) As from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint in this behalf, all revenues received in the Capital by the Government of India or the Lieutenant Governor in relation to any matter with respect to which the Legislative Assembly has power to make laws, and all grants made and all loans advanced to the Capital from the Consolidated Fund of India and all moneys received by the Capital in repayment of loans shall form one Consolidated Fund to be entitled "the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi" (referred to in this Act as the Consolidated Fund of the Capital).

(2) No moneys out of the Consolidated Fund of the Capital shall be appropriated except in accordance with and for the purposes and in the manner provided in this Act.

(3) The custody of the Consolidated Fund of the Capital, the payment of moneys into such Funds, the withdrawal of money there from and all other matters connected with or ancillary to those matters shall be regulated by rules made by the Lieutenant Governor with the approval of the President.

47. Contingency Fund for the Capital

(1) There shall be established a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled " the Contingency Fund of the National Capital Territory of Delhi" into which shall be paid from and out of the Consolidated Fund of the Capital such sums as may, from time to time, be determined by law made by the Legislative Assembly; and the said fund shall be held by the Lieutenant Governor to enable advances to be made by him out of such Fund.

(2) No advance shall be made out of the Contingency Fund referred to in sub-section (1) except for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorization of such expenditure by the Legislative Assembly under appropriations made by law.

(3) उपराज्यपाल, पूर्वोक्त आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, उसमें धनराशियों के संदाय तथा उससे धनराशियों के निकाले जाने से संबंधित या उसके आनुषंगिक सभी विषयों का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगा।

48. संपरीक्षा प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की धारा 46 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के पश्चातवर्ती किसी अवधि के लिए राजधानी के लेखाओं सम्बन्धी प्रतिवेदनों को उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनकी विधान सभा के समक्ष रखवाएगा।

49. उपराज्यपाल तथा उसके मंत्रियों का राष्ट्रपति से सम्बन्ध

इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उपराज्यपाल और उसकी मंत्रि–परिषद राष्ट्रपति के साधारण नियंत्रण के अधीन होगी तथा ऐसे विशिष्ट निदेशों का, यदि कोई हों, अनुपालन करेगी जो राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर दिए जाएं।

50. अनुच्छेद 239 कख के अधीन किए गए आदेश की अवधि और संसद द्वारा उसका अनुमोदन

(1) अनुच्छेद 239 कख के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश, आदेश किए जाने की तारीख से एक वर्ष का अन्त होने पर समाप्त हो जाएगा और अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) और खण्ड (3) के उपबन्ध, यथासाध्य, ऐसे आदेश को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा को लागू होते हैं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति पूर्वोक्त आदेश की अवधि की उपधारा (1) के अधीन आदेश की समाप्ति की तारीख से अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए और बढ़ा सकेगा कि एक वर्ष की समाप्ति के परे किसी अवधि के लिए उक्त आदेश के प्रत्येक विस्तार का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा किया जाएगा।

51. राष्ट्रपति द्वारा व्यय का प्राधिकृत किया जाना

जहाँ विधान सभा अनुच्छेद 239 कख के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी आदेश के कारण विघटित कर दी जाती है या ऐसी विधान सभा के रूप में उसके कृत्य

(174)

(3) The Lieutenant Governor may make rules regulating all matters connected with or ancillary to the custody of, the payment of moneys into, and the withdrawal of moneys from the aforesaid Contingency Fund.

48. Audit Reports

The reports of Comptroller and Auditor-General of India relating to the accounts of the Capital for any period subsequent to the date referred to in sub-section (1) of section 46 shall be submitted to the Lieutenant Governor who shall cause them to be laid before the Legislative Assembly.

49. Relation of Lieutenant Governor and his Ministers to President

Notwithstanding anything in this Act, the Lieutenant Governor and his Council of Ministers shall be under the general control of, and comply with such particular directions, if any, as may from time-to-time be given, by the President.

50. Period of Order made under article 239AB and approval thereof by Parliament

(1) Every Order made by the President under article 239AB shall expire at the end of one year from the date of issue of the order and the provisions of clauses (2) and (3) of article 356 shall, so far as may be, apply to such order as they apply to a Proclamation issued under clause (1) of article 356.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section(1) the President may extend the duration of the aforesaid order for a further period not exceeding two years from the date of expiry of the order under sub-section (1) subject to the condition that every extension of the said order for any period beyond the expiration of one year shall be approved by resolutions of both Houses of Parliament.

51. Authorization of expenditure by President

Where the Legislative Assembly is dissolved or its functioning as such Assembly remains suspended, on account of an order made by the President under article 239AB, it shall be competent for the

निलंबित कर दिए जाते हैं वहां, तब जब लोकसभा सत्र में न हो, व्यय की संसद द्वारा मंजूरी लंबित रहने तक राजधानी की संचित निधि में से ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की क्षमता होगी।

52. संविदाएं और वाद

शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि

(क) राजधानी के प्रशासन से संबंधित सभी संविदाएं, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई संविदाएं हैं, और

(ख) राजधानी के प्रशासन से संबंधित सभी वादों को तथा कार्यवाहियों को भारत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किया जाएगा।

53. कठिनाइयाँ दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति

(1) यदि इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी विधि के उपबंधों के संक्रमण के संबंध में या इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में तथा विशिष्टतया विधान सभा के गठन के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति, ऐसे आदेश द्वारा जो संविधान के या इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो, कोई भी बात कर सकेगा जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश प्रथम विधान सभा के गठन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

54. नियमों का विधान सभा के समक्ष रखा जाना

उपराज्यपाल द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

55. 1950 के अधिनियम संख्यांक 43 की धारा 27क का संशोधन

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27क की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् –

President to authorize when the House of the People is not in session expenditure from the Consolidated Fund of the Capital pending the sanction of such Expenditure by Parliament.

52. Contracts and suits

For the removal of doubts it is hereby declared that—

(a) all contracts in connection with the administration of the Capital are contracts made in the exercise of the executive power of the Union and

(b) all suits and proceedings in connection with the administration of the Capital shall be instituted by or against the Government of India.

53. Power of President to remove difficulties

(1) If any difficulty arises in relation to the transition from the provisions of any law repealed by this Act or in giving effect to the provisions of this Act and in particular in relation to the constitution of the Legislative Assembly, the President may by order do anything not inconsistent with the provisions of the Constitution or of this Act which appear to him to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no order under this sub-section shall be made after the expiry of three years from the date of constitution of the first Legislative Assembly.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before each House of Parliament.

54. Laying of rules before Legislative Assembly

Every rule made by the Lieutenant Governor under this Act shall be laid, as soon as it is made, before the Legislative Assembly.

55. Amendment of section 27A of Act 43 of 1950

In section 27A of the Representation of People Act, 1950, for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely–

''दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए निर्वाचकगण उस राज्यक्षेत्र के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 के अधीन गठित विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा।''

56. 1966 के अधिनियम संख्यांक 19 का निरसन

दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 निरसित किया जाता है।

(176)

"The electoral college for the Union Territory of Delhi shall consist of the elected members of the Legislative Assembly constituted for that territory under the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991".

56. Repeal of Act 19 of 1966

The Delhi Administration Act, 1966 is hereby repealed.

अनुसूची

(धारा 4, धारा 12 और धारा 43 को देखिए)

शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप

1

विधान सभा के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप :

''मैं, अमुक,..... जो विधान सभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूं, **ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ** कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।''

2

विधान सभा के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप :

''मैं अमुक,.....जो विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। **ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ** कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।''

3

मंत्रि–परिषद् के सदस्य के लिए पद की शपथ का प्रारूप :

''मैं, अमुक ..... **ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ** कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूँगा, मैं मंत्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा।''

(177)

THE SCHEDULE

(See sections 4, 12 and 43)

FORMS OF OATHS OR AFFIRMATIONS

I

Form of oath or affirmation to be made by a candidate for election to the Legislative Assembly:

"I, A.B., having been nominated as a candidate to fill seat in the Legislative Assembly do **swear in the name of God / solemnly affirm** that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India."

II

Form of oath or affirmation to be made by a member of the Legislative Assembly:

"I, A.B., having been elected a member of the Legislative Assembly **swear in the name of God / solemnly affirm** that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter."

III

Form of oath of office for a member of the Council of Ministers:

"I, A.B., do **swear in the name of God / solemnly affirm** that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister, and that I will do right to all manner of people in accordance with Constitution and the law without fear or favour, affection or ill-will".

4

मंत्रि–परिषद् के सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्रारूप :

''मैं, अमुक,..... **ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ** कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जब कि ऐसे मन्त्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।''

(178)

IV

Form of oath of secrecy for a member of the Council of Ministers:

"I, A.B., do **swear in the name of God / solemnly affirm** that I will not directly, or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister except as may be required for the due discharge of my duties as such Ministers."